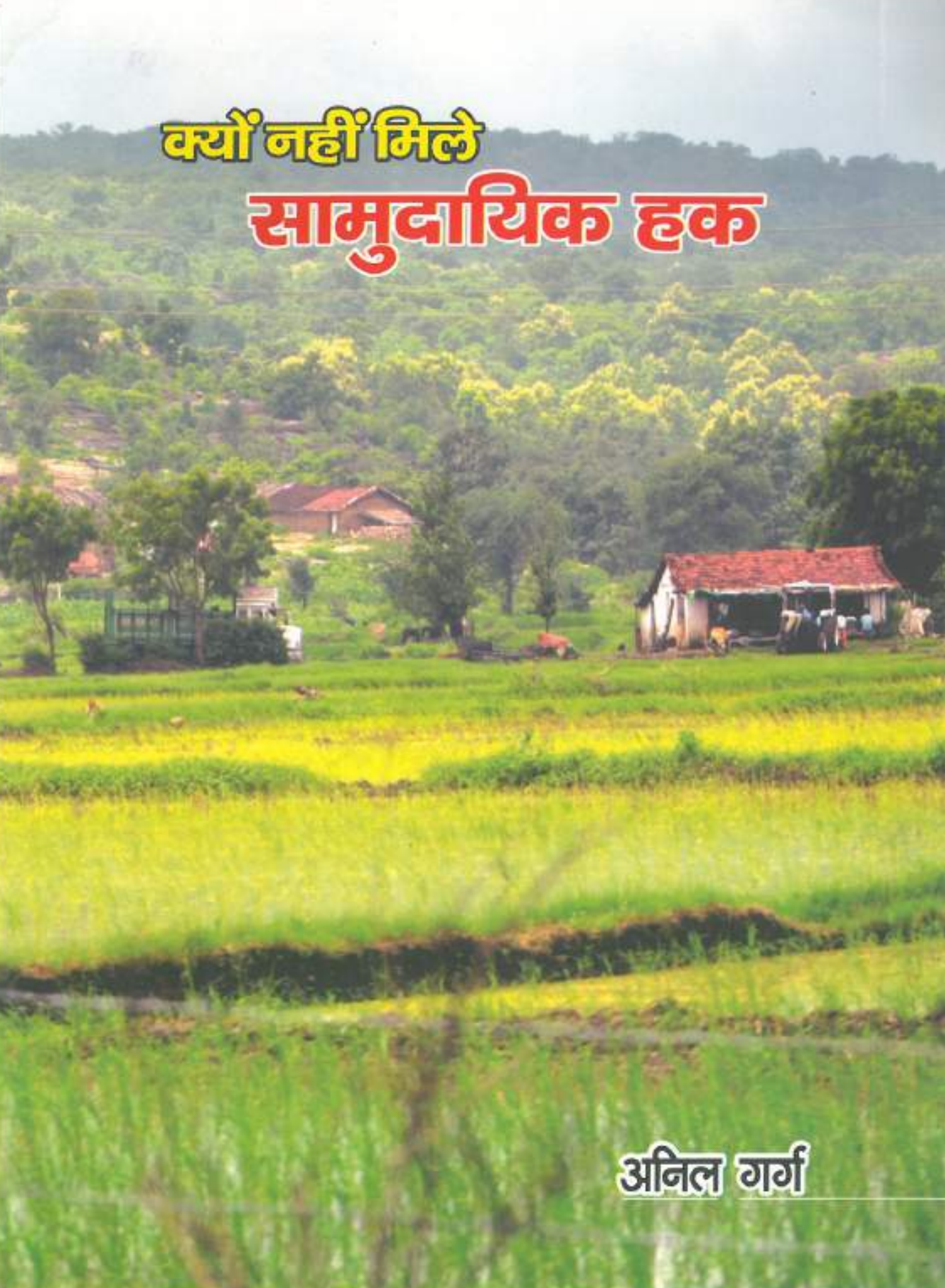
क्यों नहीं मिले
सामुदायिक हक
अनिल गर्ग

किताब का नाम

क्यों नहीं मिले सामुदायिक हक

लेखक – अनिल गर्ग

पता – कोठी बाजार, बैतूल

सम्पर्क नम्बर –09425636979

ई–मेल – garganil1956@gmail.com

प्रकाशक	–	बुनियाद (बैतूल) और श्रुति (नई दिल्ली)
समन्वय	–	राकेश कुमार मालवीय
टंकक	–	उमाशंकर पवार
आवरण फोटो	–	राकेश कुमार मालवीय
वर्ष	–	2016
प्रतियां	–	1000
मूल्य	–	₹ 200
डिजाइन	–	अमित सक्सेना
मुद्रक	–	बी.के. ट्रेडर्स

विदेह उपाध्याय

विदेह उपाध्याय एक बहुत ही संजीदा इंसान थे। अपनी पूरी जिन्दगी को उन्होंने लोकहित के मुद्दों पर कानूनी पैरवी के जरिए एक आयाम दिया, सार्थकता दी। वह दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग में कानूनी सलाहकार थे। वह 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के जलसंसाधन विभाग के वर्किंग सदस्य भी रहे। नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ 2011 बनाने वाली विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में भी आपकी भूमिका है। विदेह कई केन्द्रीय मंत्रियों, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों, यूएन बॉडीज और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के लिए सलाहकार की भूमिका में रहे हैं। वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज के कानून और प्रशासन केन्द्र के विजिटिंग फैलो भी रहे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भी अध्यापन संबंधी कार्य किया है। वह कई पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे हैं। उनकी कानून से संबंधित पांच किताबों का प्रकाशन भी हो चुका है।

विदेह भाई एक अच्छे इंसान, एक शुभचिन्तक दोस्त और एक समझदार संवेदनशील मार्गदर्शक जिसे खोना हम जैसे जमीनी स्तर पर काम करने वालों के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है।

जंगल, जमीन, समाज और उसके अधिकारों जैसे व्यापक विषय पर विदेह भाई के साथ 2011 से ही काम करने का अवसर मिला, जब भी चाहा वह स्वयं बैतूल आए, भोपाल और रायपुर भी आए, गांव-गांव भी गए। हमें जब भी दिल्ली जाने का अवसर मिला, और हमने विदेह भाई से मिलने की इच्छा जाहिर की उन्होंने समय निकाला हमसे बात की, हमें सहयोग किया, हमारा मार्गदर्शन भी किया।

विदेह भाई से हेबीटेट सैन्टर में नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में अंतिम मुलाकात हुई। अमिताभ बेहार भाई से इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव और उनके सहयोगी नीलाभ दुबे थे, एकता परिषद के रमेश शर्मा भी साथ थे, विदेह भाई के साथ आदित्य मिश्रा थे। सभी ने बहुत सी चर्चाएं कीं। बहुत कुछ किया जाना भी तय किया, लेकिन सब कुछ अधूरा रह गया और विदेह भाई चले गए।

मैं स्वीकारता हूं कि जंगल, जमीन, समाज और उसके अधिकारों से संबंधित मैंने और मेरे साथियों ने जो भी अध्ययन किया, शोध किया, प्रमाणों का संकलन किया वह विदेह के सहयोग और मार्गदर्शन की पूँजी है जो पर्यावरण, वन्य प्राणी, जैव विविधता, वन और वन भूमि सहित समाज के अधिकारों का भविष्य निर्धारित करेगी।

विदेह भाई हमारे साथ थे, विदेह भाई हमारे साथ रहेंगे, उनकी हर मुस्कान हमें उनकी यादों के साथ ही प्रेरणा देते रहेगी।

- अनिल गर्ग

''हम सभी साथियों का विदेह भाई को आखिरी सलाम''

दो शब्द

'ऐतिहासिक अन्याय बनाम असली दावेदारी' की अगली कड़ी के रूप में इस पुस्तक 'सामुदायिक अधिकार' को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में ज़मीनों के इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। यह पुस्तक हमारे समक्ष ऐसे समय में आ रही है जब वन अधिकार (मान्यता) कानून को वजूद में आये दस साल और लागू हुए आठ साल पूरे हो रहे हैं। इस एक कानून के माध्यम से भारत की संसद ने जंगल पर आश्रित और निवास करने वाले अपने नागरिकों पर अब तक हुए ऐतिहासिक अन्यायों को खत्म कर उन्हें गरिमापूर्वक जीवन जीने की परिस्थितियां देने का आश्वासन दिया था। आज आठ साल बाद इस कानून की परिणति हमारे सामने है। हालांकि इस कानून के माध्यम से जंगल में निवास करने वाले लोगों विशेष रूप से आदिवासी समुदायों को अपने संसाधनों पर अपने हक जताने का एक सशक्त तर्क मिला और सामुदायिक अधिकारों के लिए समुदायों को एकजुटता व परस्पर सहकार की भावना सतह पर आयी।

इस एक कानून ने ग्राम सभाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित भी किया और उन्हें सशक्त भी किया। आज पूरे देश में वन अधिकारों को लेकर एक अनुकूल माहौल बना है और गाँव-गाँव में इस मुद्दे पर काम करने वालों की मौजूदगी है। लेकिन अंततः सामुदायिक वन अधिकार का दायरा बहुत सीमित हुआ है। दो-चार उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो सामुदायिक वन अधिकार महज़ निस्तार अधिकारों तक सिमट गया है। प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, लघु वनोपज, प्रबंधन, संरक्षण और पुनरुत्पादन जैसे विशिष्ट अधिकार पूरी तरह ग्राम सभाओं को नहीं मिल पाए हैं। इसकी वजहें भी अब स्पष्ट हैं जिनमें सबसे नकारात्मक भूमिका खुद वन विभाग की रही है, जिला प्रशासन और अंततः राज्य सरकारों ने इसमें भी सक्रिय रूप से नकारात्मक भूमिका ही निभाई है। जो संसाधन वन आश्रित समुदायों को सुपुर्द करना थे उन्हें बड़ी-बड़ी खनन कंपनियों को बेचा जा रहा है।

ऐसे समय में यह पुस्तक विशेष रूप से उनके लिए बहुत उपयोगी होगी जो अपनी लड़ाई को स्पष्ट समझ के साथ धार देना चाहते हैं क्योंकि तमाम एजेंसियों के नकारात्मक रवैये के साथ साथ एक बड़ा कारण इस मुद्दे पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच सामुदायिक अधिकार को लेकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट समझ का अभाव भी रहा है।

हम उम्मीद करते हैं कि एडव्होकेट अनिल गर्ग जी द्वारा लिखी गयी इस किताब का आप लोग उसी तरह स्वागत करेंगे जैसा इनकी लिखी पिछली किताबों का किया था। हमें भरोसा है कि यह किताब सामुदायिक अधिकारों पर क्रमबद्ध ढंग से तार्किक व प्रामाणिक विषय वस्तु देती है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

इस पुस्तक के प्रकाशन में हमें 'अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशिएटिव (^mif)' से आर्थिक सहयोग मिला, हम उनके आभारी हैं। पुस्तक के संपादन में राकेश मालवीय ने सहयोग किया, उनका शुक्रिया और किताब के लेखक श्री अनिल गर्ग जी को बधाई व धन्यवाद। इस बीच हमारे साथी एडव्होकेट श्री विदेह उपाध्याय हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें श्रद्धांजलि।

सत्यम और श्वेता
श्रुति

विषय सूची

प्रस्तावना

सामुदायिक अधिकार जब अपराध मान लिए गए	01
सामुदायिक रूढ़िक, परम्परागत, निस्तारी व्यवस्था	02
संरक्षित वन से संबंधित आदेश एवं अधिसूचना	03
सामुदायिक वन अधिकारों को अपराध बनाने का सफर	07
संविधान, कानून एवं न्याय की उपेक्षा	10
वन मुख्यालय की उदासीनता	11
अधिकारों के अभिलेखन का शासनादेश	12
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की भूमिका	14
वर्किंग प्लान आधारित प्रबन्धन	18
नियम विहीन सामुदायिक अधिकार और राज्य सरकार की नाकामी	22
आसान प्रक्रिया को स्वीकारने की नीयत और इच्छा शक्ति	24
जवाबदेही और जिम्मेदारी का संकट	34

समाज आधारित व्यवस्था और न्यायिक हस्तक्षेप 35

सामुदायिक अधिकार स्वीकारने के बाद... 37

काश यह हकीकत में सच होता 40

मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 1960 43

निस्तार और चराई हक 62

महाकौशल 68

मध्य भारत क्षेत्र 76

सिरोंज उप–क्षेत्र 79

विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र 85

भोपाल क्षेत्र 89

''मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पत्र'' 92

प्रस्तावना

आजादी के पूर्व ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय समाज के अधिकांश अधिकारों को छीना, लेकिन बावजूद इसके कुछ अधिकारों को छीने जाने की हिम्मत वह नहीं कर पाई। आजादी के बाद बचे अधिकारों को छीने जाने का सिलसिला चला। आगे चलकर अधिकारों को छीना गया, उन्हें अपराध मान लिया गया।

आजादी के बाद समाज के विरुद्ध अनेकानेक साजिश की गई, दुष्प्रचार किए गए। पर्यावरण से संबंधित विषय पर आंकलन किए बिना ही "वन संरक्षण कानून 1980" भी बना दिया। इस कानून की असफलता पर देश की सर्वोच्च अदालत ने विचार कर टीएन गोदाबर्मन की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को महत्वपूर्ण आदेश दिया। यह याचिका आज भी लम्बित है, इस याचिका में सैकड़ों आदेश भी हो चुके है।

आजादी के बाद भी अन्याय को देश की संसद ने स्वीकार किया। उन अन्यायों को दूर करने के लिए वन अधिकार कानून 2006 बनाया। इसे नियम सहित जनवरी 2008 से लागू कर दिया गया।

वन अधिकार कानून 2006 की धारा "3(1)ख" के समाज के आजादी पूर्व प्रचलित अधिकारों को लेकर बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किया गया–

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं;

कानून की धारा "3(1)ख" में किए गए प्रावधानों के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ की राज्य सरकार और इन राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वनाधिकार समितियां बनाई गई, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। दोनों ही राज्यों में वन विभाग और राजस्व विभाग ने आपसी तालमेल नहीं किया। कार्यवाहियों और अभिलेखों को आधार बनाए जाने का प्रयास नहीं किया।

वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1)ख" में बताए गए अधिकारों के लिए आजादी के पूर्व राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में राजस्व विभाग के द्वारा दर्ज की गई जमीनों को आजादी के बाद राजस्व विभाग ने तत्कालीन मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल आदि से अर्जित किया और उन्हें दखल रहित सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की जमीनों के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया, राजस्व कानूनों में पर्याप्त प्रावधान भी किए।

वन विभाग ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्हीं संसाधनों को आजादी के बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित कर अपने नियंत्रण और प्रबन्धन में ले लिया, समाज के अधिकारों को अपराध भी मान लिया। संकलित की गई जानकारी के अनुसार वन विभाग के नियंत्रण और प्रबन्धन में ली गई सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमियों की जानकारी निम्नानुसार है –

क्र.	विवरण	रकबा (हे. मे)
1	धारा 4(1) में अधिसूचित वर्ष 2000 में प्रतिवेदित भूमि	6669379.300
2	धारा 20 में वर्ष 1956 से 2000 तक अधिसूचित भूमि	960200.000
3	वर्ष 2000 में बताई गई नारंगी भूमि (मध्य प्रदेश में)	180294.000
4	वर्ष 2000 में बताई गई नारंगी भूमि (छत्तीसगढ में)	1239323.160
	योग	**9049196.460**

वन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित की जा रही इन 90 लाख 49 हजार 146 दशमलव 460 हेक्टेयर भूमियों को वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2(घ) के अनुसार वन भूमि माना गया। इन भूमियों के अलावा देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में

दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को भी धारा 2(घ) के अनुसार वन भूमि माना गया।

बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनें भी आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों, सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज की जाते रही हैं राजस्व विभाग के द्वारा वर्ष 2000 में प्रतिवेदित आंकड़ों के अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	रकबा (हे. में)
1	2000 में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित बड़े झाड़ का जंगल	2993760.000
2	2000 में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित छोटे झाड़ का जंगल	3032176.000
	योग	**6025936.000**

वन अधिकार कानून की धारा 2(घ) में परिभाषित की गई वन भूमि के संबंध में कानून की ही धारा "3(1)ख" के अनुसार समाज के आजादी पूर्व प्रचलित अधिकारों को शासकीय अभिलेखों के आधार पर मान्य किए जाने से दोनों ही राज्य सरकार अभी तक इंकार करते आई। अधिकारों को स्वयं के अभिलेखों के आधार पर स्वयं के द्वारा ही पुष्टि कर स्वीकार किए जाने का कोई अभियान मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में जनवरी 2008 से अभी तक शुरू नहीं किया। राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति या कलेक्टरों की अध्यक्षता में बनाई गई जिला स्तरीय वनाधिकार समितियों ने भी अन्याय को दूर करने के संबंध में अपनी–अपनी भूमिका आज तक निर्धारित नहीं की।

वन अधिकार कानून का आठवां वर्ष चल रहा है। कानून सफल रहा या नहीं रहा इसका निर्धारण इस आंकलन से बिना किसी तर्क के स्पष्ट हो गया है। समाज के सामुदायिक अधिकारों के संदर्भ में सिविल सोसायटी, जन संगठन एवं सामाजिक संगठन और स्वयं सेवी संगठनों के दावों और प्रतिदावों की हकीकत भी इस आंकलन से स्पष्ट हो रही है।

इतिहास, वर्तमान और भविष्य को लेकर लिखी गई यह पुस्तक आपके हाथ में है। पर्यावरण संरक्षण में समाज की भूमिका को समाप्त किया गया, जिसके परिणाम सामने है। पर्यावरण संरक्षण में समाज पर रहम किया जाकर बेगार की प्रवृत्तियों के परिणाम भी सामने हैं। पर्यावरण संरक्षण में समाज की अधिकार सम्पन्न भागीदारी के साथ ही संविधान, 11वीं अनुसूची, पैसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 एवं सर्वोच्च अदालत द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में पुस्तक आपके हाथों में है।

– अनिल गर्ग

सामुदायिक अधिकार जब अपराध मान लिए गए

आजाद भारत में प्रचलित संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों को अमान्य कर समाज के प्रचलित बचे हुए अधिकारों को छीना ही नहीं गया, बल्कि उन अधिकारों को अपराध भी मान लिया गया। इस सफर को देश की संसद ने आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय मानते हुए वन अधिकार कानून 2006 में प्रावधान भी किए गए।

जनवरी 2008 के बाद ऐतिहासिक अन्याय दूर किए जाने की बजाय अन्याय सहने वाले समाज से अन्याय के प्रमाण मांगे जाकर अन्याय करने के लिए उत्तरदायी व्यवस्था को समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त तो किया ही गया बल्कि स्वयं के अन्याय का प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने पर अन्याय को अन्याय माने जाने से इन्कार किए जाने के अधिकार भी प्रदान कर दिए।

जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1)ख में दिए गए प्रावधान के अनुसार –

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं;

मध्यप्रदेश शासन या छत्तीसगढ शासन और इन दोनों ही राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति ने आजादी के पूर्व प्रचलित अधिकार धारा "3(1)ख" के अनुसार मान्य किए जाकर सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किए जाने का कोई अभियान नहीं चलाया।

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई जिला स्तरीय वनाधिकार समिति एवं अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई उपखण्ड स्तरीय समिति ने तो आजादी के पूर्व प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के राजस्व अभिलेख में दर्ज, राजस्व अभिलेखागार में संधारित, ग्राम के संबंधित पटवारी के पास उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर धारा "3(1)ख" में बताए प्रचलित अधिकारों को सौंपे जाने का कोई अभियान नहीं चलाया, बल्कि इस पूरे विषय को अभी तक लगातार दबाया जाते रहा है।

शासकीय अभिलेखों में दर्ज प्रमाणों को प्रमाण नहीं माना गया, इन शासकीय अभिलेखों की प्रतियां शासन के द्वारा वनाधिकार समिति या ग्रामसभा या ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जाकर कानून की औपचारिकताओं को पूरा किए जाने का कोई अभियान नहीं चलाया।

आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों में से जिन जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 में वन विभाग ने अधिसूचित तो कर लिया, लेकिन इन जमीनों पर प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे एरिया रजिस्टर एवं वनकक्ष इतिहास में दर्ज नहीं किए। उन अधिकारों एवं प्रयोजनों को वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज करने का कोई अभियान नहीं चलाया गया।

इसी विषय को हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वन अधिकार कानून 2006 की धारा "3(1)ख" के अनुसार समाज के प्रचलित अधिकारों को अपराध माने जाने की बजाय अधिकार माना जाकर सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने का अभियान चलाया जा सके।

□□□

सामुदायिक रूढ़िक, परम्परागत, निस्तारी व्यवस्था

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ राज्य में आजादी के पूर्व प्रचलित व्यवस्थाओं के इतिहास के अनुसार महल, दुमाला, मालगुजार, जमींदार, जागीरदार के नियंत्रण में ग्रामीण व्यवस्था को स्वीकार किया गया, रैय्यतदारी एवं मसाहती ग्रामों की व्यवस्था को तत्कालीन राजस्व विभाग के नियंत्रण में सौंपा गया।

आजादी के पहले भी सभी तरह के राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में ग्राम की कुछ भूमियों को राजस्व अभिलेखों में दो तरह से दर्ज किया जाते रहा है पहला तो इस तरह की भूमियों को बड़े झाड के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, झुड़पी जंगल, जंगलात, जंगल खुर्द, जंगल जला, पहाड़ चट्टान, पठार, घास, चरनोई, चारागाह, गोचर, बीड, सरना, करात, कदीम के नाम से दर्ज किया जाता रहा है इन्हें मद या नोईयत कहा जाता था।

दूसरा इन्हीं जमीनों को समानान्तर रूप से राजस्व अभिलेखों में गोठान, खलियान, कब्रस्तान, श्मशान, बाजार, पाठशाला और खेलकूद के मैदान, मुर्दा मवेशी चीरने फाड़ने के स्थान, जलाऊ लकड़ी, कृषि औजार की लकड़ी, झोपड़ी बनाने के बांस बल्ली लाने के स्थान, चराई के स्थान, मुरम, मिट्टी एवं पत्थर के स्थान, धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए निर्धारित स्थान", मछली पकड़ने, सन सड़ाने, सिंचाई के अधिकार, रास्तों, सडक मार्ग से आने जाने के अधिकार आदि, के नाम से भी दर्ज किया जाता रहा है, जिसे प्रयोजन कहा जाता था।

मद और प्रयोजन को समानान्तर रूप से दर्ज किए जाने की व्यवस्था सभी तरह के ग्रामों में प्रचलित थी लेकिन इनमें से महल, दुमाला, मालगुजारी, जमींदारी, जागीरदारी ग्रामों की भूमियों को भूस्वामी हक की भूमि माना जाकर ग्रामीणों को उनके उपभोग की छूट मिली हुई थी।

1950 में भारतीय संविधान लागू किए जाने के बाद सबसे पहला क्रान्तिकारी कानून, जमींदारों, जागीरदारों एवं मालगुजारों के उन्मूलन का बनाया गया इस कानून के अनुसार स्वामित्वाधिकारों के संसाधनों को ही अर्जित किया गया यानी विभिन्न मदों और उन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए दर्ज किए जाने वाली जमीनों को अर्जित कर लिया गया।

इन अर्जित संसाधनों की मदों एवं प्रयोजनों को यथावत रखा जाकर इन संसाधनों को राजस्व अभिलेखों में दखल रहित भूमि के रूप में दर्ज किया और दखल रहित भूमि के रूप में ही इन संसाधनों के उपभोग और उपयोग को सुनिश्चित किए जाने से संबंधित राजस्व कानूनों के प्रचलित प्रावधानों को लागू किया या इस तरह के प्रावधान राजस्व कानूनों में शामिल किए गए।

इस तरह से वर्तमान मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में दखल रहित जमीनों याने विभिन्न मदों या नोईयत में दर्ज विभिन्न सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की जमीनों को लेकर समान व्यवस्था लागू कर भू–राजस्व संहिता 1954 जिसे राज्य पुनर्गठन के बाद भू–राजस्व संहिता 1959 के रूप में लागू किया गया के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि के रूप में उल्लेखित किया जाकर प्रावधान किए गए उन प्रावधानों के अनुसार अलग–अलग धाराओं से संबंधित नियम राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचित किए। राजस्व अभिलेखों में विभिन्न मदों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज दखल रहित जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अनुसार संरक्षित वन अधिसूचित किए जाने की कार्यवाहियां वन विभाग के द्वारा 1954 में, वर्ष 1955 में एवं वर्ष 1958 में की, रीवा राज दरबार के इलाकों से संबंधित 1950 में लागू किए गए विन्ध्य जमींदारी विनाश कानून 1950 के अनुसार अर्जित किए गए संसाधनों को अर्जन के बाद रीवा राज दरबार द्वारा दिनांक 08 फरवरी 1927 में जारी आदेश के अनुसार संरक्षित वन घोषित संसाधन मान लिया गया इन संसाधनों को राजपत्र में धारा 29 के अनुसार अधिसूचित ही नहीं किया।

❑❑❑

संरक्षित वन से संबंधित आदेश एवं अधिसूचना

रीवा राज दरबार के द्वारा शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दतिया जिलों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन आदेशित और घोषित किया। इन जमीनों को राजपत्र में संरक्षित वन अधिसूचित नहीं किया, लेकिन वानिकी प्रबन्धक रीवा राज दरबार के आदेश को सर्वोच्च मानते हुए अधिसूचना के बिना ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन मानते और बताते आए हैं। इन जमीनों को धारा 4(1) में अधिसूचित किया धारा 20 में भी अधिसूचित किया, धारा 34 अ में भी अधिसूचित कर दिया।

1937 का आदेश

Appendix-X

Rewa Darbar order dated 06-02-1937, declaring all forested lands within the princelv-State of Rewa a as Protected Forests.

The Darbar is here by pleased to declared under section 29 of the Rewa Forest Act the provisions of chapter IV of the aforesaid Act, Applicable to all forest land, and wast which is not included in a R.F., Land holding (includig air or Gram) or badi or tank or municipal, compound or Bazar area.

भोपाल प्रान्त सरकार के द्वारा तो राजस्व ग्रामों में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों को रकबे सहित राजपत्र में संरक्षित वन अधिसूचित किया। वर्तमान सीहोर, भोपाल एवं रायसेन जिले के लिए जारी इन अधिसूचनाओं के अतिरिक्त राजस्व भूमियों को वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि मान लिया। उन्हें धारा 4(1) धारा 20 एवं धारा 34 अ में भी अधिसूचित कर दिया।

1954 की अधिसूचना

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. 21, Dated the 14th June, 1954

In excercise of the paras conferred under Scetion 29 of the Indian Forest act, 1927 as declarated by the Central Government under Notification No. 104-J dated the 24th August 1950, the chief commissioner of Bhopal has been pleased to declare the Chhota and Bara Jungles of the following Jagir village which have been resumed by government and transferred to the forest department as "Protected Forests"

The residence of the respective village will continue to enjoy the rights as entered in the village Wajib-ul-arg.

Rules regarding Fire Protection, Grazing, Shooting and catting, Felling and Removal of tress or other Produce, published under notification No. 2 dated the 6th March, 1954 in the State Gazzette dated 9th March, 1954 will apply to these areas with immediare effect.

M.S.DAS,
Commissioner,

DETAILS OF AREA

WESTERN DIVISION

S. No.	Name of Forest	Name of Tahsil	Name of Village	Bara Jungle	Chhota Jungle	Toatal	Survey Numbers
1	2	3	4	5	6	7	8

मध्य प्रान्त सरकार ने रतलाम, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इन्दौर, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, उज्जैन, शाजापुर, देवास जिलों के राजस्व अभिलेखों में "वन" के रूप में दर्ज भूमियों को 01 मार्च 1955 को संरक्षित वन भूमि अधिसूचित कर दिया। गैर वन के रूप में दर्ज भूमियों को भी संरक्षित वन मानकर वनखण्ड बना लिए और उन्हें आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया धारा 34 अ के तहत डीनोटीफाइड भी कर दिया।

मध्य प्रान्त की 1955 की अधिसूचना

FOREST AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT GWALIOR

Notification

No. 1101/XF/203(54), Gwalior, dated the 1st March, 1955

In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Madhya Bharat Forest Act, Samvat 2007, the Government as pleased hereby to declare such lands in the ex-jagirdari and ex- Zamindari areas of Madhya Bharat, resumed under the Madhya Bharat Abolition of Jagirs Act, Samvat 2008 and the Madhya Bharat Zamindari Abolition Act, Samvat 2008, respectively as have been recorded as forests in the last settlement in the area concerned and as are not encluded in the reserved forests, to be protected forests, provided that any existingt rights of individuals or communities is such lands shall not be abridged or affected pending the enquiry and record in accordance with the provisions of sub-section 3 of the said section.

मध्य भारत वन विधान, संवत् 2007 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन इस विज्ञप्ति द्वारा, मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान, सवत् 2008 तथा मध्य भारत जमीदारी समाप्ति विधान, संवत् 2008 के अधीन पुनर्रमूददीन गत जागीरदारी तथा जमीदारी क्षेत्रों की ऐसी भूमियों जो कि सम्बन्धित क्षेत्र के विगत अन्तिम व्यवस्थापन में वन के रूप में लिखी गई हों और जोकि सुरक्षित वनों में सम्मिलित न हो, रक्षित वन घोषित करना है, किन्तु व्यक्तियों या जातियों के ऐसी भूमियों में विद्यमान स्वत्व, उक्त धारा की उपधारा धारा (3) के आदेशों के अनुसरण में की जाने वाली जांच तथा लेखा के अपूर्ण रहने तक कम या प्रभावित न होगें.

आज्ञा से,

एस.पी. मित्रा सेक्रेटरी

मध्यप्रदेश सरकार ने 01 अगस्त 1958 को राजपत्र में वर्तमान मध्यप्रदेश के बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिन्डौरी, सागर, दमोह, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों एवं छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, महासमुन्द, धमतरी, कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, कोरबा, कोरिया, जशपुर जिलों के लिए स्वामित्वाधिकारों के अन्त का कानून 1950 के अनुसार अर्जित जमीनों में से जंगल मद में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया, लेकिन अर्जित जमीनों में से गैर जंगल मद में दर्ज जमीनों एवं रैय्यतवारी और मसाहती ग्रामों की गैर संरक्षित वन भूमियों को भी धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ में अधिसूचित कर दिया।

मध्य प्रदेश सरकार की 1958 की अधिसूचना

म.प्र. शासन की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 1 अगस्त 1958

No. 9-X-58- Whereas the State Government consider it necessary to make the provisions of Chapter IV of the Indian Forest Act, 1927. (XVI of 1927, herein after referred as the said Act,) as applicable to forest land specified in the Schedule below;

AND WHEREAS the State Government think that an enquiry and record as required by sub-section(3) of section 29 for the said Act are necessary, but that they will occupy such length of time as in the mean time to endanger to rights of Government;

Now, THEREFOR, in exercised of the powers conferred by section 29 of the said Act, The State Government hereby declare the provisions of Chapter IV of the said act applicable to the aforesaid land] pending such inquiry and record, subject to the condition that existing rights of individuals or communityes in such land shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government Government from time to time:-

Schedule

All such forest land which has vested in the State by virtue of the provisions contained in that behalf in Madhya Pradesh Ablition of Proprietary Rights (Estates, mahals, Alienated lands) Act, 1950 (I of 1951) and has been transferred to the Forest Department for Management but has not so far been declared as Reserved forest or Protected Forest.

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29

धारा 29 में संरक्षित वन –

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध, किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Waste Land) पर, जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं है, किन्तु जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार का आपत्तिक अधिकार (Proprietary right) है या उसकी सम्पूर्ण वनोपज या उसके भाग पर सरकार का अधिकार है लागू होंगे।

(2) ऐसी किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि या पड़त भूमि "संरक्षित वन" (Protected Forest) कहलावेगी।

(3) जब तक कि अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि या पड़त भूमि (Waste Land) में या उन पर राज्य सरकार या प्रायवेट व्यक्तियों के अधिकारों के फलस्वरूप और विस्तार की जांच नहीं कर ली जाती है और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य किसी ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जावेगी तथा ऐसे हर अभिलेख के बारे में यह उपधारणा (Presumed) की जावेगी कि वे सही (Correct) है जब तक कि प्रतिकूल (Contrary) साबित न कर दिया जावे।

परन्तु यदि किसी वन भूमि या पड़त भूमि की बाबत् राज्य सरकार, यह समझती है कि ऐसी जांच एवं अभिलेख आवश्यक है, किन्तु उनमें इतना समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जावेंगे, तो राज्य सरकार ऐसी जांच लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकेगी, किन्तु इससे किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

वन विभाग ने जिन संसाधनों को संरक्षित वन मान लिया, उन्हीं संसाधनों को राजस्व विभाग ने भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाए गए ग्रामवार निस्तार पत्रक में दर्ज किया या धारा 237(1) के अनुसार कलेक्टर के द्वारा सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। राजस्व कानून, राजस्व अभिलेख, राजस्व भूमि और उनकी मदों, प्रयोजनों के

आधार पर ही भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रावधान करते आई है। संविधान में संशोधन किया जाकर 11वीं अनुसूची स्थापित की गई, संसद द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा कानून 1996 पारित कर लागू किया गया, देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज मदों के आधार पर वन भूमि परिभाषित कर आदेश दिया, सर्वोच्च अदालत ने ही सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रयोजनों के आधार पर आदेश दिया।

भारतीय वन अधिनियम 1927 वन अभिलेख एवं वन भूमि के आधार पर देश की संसद में वन अधिकार कानून 2006 पारित किया जिसकी धारा 3(1) ख,ग,घ,ङ में प्रावधान किए गए।

वन विभाग ने धारा 29 के तहत विभिन्न प्रयोजनों की जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित कर लिया लेकिन धारा 29 के ही प्रावधानों "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकार यथावत बने रहेंगे" का पालन नहीं किया, वन विभाग ने किसी भी विभागीय अभिलेख में मदों के ब्यौरे तो दर्ज किए ही नहीं प्रचलित अधिकारों याने प्रयोजनों के ब्यौरे भी किसी विभागीय अभिलेख में दर्ज नहीं किए।

वन विभाग ने धारा 29 में अधिसूचित की गई भूमियों के अलावा गैर अधिसूचित भूमियों के वनखण्ड बना लिए उन वनखण्डों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के अनुसार अधिसूचित कर आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर दिया, धारा 5 से 19 तक लम्बित जांच के बाद भी इन संसाधनों को वर्किंग प्लान और पीएफ एरिया रजिस्टर में दर्ज कर लिया, लेकिन पीएफ एरिया रजिस्टर में अधिकारों और प्रयोजनों के लिए उपलब्ध प्रारूप में अधिकार और प्रयोजनों को दर्ज नहीं किया।

वैधानिक रूप से भारतीय वन अधिनियम 1927 या फॉरेस्ट मैनुअल का वन विभाग के द्वारा पालन नहीं किया गया, धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित की गई भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकार एवं प्रयोजन के ब्यौरों को किसी भी विभागीय अभिलेख में कभी भी अंकित नहीं किया। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव वन विभाग के द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2015 को विधिवत आदेश भी जारी किए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने इस दिशा में कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया।

राज्यों के ग्रामीण समुदाय के सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक अधिकार हो या सार्वजनिक एवं निस्तारी अधिकार हो, उन्हें लेकर राज्य सरकार पर्याप्त निगरानी और नियंत्रण की कार्यवाहियां नहीं कर पाई। इसके विपरीत राजस्व विभाग एवं वन विभाग अपने–अपने स्तर पर प्रचलित कानूनों को अमान्य कर उनकी लगातार अवेहलना और उल्लंघन करते रहे। प्रचलित संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के बाद भी समाज को अधिकारों से वंचित कर अधिकारों को अपराध माना जाता रहा है।

❑❑❑

सामुदायिक वन अधिकारों को अपराध बनाने का सफर

वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1) ख,ग,घ,ड़ में उल्लेखित अधिकारों के लिए सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारत सरकार ने दिनांक 06 सितम्बर 2012 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सामुदायिक वन अधिकारों के संबंध में संशोधन भी किए।

आजादी के बाद समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही की जाकर समाप्त किया गया। वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा मान्य किए गए अधिकार एवं प्रयोजनों को भी धारा 20 की अधिसूचना के बाद वन विभाग ने आरएफ एरिया रजिस्टर एवं आरक्षित वनकक्ष इतिहास में दर्ज नहीं किया ।

Statement of Rights

At the settlement made and declared in Notification

In 18 rights were allowed already cited of .....II ..... the following

No.	Name of Right holders	Nature and extent of rights	Remarks
1	2	3	4

आजादी के बाद समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों की जांच के लिए धारा 4(1) में अधिसूचना का प्रकाशन किया। इन अधिसूचनाओं में अधिसूचित संसाधनों की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में भी लम्बित है। इन संसाधनों पर प्रचलित अधिकार एवं प्रयोजनों के ब्यौरे वन विभाग ने पीएफ एरिया रजिस्टर एवं संरक्षित वनकक्ष इतिहास में अंकित नहीं किए।

Statement of Rights

At the settlement made and declared in Notification

In 18 rights were allowed already cited of .....II ..... the following

No.	Name of Right holders	Nature and extent of rights	Remarks
1	2	3	4

आजादी के बाद वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अनुसार राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन कर राजस्व ग्रामों की राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित किया जाना मान लिया, लेकिन इन जमीनों पर आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी, संरक्षित वन सर्वे कम्प्लीशन रिपोर्ट, ब्लॉक हिस्ट्री, वर्किंग स्कीम में दर्ज नही किए।

1965 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में व्यापक संशोधन किए गए। धारा 20 अ स्थापित की गई। इस धारा में बिना किसी अधिसूचना या आदेश के आरक्षित एवं संरक्षित वन माने जाने के प्रावधानों के तहत वन विभाग ने आरक्षित एवं संरक्षित वन मानी गई जमीनों पर दर्ज अधिकार एवं प्रयोजन के ब्यौरे अपने किसी भी विभागीय अभिलेख में दर्ज नहीं किए।

वन विभाग ने आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के लिए वर्किंग प्लान कोड बनाया। इस कोड में प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को ध्यान में रखकर नियंत्रण, प्रबन्धन, विदोहन की योजना बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया। इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखकर वनकक्ष इतिहास में भी समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया, लेकिन वन विभाग ने वनकक्ष इतिहास

में अधिकारों के ब्यौरे दर्ज नहीं किए।

आजादी के बाद समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के संबंध में वन कानून, नियम, मैनुअल, वर्किंग प्लान कोड, एरिया रजिस्टर एवं वनकक्ष इतिहास में स्वयं वन विभाग ने जो प्रावधान किए उनका स्वयं वन विभाग ने ही पालन नहीं किया, बल्कि वन विभाग उन सभी प्रावधानों को लगातार स्वयं ही अमान्य करते आया है।

समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के संबंध में वन विभाग ने प्रावधानों का पालन नहीं किया। प्रावधानों को स्वयं ने ही अमान्य किया। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी किए जाने या इस प्रक्रिया को नियंत्रित किए जाने में मात्र वन विभाग ही असफल नहीं रहा बल्कि कार्यपालिका, विधायका और न्यायपालिका भी असफल रहे हैं, राज्य सरकार और भारत सरकार भी असफल रहे हैं।

काष्ठ विज्ञान के नाम पर बनाए जाने वाले वर्किंग प्लान राज्य सरकार की पूर्ण जांच और सहमति के बाद भारत सरकार वन मंत्रालय को प्रेषित किए जाते रहे हैं जिनकी भारत सरकार भी पूर्ण जांच किया जाना बताकर अनुमोदन कर स्वीकृति प्रदान करते आई है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को यथावत बनाए रखने की बजाय उन्हें अपराध माने जाने की भी छूट वानिकी प्रबन्धकों को मिलती रही हैं।

हर वनमण्डल का वर्किंग प्लान वर्किंग प्लान ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है, अब तो वन मुख्यालय में ही वर्किंग प्लान की पृथक शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा नियंत्रित की जा रही है, लेकिन वन मुख्यालय से लेकर वर्किंग प्लान ऑफिसर के स्तर तक आर.एफ. एरिया रजिस्टर या पी.एफ. एरिया रजिस्टर में समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों को वनमण्डल स्तर से दर्ज करवाए जाने या वर्किंग प्लान ऑफीसर द्वारा दर्ज किए जाने का एक भी प्रयास नहीं किया गया।

वन अधिकार कानून 2006 में समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों को लेकर किए गए प्रावधानों के अलावा कानून की प्रस्तावना पर गौर किया जाए तो बहुत ही स्पष्टता से यह उल्लेखित किया गया है कि :–

> "वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सम्मिलित है,
>
> और औपनिवेशक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं;
>
> और यह आवश्यक हो गया है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की, जिसके अन्तर्गत वे जनजातियां भी हैं, जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए;"

जनवरी 2008 से कानून लागू किए जाने के बाद समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को वन विभाग के वर्किंग प्लान, एरिया रजिस्टर और कक्ष इतिहास में दर्ज किए जाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। मध्यप्रदेश वन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2015 को जारी पत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित की गई भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन के निर्देश दिए गए, लेकिन इन निर्देशों को वन मुख्यालय ने ही महत्व नहीं दिया। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया, निगरानी और नियंत्रण का भी वन मुख्यालय ने कोई प्रयास नहीं किया।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के प्रमुख सचिव ने आजादी के बाद धारा 20 में अधिसूचित की गई भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन या वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा मान्य किए गए अधिकारों के अभिलेखन का भी कोई आदेश, निर्देश जारी नहीं किया। धारा 20 अ के अनुसार जिन जमीनों को बिना किसी अधिसूचना या आदेश के संरक्षित वन, आरक्षित वन मान लिया गया उन जमीनों पर तत्समय प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के अभिलेखन का भी कोई आदेश नहीं दिया गया।

आजादी के बाद लिखा गया इतिहास इस बात का गवाह है कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा आजादी के पहले समाज से बलात् छीने गए कोई भी अधिकार आजादी के बाद समाज को लौटाए नहीं गए, बल्कि जिन अधिकारों को छीने जाने की हिम्मत ब्रिटिश हुकूमत भी नहीं कर पाई थी उन समस्त अधिकारों को प्रजातंत्र की आड़ में वन विभाग ने छीन–छीन कर अपराध मान लिया।

आजादी के बाद समाज को अन्याय मुक्त, अधिकार युक्त संसाधनों के उपयोग को ध्यान में रखा जाकर सबसे पहला क्रान्तिकारी कानून मालगुजार, जमींदार, जागीरदार, महल, दुमाला के उन्मूलन का हर राज्य ने 1950 में बनाया इस कानून के अनुसार राज्यों के राजस्व विभाग ने समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए मालिकाना हक में दर्ज संसाधनों को अर्जित भी कर लिया। इन संसाधनों पर समाज के अधिकारों को यथावत मान्यता दिए जाने के संबंध में राज्य ने 1956 में लैण्ड रिफार्म मैनुअल भी बनाए। इन्हीं अधिकारों के संबंध में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमि माना जाकर प्रावधान किए और नियम भी अधिसूचित किए गए।

आजाद भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्याय मुक्त व्यवस्था को कायम किए जाने के संबंध में किए गए इन समस्त प्रयासों को वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 का सहारा लेकर ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से हर स्तर पर अमान्य कर दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से वन विभाग के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा की गई व्यवस्थाओं को भी स्वयं वन विभाग के द्वारा ही अमान्य कर दिया गया। इसे वन अधिकार कानून 2006 लागू किए जाने के बाद भी स्वीकार नहीं किया जा सका। बल्कि कानून में ग्रामीणों द्वारा दावा न किया जाना बताकर अभी अमान्य किया जा रहा है।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कथनी और करनी के इस अन्तर ने अधिकार युक्त ग्रामीण जीवन को एवं उसकी सम्पूर्ण टिकाऊ सामुदायिक व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हर अधिकार को अपराध बना दिया। अन्याय को अधिकार मान लिया।

❑❑❑

संविधान, कानून एवं न्याय की उपेक्षा

1950 में देश का संविधान लागू किया गया। तब से लेकर अब तक संविधान में संशोधन किए गए। संविधान और कानूनों की समीक्षा न्यायपालिका ने की। व्याख्या भी न्यायपालिका के द्वारा की गई। न्यायालय ने आदेश भी दिए। उन आदेशों के क्रियान्वयन का दावा भी किया गया।

यह सब जिनके लिए किया गया, यह सब जिनके नाम पर किया गया, उन्हें कुछ मिला या नहीं मिला, इसका कोई आंकलन भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था खासकर विधायिका और न्यायपालिका ने नहीं किया। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की उदासीनता या नियंत्रण एवं निगरानी की उपेक्षापूर्ण नीतियों ने हर प्रावधान को दफन कर दिया या उन प्रावधानों को नए–नए अन्याय की आधारशिला बना दिया।

सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन और वन भूमि की व्याख्या की जाकर आदेश दिए। न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का दुरूपयोग कर आदेशों की लगातार अवमानना की गई। सर्वोच्च अदालत ने ही सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में 28 जनवरी 2011 को आदेश दिया। इस आदेश का पालन तो किया ही नहीं गया, बल्कि वन विभाग ने तो खुद को आदेश के दायरे से बाहर होना बता दिया।

वनाधिकार कानून की धारा "3(1)ख" का पालन किए जाने की बजाय सामुदायिक अधिकारों को नियमों का हवाला देकर अमान्य किए जाने की प्रवृत्तियों ने नए अन्याय की आधारशिला के रूप में स्थापित किया है।

वन विभाग ने 1950 में लागू किए गए उन्मूलन कानूनों के अनुसार अर्जित की गई जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अनुसार संरक्षित वन अधिसूचित किया या आदेशित किया। इन जमीनों से संबंधित संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों को वन विभाग ने आज तक स्वीकार ही नहीं किया वानिकी प्रबन्धन लगातार इनकार करते आया है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 में "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकार यथावत बने रहेगें" का प्रावधान दिया है, वन विभाग ने अपने स्वयं के कानून को भी अमान्य करते हुए जांच पूरी होने के पूर्व ही प्रचलित अधिकारों को अपराध मान लिया। प्रचलित अधिकारों की जांच के लिए धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों को धारा 5 से 19 तक की जांच के बिना ही वर्किंग प्लान संरक्षित वन कक्ष इतिहास एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर में तो अधिकार मुक्त भूमि बताकर दर्ज किया और समाज के अधिकारों को भारतीय वन अधिनियम के अनुसार ही अपराध भी मान लिया।

आजादी के पूर्व राजस्व अभिलेखों में समाज के अधिकारों के लिए दर्ज जमीनों को लेकर आजादी के बाद राजस्व विभाग एवं वन विभाग के द्वारा की गई समानान्तर कार्यवाहियों के दर्ज इतिहास, दर्ज ब्यौरो के आधार पर यदि प्रचलित संविधान, कानून और न्यायालीन आदेशों के अनुसार वन विभाग अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली निर्धारित करता तो देश की संसद को आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय स्वीकारने और वन अधिकार कानून बनाए जाने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ती।

❑❑❑

वन मुख्यालय की उदासीनता

वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल हो या वन मुख्यालय अरण्य भवन रायपुर हो, इन्होंने आजादी के बाद संरक्षित वन भूमि के नाम पर की गई कार्यवाहियों को कोई महत्व नहीं दिया। इस पूरे विषय पर क्षेत्रीय वनवृत्तों या सामान्य वनमण्डलों को मार्गदर्शन नहीं दिया। संरक्षित वन भूमि संबंधी विषय की निगरानी किए जाने या नियंत्रण किए जाने की कोई कार्यवाहियां नहीं की, बल्कि यह कहा जा सकता है कि वन मुख्यालयों ने इस विषय को दबाए जाने, छुपाए जाने, गलत तरह से प्रस्तुत किए जाने की प्रेरणा देकर प्रोत्साहन दिया। इन सबके बाद संरक्षण भी प्रदान किया।

संरक्षित वन भूमि के नाम पर 1960 से प्रारम्भ की गई कार्यवाहियों से संबंधित संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, संरक्षित वन सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी, संरक्षित वनखण्डों की ब्लॉक हिस्ट्री, तैयार की गई। वन विभाग के लिए अनुपयुक्त पाई गई वनखण्डों के बाहर छोड़ी गई जमीनों को अन्तरित किया गया। राजपत्र में डीनोटीफिकेशन की अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई। प्रत्येक वनमण्डल की वर्किंग स्कीम भी बनाई गई। राजपत्र में धारा 4(1) भा.व.अ. 1927 के अनुसार वनखण्डों की अधिसूचनाएं भी प्रकाशित की गई। धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए।

वन विभाग द्वारा तैयार किए गए अभिलेखों एवं दस्तावेजों को वन विभाग स्वयं ही संधारित नहीं कर पाया। वनमण्डलों द्वारा अभिलेखों को छुपा लिया गया, कहीं–कहीं अभिलेखों को नष्ट कर दिया गया। वन संरक्षण कानून 1980 लागू किए जाने के बाद तो वर्किंग स्कीम को समाप्त माना जाकर धारा 4(1) में अधिसूचित, आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित, धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित जमीनों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया, पी.एफ. एरिया रजिस्टर बनाकर उसमें दर्ज कर लिया, संरक्षित वन कक्ष इतिहास बना लिया, लेकिन इन अभिलेखों में समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज ब्यौरों का उल्लेख किए जाने की बजाय समस्त अधिकारों से मुक्त क्षेत्र बताया गया। इन क्षेत्रों के संरक्षित वन कक्ष मानचित्र भी बना लिए गए।

संरक्षित वन भूमियों से संबंधित कार्यवाहियों, और उन कार्यवाहियों से संबंधित विभागीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों के संबंध में वन मुख्यालय पर्याप्त निगरानी और नियंत्रण की कोई व्यवस्था कायम नहीं कर पाया। इस विषय की जानकारी वनरक्षक से लेकर आई.एफ.एस. को उपलब्ध करवाए जाने या उन्हें प्रशिक्षित किए जाने में भी वन मुख्यालय हर स्तर पर लगातार असफल रहा है।

संरक्षित वन भूमियों का राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्वनीकरण किया गया। 1980 के पूर्व प्रकाशित इन अधिसूचनाओं की प्रतियां वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन में संधारित किए जाने की वन मुख्यालय स्वयं कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। वन मुख्यालय ने दिनांक 21.05.2015 को इन अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में बाकायदा पत्र लिखा। इसी तरह इन अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ वन मुख्यालय ने दिनांक 06.05.2015 एवं छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग ने दिनांक 30.04.2015 को पत्र लिखे। संरक्षित वन भूमियों से संबंधित विभागीय कार्यवाहियों एवं विभागीय अभिलेखों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जाकर मध्यप्रदेश वन विभाग ने 14 मई 1996 को राज्य के जिलों (बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, मंडला, बैतूल, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, खरगोन) के वनमंडलों (दक्षिण बस्तर, मध्य बस्तर, पश्चिम बस्तर, इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, कोंडागांव, कांकेर, भानुप्रतापपुर, पूर्व रायपुर, नारायणपुर, जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, मंडला, बैतूल, जबलपुर, बिलासपुर, कोरबा, बड़वानी) में नारंगी भूमि सर्वे इकाईयों की स्थापना कर दी। इनके द्वारा की गई कार्यवाहियों ने वन विभाग और उससे संबंधित पूरी की पूरी व्यवस्था को "हंसी का पात्र" बनाकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खुली चुनौती दिए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने के अवसर प्रदान किए है।

वन मुख्यालय के द्वारा विभागीय कार्यवाहियों एवं विभागीय अभिलेखों के संबंध में गंभीर अपराधिक उदासीनता का रवैया अपनाया। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वनभूमि की व्याख्या एवं परिभाषा की जाकर दिए गए आदेश एवं उसके बाद याचिका क्रमांक 202/95 में ही दिए गए अन्य आदेशों का दुरूपयोग किया जाकर न्यायालय की अवमानना के भी गंभीर आरोप लगाए जाने के अवसर वन मुख्यालय ने उपलब्ध करवाए।

वन मुख्यालय वनभूमियों से संबंधित स्वयं की भूमिका पर विचार नहीं कर पाया, स्वयं के द्वारा की जाने वाली निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था को भी वन मुख्यालय कायम नहीं कर पाया। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में दिए गए आदेशों, राज्य के मुख्य सचिव द्वारा 24 जुलाई 2004 को दिए गए निर्देशों, विभागीय प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2015 को दिए गए निर्देश के संदर्भ में भी वन मुख्यालय की भूमिका विवादित, संदिग्ध, उपेक्षापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय रही है।

अधिकारों के अभिलेखन का शासनादेश

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अतुल श्रीवास्तव ने 10 अप्रैल 2015 को पत्र जारी किया। इस पत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित की गई भूमियों पर "राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों का अभिलेखन किया। यह सूची संबंधित वनमण्डलों को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए।

आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों के लिए दर्ज संसाधनों को धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित किया जाकर अपराध मान लिए जाने की वन विभाग ने व्यापक पैमाने पर कार्यवाहियां की। इन कार्यवाहियों के दौरान वन विभाग ने धारा 29 में "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकार यथावत बने रहेंगे" के प्रावधानों का स्वयं ही पालन नहीं किया। धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए प्रस्तावित धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड में शामिल सार्वजनिक संसाधनो को अधिकार मुक्त संसाधन माना जाकर वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया। पी.एफ. एरिया रजिस्टर एवं संरक्षित वनकक्ष इतिहास में प्रचलित अधिकारों के ब्यौरों को दर्ज नही किया गया।

आजादी के बाद वन विभाग ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज सामुदायिक संसाधनों को धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित किया। विभागीय अभिलेखों में भी दर्ज कर लिया, लेकिन इन कार्यवाहियों की जानकारी राजस्व विभाग को नहीं दी गई। राजस्व अभिलेखों में धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित संसाधनों को संशोधित नहीं किया, बल्कि राजस्व विभाग इन संसाधनों को लगातार गैरखाते में दर्ज दखल रहित राजस्व भूमि ही प्रतिवेदित करते रहा है और आज भी कर रहा है।

10 अप्रैल 2015 को प्रमुख सचिव के द्वारा जारी पत्र के बाद भी वन विभाग ने किस ग्राम के किस खसरा नम्बर के कितने रकबे को धारा 29 में अधिसूचित संरक्षित वन मान लिया, किस खसरा नम्बर के कितने रकबे को धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड में शामिल कर लिया इसकी कोई जानकारी या विभागीय अभिलेख की प्रति राजस्व विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई।

आजादी के बाद से अभी तक राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में दर्ज गैरखाते की दखल रहित राजस्व भूमि के वर्षवार आंकड़े प्रतिवेदित करते रहा है। इन्हीं गैरखाते की दखल रहित राजस्व भूमियों को समानान्तर रूप से वन विभाग वर्षवार संरक्षित वन, असीमांकित वन एवं नारंगी भूमि प्रतिवेदित करते आया है। इस तरह से एक ही भूमि को दो विभाग समानान्तर रूप से राजस्व भूमि एवं वन भूमि प्रतिवेदित करते आए है। इस त्रासदपूर्ण भयावह विसंगतियों को दूर किए जाने का कोई प्रयास राज्य सरकार ने नहीं किया।

1965 में राजस्व विभाग ने राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 44234011 हेक्टेयर माना। इनमें से खाते का क्षेत्र 21284268 हेक्टेयर एवं गैर खाते का क्षेत्र 15361925 हेक्टेयर प्रतिवेदित किया। वन विभाग ने 1965 में आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं असीमांकित वन के रूप में 17160900 हेक्टेयर क्षेत्र होना प्रतिवेदित किया। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित क्षेत्र 53607093 हेक्टेयर हो रहा है याने राज्य के कुल क्षेत्र से 9573082 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र होना राज्य सरकार बताते आई है।

भूमि संबंधी विषय और भूमि के आंकड़ों की इस गंभीर त्रासदपूर्ण भयावह स्थिति पर राजस्व विभाग और वन विभाग अपने–अपने दावों को सही ठहराए जाने का लगातार दावा करते आए हैं, लेकिन इन दावों को एक साथ रखा जाकर की गई समानान्तर कार्यवाहियों में आवश्यक सुधार किए जाने में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें असफलताओं को इतिहास में दर्ज करते रही है।

राज्य शासन के द्वारा 10 अप्रैल 2015 को धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन बाबत् जारी पत्र से यह स्पष्ट हो गया कि राजस्व विभाग ने भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों का पालन नहीं किया, तो वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। दोनों ही विभागों ने जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया।

प्रमुख सचिव के 10 अप्रैल 2015 को जारी पत्र के पूर्व राज्य के मुख्य सचिव द्वारा 24 जुलाई 2004 को जारी पत्र के अनुसार वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा की गई राज्यव्यापी कार्यवाहियों का भी यहां उल्लेख आवश्यक है। मुख्य सचिव के पत्रानुसार वन विभाग एवं राजस्व विभाग ने वनखण्डों का संयुक्त सीमांकन किया।

इस सीमांकन के दौरान मिसल बन्दोबस्त 1916–17 से लगातार राजस्व अभिलेखों में दर्ज "मदों का उल्लेख" सीमांकन प्रतिवेदनों में किया गया, लेकिन अधिकारों एवं प्रयोजनों का उल्लेख सीमांकन के दौरान बनाए गए प्रतिवेदनों में नहीं किया गया।

मुख्य सचिव के पत्रानुसार किए गए सीमांकन प्रतिवेदनों में ग्रामवार, खसरावार, रकबावार मदों का उल्लेख है इसी प्रतिवेदन में राजस्व

अभिलेखों में दर्ज अधिकारों का उल्लेख किया जा सकता था, लेकिन इस बाबत् 10 अप्रैल 2015 को जारी पत्र में कोई निर्देश नहीं दिए गए। वन मुख्यालय ने भी इस बाबत् कोई निर्देश वनमण्डलों को जारी नहीं किए।

संसद ने वन अधिकार कानून 2006 की प्रस्तावना में आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकार किया है। इसी कानून की धारा 3(1)ख में आजादी के पूर्व के प्रचलित अधिकारों को मान्यता दिए जाने का प्रावधान किया है। इस प्रावधान के अनुसार राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने स्वयं की कार्यवाहियों का स्वयं के अभिलेखों के आधार पर परीक्षण कर स्वयं के द्वारा की गई विधि विरूद्ध कार्यवाही को स्वप्रेरणा से सुधारे जाने का कोई अभियान प्रारम्भ नहीं किया।

मुख्य सचिव के 24 जुलाई 2004 एवं प्रमुख सचिव के 10 अप्रैल 2015 को जारी पत्रों के अनुसार वन विभाग और राजस्व विभाग मिल कर कार्यवाहियां कर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 90 लाख 49 हजार 196 दशमलव 460 हेक्टेयर वन विभाग के नियंत्रण और प्रबन्धन की भूमि पर प्रचलित अधिकारों को मान्यता देने की कार्यवाही कर सकते हैं।

❑❑❑

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की भूमिका

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आजादी के बाद समाज के बचे अधिकारों को छीना जाकर अपराध बनाए जाने और ऐतिहासिक अन्याय किए जाने के विषय पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वर्तमान में है, अन्याय को दूर कर प्रचलित अधिकारों को छीने जाने की कार्यवाहियों को बन्द कर प्रचलित अधिकारों को मान्यता देने में अनुविभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

अनुविभागीय अधिकारी आजादी के पूर्व और आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज की गई मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1), धारा 20 में वर्ष 2000 तक अधिसूचित एवं बिना अधिसूचना के नारंगी भूमि के नाम पर वन विभाग के द्वारा नियंत्रण में ली गई लगभग 90 लाख 49 हजार 196 दशमलव 460 हैक्टेयर भूमि पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी जा सकती है।

अनुविभागीय अधिकारियों को तीन अलग–अलग कानूनों के अनुसार तीन अलग–अलग भूमिकाओं में देखा जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी तीनों में से किसी भी कानून के अनुसार सौंपी गई जिम्मेदारी का वर्तमान में पालन नहीं कर रहे।

1. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित जमीनों के लिए बनाए गए निस्तार पत्रक में संशोधन का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है। धारा 237(1) में आरक्षित किए गए सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों को धारा 237(2) के अनुसार बदले जाने की कार्यवाही कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को है। दखल रहित जमीनों पर कब्जा करने वालों को जेल भिजवाए जाने का अधिकार भी अनुविभागीय अधिकारी को ही है।
2. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) में राजपत्र में 1988 की संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार अनुविभागीय अधिकारियों को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया और धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारियों को ही सौंपी गई।
3. वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1) के अनुसार कार्यवाही से संबंधित नियम 5 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ही उपखण्ड स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में दखल रहित भूमियों के संबंध में दिए गए अधिकारों के अनुसार निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों को लेकर कार्यवाहियां नहीं कर पाए। वन विभाग ने इन्हीं निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों की जांच एवं कार्यवाही के लिए इन्हें वन व्यवस्थापन अधिकारी बना दिया और तब से लेकर अब तक अनुविभागीय अधिकारी धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही कर रहे हैं।

भू–राजस्व संहिता 1959 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार निर्धारित की गई भूमिकाओं को ध्यान में रखा जाकर वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1) ख,ग,घ,ङ में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति का अध्यक्ष होने के कारण निर्धारित दायित्व को अनुविभागीय अधिकारी जनवरी 2008 के बाद अभी तक नहीं निभा पाए।

वन विभाग ने राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अनुसार संरक्षित वन अधिसूचित किया, इन जमीनों का सर्वे डिमारकेशन कर वनखण्ड बनाए और उन्हें राजपत्र में धारा 4(1) के अनुसार अधिसूचित किया।

वन व्यवस्थापन अधिकारियों ने धारा 4(1) में अधिसूचित राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों की जांच के आदेश दिए और वन विभाग ने ऐसी जमीनों की राजपत्र में धारा 20 के अनुसार आरक्षित वन अधिसूचित किए जाने की अधिसूचनाओं का भी प्रकाशन किया।

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202 / 95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज जंगल मद की जमीनों को वन भूमि परिभाषित किया यह जंगल मद की जमीनें आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए लगातार दर्ज की जाते रही है।

राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को वन विभाग ने धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित किया देश की सर्वोच्च अदालत ने 12 दिसम्बर 1996 को वनभूमि परिभाषित किया और इन सभी जमीनों को जनवरी 2008 से

लागू वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2(घ) के अनुसार वन भूमि माना गया।

आजादी के बाद समाज के विभिन्न सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों को वन विभाग ने प्रतिबन्धित कर दिया, समाज के प्रचलित विभिन्न अधिकारों को वन विभाग ने अपराध मान लिया। समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों से संबंधित राज्य शासन के कुछ पत्रों के संदर्भ में की गई कार्यवाहियों को यहां रखे बिना इस पूरे विषय पर राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये पर प्रकाश डालना संभव नहीं होगा।

मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2004 को जारी पत्र के तहत वन और राजस्व भूमि का सीमांकन किया गया, इस सीमांकन के दौरान राजस्व अभिलेख मिसल बन्दोबस्त, अधिकार अभिलेख एवं तत्कालीन खसरा पंजी में दर्ज जमीनों में से वन विभाग द्वारा वनखण्डों में शामिल कर ली गई जमीनों का वन विभाग एवं राजस्व विभाग ने मिलकर संयुक्त सीमांकन किया, सीमांकन की रिपोर्ट में ग्रामवार भूमियों के खसरा नम्बर, वनखण्ड में शामिल रकबा एवं उस रकबे की राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई मद का उल्लेख तो किया गया, लेकिन इन भूमियों के संबंध में राजस्व अभिलेखों में ही दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों का उल्लेख नहीं किया गया।

जनवरी 2008 में वन अधिकार कानून 2006 लागू होने के बाद मध्यप्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 10 जून 2008 को जारी किए गए आदेश में निस्तार पत्रक एवं समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों में दर्ज किए गए ब्यौरों से संबंधित अभिलेख की प्रति संबंधित वनाधिकार समिति, ग्रामसभा और ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन इन निर्देशों के अनुसार मानी गई वन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकार एवं संबंधित अभिलेखों की प्रतियां प्रदान नहीं की गई।

मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2015 को पत्र जारी कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित की गई भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों का अभिलेखन कर सूची वन विभाग को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन इस निर्देश का भी पालन नहीं किया गया। प्रमुख सचिव के द्वारा अपने पत्र में आजादी के बाद धारा 20 के तहत अधिसूचित की गई भूमियों या धारा 20 अ के अनुसार बिना आदेश या बिना अधिसूचना के आरक्षित एवं संरक्षित वन मान ली गई भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन का कोई निर्देश नहीं दिया।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों समाज के विभिन्न सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आजादी के पहले और आजादी के बाद दर्ज किए जाते रहे संसाधनों में से धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 के तहत अधिसूचित या धारा 20 अ के तहत नियंत्रण और प्रबन्धन में वन विभाग द्वारा ली गई भूमियों या देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा परिभाषित की गई भूमियों पर वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दिए जाने के प्रयास अभी तक प्रारम्भ ही नहीं कर पाए।

अनुविभागीय अधिकारी सामुदायिक वन अधिकारों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण और केन्द्रीय भूमिका निभा सकते है। सामुदायिक वन अधिकारों से संबंधित समस्त शासकीय अभिलेख एवं दस्तावेज और जानकारियां अनुविभागीय अधिकारियों की सीधी पहुंच में है। इस कार्य के लिए पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों के रूप में पर्याप्त अमला भी सीधे उनकी पहुंच और नियंत्रण में है।

सामुदायिक वन अधिकारों के संदर्भ में आसान कार्यवाहियों को कठिन और असम्भव बना दिया गया है। सामुदायिक वन अधिकारों से संबंधित राजस्व अभिलेख राजस्व विभाग के पास उपलब्ध है। जिला अभिलेखागार में तो अभिलेख है ही, ग्राम के संबंधित पटवारी के पास भी उनकी प्रतियां उपलब्ध हैं।

1. आजादी के पूर्व बनाई गई मिसल बन्दोबस्त और उस मिसल बन्दोबस्त के बाजिब उल अर्ज या हुकूक रजिस्टर या रूढ़ि पत्रक में ग्रामवार खसरावार भूमियों की मद और उन भूमियों पर समाज के अधिकार एवं प्रयोजनों के ब्यौरे दर्ज हैं।
2. आजादी के बाद इन्हीं भूमियों को मालगुजारी, जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 के तहत राजस्व विभाग ने अर्जित किया, जिसके प्रकरण भी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है, इन भूमियों के पत्रक भी उपलब्ध है जिसमें ग्रामवार, खसरावार, रकबावार अर्जित की गई भूमियों की मद और अधिकार, प्रयोजन के ब्यौरे दर्ज हैं।
3. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाए गए ग्रामवार निस्तार पत्रक में भूमियों के खसरा नम्बर, रकबा उनकी मद उन पर समाज के अधिकार एवं प्रयोजन के ब्यौरे दर्ज है। धारा 237(1) के तहत इन्हीं भूमियों को सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जिसके भी ब्यौरे राजस्व विभाग के पास उपलब्ध हैं।
4. भू–राजस्व संहिता 1959 के अनुसार किए गए बन्दोबस्त, चकबन्दी के अभिलेख या बनाए गए अधिकार अभिलेखों में भी ग्रामवार, खसरावार, रकबावार भूमियों की मद और सार्वजनिक निस्तारी प्रयोजन, समाज के अधिकार दर्ज हैं।
5. भू–राजस्व संहिता 1959 के अनुसार बनाए गए पटवारी मानचित्रों में वन विभाग के वनखण्डों की सीमा लाइन अंकित है। पटवारी

मानचित्रों में वनखण्ड में शामिल किए गए क्षेत्र या वनखण्डों के बाहर छोड़े गए क्षेत्र के ब्यौरे दर्ज हैं। पटवारी मानचित्र में दिए गए खसरा नम्बरों के आधार पर भूमि की मद और समाज के अधिकार एवं प्रयोजनों के ब्यौरे पटवारी के पास उपलब्ध निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में उपलब्ध हैं।

6. अनुविभागीय अधिकारियों के समक्ष धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए प्रस्तावित नस्ती में वनखण्ड में शामिल की गई जमीन और उन जमीनों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकार एवं प्रयोजनों की जानकारी उपलब्ध हैं जिसके विनिश्चय की कार्यवाही लम्बित हैं।

7. आजादी के पूर्व और आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज संसाधनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 में अधिसूचित किया या धारा 20अ के अनुसार आरक्षित / संरक्षित वन मान लिया या देश की सर्वोच्च अदालत ने 12 दिसम्बर 1996 को वन भूमि परिभाषित किया।

- वन विभाग के पास संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, संरक्षित वन क्षेत्रफल पंजी, संरक्षित वन सर्वे कम्पलीशन रिपोर्ट एवं ब्लॉक हिस्ट्री उपलब्ध हैं जिसमें ग्रामवार खसरा नम्बर एवं रकबे की जानकारी दर्ज हैं। इन अभिलेखों में वन विभाग ने भूमि की मद एवं प्रयोजनों के ब्यौरे दर्ज नहीं किए।
- वन विभाग के पास धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित की गई भूमियों से संबंधित एरिया रजिस्टर उपलब्ध हैं जिसमें समाज के अधिकारों से संबंधित प्रारूप भी है, लेकिन इस प्रारूप में भी समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे दर्ज नहीं किए गए। इसी तरह से वनकक्ष इतिहास में भी वनखण्ड के ब्यौरे तो हैं, लेकिन वनखण्ड में शामिल जमीन और उन पर समाज के प्रचलित अधिकार एवं प्रयोजन के ब्यौरे दर्ज नहीं किए गए।

सामुदायिक अधिकारों के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यवाही

अनुविभागीय अधिकारी सामुदायिक अधिकारों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वन अधिकार कानून के अनुसार मानी गई वनभूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों की जानकारी संकलित कर नियमों के अनुसार निर्धारित वैधानिकता को पूरी कर सकते हैं।

धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 में अधिसूचित एवं धारा 20अ में मानी गई वन भूमियों के संबंध में राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकार एवं प्रयोजनों के ब्यौरे निम्न प्रारूप में तैयार करवाए जा सकते हैं।

अधिसूचित भूमि का		मिसल बन्दोबस्त में दर्ज प्रयोजन	निस्तार पत्रक में दर्ज प्रयोजन	अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रयोजन	वर्तमान अभिलेख मे दर्ज प्रयोजन
खसरा नं.	रकबा				
1	2	3	4	5	6

सर्वोच्च अदालत द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित एवं आदेशित की गई भूमियों के संबंध में राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे निम्न प्रारूप में तैयार करवाए जा सकते हैं।

छोटे/बड़े झाड़ का जंगल		मिसल बन्दोबस्त में दर्ज प्रयोजन	निस्तार पत्रक में दर्ज प्रयोजन	अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रयोजन	वर्तमान अभिलेख में दर्ज प्रयोजन
खसरा नं.	रकबा				
1	2	3	4	5	6

इन दोनों ही प्रारूपों में ग्रामवार जानकारियों का अनुविभागीय अधिकारी संकलन करवाकर वह जानकारी कानून और नियम के अनुसार औपचारिकता पूरी किए जाने हेतु संबंधित वनाधिकार समिति या ग्रामसभा या पंचायत को उपलब्ध करवाकर सामुदायिक अधिकार पत्र सौंपे जाने की कार्यवाही कर सकते हैं।

अनुविभागीय अधिकारियों की विवादित भूमिका

जनवरी 2008 में वन अधिकार कानून 2006 एवं नियम लागू हो जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा निभाई जा रही विवादित भूमिका पर भी प्रकाश डाला जाना आवश्यक है।

अनुविभागीय अधिकारियों को वन विभाग ने 1988 में प्रकाशित संशोधित अधिसूचना धारा 4(1) के अनुसार वन व्यवस्थापन अधिकारी बना कर धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए अधिकृत किया।

धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित वनखण्ड और उसमें शामिल की गई सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमियों के संदर्भ में वन अधिकार कानून के अनुसार सामुदायिक वन अधिकार दिए जाने की बजाय प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों का लगातार विनिश्चय किए जाने, जांच किए जाने की कार्यवाहियां अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा की जा रही हैं।

अनुविभागीय अधिकारियों ने अधिकारों एवं प्रयोजनों के विनिश्चय की कार्यवाहियों को जनवरी 2008 के बाद भी बन्द नहीं किया। वैधानिक रूप से ही समाज के प्रचलित अधिकारों को स्वीकारते हुए सामुदायिक अधिकार स्वीकार किए जाने के आदेश भी अनुविभागीय अधिकारियों ने वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में जारी नहीं किए ।

अनुविभागीय अधिकारियों ने जनवरी 2008 के बाद समाज के प्रचलित अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही को बन्द क्यों नहीं किया, अनुविभागीय अधिकारियों ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों को सामुदायिक अधिकार माने जाने के आदेश क्यों नहीं दिए, इन दोनों ही सवालों पर राज्य सरकार या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति या संबंधित जिलाध्यक्षों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों ने भी आज तक विचार नहीं किया।

❑❑❑

वर्किंग प्लान आधारित प्रबन्धन

वर्किंग प्लान पर आधारित वैज्ञानिक वानिकी प्रबन्धन की नींव ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा डाली जाकर पहला वर्किंग प्लान 1886 में बनाया गया, जिसे 1896 में लागू किया गया इसी व्यवस्था के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत ने संसाधनों पर अपना नियंत्रण कायम कर वनोपज के विदोहन को काष्ठ विज्ञान का नाम भी दे दिया। भारत में प्रचलित "वानिकी प्रबन्धन के इतिहास" में देश का पहला वर्किंग प्लान वर्ष 1900 में लागू किया जाना ही बताया जाते रहा हैं, आज भी बताया जा रहा है।

आजादी के पूर्व ब्रिटिश हुकूमत ने प्राकृतिक संसाधनों पर "लूट के सिद्धान्त" को आधार बनाकर वन विभाग की स्थापना की, वन कानून बनाए, फॉरेस्ट मैनुअल बनाया और उसी के अनुसार वर्किंग प्लान की व्यवस्था को वैज्ञानिक वानिकी प्रबन्धन का नाम दिया जाकर प्रभावशाली ढंग से लागू भी किया। ब्रिटिश हुकूमत ने जनजातीय समुदाय या जंगलों पर आश्रित समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों के जीवंत रिश्तों को भी वर्किंग प्लान की व्यवस्था में विभागीय रहम या सुविधा के नाम से स्थान दिया, जिसके अनेक उदाहरण उपलब्ध है।

आजादी के बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा विकसित वैज्ञानिक वानिकी प्रबन्धन की नीति और योजना को वानिकी प्रबन्धन ने बनाए रखा, बल्कि आजादी के बाद वानिकी प्रबन्धन ने भारतीय प्रजातंत्र को ही चुनौती दे वर्किंग प्लान की व्यवस्था को और मजबूत करते हुए आजादी के पूर्व के बचे खुचे अधिकारों को भी अपराध माना जाकर आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय की आधारशिला रखी। इसी वर्किंग प्लान की आजादी पूर्व और आजादी के बाद की व्यवस्था की तुलना की जाकर जिम्मेदारी के साथ यह कहा जा सकता है कि 'आजाद भारत से तो गुलाम भारत बेहतर था।

भारतीय वन अधिनियम 1927 ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लागू किया गया तीसरा कानून रहा हैं इसके पूर्व 1864 में पहला वन कानून लागू किया गया जिसे संशोधित कर 1878 में दूसरा वन कानून स्थापित किया। आजादी के बाद 1927 के कानून को ही स्वीकारा गया जिसका उद्देश्य कानून की पहली ही लाइन में ब्रिटिश हुकूमत ने स्पष्ट करते हुए "वनों, वनोपज के अभिवहन, इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि को समेकन के लिये अधिनियम" बताया।

आजादी के पहले और आजादी के बाद जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय पर ऐतिहासिक अन्याय किए जाने का अधिकार वानिकी प्रबन्धन ने इन्हीं वर्किंग प्लान को आधार बनाकर हासिल किया जिसे बदले जाने का साहस भारतीय प्रजातंत्र अभी भी नहीं कर पाया। आजादी के बाद भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने संविधान बनाया, कानून भी बनाए, लेकिन वर्किंग प्लान की व्यवस्था ने उन सभी को पूरी तरह से अमान्य कर दिया, भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था इस चुनौती का सामना करने की बजाय इस चुनौती पर मौन तो साधे हुए हैं ही इस चुनौती को अपना संरक्षण प्रदान किए जाने की बेबसी और लाचारी को प्रमाणित भी कर रही है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वनभूमि परिभाषित की, इस याचिका में वन संरक्षण कानून 1980 के दायरे में आने वाली भूमि एवं वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर की गई भूमि से संबंधित किसी भी आदेश को वर्किंग प्लान में कोई स्थान नहीं दिया गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने ही सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को समाज के अधिकारों से संबंधित एक और आदेश दिया, लेकिन इस आदेश का पालन करने की बजाय वानिकी प्रबन्धन ने अपनी वर्किंग प्लान की प्रचलित व्यवस्था का हवाला देकर इस आदेश का भी पालन करने से इन्कार कर दिया।

भारत की संसद ने देश को संविधान की 11वीं अनुसूची स्थापित की। संसद ने ही पेसा कानून 1996 बनाया और उसे लागू किया, लेकिन इन दोनों ही प्रयासों को भी वर्किंग प्लान की मौजूदा व्यवस्था ने सिरे से ही खारिज कर दिया। ऐतिहासिक अन्याय की स्वीकारोक्ति के बाद लाए गए वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार वर्किंग प्लान आधारित आजादी के पूर्व और आजादी के बाद किए गए किसी भी ऐतिहासिक अन्याय को दूर किए जाने का कोई प्रयास वानिकी प्रबन्धकों के द्वारा नहीं किया गया।

मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि आजादी के बाद वानिकी प्रबन्धन द्वारा किए गए समाज विरोधी दुष्प्रचारों, जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के विरूद्ध की गई साजिशों एवं षडयंत्रों पर आधारित ऐतिहासिक अन्याय का सबसे प्रमाणित ग्रन्थ वर्किंग प्लान ही है, जिसे आश्चर्यजनक रूप से मजबूत किया जाना, दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय है।

मैंने यह गंभीर आरोप पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रमाणों का संकलन कर ही लगाए हैं। इसके अलावा मैं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के वानिकी प्रबन्धकों, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में वर्किंग प्लान से संबंधित वानिकी प्रबन्धकों की प्रशासकीय क्षमता,

प्रशासकीय नैतिकता, प्रचलित संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों के प्रति असम्मानजनक सोच एवं कार्यवाहियों का भी आरोप लगा रहा हूँ।

वर्किंग प्लान आधारित व्यवस्था को लेकर दो स्थितियां स्पष्ट रूप से सामने हैं। पहली स्थिति में संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायिक प्रावधानों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास एवं विदोहन की योजनाओं को वर्किंग प्लान में स्थान दिया जाए। दूसरी मौजूदा वर्किंग प्लान की स्थिति है जिसमें सम्पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देकर संरक्षण के वैश्विक दबाव के आगे नतमस्तक हो वानिकी प्रबन्धन को समाज विरोधी गतिविधियों का संचालन कर ऐतिहासिक अन्याय की इजाजत दी जाए और उन ऐतिहासिक अन्यायों के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए।

भारतीय वन अधिनियम 1927 में धारा 29 के अनुसार संरक्षित वन अधिसूचित किए जाने का प्रावधान दिया गया है, जिसमें "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकारों के यथावत बन रहने का भी प्रावधान दिया गया है। इसी कानून की धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित की गई भूमियों को अधिसूचित किए जाने का प्रावधान है, वहीं धारा 5 से 19 तक में इन भूमियों से संबंधित जांच एवं कार्यवाही के प्रावधान हैं।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के वानिकी प्रबन्धक हों या भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय हो, धारा 29 एवं धारा 4(1) के अन्तर को जानने और समझने की ही क्षमता आज तक विकसित नहीं कर पाए बल्कि धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर उनकी योजना प्रस्तावित कर उन्हें अनुमोदित किए जाने एवं स्वीकृति प्रदान किए जाने की कार्यवाहियां तो कर ही रहे हैं इन आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को अधिकार विहीन भूमि मानकर संरक्षित वन के रूप में प्रजातंत्र के समक्ष प्रस्तुत भी कर रहे है, जिसे प्रजातंत्र स्वीकार भी रहा है।

आरक्षित वन बनाए जाने के लिए निजी भूमि, रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की गैर संरक्षित वन भूमि, मालगुजारी, जमींदारी, जागीरदारी, ग्रामों की जंगल मद और गैर जंगल मद में दर्ज भूमि, राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजन के लिए दर्ज भूमि को धारा 4(1) में अधिसूचित किया और इन भूमियों के वर्किंग प्लान ऑफिसरों के द्वारा पी.एफ. कक्ष बना लिए। इन भूमियों को पी.एफ. एरिया रजिस्टर में दर्ज तो कर लिया, लेकिन इसी रजिस्टर में संलग्न प्रारूप में अधिकारों एवं प्रयोजनों के ब्यौरे दर्ज नहीं किए। इन भूमियों के संरक्षित वन मानचित्र भी बना लिए इन भूमियों को संरक्षित वन कक्ष इतिहास में भी दर्ज कर लिया।

वर्किंग प्लान में इन संरक्षित वन क्षेत्रों के नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास एवं विदोहन की योजना को बिना किसी टीका टिप्पणी के दोनों ही राज्यों के वन मुख्यालय ने भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया। मंत्रालय ने भी इनका अनुमोदन कर इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी और इसी आधार पर राज्य शासन ने अरबों रूपयों का आवंटन भी दिया और इसी वर्किंग प्लान के आधार पर समाज के समस्त प्रचलित अधिकारों को अपराध भी मान लिया गया।

वर्किंग प्लान में शामिल की गई आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को वनमंडल से लेकर भारत सरकार संरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर हर वर्ष वनभूमि के फर्जी आंकड़े भी भारत सहित वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रही है।

आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित लेकिन वानिकी प्रबन्धकों द्वारा संरक्षित वन प्रतिवेदित इन भूमियों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के हाल ही जारी दो आदेशों का भी यहां उल्लेख आवश्यक है, जिनमें पहली बार राज्य सरकार ने अपनी विवादित कार्यवाही को स्वीकार कर उसका विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

श्री अजीत श्रीवास्तव प्रमुख सचिव वन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ने 10 अप्रैल 2015 को राज्य के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित की गई भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों का अभिलेखन कर उसकी सूची संबंधित वनमंडल को दो माह में उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए इस सूची के आधार पर वर्किंग प्लान, संरक्षित वन कक्ष इतिहास एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर में क्या बदलाव करना है यह अभी तक आदेशित नहीं हुआ।

श्री ऑन्टोनी डिसा मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल ने 01 जून 2015 को आदेश जारी कर धारा 4(1) में अधिसूचित वनखण्ड में शामिल कर ली गई लगभग एक लाख किसानों की निजी भूमि को वनखण्डों के बाहर किए जाने के आदेश दिए, लेकिन इन पृथक की गई निजी भूमि को वर्किंग प्लान, वनकक्ष इतिहास एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर से भी पृथक किया जाएगा, । वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित संरक्षित वन भूमि के आंकड़ों से भी कम किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

धारा 4(1) में अधिसूचित आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित, वर्किंग प्लान में संरक्षित वन मानकर सम्मिलित की गई भूमि में से रैय्यतवारी एवं मसाहती ग्रामों की गैर संरक्षित वन भूमि या मालगुजारी, जमींदारी ग्रामों की जंगल मद एवं गैर जंगल मद में दर्ज

भूमि देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में परिभाषित भूमि या इसी याचिका में वन संरक्षण कानून के दायरे में आने वाली या दायरे से बाहर मानी गई भूमि की जानकारियों के संकलन का कोई आदेश अभी भी मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी नहीं किया जा सका है।

मध्यप्रदेश शासन के द्वारा संरक्षित वन भूमियों के संबंध में संरक्षित वन नियम 1960 अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें निरस्त कर संरक्षित वन नियम 2005 अधिसूचित किए गए, जिसके समानान्तर राज्य शासन ने 04 जून 2015 को संरक्षित वन भूमि नियम 2015 पुनः राजपत्र में अधिसूचित कर आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों पर वनमंडलाधिकारी द्वारा पंजीबद्ध संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों को नियंत्रण, प्रबन्धन, विकास के अधिकार सौंप दिए। निजी क्षेत्र से एम.ओ.यू. भी हस्ताक्षरित किए जाने के अधिकार सौंप दिए गए।

वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से पृथक हुए छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा 10 अप्रैल 2015 दिनांक 01 जून 2015 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों की ही तरह आदेश जारी नहीं किए 04 जून 2015 को राजपत्र में अधिसूचित नियमों की ही तरह नियम भी अधिसूचित नहीं किए गए।

1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किए जाने के बाद धारा 4(1) में आरक्षित वन बनाए जाने की मंशा के साथ अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई। धारा 5 से 19 तक की जांच की जाकर अधिकारों को मान्य कर आदेश दिए गए और उन्हीं के आधार पर धारा 20 के अनुसार आरक्षित वन अधिसूचित किए जाने की अधिसूचनाओं का भी प्रकाशन किया गया। इस तरह की 1980 तक प्रकाशित अधिसूचनाओं की जानकारी हमनें भी संकलित की। इन भूमियों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा मान्य किए गए अधिकारों को वन विभाग ने आर.एफ. एरिया रजिस्टर के साथ संलग्न अधिकारों के प्रारूप में दर्ज नहीं किया, वन कक्ष इतिहास में भी दर्ज नहीं किया बल्कि इन क्षेत्रों को समस्त अधिकारों से मुक्त मानकर वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर नियंत्रण, प्रबन्धन की योजना प्रस्तावित की गई जिसे भारत सरकार ने भी अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की।

आजादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने सबसे पहला क्रान्तिकारी कानून, मालगुजारी, जमींदारी उन्मूलन या स्वामित्वाधिकारों के अन्त का 1950 में बनाया, राजस्व कानून बनाए गए लेकिन उन सभी को अमान्य कर ब्रिटिश हुकूमत के वन कानून की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 के तहत वानिकी प्रबन्धन ने मात्र राजपत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित कर वर्किंग प्लान आधारित नियंत्रण और प्रबन्धन को प्रजा पर लाद दिया।

वर्किंग प्लान और उसके आधार पर किया जाने वाला नियंत्रण और प्रबन्धन वानिकी प्रबन्धकों के दोहरेपन, क्षमता और योग्यता को भी प्रमाणित करते हैं। वर्तमान में वर्किंग प्लान वन संरक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा बनाया जाता है इसके पूर्व वरिष्ठ वनमंडल स्तर के अधिकारी वर्किंग प्लान बनाते आए हैं।

आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज लगभग लाखों हेक्टेयर सामुदायिक संसाधनों को वन विभाग ने संरक्षित वन मानकर अपने नियंत्रण में ले लिया। इन संसाधनों का सर्वे डिमारकेशन किया धारा 4(1) एवं धारा 20 में अधिसूचित किया, राजस्व विभाग को बिना निर्वनीकरण के अन्तरित किया, निर्वनीकृत किया जाकर भी अन्तरित किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसी भी वनमंडल के वर्किंग प्लान में इन कार्यवाहियों से संबंधित भूमियों का कोई ब्यौरा वर्किंग प्लान ऑफिसरों के द्वारा दर्ज ही नहीं किया गया। राज्य की लगभग 20 प्रतिशत भूमि से जुड़े इस विषय को भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आज तक कोई महत्व ही नहीं दिया, जबकि इन्हीं लाखों हेक्टेयर भूमि में से जंगल मद में दर्ज जमीनों को सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को देश की सर्वोच्च अदालत ने वन भूमि परिभाषित किया।

वर्किंग प्लान में वन्य प्राणियों को वनों की हानि का कारण मानकर वानिकी प्रबन्धन 1972 तक वन्य प्राणियों के शिकार के लाइसेंस जारी करने की राजपत्र में अधिसूचनाओं को प्रकाशित करते आया, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होने के बाद वन्य प्राणियों को वनों की हानि का कारण मानकर वर्किंग प्लान में दर्ज करते रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अनुमोदित एवं स्वीकृत करते आया है। आज भी मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रचलित वर्किंग प्लान में भारत सरकार की स्वीकृति और अनुमोदन से वन्य प्राणियों को वनों की हानि का कारण बताया जा रहा है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 में किए गए संशोधन के अनुसार 1965 में धारा 20अ जोड़ी गई जिसके अनुसार राज्य के कुछ जिलों में दर्ज जमीनों को बिना किसी अधिसूचना और बिना किसी आदेश के मौजूदा वर्किंग प्लान में आरक्षित वन एवं संरक्षित वन माना जाकर दर्ज कर लिया इस तरह की आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमियों के ब्यौरे संबंधित वर्किंग प्लान में स्पष्ट नहीं किए गए। इन भूमियों पर समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को भी वर्किंग प्लान में कोई स्थान नहीं दिया गया। इस पूरे विषय पर भारत सरकार वन

एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बिना ध्यान दिए वर्किंग प्लान अनुमोदित कर उन्हें स्वीकृतियां भी प्रदान की है।

वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों के नियंत्रण एवं प्रबन्धन से संबंधित वनमंडलवार वर्किंग स्कीम बनाई। इन्हीं स्कीमों के आधार पर वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई, वानिकी प्रबन्धन के लिए अनुपयुक्त पाई भूमियों के व्यवसायिक वनोपज का पूर्ण विदोहन किया गया ताकि भूमि राजस्व विभाग को अन्तरित की जा सके, वनोपज विदोहन के बाद भी वनखण्ड के बाहर छोड़ी गई भूमि राजस्व विभाग को अन्तरित नहीं की गई।

वर्किंग स्कीम को कब किन कारणों से किसके आदेश से समाप्त किया उसमें शामिल संरक्षित वन भूमि एवं आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमियों को कब और किसके आदेश से वर्किंग प्लान में क्यों सम्मिलित किया ?यह वानिकी प्रबन्धक किसी भी मंच पर स्पष्ट नहीं कर पाए तो वर्किंग प्लान अनुमोदित कर स्वीकृत करने वाले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी यह जानने और समझने का कोई प्रयास ही नहीं किया।

वर्किंग प्लान को लेकर किए जाने वाले दावों से जुड़े बहुत से उदाहरणों में से मैं यहां मात्र दो ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। रायसेन जिले में 1976 में बारना जलाशय बनाया गया जिसमें हजारों हेक्टयर आरक्षित वन डूब में आया, लेकिन वर्किंग प्लान में आज भी जलाशय की डूब में आए क्षेत्र को आरक्षित वन ही बताया जा रहा है, दूसरा उदाहरण 1972 में सारनी से दमुआ के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया मार्ग है जिसे भी वर्किंग प्लान, उसके तहत बनाए जाने वाले मानचित्र, एवं वन कक्ष इतिहास में आज भी आरक्षित वन भूमि के रूप में ही दर्ज किया जा रहा है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण वानिकी प्रबन्धकों की योग्यता और क्षमता एवं समझ को स्पष्ट करने के लिए काफी है।

भारतीय प्रजातंत्र ने जिन पर संविधान और कानूनों के दायरे में उनका पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वही हाथ संविधान और कानून के दायरे से अपने आपको मुक्त मानकर वर्किंग प्लान आधारित व्यवस्था का संचालन कर समाज को अपराधी भी मान रहे हैं। यदि यही प्रजातंत्र है तो फिर गुलामी क्या थी, यदि यही होना था तो फिर आजादी की क्या आवश्यकता थी यह सवाल आज हम पूछ रहे हैं यही सवाल आने वाला समय भी पूछेगा।

❑❑❑

नियम विहीन सामुदायिक अधिकार और राज्य सरकार की नाकामी

वन अधिकार कानून 2006 बना। उसके तहत 2008 में नियम भी बनाए गए। इन नियमों में भारत सरकार ने 2013 में संशोधन भी किए।

सामुदायिक, परम्परागत, रूढिक एवं निस्तार के अधिकारों को मान्यता दिए जाने का कार्य वन अधिकार कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन स्वीकार किए गए सामुदायिक अधिकारों के उपयोग बाबत् कोई नियम भारत सरकार ने नहीं बनाए। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी इस बाबत् नियम बनाए जाने की कोई पहल नहीं की।

राजस्व अभिलेखों में आजादी के पूर्व और आजादी के बाद ग्रामीण समुदाय के विभिन्न अधिकारों एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में प्रावधान किए गए। इन्हीं प्रावधानों के अनुसार राजस्व विभाग ने राजपत्र में नियम भी अधिसूचित किए।

वन विभाग ने इन्हीं दखल रहित संसाधनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित किया और इन्हें संरक्षित वनभूमि मानते हुए राजपत्र में नियम भी अधिसूचित किए।

राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व भूमि मानकर नियम अधिसूचित किए तो वन विभाग के द्वारा संरक्षित वन मानकर नियम अधिसूचित किए गए।

राजपत्र दिनांक	भू–राजस्व संहिता 1959 के अनुसार प्रकाशित नियम	भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार प्रकाशित नियम
22 जनवरी 1960	धारा 233– दखल रहित भूमि के अभिलेख	
22 जनवरी 1960	धारा 234– निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना	
22 जनवरी 1960	धारा 235– विषय जिनका निस्तार पत्रक में उपबंध किया जाएगा	
22 जनवरी 1960	धारा 239– दखल रहित भूमि में लगाए गए फलदार वृक्षों में अधिकार	
22 जनवरी 1960	धारा 241– शासकीय वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय	
22 जनवरी 1960	धारा 249– मछली पकड़ने, शिकार खेलने आदि का विनियमन	
02 सितम्बर 1960		म.प्र. संरक्षित वन नियम 1960
21 जनवरी 1977	धारा 248– अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति	
30 अक्टू. 1964	धारा 240– कतिपय वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध	
19 मार्च 1999	धारा 237– निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना	
2002	धारा 241 – शासकीय वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय	
2 फरवरी 2005		संरक्षित वन नियम 2005
3 फरवरी 2005		वन उपज नियम 2005
04 जून 2015		संरक्षित वन नियम 2015

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति आज तक यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि सामुदायिक अधिकारों को दी गई मान्यता के बाद उन अधिकारों का उपयोग किन नियमों के अनुसार किया जाएगा। उसकी निगरानी और नियंत्रण कौन करेगा ?नियमों का पालन न किए जाने या नियमों की अवेहलना किए जाने या नियमों का उल्लंघन किए जाने पर किसे और कौन सी कार्यवाही का अधिकार होगा ?किस–किस तरह की कार्यवाही का अधिकार होगा ?यह सब अभी तक अनिश्चित हैं। यह सब अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है।

वानिकी प्रबन्धन के संदर्भ में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 20 के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित की गई भूमियों के वैधानिक वानिकी प्रबन्धन से जुड़े वर्किंग प्लान को लेकर भी सामने है। वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर ली गई इन भूमियों के वनमंडल स्तर पर आर.एफ. एरिया रजिस्टर एवं पी.एफ. एरिया रजिस्टर संधारित किए जाते हैं जिससे समाज और व्यक्तियों के अधिकारों को लिखे जाने का प्रावधान भी दिया गया है।

"अधिकारों को लेखबद्ध किए जाने वाला प्रारूप"

Statement of Rights

At the settlement made and declared in Notification

In 18 rights were allowed already cited of .....II ..... the following

No.	Name of Right holders	Nature and extent of rights	Remark
1	2	3	4

सामान्य वनमंडलों ने या वनमंडल का वर्किंग प्लान बनाने वाले कार्य आयोजना वन संरक्षकों ने शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में समाज के अधिकारों को दर्ज नहीं किया। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव वन विभाग ने 10 अप्रैल 2015 को आदेश जारी कर धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन का आदेश दिया। इस आदेश में आजादी के बाद धारा 20 के अनुसार प्रकाशित अधिसूचनाओं में शामिल जमीनों पर बन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा मान्य अधिकारों एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन का कोई निर्देश नहीं दिया।

प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में अधिकारों के ब्यौरे पी.एफ. एरिया रजिस्टर या आर.एफ. एरिया रजिस्टर में बनाए प्रारूप में यथावत दर्ज किए जाने के भी आदेश नही दिए। इन अधिकारों को मान्यता देकर वर्किंग प्लान में वानिकी प्रबन्धन किए जाने की भी कोई व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय वर्किंग प्लान को अनुमोदित कर स्वीकृत करने की कार्यवाही तो करती है, लेकिन उसके द्वारा भी प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों का ध्यान रखा जाकर वानिकी प्रबन्धन की योजना प्रस्तावित किए जाने पर लगातार हमेशा से ही मौन साधा है।

छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार या राज्य के वन विभाग ने धारा 29, धारा 4(1) एवं आजादी के बाद धारा 20 में अधिसूचित क्षेत्रों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के अभिलेखन का कोई प्रयास अभी तक तो नहीं किया।

आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्रों का वास्तविक नियंत्रण वन विभाग के वनरक्षक के द्वारा किया जाता है, जिसके पास इन वनक्षेत्रों में समाज के प्रचलित अधिकारों या प्रचलित प्रयोजनों का कोई ब्यौरा अभी तक नहीं रहता था, अब स्वीकार किए गए सामुदायिक दावों और उनमें मान्य किए गए अधिकारों एवं प्रयोजनों का भी कोई ब्यौरा उपलब्ध करवाए जाने की कोई व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं की गई। नतीजा आजादी के बाद ऐतिहासिक अन्याय का शिकार समुदाय वन अधिकार कानून के बाद भी निरन्तर ऐतिहासिक अन्याय का शिकार होने के लिए मजबूत किया जाएगा।

भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 को लेकर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के द्वारा बड़े–बड़े दावे किए गए और उन दावों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पुरुस्कार भी प्रदान कर दिया, लेकिन दोनों ही राज्य सरकारें आजादी के बाद सामुदायिक अधिकारों से संबधित किए गए ऐतिहासिक अन्यायों को दूर किए जाने हेतु स्वयं की भूमिका का ही आज तक आंकलन नहीं कर पाई।

□□□

आसान प्रक्रिया को स्वीकारने की नीयत और इच्छा शक्ति

वन अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार समाज को सामुदायिक वन अधिकार सौंपे जाने का कार्य सबसे आसान था, लेकिन उसे जटिल बना दिया गया। इसका परिणाम अभी तक यह निकला है कि विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए आजादी के पहले और आजादी के बाद दर्ज संसाधनों में से 5 प्रतिशत संसाधन भी इन समाज को नहीं सौंपे जा सके।

आजादी के पहले राजस्व ग्रामों के बाजिबुल अर्ज या रूढ़ि पत्रक या हूकूक रजिस्टर या रिकार्ड ऑफ राइट्स में समाज के विभिन्न अधिकार एवं प्रयोजन दर्ज रहे हैं यह अभिलेख ग्रामवार रहा है जो संबंधित जिलों के जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है। कहीं–कहीं यह अभिलेख ग्राम के संबंधित पटवारी के पास भी उपलब्ध है।

बाजिब–उल–अर्ज

मौजा .....

बंदोबस्त नम्बर .....

पटवारी हल्का नम्बर .....

तहसील .....

जिला .....

सन् 1951–52

बाजिब–उल–अर्ज

बाब 1– गांव के कोटवार और उनका मेहनताना

नंबर शुमार	नाम कोटवार बाप का नाम और सकूनत	तहसील जमीन खिदमती			मालिक मकबूजा और काश्तकारों से					कैफियत
		खसरा नंबर	रकबा	लगान	शहर	तादाद गल्ला	कीमत	काश्तकारों से		
								गैर	मौजान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

बाब. 2 – गांव के दीगर चाकरान

टीप

(1) बिरत चाकरान जो ऊपर दर्ज की गयी हैं वह अब्बाब मौजा नहीं समझी जावेगी और न सरकार से उसकी वसूली की जावेगी, उसका देना या न देना काश्तकार के खुशी पर है।

(2) यदि गांव के चाकरान गांववालों की तरफ से नौकरी की ऐवज लगान माफ जोत हो तो उसकी तफसील दर्ज की जावे।

बाब 3 – रिवाज बाबत्

1. **आबादी** –

समय समय पर इसके निस्बत जो कायदे जारी होंगे उसके अनुसार आबादी की जगह बाशिन्दगान देह पाने के हकदार होंगे.

नीचे लिखे खसरा नम्बर और रकबा आबादी के लिये मुकर्रर है :–

खसरा नम्बर ..... रकबा .....

2. **कब्रस्तान और मरघट** –

खसरा नम्बर ..... रकबा ..... तफसील .....

3. **गोठान** –

खसरा नम्बर ..... रकबा .....

4. **पड़ाव** –

खसरा नम्बर..... रकबा .....

5. **खलियान** – अपने अपने खेतों में बनाये है कोई खास जगह मुकर्रर नहीं है –

खसरा नम्बर ..... रकबा. ..... खलियान के लिए मुकर्रर है

6. **बाजार**– नहीं है –

खसरा नम्बर ..... रकबा ..... में ..... दिन भरता है

7. **मुर्दा मवेशी चीरने और लाश दफनाने की जगह** —

खसरा नम्बर ..... रकबा .....

टीप – जो आदमी जगह को काम मे लावेगा वह इस जगह को साफ रखने का जिम्मेदार होगा.

बाब. 4 — बंजर भूमि के हुकूक

1. **चराई**– नीचे लिखे हुए खसरा नम्बर चराई के लिए मुकर्रर है, उन पर देह हाजा के बाशिन्दा काश्तकार अपनी काश्तकारी मवेशी और पाही काश्तकारों के सिर्फ नागर के मवेशी मुफ्त चराते है —

खसरा नम्बर ..... रकबा .....

टीप–

(1) शब्द काश्तकार में वे ही मवेशी शामिल हैं जिनकी जीविका का मुख्य जरिया काश्तकारी या काश्तकारी मजदूरी से है।

(2) काश्तकारी मवेशी में सिर्फ वे ही मवेशी है जो काश्तकार की जमीन के रकबे के लिहाज से खेती या खेती से ताल्लुक रखनेवाले कार्यों पर उसके घरू जरूरियात के लिए दरकार है या काम में लाये जाते हों इसमें कुल ऐसे बैल, भैंस व दीगर मवेशी शामिल है जो नीचे कामों के लिए जरूरी है ।

(क) खेती

(ख) दूध, दही, घी वास्ते निजी खर्च,

(ग) काश्तकार और उसके कुटुम्ब की सवारी के लिए ।

(घ) वास्ते पैदा करने मवेशी निजी जरूरियात,

2. जलाऊ लकड़ी, घास, बेंले, जड़ और पत्तियों का जमा करना – गांव के चालू रिवाज के अुनसार

3. बाड़ी घेरने के लिए कांटे और खकरी का जमा करना — (ऐजन)

4. बांस का जमा करना — (ऐजन)

5. इमारती लकड़ी—(ऐजन)

6. फल और खरीफ पैदावाद — (ऐजन)

टीप – इस बाब के बंजर में बड़े झाड़ का जंगल भी शामिल है ।

बाब. 5 – दरख्तों के हुकूक

1. **फलवाले दरख्त** – जो झाड़ कब्जे में हैं वे खसरा के खाना कैफियत में दर्ज है और उसकी पैदावार वहीं लेता है, काश्तकारों के खाते की जमीन के भीतर उसके खुद के लगाये हुए झाड़ उसके कब्जे में रहते है और वे ही उनके फल फूल खाते है, झाड़ सूखने पर लकड़ी भी उन्हीं की होती है झाड़ों की छाया से फसल की जो नुकसान होता है उसका मावजा देने का कोई रिवाज नहीं है।

बाब. 6 — गांव की सड़के, पैदल रास्ते और आमद रफ्त के हुकूक

हर एक काश्तकार या उसका नौकर खेतों की मेड़ों पर से या गांव के किसी भी गैर–मकबूजा जमीन पर वे उन जमीनों को छोड़कर जो किसी खास काम के लिए मुकर्रर है उपने काश्तकारी औजार, मवेशी, सिर–बोझा, कांवड, वगैरह लेकर किसी भी मौसम में अपने खेत, खलियान, ढोर चराने या पानी पिलाने को ले जाते है, देह हाजा के आम रास्ते नीचे लिखे है, उनकी मरम्मत बाशिन्दगान देह करते है :–

नम्बर शुमार	तफसील रास्ता	खसरा नं.	रकबा	कहां से कहां को जाता है, मय तफसील खसरा नंबर जिनमें से होता हुआ जाता है	कैफियत
1	2	3	4	5	6

बाब 7 – खात और कचरा कूड़ा

गांव के चालू रिवाज के अनुसार.

बाब–8 — आबपाशी

नाम	खसरा	रकबा	कौन	तफसील खेत जिन्हें आबपाशी होता है					कैफियत
जरिया आबपाशी	नम्बर		मरम्मत करना है	खसरा नं.	रकबा	आबपाशी की तफसील			
						अ.....	ब.....	स.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट –

1. तालाब फोड़ने और उसके मरम्मत करने का रिवाज दर्ज करो.
2. कौन खेतों को पहिले पानी मिलता है उसका रिवाज दर्ज करो.
3. तालाब के अन्दर और उसकी पार पर काश्त करने का रिवाज लिखो.
4. जरूरत से ज्यादा पानी निकालने का रिवाज लिखो.

बाब. 9– पानी के दीगर हुकूक

1. गांव के बाशिंदगान अपना निस्तार कुआं / तालाब / नदी / नाला, खसरा नंबर .....के बिना रोकटोक मुफ्त करते हैं।

2. गांव के मवेशी कुआं / तालाब / नदी / नाला, खसरा नंबर ..... में मुफ्त पानी पीते और नहलाये–धुलाये जाते है।

3. सन तालाब / नदी / नाला, खसरा नंबर ..... के ..... रकबे में खसरा नम्बर ..... से लगे हुए हिस्से में मुफ्त सडाते है ।

बाब 10 — दूसरे की जमीन पर के हुकूक

1. फसल कटने के बाद एक दूसरे के मवेशी आम तौर पर एक दूसरे के खेतो में रूंधी हुई बाड़ियों को छोड़कर बिना रोकटोक मुफ्त चरते हैं.

2. घनहा और आबपाशी की डोलियों का जरूरत से ज्यादा पानी एक दूसरे की खेती में से बहाव के अनुसार बिना रोकटोक बहा देते है ।

3. खेतों की फसल ढोने के लिये, खात ढोने के लिए गाड़ी के लिए रास्ता एक दूसरे की मेंड बिना रोकटोक फोड़कर बना लेते हैं ।

बाब 11– दूसरे मौजो के हुकूक मौजे की जमीन पर

चालू रिवाज अगर कोई हो ता दर्ज करो

बाब 12– इस गांव के दूसरे गांव की जमीन पर के हुकूक

चालू रिवाज अगर कोई हो तो दर्ज करो

बाब 13 – मौजा देह को सरहद और चांदे, मुनारों का कायम रखना

सरहद से लगे हुए मौजो के नाम	खसरा नम्बर	तफसील			मरम्मत करने वाले का नाम
		चबूतरा	चांदा	मुनारा	
1	2	3	4	5	6

नोट – ऊपर लिखे हुए सभी निशानों की मरम्मत करने का जिम्मेदार मुकद्दम देह है और उनकी मरम्मत उसकी निगरानी में लैंड रेवेन्यू एक्ट, सन् 1917, की दफा 52 के अनुसार खाना (6) में बतलाये हुए करते है.

बाब. 14 — मुआफी, खैराती और दीगर मुआफी

नम्बर शुमार	माफीदार का नाम, बाप का नाम और सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	सबब मुआफी
1	2	3	4	5	6

बाब. 15— अब्बाब मौजा

नहीं है

बाब 16— दीगर मुतफरिंक रिवाज

1. मुर्दा मवेशी का चमड़ा मालिक मवेशी का होता है वह उसके दफनाने वगैरह का इन्तजाम और दफनाने के बाद दफनाने की जगह को साफ करने का जिम्मेदार है।

2. गांव की गुडी की मरम्मत वाशिन्दगान देह मिलकर करते है।

3. जिन काश्तकारों के खेतो से गांव की सड़कें लगी हुई है वे अपने खेत और सडक के दरम्यान के सरहदी निशानात मुताबिक दफा

52–अ लैंड रेवेन्यू एक्ट, सन् 1917 के अनुसार कायम रखने के जिम्मेदार है और समय समय पर जरूरी मरम्मत उस निशान की करते हैं।

4. जहां सरकारी जंगल गांव की सरहद से लगा हुआ है वहां सरकारी जंगल और गांव की सरहद के दरम्यान की सरहद साफ करते हैं।

5. शमलाती बरछा –

.....

डिप्टी कमिश्नर

स्त्रोत : म.प्र. लैण्ड रिफार्म मैनुअल 1956 का पृष्ठ क्र. 222 से 226

आजादी के बाद सबसे पहला और क्रान्तिकारी कानून मालगुजारी, जमींदारी, जागीरदारी उन्मूलन का 1950 में बनाया गया। इस कानून के अनुसार इन्हीं बाजिबुल अर्ज या रूढ़ि पत्रक या हकूक रजिस्टर या रिकार्ड ऑफ राइट्स में दर्ज संसाधनों को राजस्वों के राजस्व विभागों के द्वारा अर्जित किया गया। अर्जन की इन कार्यवाहियों के प्रकरण और अर्जित की गई भूमियों के ब्यौरे हर जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।

आजादी के पूर्व समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज संसाधनों को अर्जित किए जाने के बाद राजस्व अभिलेखों में दखल रहित भूमि के रूप में दर्ज किया गया, भू–राजस्व संहिता 1954 की धारा 234 जिसे भू–राजस्व संहिता 1959 में यथावत स्वीकार किया में ग्रामवार निस्तार पत्रक बनाए जाकर दर्ज किया गया। यह निस्तार पत्रक जिला अभिलेखागार एवं पटवारी दोनों के पास उपलब्ध हैं।

प्रारूप "क"

(नियम 2 देखिए)

निस्तार–पत्रक

धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन निम्नांकित विभिन्न प्रयोजनों के लिए पृथक की गई दखल (अधिपत्य) रहित भूमि –

(क) इमारती लकड़ी अथवा ईंधन के हेतु सुरक्षित

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

*टिप्पणी : विशेष स्तंभ में जिन निबंधनों तथा प्रतिबन्धों के साथ तथा जिस परिमाण में लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन, बेंलें, कंद, पत्ती, कांटे, झांकड़, बागड़ के बांस, फल तथा साधारण उपज प्राप्त कर सकता है, उनके संबंध में टिप्पणी दी जाए।

(ख) चरोखर, घासबीड अथवा चारे के लिए सुरक्षित

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

*टिप्पणी : विशेष स्तंभ में जिन निबंधनों तथा प्रतिबन्धों के साथ ग्राम के पशुओं को चराने की अनुमति है, उनके तथा पशुओं के निशुल्क चराए जाने के संबंध में टिप्पणी दी जाए।

(ग) कब्रस्तान तथा श्मशान

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : यदि कोई परिमाप– अंक किसी समुदाय हेतु कब्रस्तान अथवा श्मशान की भांति काम में आता है तो विशेष स्तंभ में टिप्पणी दी जाए।		

(घ) गांवठान

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

(ङ) पड़ाव डालने के लिए भूमि

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

(च) खलियान

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

(छ) बाजार

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3
*टिप्पणी : बाजार शुल्क लगाने के संबंध में शासन की विशेष अनुमति के बिना कोई प्रविष्टि न की जाए।		

(ज) खाल (चमड़ा) निकालने के लिए स्थान

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

*टिप्पणी : यदि इन प्रयोजनों के लिए पृथक् की गई भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाली कोई विशेष रूढ़ि हो तो उसकी टिप्पणी विशेष स्तंभ में दी जाए।

(झ) खाद के गड्ढे

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

*टिप्पणी : विशेष स्तंभ में निवासियों के अपने स्वयं के खाद अथवा कचरे पर, या उसको किसी ग्राम विशेष या प्रत्येक भाग में एकत्र करने के यदि कोई अधिकार हों तो उनके खाद के गड्ढे की भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाली रूढ़ियों के संबंध में टिप्पणी की जाए।

(ञ)– (एक) सार्वजनिक प्रयोजन, जैसे पाठशाला, खेल के मैदान बगीचे, जल–निकास तथा तत्सदृश अन्य

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

*टिप्पणी : जिस प्रयोजन के लिए कोई परिमाप अंक भू–खंडांक सुरक्षित है वह विशेष स्तंभ में लेख्यांकित किया जाए।

(ञ) – (दो) सड़के मार्ग तथा गलियां

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	विशेष
1	2	3

(ट) – (एक) निस्तार अधिकारों के निर्वाह के लिए मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी पत्थर

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	*विशेष
1	2	3

*टिप्पणी : जिन निबंधनों तथा प्रतिबंधों पर तथा जिस परिणाम में कोई निवासी यह वस्तुऐं प्राप्त कर सकता है, उन्हें विशेष स्तंभ में अंकित किया जाए।

(ट) – (दो) सिंचन तथा अन्य जल के अधिकार

(क) सिंचन के उपयोग में लाए जाने वाले तालाब

तालाब का परिमाप अंक	एकड़ों में क्षेत्रफल	तालाब से सिंचित परिमाप अंक	खेतों की सूची क्षेत्रफल	निःशुल्क सिंचित फसलें	विशेष
1	2	3	4	5	6

(ख) सिंचन के अतिरिक्त अन्य निस्तारों के प्रयोजन में लाए जाने वाला तालाब

तालाब का परिमाप अंक	एकड़ों में क्षेत्रफल	जिन प्रयोजनों के काम में लिया जाता है	*विशेष
1	2	3	4
*टिप्पणी : केवल उन्हीं तालाबों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो मध्यस्थों के अधिकारों की समाप्ति के पश्चात् राज्य में निहित हो गए।			

(ट) – (तीन) दखल (आधिपत्य) रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों में अधिकार

परिमाप अंक / भू–खंडांक जिनमें फलदार वृक्ष खड़े हैं	फलदार वृक्षों की संख्या	वृक्ष या वृक्षों के अधिपत्य वाला व्यक्ति	विशेष
1	2	3	4

(ट) – (चार) कोई अन्य प्रयोजन जो विहित किया जाए

परिमाप अंक / भू–खंडांक	एकड़ों में क्षेत्रफल	प्रयोजन	विशेष
1	2	3	4

प्रारूप ख

(नियम 5 देखिए)

1. एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र. 20) की धारा 134 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ग्राम ....पटवारी हल्का क्र. ..... बंदोबस्त क्र. ..... तहसील ..... जिला ..... हेतु निस्तार–पत्रक (जिसका प्रारूप इसके संलग्न है) तैयार किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. कोई भी व्यक्ति जिसे उक्त निस्तार पत्रक की किसी प्रविष्टि के संबंध में कोई आपत्ति करना है अथवा कोई सुझाव देना है वह उसे नीचे हस्ताक्षर करने वाले के पास दिनांक .....(यहां दिनांक लिखिए जो सूचना के दिनांक से 15 दिन पश्चात् से कम का न हो) के पूर्व भेज सकता है । आपत्तियों तथा सुझावों का परीक्षण दिनांक ..... को स्थान ..... पर 11 बजे मध्यान्ह से 4 बजे सायंकाल के मध्य होगा ।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा के अधीन दिनांक .....मास ..... 19..... को जारी की गई ।

प्रतिलिपि ग्राम पंचायत / ग्राम–सभा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर

स्रोत : मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959

भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) में भी इन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए भूमियों को आरक्षित किया जाकर अन्य राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया।

237. निस्तार–अधिकारों के उपयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना–

(1) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कलेक्टर, दखल रहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक, रख सकेगा, अर्थात:–

(क) इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए रक्षित किए जाने–वाले क्षेत्र के लिए,

(ख) चरागाह, घास, बीड़ या चारे के लिए रक्षित किए जाने–वाले क्षेत्र के लिए,

(ग) कब्रस्तान तथा श्मशान के लिए,

(घ) गांव स्थान (गांवठान) के लिए

(ङ) पड़ाव डालने के स्थान के लिए

(च) खलियान के लिए,

(छ) बाजार के लिए,

(ज) खाल निकालने के स्थान के लिए,

(झ) खाद के गड्ढो के लिए,

(ण) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जैसे पाठशालाएं, खेल के मैदान, उद्यान, सड़के, गलियां, जल निकास तथा तत्सदृश अन्य, और

(ट) किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिए जो निस्तार–अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाए।

स्त्रोत : मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

राजस्व विभाग के पास राजस्व ग्रामों के ग्रामवार बाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी आदि उपलब्ध है इन अभिलेखों में ग्रामवासियों के अधिकारों एवं सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों के लिए खसरावार रकबों की जानकारी स्वयं राजस्व विभाग के द्वारा की जाते रही है।

वन विभाग द्वारा अधिसूचित घोषित भूमि

क्र.	विवरण	रकबा (हे. में)
1	धारा 4(1) में अधिसूचित वर्ष 2000 में प्रतिवेदित भूमि	6669379.300
2	धारा 20 में वर्ष 1956 से 2000 तक अधिसूचित भूमि	960200.000
3	वर्ष 2000 में बताई गई नारंगी भूमि (मध्य प्रदेश में)	180294.000
4	वर्ष 2000 में बताई गई नारंगी भूमि (छत्तीसगढ़ में)	1239323.160
	योग	**9049196.460**

वन विभाग ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों की भूमि को आजादी के बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं में अधिसूचित किया या शासन के आदेशानुसार अपने नियंत्रण में लिया। वन विभाग ने अधिसूचित किया या शासन के आदेशानुसार अपने नियंत्रण में लिया। वन विभाग ने बाजिबुल अर्जन, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज 90 लाख 49 हजार 196 दशमलव 460 हेक्टेयर सामुदायिक एवं सार्वजनिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण कायम कर इन संसाधनों को अपने प्रबन्धन में लिया।

देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को वन भूमि परिभाषित कर आदेश दिया, इस आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग ने दिनांक 13 जनवरी 1997 को पत्र जारी कर राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड के जंगल मद में दर्ज जमीनों को न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि माने जाने के आदेश जारी किए। इस आदेश में राज्य सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया, इस आदेश को जारी किए जाते समय राज्य के राजस्व अभिलेखों में इन मदों में राजस्व विभाग के द्वारा दर्ज जमीन प्रतिवेदित की गई।

क्र.	विवरण	एकबा (हे. में)
1	2000 में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित बड़े झाड़ का जंगल	2993760.000
2	2000 में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित छोटे झाड़ का जंगल	3032176.000
	योग	**6025936.000**

राज्य के राजस्व अभिलेखों में 60 लाख 25 हजार 936 हेक्टेयर दर्ज बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनें राजस्व अभिलेख बाजिबुल अर्जन, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में लगातार ग्रामीणों के सामुदायिक अधिकार, ग्रामीणों के सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए राजस्व विभाग के द्वारा ही दर्ज की जाते रही है।

वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2(घ) के अनुसार वन विभाग के नियंत्रण एवं प्रबन्धन में ले ली गई राजस्व अभिलेखों में सामुदायिक अधिकार एवं सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों की जमीनों सहित बड़े झाड़ के जंगल एवं छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों को "वनभूमि" मान लिया गया।

वन अधिकार कानून 2006 की धारा "3(1)ख निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं;" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वन विभाग के नियंत्रण की 90 लाख 49 हजार 196 दशमलव 460 हेक्टेयर दर्ज बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि पर आजादी के पूर्व बाजिबुल अर्ज में दर्ज अधिकार एवं प्रयोजन या आजादी के बाद निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज अधिकार एवं प्रयोजन के अनुसार सामुदायिक वन अधिकार मान्य कर, अधिकार पत्र वितरित किए जाने का व्यवस्थित अभियान प्रारम्भ नहीं किया गया।

❑❑❑

जवाबदेही और जिम्मेदारी का संकट

आजादी के बाद समाज पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय दूर किए जाने की मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जनवरी 2008 के बाद अपनाई गई प्रक्रियाओं से यह भी आभास होता है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ऐतिहासिक अन्याय दूर किए जाने की नीयत भी नहीं रखती। राज्य सरकार ऐतिहासिक अन्याय दूर किए जाने में स्वयं की भूमिका को लेकर भी गंभीरता अभी तक नहीं दिखा पाई।

भूमि सुधार जैसे व्यापक विषय पर कार्य करने का दावा करने वाले या वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार समाज को अधिकार दिलवाए जाने का दावा करने वाले जनसंगठन, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन (सिविल सोसायटी) बड़े पैमाने पर जनवरी 2008 के बाद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करते रहे हैं, धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन, पदयात्राएं भी की जाते रही है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों एवं प्रयोजनों के अनुसार वनभूमि पर आजादी के पूर्व और आजादी के बाद प्रचलित अधिकारों, सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों को मान्य किया जाकर सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इस विषय को अत्यन्त ही गौण विषय माना जाकर या तो चुप्पी साध ली गई या फिर शासकीय तंत्र द्वारा की जा रही आधी–अधूरी कार्यवाहियों के संबंध में ही आवाज उठाई जाते रही है।

संगठनों की वैधानिक रूप से जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन नैतिक रूप से इन संगठनों की निर्धारित जवाबदेही और जिम्मेदारी का भी इन संगठनों ने पालन नहीं किया दूसरी ओर शासकीय तंत्र की वैधानिक जवाबदेही और जिम्मेदारी होने के बाद भी शासकीय तंत्र इस पूरे विषय पर अभी तक सार्थक प्रयास नहीं कर पाया।

"धारा 3(1)ख से संबंधित आसान प्रक्रिया"

वन अधिकार कानून 2006 में समाज को ध्यान में रखा जाकर अधिकांश प्रावधान किए गए है उन्हीं प्रावधानों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा "3(1)ख" के अनुसार ग्रामीण टिकाऊ सामुदायिक व्यवस्था को पुर्नजीवित किए जाने का किया गया।

आजादी के पूर्व तत्कालीन राजा महाराजा या मालगुजार, जमींदार के नियंत्रण में समाज के प्रचलित और मान्य अधिकारों एवं सार्वजनिक, निस्तारी प्रयोजनों से संबंधित धारा "3(1)ख" के अनुसार समस्त प्रमाण शासन के पास उपलब्ध है, उन दस्तावेजों एवं अभिलेखों में दर्ज संसाधनों को वन भूमि मान लिए जाने के प्रमाण भी शासन के पास ही उपलब्ध है। इन दोनों ही प्रमाणों को एक साथ रखा जाकर समुदाय के अधिकारों एवं प्रयोजनों को मान्यता दिए जाने का अधिकार भी कानून ने राज्य सरकार को ही दिया है।

इस पूरी प्रक्रिया में समाज से संबंधित कुछ औपचारिकताओं की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की इच्छा शक्ति और नीयत आज तक अस्वीकारी जाते रही है जिसे तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए।

वन विभाग के नियंत्रण या प्रबन्धन में ली गई भूमि या राजस्व विभाग द्वारा मानी गई परिभाषित वन भूमि की ग्रामवार, खसरावार जानकारी संकलित की जा सकती है।

ग्राम का नाम : ..... बंदोबस्त नंबर : ..... प.ह.नं. : .....

वन विभाग के नियंत्रण एवं प्रबन्धन में ली गई वन भूमि या परिभाषित वन भूमि			राजस्व अभिलेखों में दर्ज	
खसरा क्रमांक		रकबा	भूमि की मद	भूमि का प्रयोजन
नया	पुराना			
1	2	3	4	5

इस एक प्रारूप में जानकारी संकलित करवाई जाकर वह जानकारी संबंधित वनाधिकार समिति या संबंधित ग्रामसभा या संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जाकर सामुदायिक वन अधिकार के दावों को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें किसी अतिरिक्त प्रमाण को संलग्न किए जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि शासकीय अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित अधिकार और प्रयोजनों को उपखण्ड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति मान्य कर समाज को सामुदायिक अधिकार सौंपे जाने की वैधानिक कार्यवाही पूरी कर सकते हैं।

❑❑❑

समाज आधारित व्यवस्था और न्यायिक हस्तक्षेप

देश की सर्वोच्च अदालत ने प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या कर वन संरक्षण कानून 1980 के प्रावधानों को प्रभावशाली बनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने ही सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को प्राकृतिक संसाधनों पर समाज की व्यवस्था, अधिकार और प्रयोजनों को स्थापित किया जाकर आदेश दिया। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत के इन दोनों ही आदेशों की उपेक्षा करते हुए इन आदेशों का दुरूपयोग किया। राज्य सरकारों के द्वारा अपनाई गई नीति ने न्यायालीन हस्तक्षेपों को निरर्थक तो बनाया ही बल्कि आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्यायों को दोहराए जाने का माध्यम भी बना लिया। 12 दिसम्बर 1996 को "भूमि की मदों" के आधार पर परिभाषित की गई "जंगल मद की जमीनों" को वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20, धारा 34अ के अनुसार राजपत्र में पहले ही अधिसूचित कर लिया या धारा 20अ के अनुसार आरक्षित वन एवं संरक्षित वन मान लिया गया। 12 दिसम्बर 1996 को "मदों" के आधार पर परिभाषित की गई वनभूमियां और उन्हीं मदों के आधार पर वन विभाग द्वारा अधिसूचित की गई या मानी गई आरक्षित वन भूमि, संरक्षित एवं नारंगी भूमि आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व अभिलेखों में ग्रामीण समुदाय के विभिन्न अधिकारों, सहित सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमि रही है, इस अभिलेखीय तथ्य को अस्वीकारते हुए सर्वोच्च अदालत द्वारा 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेश को वन विभाग ने माने जाने से ही इन्कार कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेश की कंडिका क्रमांक 3 एवं कंडिका क्रमांक 22 का हम यहां यथावत उल्लेख करना आवश्यक समझ रहे है।

कंडिका क्रं. 03

"Since time immemorial there have been common lands inhering in the village communities in india, variously called gram sabha land, gram panchayat land, (in many North Indian States), Shamlat deh (in Punjab etc.), mandaveli and poramboke land (in South India), Kalam, Maidan, etc., depending on the nature of user. These public utility lands in the villages were for centuries used for the common benefit of the villagers of the village such as ponds for various purposes e.g. for their cattle to drink and bathe, for storing their harvested grain, as grazing ground for the cattle, threshing floor, maidan for playing by children, carnivals, circuses, ramlila, cart stands, water bodies, passages, cremation ground or graveyards, etc. These lands stood vested througha local laws in the State, which handed over their management to Gram Sabhas/ Gram Panchyats. They were generally treated as inalienable in order that their status as community land be preserved. There were no doubt some exceptions to this rule which permitted the Gram Sabha/ Gram Panchayat to lease out some of this land to landless labourers and members of the scheduled castes/tribes. but this was only to be done in exceptional cases."

कंडिका क्रं. 22

"Before parting with this case we give derections to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/ Shamlat land these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Government/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant. After giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land."

सर्वोच्च अदालत के द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 1996 या 28 जनवरी 2011 को आदेशित की गई भूमियों को वन विभाग ने अपने नियंत्रण एवं प्रबन्धन में ले लिया। इन भूमियों के संबंध में धारा 29 में "जांच पूरी होने तक प्रचलित अधिकार यथावत बने रहेंगे" का प्रावधान दिया है। धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में भी विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज रही है, इन भूमियों को ग्राम की सीमा के बाहर नहीं किया गया, यह भूमि ग्राम की सीमा में आज भी दर्ज है।

वन विभाग ने लम्बित जांच के बाद भी इन संसाधनों को वर्किंग प्लान, पी.एफ. एरिया रजिस्टर और संरक्षित वन कक्ष इतिहास में सम्मिलित कर लिया, लेकिन स्वयं के प्रावधानों की उपेक्षा कर इन संसाधनों पर प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को स्वयं के अभिलेखों में अंकित नहीं किया।

वन विभाग ने धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित इन संसाधनों को संबंधित ग्राम की सीमा से बाहर का अधिकार मुक्त संसाधन माना जाकर 28 जनवरी 2011 के न्यायालीन आदेश के दायरे से ही बाहर बताए जाने का लगातार प्रयास कर न्यायालीन आदेश को मानने से इन्कार कर दिया। इन संसाधनों पर वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1)ख के अनुसार जनवरी 2008 के बाद समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को लेखबद्ध किया जाकर सामुदायिक अधिकारों को स्वीकार किए जाने की भी कोई कार्यवाही राज्य शासन के द्वारा नहीं की गई।

वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अतुल श्रीवास्तव ने संभवतः भारत में प्रचलित वानिकी प्रबन्धन के इतिहास में पहला प्रयास कर दिनांक 10 अप्रैल 2015 को आदेश जारी किया जाकर धारा 29 एवं धारा 4(1) में अधिसूचित भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों और प्रयोजनों का अभिलेखन किए जाने का पत्र जारी किया, लेकिन यह प्रयास भी वन मुख्यालय से लेकर वनमण्डल तक को रास नहीं आया और आज तक अधिकारों का अभिलेखन नहीं किया गया।

वन विभाग ने 1950 के बाद राजस्व अभिलेखों में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज संसाधनों को भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आरक्षित वन अधिसूचित किया इस तरह के संसाधनों पर वन व्ययवस्थापन अधिकारी द्वारा समाज के मान्य और स्वीकार किए गए अधिकारों एवं प्रयोजनों को किसी भी विभागीय अभिलेख में आज तक दर्ज नहीं किया इन भूमियों से संबंधित आर.एफ. एरिया रजिस्टर में अधिकारों के अभिलेखन का प्रारूप तो वन विभाग ने संलग्न किया, लेकिन उसमें अधिकारों को दर्ज नहीं किया। वन विभाग ने इन संसाधनों की कम्पार्टमेन्ट हिस्ट्री बनाई उसमें भी अधिकारों के ब्यौरे दर्ज किए जाकर नियंत्रण और प्रबन्धन की योजना बनाए जाने के प्रावधान किए, लेकिन मान्य और स्वीकार किए अधिकारों एवं प्रयोजनों को दर्ज नहीं किया। उन्हें ध्यान में रखा जाकर नियंत्रण और प्रबन्धन की योजना भी नहीं बनाई।

वन अधिकार कानून 2006 की धारा "3(1)ख" के अनुसार आजादी के पूर्व राजस्व अभिलेखों में समाज के अधिकार एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज संसाधनों में से धारा 20 के अनुसार आरक्षित वन अधिसूचित की गई भूमियों या धारा 20अ के अनुसार आरक्षित वन मान ली गई भूमियों पर समाज के प्रचलित अधिकारों या प्रयोजनों को लेखबद्ध किए जाने, उन्हें सामुदायिक अधिकार मान्य किए जाने का कोई प्रयास राज्य सरकार या वन विभाग ने प्रारम्भ ही नहीं किया।

सर्वोच्च अदालत ने 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश में परिभाषित की गई वन भूमियों पर समाज के प्रचलित अधिकारों एवं प्रयोजनों को सौंपे जाने पर कोई रोक नहीं लगाई, देश की सर्वोच्च अदालत ने 28 जनवरी 2011 के आदेश में समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों की स्पष्ट व्याख्या की जाकर ऐसे संसाधनों पर समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों से संबंधित ऐसे संसाधनों पर समाज के अधिकारों का नियंत्रण एवं प्रबन्धन संबंधित ग्रामसभा को सौंपे जाने का आदेश दिया। वन अधिकार कानून 2006 भी समाज को अधिकार सम्पन्न बनाए जाने का ही प्रावधान कर रहा है।

❑❑❑

सामुदायिक अधिकार स्वीकारने के बाद...

समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों से संबंधित अभिलेख एवं नियम

प्राकृतिक संसाधनों पर समाज के विभिन्न अधिकार हो या समाज के सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजन हो, उन्हें लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग के अलग–अलग प्रावधान प्रचलित रहे, दोनों ही विभागों के अलग–अलग दस्तावेज भी रहे हैं।

आजादी के पहले और आजादी के बाद राजस्व विभाग ने राजस्व अभिलेखों में जिन संसाधनों को अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए दर्ज किया उन संसाधनों को वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 में अधिसूचित किया, धारा 20अ के अनुसार आरक्षित वन या संरक्षित वन मान लिया विभागीय निर्देश के अनुसार नारंगी भूमि भी मान लिया। इन्हीं संसाधनों को देश की सर्वोच्च अदालत ने वन भूमि परिभाषित कर दिया, इन्हीं संसाधनों को वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2(घ) के अनुसार वन भूमि मान लिया।

समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए राजस्व अभिलेखों में दर्ज संसाधनों के संबंध में मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959, संविधान की 11वीं अनुसूची, पैसा कानून 1996 के प्रचलित प्रावधानों, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 5 से 19 तक के प्रावधानों धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए नियमों और विभागीय अभिलेखों के आधार पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग के लिए सर्वसम्मत अभिलेख एवं नियम बनाए जाने की दिशा में वन अधिकार कानून 2006 लागू किए जाने के बाद राज्य सरकारों को विचार किया जाना चाहिए था।

राज्य सरकार वन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग को समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों से संबंधित दस्तावेज एवं नियम बनाए जाने की दिशा में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। संसाधनों पर समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों को ध्यान में रखा जाकर नियंत्रण, प्रबन्धन और संसाधनों के उपयोग से संबंधित अधिकार पूर्ण, जवाबदेह भूमिका सुनिश्चित किए जाने से संबंधित प्रक्रिया भी निर्धारित की जानी चाहिए।

वन विभाग के पास सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट, ब्लॉक हिस्ट्री, वन व्यस्थापन अधिकारी के आदेश, कम्पार्टमेन्ट हिस्ट्री, एरिया रजिस्टर उपलब्ध है, राजस्व विभाग के पास बाजिबुल अर्ज या रूढ़ि पत्रक या हुकूक रजिस्टर या रिकार्ड ऑफ राइट्स उपलब्ध है, निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख उपलब्ध हैं।

ग्राम संसाधन पंजी विकसित की जाकर वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के आधार पर समुदाय के अधिकारों एवं प्रयोजनों से संबंधित संसाधनों का ब्यौरा दर्ज किया जा सकता है, इन ब्यौरो के साथ ही समाज के अधिकारों की सीमा, सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के उपयोग की सीमा और समाज की जिम्मेदारी का भी उल्लेख किया जा सकता है।

भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 के प्रावधान एवं नियम

1. धारा 233 दखल रहित भूमि का अभिलेख।
2. दखल रहित भूमि का अभिलेख के संबंध में नियम 1960
3. धारा 234 निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना।
4. निस्तार पत्रक की तैयारी संबंधी नियम 1960
5. धारा 235 विषय जिनके लिए निस्तार पत्रक में उपबन्ध किया जावेगा।
6. धारा 236 निस्तार पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध।
7. धारा 237 निस्तार अधिकारों के उपयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना।
8. दखल रहित भूमि जो धारा 237 की उपधारा (1) के उल्लेखित उद्देश्यों के लिए पृथक रखी गई है के संबंध में नियम 1999 (पूर्व के नियम विलोपित किए)
9. धारा 238 दूसरे ग्राम की बंजर भूमि के अधिकार।
10. धारा 239 दखल रहित भूमि में लगाए गए फलदार वृक्षों के अधिकार।

11. धारा 240 कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिशेध
12. धारा 241 सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय।
13. धारा 24 बाजिबुल अर्ज।
14. बाजिब–उल–उर्ज संबंधी नियम 1960 ।
15. धारा 243 आबादी
16. धारा 244 आबादी स्थलों का निपटारा
17. आबादी स्थानों के निपटारे संबंधी नियम 1960 ।
18. धारा 245 भू–राजस्व दिये बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार।
19. धारा 246 आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार।
20. धारा 247 खनिजों के संबंध में सरकार का हक।
21. धारा 248 अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ती।
22. नियम 1976
23. धारा 249 मछली पकड़ने, आखेट करने आदि का विनियमन।
24. मछली पकड़ने, शिकार करने के विनियमन संबंधी नियम 1960 ।
25. धारा 250 अनुचित रूप से कब्जा किए गए भूस्वामी का पुनःस्थापन।
26. धारा 250(क) धारा 250 के अधीन कब्जा वापिस न दिया जाने पर सिविल कारागार में परिषेध नियम 1981 ।
27. धारा 250(ख) भूमि के आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा।
28. धारा 251 तालाबों का राज्य सरकार में निहित होना।
29. तालाबों से सिंचाई एवं निस्तार संबंधी नियम 1960 ।
30. धारा 252 लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का अनुरक्षण।
31. श्रम को अधिकार में लने संबंधी नियम 1960 ।
32. धारा 253 उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड।
33. धारा 254 ग्रामसभा के कर्त्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान, नियम एवं नीति

1. धारा 29 संरक्षित वन
2. धारा 3 वनों को आरक्षित करने की शक्ति
3. धारा 4 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना
4. धारा 5 अधिकारों को प्रोद्भूत होने का वर्जन
5. धारा 6 वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा
6. धारा 7 वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जाँच
7. धारा 8 वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियां
8. धारा 9 अधिकारों का निर्वापन
9. धारा 10 स्थानान्तरी खेती (Shifting Cultivation) की पद्धति सम्बन्धी दावों का निराकरण
10. धारा 11 ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है
11. धारा 12 चराई या वन उपज पर के दावों के अधिकारों के सम्बन्ध में आदेश
12. धारा 13 वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाने वाला अभिलेख

13. धारा 14 जहाँ दावा मंजूर किया गया है वहाँ अभिलेख
14. धारा 15 मंजूर किये अधिकारों का प्रयोग
15. धारा 16 अधिकारों का रूपान्तरण (Commutation)
16. धारा 17 धारा 11, धारा 12, धारा 15 एवं धारा 16 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील
17. धारा 18 धारा 17 के अधीन अपील
18. धारा 19 अधिवक्ता (Pleaders)
19. धारा 20 प्रस्थापित वन को "आरक्षित वन" (Reserved Forest) घोषित करने की अधिसूचना
20. धारा 20अ वन भूमि या पड़त भूमि आरक्षित वन माने जावेगें
21. निस्तार एवं चराई हक की पत्रिका 1956
22. म.प्र. में निस्तार एवं चराई की सुविधा 1959
23. संरक्षित वन नियम 1960
24. वन विभाग की निस्तार नीति 1996
25. संयुक्त वन प्रबन्धन बाबत् 22 अक्टूम्बर 2001 को प्रकाशित संकल्प
26. संरक्षित वन नियम 2005
27. मध्य प्रदेश वन उपज नियम 2005
28. संरक्षित वन नियम 2015
29. ग्राम वन नियम 2015

ऐतिहासिक अन्याय से संबंधित अपनाई गई विधि विरुद्ध प्रक्रियाओं को सुधारा जाकर समाज को अन्याय मुक्त एवं अधिकार युक्त व्यवस्था सौंपी जा सकती है। बल्कि यह व्यवस्था समाज को सौंपकर पर्यावरण संरक्षण सहित संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्धारण किया जाकर पूर्ण भागीदारी भी निर्मित की जा सकती है।

भू–राजस्व संहिता 1959, भारतीय वन अधिनियम 1927, संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 के प्रचलित प्रावधानों एवं देश की सर्वोच्च अदालत के सिविल याचिका क्रमांक 202 / 95 एवं सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869 / 2010 में दिए गए आदेशों को ध्यान में रखा जाकर आजादी के बाद किए गए ऐतिहासिक अन्याय समाप्त किए जा सकते हैं समाज को यह गारन्टी भी दी जा सकती है कि अब भविष्य में उन पर अन्याय नहीं होंगे।

हमनें विकल्प के रूप में "ग्राम संसाधन पंजी" का उल्लेख किया है जिसमें संसाधनों के पूर्ण ब्यौरे दर्ज किए जा सकते हैं, हमनें प्रचलित कानून और नियमों का भी उल्लेख किया है जिन्हें ध्यान में रखा जाकर संबंधित कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, प्रचलित नियमों में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, और इन सबके आधार पर संसाधनों के उपयोग की नीति भी लागू की जा सकती है।

❑❑❑

काश यह हकीकत में सच होता

राज्य की विधायिका में सदस्य सवाल पूछते हैं, सरकार उन सवालों का लिखित उत्तर देती है, इस प्रक्रिया को कितना विश्वसनीय माना जाना चाहिए या इस प्रक्रिया को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। यह विधानसभा के प्रचलित नियमों के दायरे में आने वाला वह विषय है जिस पर सदन को ही विचार कर अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित करने का अधिकार मिला हुआ है।

सामान्य आदमी ही नहीं बल्कि खास आदमी तक यह मानता है कि सदस्यों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए जाने में सरकार पूरी सतर्कता बरतती है, सदन में वैधानिक प्रावधानों के दायरे में ही लिखित उत्तर प्रस्तुत किए जाते हैं, सरकार प्रामाणिकता के साथ वास्तविक स्थितियों का पूर्ण परीक्षण कर सदन में लिखित उत्तर प्रस्तुत करती है। यह भी माना जाता है कि सरकार के द्वारा सदन में दिए गए लिखित उत्तरों के आधार पर सरकार अपनी कमियों या गलतियों को सुधारने का सार्थक एवं सतत् प्रयास करती है। सब मिलाकर यह माना जाता है कि विधायिका प्रचलित संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार के कामकाज को नियंत्रित कर उनकी निगरानी करती है। मैंने यह भूमिका राज्य की विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सरकार द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तरों को पढ़कर बनाई है। वन अधिकार कानून 2006 से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर विधायिका और कार्यपालिका के सामने एक आइना प्रस्तुत किया जा सके।

अधिकारों एवं प्रयोजनों के संसाधन

राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक में समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए गैरखाते की अलग-अलग मदों में दर्ज दखल रहित जमीनों के संबंध में भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में प्रावधान दिए गए हैं, इन जमीनों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, पैसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 में प्रावधान दिए गए हैं। इन जमीनों के संबंध में सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को आदेश दिया। इन्हीं संसाधनों के संबंध में सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को आदेश दिया। इन्हीं संसाधनों को वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1), धारा 20 एवं धारा 34 अ के अनुसार वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने तक राजपत्र में अधिसूचित किया।

समाज के विभिन्न अधिकारों एवं प्रयोजनों के लिए राजस्व अभिलेख निस्तार पत्रक में दर्ज इन्हीं संसाधनों को लेकर मध्यप्रदेश की विधानसभा में पूछे गए प्रश्न का सरकार के राजस्व मंत्री ने दिनांक 17 मार्च 2016 को उत्तर दिया। इसे सदन के पटल पर विधानसभा के सत्र जुलाई 2016 में प्रस्तुत किया। सदन में पूछे गए प्रश्न और सदन में दिए गए उत्तर को यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमि

154. ता.प्र.सं. 15 (क्र. 5815) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम् संभाग के किस जिले में कितने राजस्व ग्राम, कितने वनग्राम है, कितने राजस्व ग्राम वीरान है, कितने राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल हैं, कितने राजस्व ग्रामों में जनवरी 2008 के बाद वन अधिकार समितियां बनाई हैं. (ख) किस जिले में कितने राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक उपलब्ध हैं उनमें से कितनी भूमि दर्ज की गई थी उस भूमि में से कितनी भूमि वर्तमान में भी दर्ज है ? इन दर्ज भूमियों में से कितनी भूमि का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार पंचायतीराज व्यवस्था को प्रश्नांकित दिनांक तक सौंप दिया गया है ? यदि नहीं सौंपा हो तो कारण बतावें ? (ग) किस जिले के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में खाते में कितनी भूमि दर्ज है ? गैर खाते की किस मद में कितनी भूमि दर्ज है?गैरखातों की कितनी भूमि वन विभाग की कार्य योजना में भी सम्मिलित कर ली गई है. इन सम्मिलित भूमियों को गैर खाते से प्रश्नांकित दिनांक तक भी पृथक न किए जाने का क्या कारण रहा है ? (घ) गैर खाते में दर्ज भूमियों में से कार्ययोजना में सम्मिलित भूमियों को राजस्व अभिलेख या वानिकी अभिलेख से पृथक किए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] **(क) 1. होशंगाबाद**– होशंगाबाद जिले में 936 राजस्व ग्राम एवं 51 वनग्राम है. 55 वीरान ग्राम है. 27 राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल है. 140 राजस्व ग्रामों में जनवरी 2008 के बाद वन अधिकार समितियां बनाई गई है. 2. बैतूल– बैतूल जिले में 1303 राजस्व ग्राम 92 वनग्राम 62 वीरान ग्राम, 16 राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल है तथा 1144 राजस्व ग्रामों में जनवरी 2008 के बाद वन अधिकार समितियां बनी है. 3. हरदा– जिला हरदा के अंतर्गत 527 राजस्व ग्राम हैं, 42 वनग्राम, 77 राजस्व वीरान ग्राम है एवं 11 ग्राम नगरीय सीमा से लगे 491 राजस्व ग्रामों में वन अधिकार

समितियों का गठन किया गया है. (ख) 1. होशंगाबाद – जिले में 935 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक उपलब्ध है. 137486 हेक्टयर भूमि दर्ज है तथा भूमियों पर नियंत्रण प्रबंधन पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया है. 2. बैतूल–बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक उपलब्ध है, उनमें से 209418 हे. भूमि दर्ज है तथा 209418 हे. भूमियों का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया है. 3. हरदा– जिला हरदा अंतर्गत 527 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक उपलब्ध है, 55872 हे. भूमि निस्तार पत्रक में दर्ज है. इन दर्ज भूमियों का निस्तार पत्रक पंचायतों को सौंप दिया गया है. (ग) होशंगाबाद – जिला होशंगाबाद के वर्तमान राजस्व अभिलेख है. भूमि दर्ज है तथा गैरखाते में आबादी 5120 हे., अमराई व अन्य फलोद्यान 16 हे., बड़े झाड़ का जंगल 80801 हे., झुड़पी जंगल व घास 25295 हे., पानी के नीचे 28613 हे., पहाड़ चट्टान 2369 है., इमारत सड़क वगैरह 10351 हे., योग गैरखाता क्षेत्र 152565 हे. गैरखाते की भूमि वन विभाग द्वारा कार्य आयोजना में सम्मिलित नहीं की गई है. 2. बैतूल– जिले के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में खाते में 515353 हे. भूमि दर्ज है. गैरखाते की आबादी 3395 हे., अमराई बाग 04 हे., बड़े झाड के जंगल 114361 हे., छोटे झाड़ के जंगल 27827 हे., पानी के नीचे 28847 हे., पहाड़ चट्टान 24262 हे., सड़क–इमारत 10722 हे. भूमि दर्ज है. गैर खाते की भूमि वन विभाग की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं की गई है. 3. हरदा– हरदा जिले में राजस्व अभिलेख में खाते की 196615 हे., भूमि दर्ज है गैरखाते में सम्मिलित क्षेत्र आबादी 1624 हे., अमराई 5 हे., बड़े झाड़ का जंगल 25347 हे., झुड़पी जंगल घांस 6246 हे., पानी के नीचे 14218 हे., पहाड़–चट्टान 3168 हे., इमारत–सड़क 5266 हे., योग गैरखाते 55847 हे. वन क्षेत्र 78092 कुल गैर खाता 133966 हे., भौगोलिक क्षेत्रफल 330581 हे. है. (घ) प्रश्नांश "ग" के संदर्भ में अभिलेख से भूमि पृथक किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

इस लिखित उत्तर में यह तो सही बताया गया कि किस जिले में कितने ग्राम है, निस्तार पत्रक है, उनमें किस–किस मद में कितने–कितने संसाधन दर्ज हैं, लेकिन इस उत्तर में यह सही नहीं बताया, बल्कि यह गलत जानकारी दी गई कि बैतूल जिले में इन संसाधनों का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया है। इस उत्तर में यह भी गलत बताया गया है कि बैतूल जिले के निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों में से कोई जमीन वन विभाग के वर्किंग प्लान में शामिल नहीं है।

निस्तार पत्रक में विभिन्न मदों में दर्ज समाज के अधिकारों एवं प्रयोजनों के संसाधनों पर यदि पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार, प्रबन्धन एवं नियंत्रण होता तो शायद वन अधिकार कानून की आवश्यकता इस देश को नहीं होती, शायद सरकार पर संविधान कानून एवं न्यायालीन आदेशों के उल्लंघन, दुरूपयोग एवं अवमानना के आरोप भी नहीं लगाए जा सकते थे, इनके अतिरिक्त मध्यप्रदेश संभवतः देश का एक मात्र राज्य होता, जिसमें समाज और पंचायती राज व्यवस्था संसाधनों, अधिकारों एवं प्रयोजनों को लेकर सशक्त और अधिकार सम्पन्न होते।

राज्य की विधानसभा के बजट सत्र 2013 में भी राजस्व विभाग ने प्रश्न क्रमांक 428 पूछा गया जिसका लिखित उत्तर भी हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों की मदों एवं प्रयोजनों को बदले जाने बाबत्

20. (क्र. 428) श्री प्रेमनारायण ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा, सिवनी तथा बैतूल जिले के लिये भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा (234) के तहत बनाये गये कितने ग्रामों के निस्तार पत्रक में किस–किस मद की कितनी–कितनी भूमि किन–किन प्रयोजनों के लिए दर्ज है? (ख) राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक में दर्ज किन–किन मदों की जमीनों को वन विभाग के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4(1) में अधिसूचित कर कितनी–कितनी जमीनों की धारा (5) से (19) तक जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है? (ग) निस्तार पत्रक में विभिन्न प्रयोजनों के लिये दर्ज जमीनों के वन खण्ड बनाकर उन्हें धारा 4(1) में अधिसूचित कर अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने का प्रावधान भू–राजस्व संहिता, 1959 की किस धारा में दिया गया है? यदि भू–राजस्व संहिता में प्रावधान नहीं हो तो राजस्व भूमियों को वन भूमि घोषित करने का क्या कारण है, जानकारी दें? (घ) निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों की मदों एवं प्रयोजनों को बदले जाने का भू–राजस्व संहिता, 1959 में क्या प्रावधान है?इस प्रावधान का पालन किये बिना आरक्षित वन बनाये जाने की कार्यवाही करने का क्या औचित्य है, क्या कारण है, स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) सिवनी जिले के कुल 1574 ग्रामों के निस्तार पत्रकों में 1,41,754 हे. भूमि निम्नानुसार मदों में दर्ज है : बड़े झाड़ के जंगल 61225 हे., छोटे झाड़ के जंगल 20668 हे., पानी के नीचे 27170 हे., पहाड़ चट्टान 12060 हे., सड़क–इमारत 14888 हे., आबादी 5712 हे., अमराई बाग 31 हे. कुल– 141754 हे. छिंदवाड़ा जिले के कुल 1959 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रकों में 6,92,499 हे. भूमि निम्नानुसार मदों में दर्ज है : आबादी 3685 हे., अमराई बाग 31 हे., बड़े झाड़ के जंगल 246365 हे., छोटे झाड़ के जंगल 61578 हे., पानी के नीचे 327005 हे. पहाड़–चट्टान 42201 हे., सड़क–इमारत

11634 हे. कुल– 692499 हे. बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रकों में 209418 हे. भूमि निम्नानुसार दर्ज है : आबादी 3396 हे., अमराई बाग 04 हे., बड़े झाड़ के जंगल 114361 हे., छोटे झाड़ के जंगल 27827 हे., पानी के नीचे 28847 हे., पहाड़–चट्टान 24262 हे., सड़क–इमारत 10722 हे. कुल – 209418 हे. (ख) सिवनी जिले निस्तार पत्रक में दर्ज बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान पानी के नीचे, घांस इत्यादि मद से संबंधित तथा अन्य भूमियों को अधिसंसूचित कर 61435.672 है. रकबा पर धारा 5 से धारा 19 तक की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है।

छिंदवाड़ा जिले में निस्तार पत्रक में कुल 223498 हे. रकबा पर धारा 05 से 19 की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है। बैतूल जिले में निस्तार पत्रक में कुल 71909.147 हे. रकबा पर धारा 05 से 19 की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है. (ग) प्रश्नाधीन भूमियों को वनखण्ड बनाकर उन्हें धारा 4(1) में अधिसूचित कर आरक्षित वन बनाये जाने का प्रावधान भू–राजस्व संहिता में नहीं है. (घ) भू–राजस्व संहिता की धारा 237 की उपधारा 1 में वर्णित किसी प्रयोजन के लिये विशेष रूप से पृथक् रखी गई भूमियां कलेक्टर की मंजूरी से ही व्यपवर्तित की जाएगी अन्यथा नहीं. प्रश्नाधीन जिलों में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

बजट सत्र 2013 में सदन में दिए गए लिखित जानकारी एवं मानसून सत्र 2016 में सदन में दिए लिखित जानकारी के बीच कौन सी परिस्थितियों में बदलाव आया, राज्य सरकार ने इस अवधि में कौन सा आदेश या निर्देश या पत्र या परिपत्र जारी किया, निस्तार पत्रक में दर्ज संसाधनों को लेकर 2013 एवं एवं 2016 में राजस्व विभाग ने सदन में दो तरह की अलग–अलग जानकारियों को किस अधिकार से और किन कारणों से प्रस्तुत किया, इसका परीक्षण एवं समीक्षा तो राज्य की विधानसभा ही कर सकती है।

प्रश्न क्रमांक 5815 दिनांक 17 मार्च 2016 में दी गई लिखित जानकारी के पहले इन्हीं विषयों को लेकर लगातार सदस्यों ने राज्य की विधानसभा में प्रश्न पूछे जिनके सदन में लिखित उत्तर प्रस्तुत किए गए। इस तरह के प्रश्नों के हमारे पास उपलब्ध क्रमांक एवं दिनांक को हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि विधानसभा इन प्रश्नों में दी गई लिखित जानकारियों का संविधान, प्रचलित कानून एवं न्यायालीन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं परीक्षण और समीक्षा कर स्वयं की स्थिति का स्वयं ही आंकलन कर सके।

क्र.	प्रश्न क्र.	उत्तर दिनांक	क्र.	प्रश्न क्र.	उत्तर दिनांक
1	1649	1 मार्च 2012	18	238	26 फर. 2013
2	1634	2 मार्च 2012	19	278	26 फर. 2013
3	671	6 दिस. 2012	20	672	बजट सत्र 2013 में प्रस्तुत
4	677	6 दिस. 2012	21	428	बजट सत्र 2013 में प्रस्तुत
5	772	4 दिस. 2012	22	217	28 फर. 2013
6	2088	13 दिस. 2012	23	2137	1 मार्च 2013
7	756	12 दिस. 2012	24	2138	1 मार्च 2013
8	522	24 जुलाई 2012	25	1417	28 फरवरी 2013
9	746	12 दिस. 2012	26	2133	28 फरवरी 2013
10	766	12 दिस. 2012	27	309	02 जुलाई 2014
11	987	17 जुलाई 2012	28	310	02 जुलाई 2014
12	547	18 जुलाई 2012	29	1829	14 जुलाई 2014
13	2080	12 दिस. 2012	30	1029	23 फरवरी 2015
14	115	17 जुलाई 2012	31	1049	23 फरवरी 2015
15	678	6 दिस. 2012	32	1289	24 फरवरी 2015
16	2078	बजट सत्र 2013 में प्रस्तुत	33	1440	13 मार्च 2015
17	2079	12 दिस. 2012	34	5815	17 मार्च 2016

विधानसभा को स्वयं के सम्मान और समाज में उसकी विश्वसनीयता के संदर्भ में इन प्रश्नों के दिए गए उत्तरों की समीक्षा कर परीक्षण करना चाहिए, राज्य की विधानसभा को प्रचलित संवैधानिक, वैधानिक एवं न्यायालीन प्रावधानों के संबंध में राज्य की कार्यपालिका की दयनीय बेबसी और लाचारी की भी समीक्षा इन्हीं प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के आधार पर करनी चाहिए, राज्य की विधानसभा को राज्य की प्रजा के ऊपर किए जा रहे अन्याय, अत्याचार और वंचित किए जाने की स्थिति की भी समीक्षा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर करनी चाहिए।

मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 1960

(धारा 32 एवं 76 के अन्तर्गत)

अधिसूचना क्र. 8476–8414–X–60 दि. 02.09.1960। मध्य प्रदेश राजपत्र भाग (4) (सामान्य) पृष्ठ 893 दिनांक 02.09.1960 पर प्रकाशित।

भारतीय वन नियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) की धारा 32 एवं 76 के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषय पर पूर्व में बनाऐ सभी नियमों को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा संक्षिप्त वनों के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है .....

नियम

1. इस नियम में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो .....

   (क) "अधिनियम" से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) से है.

   (ख) "कृषक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खुदकाश्त करें या जो सामान्यतः स्वतः काश्त करता हो जिसमें कृषि मजदूर तथा ग्रामीण शिल्पी सम्मिलित हैं.

   (ग) "सारांशीकरण" से तात्पर्य संरक्षित वन से सिर्फ समुचित मात्रा में निस्तार या पैदावार सद्भावपूर्ण घर उपयोग या उपजीविका कार्य के लिए किन्तु वस्तु विनिमय, विक्रय या दुरूपयोग के लिए न हो, प्राप्त करने की सुविधा के बदले में निश्चित राशि पूरे वर्ष में एक बार देने से है।

   (घ) "अनुज्ञप्ति" से तात्पर्य इन नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति से है।

   (ङ) "निस्तार" के अर्थ में निम्नलिखित सम्मिलित है .....

      (1) काश्तकारी औजारों, नये मकानों के निर्माण, मकानों की मरम्मत और काश्तकारों के मवेशी कोठा के लिए आरक्षित वृक्षों या इस सम्बन्ध में विशेष रूप से स्वीकृत रक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी।

      (2) सूखी गिरी लकड़ी जो इमारती लकड़ी के उपयुक्त न हो।

      (3) सूखे बांस व हरे बांस जहां विशेष रूप से बताये हो।

      (4) रूसा, खस या सवाई घास को छोड़कर घास।

      (5) खैर एवं ब्रशबुड (Brushwood) को छोड़कर काटे।

      (6) तेन्दूपत्ता छोड़कर पत्ते।

      (7) अनारक्षित झाड़ों की छाल या बक्कल।

      (8) सतही बोल्डर, मुरम, रेत, छुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी (Clay) ।

   (च) "पैदावार" का अर्थ एवं उसमें सम्मिलित है समस्त खाने योग्य जड़े, फल एवं फूल, कुल्लू वृक्ष के गोंद को छोड़कर प्राकृतिक रूप से निकला गोंद, मोम व शहद।

   (छ) उपजीविका निस्तार (Occupational Nisatar)से तात्पर्य है जीविकोपार्जन के लिए किसी धन्धे को चलाने के लिए आवश्यक निस्तार से है।

   (ज) "पास" इन नियमों के अन्तर्गत या तत्समय प्रभावशील कोई अन्य विधि, नियम आदेश के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया पास जिसमें सारांशीकरण पास (Communication) भी सम्मिलित है।

2. इसमें इसके पश्चात् नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ग्राम या ग्रामों में रहने वाले या जमीन धारण करने वाले कृषकों को तत्समय प्रभावशील नियम या आदेश के अनुसार, जिस संरक्षित वन से वे सम्बन्ध (Attached) किएगऐ हो, उस संरक्षित वन से उनकी आवश्यकतानुसार निस्तार मुफ्त में या रकम पटाकर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण –

(1) अभिव्यक्ति निस्तार आवश्यकता या पैदावार आवश्यकता से तात्पर्य निस्तार अथवा पैदावार का सद्भावपूर्ण (Bonafide) घरू उपयोग के लिए आवश्यकता है और दान (Gift), वस्तु विनियम (तंतजमत) विक्र, निर्यात (Export) दुरूपयोग (Wasteful Use) नहीं है।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत स्वीकृत निस्तार एवं पैदावार आवश्यकता की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविकत आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अध्यधीन होगी। जहां कुल आवश्यकता से कम निस्तार सामग्री उपलब्ध होगी, वहां निस्तार सामग्री को सान्य रूप से युक्तिसंगत रूप से वितरित किया जावेगा।

(3) (अ) वन मंडलाधिकारी समय–समय पर क्षेत्र निर्धारित करेगे जिसमें से प्रत्येक वर्ष निस्तार प्राप्त किया जावेगा और ग्रामीण केवल उसी क्षेत्र से अपना निस्तार प्राप्त करेगे।

(ब) वन मंडलाधिकारी समय–समय पर उपजीविका निस्तार के उपयोग के लिए समुचित क्षेत्र, विनिर्दिष्ट एवं सुरक्षित करेगें एवं नियम (2) के अन्तर्गत कृषकों की "निस्तार" एवं पैदावार की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद दोहन उपलब्धता के अन्तर्गत शेष मात्रा इस हेतु निश्चित करेगें।

(4) (अ) कलेक्टर समय–समय पर वन मण्डलाधिकारी की सलाह से एवं तत्समय प्रभावशील नियम एवं आदेशों के अनुसार ग्रामों को विनिर्दिष्ट करेगा, जहां के निवासियों को उनके निस्तार व पैदावार की आवश्यकता सारांशीकरण (Communication) शुल्क पटाकर प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी।

(ब) उपनियम (अ) के अध्यधीन रहते हुए सारांशीकरण उन्ही ग्रामीणों को स्वीकृत की जाएगी जो तत्समय प्रभावशील नियम या आदेश के अनुसार सारांशीकरण शुल्क पटाकर सारांशीकरण पास (Communication Pass) प्राप्त कर लेगा।

(5) (अ) कोई भी व्यक्ति बिना पास या विधिवत् अनुज्ञप्ति के, संरक्षित वनों से अपनी निस्तार आवश्यकता प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि इस सम्बन्ध से वन मंडलाधिकारी के विशिष्ट या सामान्य लिखित आदेशों द्वारा छूट प्राप्त न हो।

(ब) वन मंडलाधिकारी पासों के वितरण का नियंत्रण करेगा।

(स) जब तक उपनियम (1) के अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी द्वारा छूट प्राप्त न हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ निस्तार पास या वैध अनुज्ञप्ति रख कर निस्तार लेने के लिए संरक्षित वन में प्रवेश करेगा और इन नियमों के अनुसार निस्तार प्राप्त करेगा।

3. संरक्षित वनों का दोहन (Exploitation) निम्न शर्तों का अध्यधीन होगा .....

(1) किसी वृक्ष के चारों ओर काट कर घेरा (Girdle) नहीं बनाए, जावेगा या काफी ऊपर से काट कर मुण्डा (Pollard) नहीं किया जावेगा या उसकी डाले नहीं काटी जाएगी।

(2) गोंद या राल के संग्रहण के उद्देश्य से किसी वृक्ष में घाव (Wound) नही किए जावेंगे।

(3) किसी वृक्ष को उखाड़ा, जलाया या अन्य किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा।

(4) गिराने के लिए विशेष रूप से चिन्हित या वन मण्डलाधिकारी के सामान्य आदेश से काटने या हटाने के लिए स्वीकृत वृक्ष के सिवा कोई वृक्ष काटा नहीं जावेगा।

(5) कोई भी वृक्ष जो छाती ऊंचाई (Breast Height) (नीचे से 135 से.मी.) पर 9 इंच या 22.5 से.मी. से कम हो, नहीं काटे जावेगें।

(6) (अ) समस्त काटने वाले वृक्षों को यथा–सम्भव भूमि के संलग्न से काटे जावेगे।

(ब) वृक्षों की जड़ों को नुकसान नही पहुंचाया जावेगा। केवल पलास (Butea Monosperma) की जड़ को रस्सी के लिए खोदा जा सकता है किन्तु किसी भी दशा में जड़ के एक तिहाई भाग से अधिक जड़ का भाग नहीं निकाला जावेगा, ताकि शेष जड़ से वृक्ष जीवित रह सके।

(स) निम्नलिखित नियमों के अध्यधीन रहते हुए केवल कोहा (Terminelia Arjun) वृक्ष की छाल को वन मंडलाधिकारी की लिखित स्वीकृति से निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी वृक्ष की छाल नहीं निकाली जाएगी।

स–1 छाती ऊंचाई (जमीन से 135 से.मी. ऊपर) पर 3"–6" या (105 से.मी.) से अधिक मोटाई वाले वृक्षों के तनों के पूर्वी भाग का ही छाल, विशेष प्रकार के छाल निकालने वाले हथियार से निकाली जाएगी। छाल उतारी नहीं जाएगी, बल्कि 5 से.मी. से 2 से.मी. के चौखाने में छाल निकाली उतारी नहीं जाएगी अन्दरूनी सतह (Cambium Layer) को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। छाल निकालने की लाईनों के बीच 5 से.मी. की दूरी रखी जाएगी।

स–2 छाल जनवरी से जून के मध्य ही निकाली जाएगी।

स–3 वृक्ष से एक साल छाल निकालने के बाद तीन साल तक पुनः उसमें छाल नहीं उतारी जाएगी।

स–4 ऐसी छाल भरती गाड़ी 5.00 रियायती दर पर या समय–समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से दी जाएगी।

(द) बांस निम्न शर्तो के अध्यधीन काटा जावेगा –

(1) बांस के कूपों का कटाई का क्रम (Felling Cycle) 4 वर्ष होगी। वार्षिक कटाई के कूप को 4 संभागों में विभाजित किया जावेगा तथा बांस की कटाई क्रमानुसार संभाग वार की जाएगी अर्थात् सेक्सन "दो" में कटाई जब तक नही की जाएगी जब तक सेक्सशन "एक" में कटाई को कार्य नियमानुसार सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण न हो जाये।

(2) प्रथम वर्ष का अहपरिपका बांस "करला" यो गऐ वर्ष बांस "महिला" नहीं काटा जावेगा।

(3) बांस की जड़ (Rhyzome) नहीं खोदी जाएगी।

(4) ऐसे बांस के भिरे में, जिसमें केरला व महिला सहित, दस बांस से कम हो, कटाई नहीं की जाएगी।

(5) ऐसे बांस भिरे में जिसमें 10 से अधिक बांस हो, (उन बांसो को छोड़कर जो 18"=45 से.मी. से कम ऊंचाई पर टूटे हो) शेष बांसो को पूरे भिरे मे सुसंगत रूप से छोड़ा जावेगा तथा छोड़े गऐ पके बांसों की संख्या (महिला को छोड़कर) उस भिरे में "करला" बांस की संख्या की दुगनी से कम न होगी बशर्ते 10 जीवन बास भिरे में न्यूनतम है)

उदाहरण – किसी बांस के भिरे में 3 करला, 5 महिला एवं 9 अन्य पके बांस कुल 17 बांस है।

इस भिरे में 3 करला के दुगुने अर्थात् 6 पके बांस रोके जाना हैं लेकिन यह संख्या 10 से कम है अतः 7 पके बांस रोके जावेगे अर्थात् भिरे में 3 करला, 5 महिला एवं 7 पके बास रोके जाकर दो पके बास काटे जावेगे।

(6) कटने वाले बांस को जमीन से एक गठान ऊपर (कम से कम 6' या 15 से.मी. अधिकतम 18"=45 से.मी.) के बीच में काटना चाहिए।

(7) बास तेज धार वाले औजार से काटा जावेगा ताकि बांस के एक ठूंठ न फटे।

(8) बांस के बंडल (गट्ठे) बांधने के लिए किसी भी दशा में करला व महिला बांस नहीं काटा जावेगा।

(ई) खजूर के वृक्षों से रस निकालने की प्रक्रिया निम्न शर्तो के अधीन की जाएगी।

(1) यदि कोई खजूर वृक्ष भूमि से, उगती हुई डाली के तले तक 6"=180 से.मी. से कम हो तो उस वृक्ष से रस निकालने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

(2) किसी भी एक वर्ष में, वृक्ष के तने में एक स्थान पर रस निकालने की प्रक्रिया उगती डाली के तल पर, की जाएगी।

(3) वृक्ष से रस निकालने की प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से पट्टे नहीं काटे जावेगे, और छेद (Incidion) इस प्रकार न किए जावे कि वृक्ष मर जावे।

(1) इन नियमों के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए, संरक्षित वन की लघु वन उपज (Minor Forest Produce)] वन मंडलाधिकारी द्वारा उसी प्रकार विक्रय की जाएगी, जिस प्रकार आरक्षित वन (Reserved Forest) में की जाती है।

(2) सभी वन उपज, वन मंडलाधिकारी के प्राधिकार द्वारा प्रदत्त पास, या इन नियमों या तत्समय प्रभावशील किसी विधि के अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी के प्राधिकार (Authority) से जारी अनुज्ञा (Licence) के अन्तर्गत ही संरक्षित वन से हटाई जाएगी।

(3) सूर्यास्त एवं सूर्योदय के मध्य कोई भी वन उपज नहीं ले जाई जाएगी।

(4) वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में 'दहिया' या 'बेवर' कृषि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. वनोपज को हटाने या विनियोजित करने के लिए पास या अनुज्ञाधारी व्यक्ति, जब वह संरक्षित वन में उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में प्रवेश करें तो अपने आधिपत्य में पास या अनुज्ञा अवश्य रखेगा और किसी वन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

परन्तु ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होगा जिसे अकाल (Famine) या सूखा (Scarsity) के समय राज्य शासन द्वारा बिना पास वन उपज ले जाने की अनुमति दी हो।

5. वन संरक्षक समय–समय पर संरक्षित वनों से निकाली जाने वाली प्रत्येक वन–उपज के लिए दर निर्धारित करेगा।

6. (1) संरक्षित वन के पांच किलोमीटर के भीतर यदि कोई व्यक्ति जंगल या घास जमीन को आग लगातार साफ करना चाहता है, तो वह निम्न नियमों का पालन करेगा।

(अ) जिस वनाधिकारी के क्षेत्राधिकार में वह भूमि हो, उसमें नजदीकी, वन–रक्षक, वनपाल या परिक्षेत्र अधिकारी को, आग लगाने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अपने इरादे की सूचना देगा।

(ब) जिस क्षेत्र को जलाना चाहता है, उसमें संरक्षित वन की ओर (30 फुट) या 9 मीटर चौड़ी पट्टी से इस प्रकार सफाई करेगा कि आग उसके पार न फैल सकें।

(स) जब तेज हवा चल रही हो, आग नहीं लगायेगा।

(2) आरक्षित वन से एक मील (1.6 किलोमीटर) के भीतर की भूमि पर आग लगाने का इच्छुक व्यक्ति लकड़ी, घास या अन्य ज्वलनशील सामग्री को ढेरों में एकत्र करेगा और इसे एक के बाद ढेरों को ऐसे जलावेगा जिससे आग न फैले और संरक्षित वन को नुकसान न पहुंचावे।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो संरक्षित वन में ज्वलनशील सामग्री वनोपज जैसे घास या बांस एकत्रित करता है या ऐसी वनोपज एकत्रित करने का अनुज्ञाधारी व्यक्ति, संरक्षित वन से उचित दूरी पर, जो वन मण्डलाधिकारी के, सामान्य या विशिष्टि आदेश द्वारा निर्देशित हो, खुले स्थान में एकत्रित करेगा, तथा उनको इस प्रकार अलग रखेगा कि उनमें आग लगने से आस–पास क्षेत्र में न फैले एवं संरक्षित वन को खतरे में डाले।

(4) संरक्षित वन की सीमा पर, या वन के भीतर, यात्रियों को ठहरने के स्थलों ;ब्ंउचपदह च्संबमद्ध को, वन मण्डलाधिकारी द्वारा अलग किया जावेगा और उनको साफ कराया जाएगा तथा इन स्थलों की सूची प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाएगी और ऐसे शिविर स्थलों के अतिरिक्त संरक्षित वन की सीमा पर या वन में कहीं भी आग नही लगाई जाएगी। इन शिविर स्थलों का उपभोग करने वाले व्यक्ति, खाना पकाने या अन्य कार्य के लिए इस प्रकार आग जलावेंगे जिससे संरक्षित वन, या शिविर स्थल पर स्थित कोई भवन (Building), शेड (Shed) या अन्य सम्पत्ति को आग से नुकसान न पहुंचे तथा शिविर छोड़ने के पूर्व सब ज्वलनशील पदार्थ को शिविर केन्द्र में एकत्रित करेंगे तथा सावधानीपूर्वक पूरी आग बुझा देंगे।

(5) पहिली नवम्बर तथा तीस जून के मध्य या इससे पहले या बाद की तिथियों में जैसा, वन मण्डलाधिकारी, वन संरक्षक की पूर्व अनुमति से, धारा 26(ग) के अन्तर्गत निर्धारित करें, संरक्षित वन में या उसकी सीमा पर जलती आग ले जाना, आग जलाना, या मशाल (Torch) ले जाना वर्जित होगा। शिविर स्थल (Camping Ground) छोड़कर, संरक्षित वन में उक्त अवधि में धूम्रपान भी वर्जित होगा।

(6) कोई भी व्यक्ति संरक्षित वन में कोई आग नहीं लगावेगा, और कोई भी व्यक्ति संरक्षित वन के पास ऐसी आग नही लेजावेगा जिससे वहा पड़ी हुई किसी लकड़ी या धारा 30 के अन्तर्गत घोषित सुरक्षित वृक्षों को हानि पहुंचे।

7. संरक्षित वन में कोई अधिकार का उपभोग करने वाला कोई व्यक्ति, निस्तार, सुविधा पाने वाला व्यक्ति या, संरक्षित वन मे पशु चराने की सुविधा का उपभोग करने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा कि संरक्षित वन में या उसके पास आग लगने की जानकारी होने पर तत्काल नजदीकी 'वन अधिकारी' को सूचना देगा और वन अधिकारी द्वारा अपेक्षा की गई हो या नहीं।

(1) ऐसी उक्त आग को बुझाने, और

(2) ऐसे वन के समीप लगी आग को वन के भीतर फैलने से रोकने हेतु अपनी पूर्ण वैधानिक साधनों ;उमंदेद्ध के द्वारा रोकने का कदम उठावेगा।

8. (1) किसी संरक्षित वन को आवंटित (Allotted) ग्रामों में निवास करने वाले कृषक, या उसमें भूमि धारण करने वाले, या कृषि शिल्पी (Artisan) या मजदूरों को तत्समय प्रभावशील नियम और आदेशों के अनुसार, उस संरक्षित वन में पशु चराने की अनुमति दी जाएगी।

परन्तु वन मण्डलाधिकारी की स्वीकृति के अभाव में कोई भी व्यक्ति घास बीड (Grass Bir) उपजाऊ तथा चारे हेतु रक्षित क्षेत्र (Fuel & Fodder Reserve), पुनरोत्पादन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र (Regeneration & Plantation areas) मे पशु नहीं चरावेगा। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र एवं चारागाह जहां ;ेजंदकंतक ल्वपदह पदबपकमदबमद्ध लागू है, मे भेड़ बकरी चराना वर्जित होगा। वन मंडलाधिकारी द्वारा निःशुल्क चराई और बिना प्रतिबन्ध चराई हेतु संरक्षित वन के पहाड़ व चट्टानी क्षेत्र, जो विशेष रूप से अलग किएगऐ हो, केवल उसमें (भेड़, बकरी) चरा सकते हैं बरसात में किसी भी एक स्थान पर, भेड़ बकरी को चराने के लिए एक सप्ताह से अधिक ठहरने (Concentrate) नहीं दिया जावेगा।

(2) वन मंडलाधिकारी चराई अनुज्ञप्ति प्रदाय, चराई शुल्क वसूली, पशुओं की चेकिंग को उसी प्रकार नियंत्रित करेगा जैसी आरक्षित वनों के सम्बन्ध में होगी।

(3) दूर स्थानों के चराई सुविधा प्राप्त पशुओं के लिए वन मण्डलाधिकारी, वन क्षेत्र में पशु शिविर निश्चित करेगा।

(4) संरक्षित वनों में चराई के लिए, राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जो शुल्क निर्धारित किया जाएगा, वही होगा।

9. (1) संरक्षित वन से प्रवाहित होने वाली किसी नदी में मछली मारने के अधिकार का ठेका नहीं दिया जावेगा। परन्तु वन संरक्षक, नदी के सुविदित (Well defined) भाग में, वहां के मूल निवासी (Bonafide) मछली मारने वालों को (Fisher man) अनुज्ञप्ति देकर मछली मारने के अधिकार को नियंत्रित कर सकता है। परन्तु नदी में उपर्युक्त मत्स्य प्रजनन का स्थान उपलब्ध कराने के बाद, तथा आस–पास के निवासियों की मछली की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(2) ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

10. ग्राम पंचायत, विकास मण्डल या ग्रामीणों के परामर्श से वार्षिक किराया निश्चित करके, वन मण्डलाधिकारी, नदी की या तालाब की भूमि की काश्तकारी के लिए, उन व्यक्तियों को जो प्रायः उक्त भूमि पर काश्त करते रहे हो काश्तकारी के लिए बटन कर सकेगा।

11. अधिनियम की धारा 26–(1) और 76–(घ) के अन्तर्गत बनाऐ गऐ नियम जो जिस प्रकार महा–कौशल क्षेत्र में प्रभावशील है, वे उसी प्रकार यथावश्यक परिवर्तन सहित संरक्षित वनों में प्रवृत्त होगे जैसे आरक्षित वनों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

12. आरक्षित वनों (Reserved Forest) में "वनों ग्रामों" (Forest Village) की स्थापना के लिए जो प्रक्रिया दी है, उसी के अनुसार संरक्षित वनों में भी "वन ग्राम" स्थापित किए जा सकते है।

13. वृक्ष और इमारती लकड़ी की कटाई, चिराई, परिवर्तन (Conversion) एवं हटाना तथा वन उपज का संग्रहण, निर्माण और परिवर्तन, घास, काटना, पशु चराना यथाशक्य राज्य शासन द्वारा स्वीकृत कार्यकरण योजना (Working Plan) या कार्य आयोजना (Working Scheme) के प्रावधान अनुसार जो इन नियमों से असंगत न हो, नियंत्रित होगा।

❑❑❑

राजपत्र प्रकाशन दिनांक 18 फरवरी 2005

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2005

क्र. एफ. 25–1–दस–3–04– भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 तथा धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 8476–8414–दस–60, दिनांक 11 अगस्त 19 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ –**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 2005 है.

   (2) ये नियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य को लागू होंगे.

   (3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे,

2. **परिभाषाएं**– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (क) "संरक्षित वन" से अभिप्रेत है ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), की धारा 29 के अधीन इस प्रकार घोषित किया गए हो या भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रवृत्त होने से पूर्व किन्ही अन्य आदेशों, नियमों या अधिनियमों के अधीन घोषित किया गए कोई अन्य संरक्षित वन,

   (ख) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इसमें प्रयोग किया गए है किन्तु जिन्हें इन नियमों से परिभाषित नहीं किया गए है वही अर्थ होगा जो उन्हें मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में दिया गया है.

3. **आरक्षित वृक्ष** – राज्य सरकार संरक्षित वनों में खड़े समस्त वृक्षों को आरक्षित वृक्ष के रूप में घोषित करती है तथा केवल अनुमोदित कार्य आयोजना के उपबंधों के अनुसार ही इन वनों से वृक्षों को काटा या हटाया जा सकेगा.

4. राज्य के ऐसे क्षेत्रों के सिवाय, जो कार्य योजना के अनुसार या क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी द्वारा तैयार की गई चराई स्कीम के अनुसार चराई के लिए खुले घोषित किएगऐ है, समस्त संरक्षित वन चराई के लिए निषिद्ध घोषित किए जाते हैं.

5. जब तक राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी जाए, तब तक राज्य के समस्त संरक्षित वनों में निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध किएजाते हैं :–

   (क) पत्थर, चूना, रेत या अन्य खनिज का खनन तथा संग्रहण,

   (ख) कोयला बनाना,

   (ग) कृषि, गृह निर्माण, पशु चराने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए वन भूमि को साफ करना या तोड़ना, और

   (घ) अनुमोदित कार्य योजना के उपबंधों के उल्लंघन में वन उपज का संग्रहण.

6. राज्य के समस्त संरक्षित वनों का प्रबंधन केवल अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार होगा.

मध्य प्रदेश के राज्य पाल के नाम से तथा आदेशानुसार
रतन पुरवार, सचिव,

राजपत्र प्रकाशन दिनांक 18 फरवरी 2005

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्र. एफ–25–135–2004–दस–3–भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, जैव विविधता (वनस्पति और जंतु) के संरक्षण तथा सरकारी वन से उपज की पोषणीय कटाई के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** –

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005 है.

   (2) ये नियम "मध्य प्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 सं. का 16),

   (ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है इन नियमों में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो,

   (ग) "निषिद्ध क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो, जिसमें इन नियमों के नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है.

   (घ) "निषिद्ध मौसम" से अभिप्रेत है एक वर्ष में की कतिपय कालावधि या कालावधियां जिसमें/जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 4 के अधीन राज्य के वनों से विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है,

   (ङ) "वन क्षेत्र" से अभिप्रेत है, किसी ऐसे आरक्षित या सरक्षित वन क्षेत्र का कोई संविभाग, खण्ड या कोई अन्य प्रशासनिक या प्रबंधन इकाई जो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया/की गई हो,

   (च) "कटाई/संग्रहण/निष्कर्षण" से अभिप्रेत है आरक्षित या संरक्षित वनों में या वहां से वन उपज को हटाने, उसका अभिचायन करने, कब्जा रखने या परिवहन का कार्य प्रक्रिया.

   (छ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य,

   (ज) "पोषणीय कटाई सीमा" से अभिप्रेत है वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जजनन के उद्गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वार्षिक या कालिक रूप से विनिर्दिष्ट वन से संग्रहित या निष्कर्षित की जाने वाली उक्त उपज की उच्चतम सीमा.

   (झ) "पोषणीय कटाई की पद्धति" से अभिप्रेत है ऐसी गैर विनाशक तकनीक तथा प्रौद्योगिकी जो किसी वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जनन के उद्गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वन से उक्त उपज को संग्रहित या निष्कर्षित करने के लिए उपयोग में लाई जा सके;

   (ण) ऐसे शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया है परन्तु परिभाषित नहीं किया या है, वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है.

3. **सरकारी वनों से वन उपज के पोषणीय संग्रहण या निष्कर्षण को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने की शक्ति** – राज्य सरकार सरकारी वनों से वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के संबंध में ऐसे कदम उठा सकेगी जो वह जैव विविधता के संरक्षण और वन उपज की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे.

4. **"निषिद्ध मौसम" घोषित करने की शक्ति** – राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी सरकारी वन से वनस्पति तथा जीव–जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के जीवनचक्र (लाईफ साईकिल) के आधार पर वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष की कतिपय कालावधि या कालावधियों को निषिद्ध मौसम घोषित कर सकेगी / सकेगा.

5. **निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति** – राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी सरकारी वन उपज की भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष की कतिपय वन क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि हेतु वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकेगी / सकेगा.

6. **पोषणीय कटाई सीमा, विहित करने की शक्ति** – राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में किसी विशिष्ट वर्ष में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए, किसी वन उपज की जो विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र से संग्रहित या निष्कर्षित की जा सकती है, मात्रा की सीमाएं विहित कर सकेगी / सकेगा.

7. **पोषणीय कटाई पद्धति विहित करने की शक्ति** – राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने हेतु किसी वन उपज के लिए पोषणीय कटाई पद्धति विहित कर सकेगी / सकेगा.

8. **कटाई के संबंध में हिताधिकारियों द्वारा रिपोर्ट** – कोई व्यक्ति, जो सरकार वनों से वन उपज संग्रहित या निष्कर्षित कर रहा है, उसके द्वारा उपास वन उपज के ब्यौरे उस प्राधिकारी को, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी रीति में और ऐसे अंतरालों पर, पैसा विहित किया जाए, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा.

9. **उद्घोषणा** – वन मण्डलाधिकारी वन की सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर के समस्त ग्रामों में, यथासाध्य, ढोंडी पिटवाकर या किसी अन्य युक्तियुक्त साधन द्वारा उपरोक्त नियम 4 से 8 के उपबंधों की उद्घोषणा करेगा.

10. **नियम भंग करने के लिए शास्ति** – जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह अधिनियम की धारा 77 के अधीन दण्डनीय होगा.

मध्य प्रदेश के राज्य पाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रतन पुरवार, सचिव.

❑❑❑

मध्य प्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210 भोपाल, गुरूवार, दिनांक 04 जून 2015—ज्येष्ठ 14, शक 1937

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

क्र. एफ–25–1–2004–दस–3. – भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–25–1–दस–3–04 दिनांक 2 फरवरी 2005 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ. –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 है.

(2) ये नियम संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य को लागू होंगे.

(3) ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं. –

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16);

(ख) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए "वास्तविक आजीविका आवश्यकता", "सामुदायिक अधिकार" और "गौण वन उत्पाद" का वही अर्थ होगा जो कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में उनके लिए दिया गया है;

(ग) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए जिला योजना समिति का वही अर्थ होगा जो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में उसे दिया गया है;

(घ) "रहवासियों के कर्तव्य" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 15 में यथा उपबंधित रहवासियों के कर्तव्य;

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सरकार.

(च) "ग्राम सभा" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में दिया गया है;

(छ) "ग्राम वन समिति" से अभिप्रेत है अधिसूचना क्रमांक एफ/16–4/91/दस–2 दिनांक 22 अक्टूम्बर, 2001 में प्रकाशित शासकीय संकल्प अनुसार ग्रामसभा द्वारा गठित समिति;

(ज) "निस्तार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है –

(एक) अनारक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी;

(दो) सूखी पड़ी हुई लकड़ी जो इमारती लकड़ी के लिए उपयुक्त न हो;

(तीन) सूखे बांस और जहां विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित हो, हरे बांस;

(चार) घास (रूसा, खस या सबई घास से भिन्न)

(पांच) कांटे (खैर और करधई के कांटों को छोड़कर)

(छह) पत्तियां (तेंदू पत्ता के अतिरिक्त)

(सात) अनारक्षित वृक्ष की छाल (बक्कल); और

(आठ) नियम 13 के अधीन अनुरीति कार्यों के लिए और उसी ग्राम में आवास के वास्तविक प्रयोजन हेतु गौण खनिज सतही बोल्डर्स, मुरूम, बालू, छुई और चिकनी मिट्टी ।

(झ) "व्यावसायिक निस्तार" से अभिप्रेत है लकड़ी के कोयले के विनिर्माण को छोड़कर जीविकोपार्जन के तरीके के रूप में व्यवसाय चलाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित निस्तार;

(ञ) "पैदावार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं समस्त खाने योग्य जड़े, फल एवं फूल, कुल्लू वृक्ष के गोंद को छोड़कर प्राकृतिक रूप से निकला गोंद, शहद तथा मोम;

(ट) "संरक्षित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) में उसके लिए दिया गया है ;

(ठ) "ग्राम का निवासी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो कि साधारणतया उसी ग्राम में निवास करता हो;

(ड) "शहरी क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिए दिया गया है।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो कि मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में उनके लिए दिए गए हैं।

3. **संरक्षित वन को संबद्ध करना.** –

कलक्टर, वन मण्डलाधिकारी से परामर्श तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार किसी भी संरक्षित वन या उसके भाग को, जो कि शहरी क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता हो, इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम से संबद्ध कर सकता है या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसे निरस्त कर सकता है।

4. **ग्राम वन समिति का गठन** –

संबंधित ग्राम की ग्राम सभा उस ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन के प्रबंधन के प्रयोजन के लिए, जिसमें संरक्षित वन की सुरक्षा तथा विकास सम्मिलित है, एक ग्राम वन समिति का गठन करेगी।

5. **निस्तार अधिकार.** –

(1) इन नियमों के उपबंधों एवं सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, ग्रामों के निवासियों को सम्बद्ध किए गए संरक्षित वन से उनकी निस्तार तथा पैदावार आवश्यकताऐं निःशुल्क या संरक्षित वन समिति को रकम भुगतान करने पर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण – अभिव्यक्ति "निस्तार आवश्यकताएं" या "पैदावार आवश्यकताएं" से अभिप्रेत हैं वास्तविक व घरेलू उपभोग तथा आजीविका आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित निस्तार तथा पैदावार.

(2) 'जिला योजना समिति' वन मण्डलाधिकारी से परामर्श करके समय–समय पर, संबद्ध संरक्षित वन से काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी जिसमें व्यावसायिक निस्तार सम्मिलित है, को हटाने के लिए ग्राम वन समिति को देय फीस की दरें नियत करेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञात निस्तार एवं पैदावार आवश्यकताओं की मात्रा प्रत्येक परिवार की वास्तविक आजीविका आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अध्यधीन होगी। जहां उपलब्ध निस्तार सामग्री कुल आवश्यकता से कम होगी, वहां निस्तार सामग्री को, ग्राम वन समिति द्वारा समान रूप से वितरित किया जाएगा।

(4) (क) वन मण्डलाधिकारी अथवा उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अन्य वन अधिकारी, जो वन क्षेत्रपाल से अनिम्न

श्रेणी का हो, समय–समय पर, ग्राम वन समिति के परामर्श से प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र निर्धारित करेगे जिसमें से निस्तार प्राप्त किया जाएगा और ग्रामीण केवल उसी क्षेत्र से अपना निस्तार प्राप्त करेंगे।

(ख) वन मण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर का अन्य वन अधिकारी, समय–समय पर व्यवसायिक निस्तार करने के लिए समुचित क्षेत्र, विनिर्दिष्ट एवं सुरक्षित करेंगे एवं उपनियम (1) के अधीन "निस्तार" तथा "पैदावार" की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् दोहन की उपलब्धता तक सीमित रहते हुए उक्त क्षेत्र से प्राप्ति योग्य अतिरिक्त मात्रा संसूचित करेगा।

6. **बंद अवधि –**

(1) इन नियमों के अधीन ग्राम से संबद्ध किए गए संरक्षित वनों में प्रत्येक वर्ष एक जुलाई से शुरू होकर पन्द्रह अक्टूम्बर को समाप्त होने वाली अवधि में वृक्षों का गिराया जाना एवं काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना प्रतिबंधित रहेगा, जो बंद अवधि कहलाएगी।

(2) ग्राम वन समिति संबंधित वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उनसे संबद्ध संरक्षित वन के लिए एक वर्ष की किसी अवधि या कुछ अवधियों को बंद समय घोषित कर सकेगी अथवा कुछ वन क्षेत्र को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय वनोपज के संग्रहण हेतु बंद घोषित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज की मात्राओं की दोहन सीमा अधिरोपित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज के संग्रहण अथवा दोहन हेतु टिकाऊ हार्वेस्टिंग प्रणाली निर्धारित कर सकेगी।

(3) संबद्ध संरक्षित वनों में स्थित जलीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट रद्द रहेगा।

7. **काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना, –**

(1) ग्राम वन समिति, वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उससे संबद्ध ग्राम वनों में वृक्षों का गिराना तथा काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाना विनियमित करेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष खुली कालावधि शुरू होने के पूर्व वन क्षेत्रपाल, ग्राम वन समिति को उससे संबद्ध ग्राम वन क्षेत्र में पातन एवं हटाने हेतु उपलब्ध काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी की प्राक्कलित मात्रा संसूचित करेंगे।

(3) ग्राम वन समिति उन दिवसों, जब वह वृक्षों के पातन का आशय रखती है, का विनिश्चय करेगी एवं उसे वन क्षेत्रपाल को संसूचित करेगी।

(4) ग्राम वनों में वृक्षों का पातन, वन क्षेत्रपाल द्वारा प्रतिनियुक्ति वन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा।

(5) ग्राम वन क्षेत्र से काष्ठ की निकासी, उस पर वन क्षेत्रपाल द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा हैमर मार्क लगा दिए जाने के उपरांत ही की जाएगी।

8. **वनोपज का बंटवारा, –**

(1) निस्तार, जिसमें आजीविका निस्तार भी सम्मिलित है, के पश्चात् अधिशेष काष्ठ और जलाऊ लकड़ी ग्राम वन समिति द्वारा निर्वर्तित जा सकेगी।

(2) काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के निवर्तन से प्राप्त आगम सर्वप्रथम वन संरक्षण एवं विकास हेतु प्रयुक्त किए जाएंगे। अतिशेष, यदि कोई हो, ग्राम वन समिति द्वारा ग्रामवासियों के कल्याण हेतु उपयोग किए जा सकेंगे।

(3) नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम वन समिति, सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय जो कि सरकार द्वारा धारित, प्रबंधित एवं नियंत्रित हो अथवा ऐसी निर्माण गतिविधि में संलग्न हो, जिसके लिए वनोपज एक कच्चा माल हो, के साथ उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय द्वारा संरक्षित वन के विकास हेतु किएगऐ निवेश के प्रतिफल को ध्यान में रखकर उससे संबद्ध संरक्षित वन से प्राप्त वनोपज के बंटवारे हेतु अनुबंध कर सकेगी।

9. **वृक्षों के पातन एवं काष्ठ का हटाया जाना, –**

(1) ग्राम से संबद्ध संरक्षित वनों में वृक्षों का पातन तथा काष्ठ का हटाया जाना, नियम 12 में विहित की गई प्रबंध योजना के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होग, जब तक कि वन क्षेत्रपाल द्वारा लिखित में अनुज्ञात न किया गया हो,

अर्थात, –

(एक) किसी वृक्ष के चारों ओर काट कर घेरा (गर्डल) नहीं डाला जाएगा या काफी ऊपर से काट कर मुण्डा (पोलार्ड) नहीं किया जाएगा या उसकी डालियाँ नहीं काटी जायेंगी।

(दो) गोंद या राल के संग्रहण के उद्देश्य से किसी वृक्ष में घाव नहीं किए जाएंगे।

(तीन) किसी वृक्ष को उखाड़ा, जलाया या किसी अन्य प्रकार से नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा।

(चार) कोई भी वृक्ष, जो छाती ऊँचाई पर 21 से.मी. गोलाई से कम हो, नहीं काटे जायेंगे।

(2) बांस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन काटे जाएंगे, जब तक कि वन विभाग स्थानीय परिस्थितियों के अध्यधीन नियम विहित नहीं करता, –

(एक) बांसों का काटने का चक्र कम से कम दो वर्ष का होगा। वार्षिक कूप समुचित भागों में बांटे जाएंगे तथा गिराया जाना भागों के अनुसार किया जाएगा। उदाहरणार्थ – अगले भाग में कटाई पूर्व भाग में इन नियमों के अनुसार कार्य होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

(दो) कोई भी अपरिपक्व कल्म जैसे कि करला, चालू ऋतु का कल्म तथा महिला अथवा पिछले मौसम का कल्म नहीं काटा जाएगा।

(तीन) बांस के राइजोम खोदे नही जायेंगे।

(चार) किसी भी बांस के भिरे (क्लम्प), जिसमें करला व महिला को सम्मिलित करते हुए दस से कम जीवित कल्म हों, पर कार्य नहीं किया जाएगा।

(पांच) दस अथवा अधिक जीवित कल्म वाले भिरा में, परिपक्व कल्म (20 से.मी. ऊँचाई से कम पर टूटे हुए को छोड़कर), जो कि कटाई के पश्यात्, छूट गऐ हों, समान रूप से दूरी पर किएजायेंगे तथा इनकी संख्या करलों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। बशर्ते न्यूनतम 10 जीवित कल्म हों।

उदाहरण – मान लीजिये, एक भिरा में 12 कल्म हैं, जिसमें 3 करला हैं, तब सभी करला, जैसे कि 3 में उक्त संख्या का दोगुना जोड़ें यानि 6, कुल 9 कल्म साधारणतः भिरे में छूट जाने चाहिए लेकिन जैसे कि यह कुल संख्या 10 से कम है तो एक और कल्म को रखा जाना चाहिए। इस प्रकार 3 करला एवं 10.3ऋ7 दूसरे कल्म, महिला को छोड़कर, भिरा में छोड़े जाएंगे।

(छह) भूमि स्तर से ऊँचाई, जिस पर कल्म काटे जायेंगे, 15 से.मी. से कम अथवा 45 से.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में प्रथम दो जोड़ों के बीच के भाग से नीचे नहीं होगी।

(सात) कटान, एक तेज धार वाले उपकरण से ही किया जाएगा, जिससे ठूंठ फट न सके।

(आठ) समस्त कटाई अवशेष भिरा की परिधि से कम से कम 30 से.मी. की दूरी तक हटाए जाएंगे।

(नौ) किसी भी स्थिति में करला व महिला बांस बंडलों को बांधे जाने हेतु रस्सी के रूप में उपयोग नहीं किएजायेंगे।

10. **वनोपज का परिवहन –**

(1) इन नियमों के अधीन संबद्ध संरक्षित वन से निकाली गई समस्त काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी पहले ग्राम वन समिति द्वारा पहले ग्राम में निर्धारित स्थान पर ले जाई जायेगी और यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थान को परिवहन की जाएगी।

(2) ग्राम से काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का परिवहन मध्य प्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा।

11. **चराई अधिकार –**

(1) संबंधित ग्राम के निवासियों को संरक्षित वन क्षेत्र में, जो कि ग्राम से संबद्ध है, मध्य प्रदेश चराई नियम, 1986 के अनुसार पशुओं को चराई की अनुमति होगी :

परंतु कोई भी व्यक्ति, घांस–बीड़, जलाऊ सह चारा क्षेत्र, पुनरूत्पादन व वृक्षारोपण क्षेत्रों के अंतर्गत वन मण्डलाधिकारी

की पूर्व अनुज्ञा के बिना पशु नहीं चराएगा। संबद्ध संरक्षित वन में भेड़, बकरी एवं ऊँट की चराई की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) ग्राम वन समिति उससे संबद्ध संरक्षित वनों में, समय–समय पर, वन क्षेत्रपाल से परामर्श कर, ऐसी फीस प्रभारित करके जैसी कि वह नियत करे, दूसरे ग्रामों के पशुओं को चराई की अनुमति दे सकेगी।

12. **प्रबंध योजना** –

(1) संरक्षित वन के प्रबंधन, जिसमें वृक्षों की कटाई, इमारती लकड़ी का हटाया जाना और चराई सम्मिलित है, इन नियमों के अनुरूप तैयार किए गए संरक्षित वन की प्रबंधन योजना के उपबंधों के अनुसार वन क्षेत्रपाल द्वारा ग्राम सभा से परामर्श करके विनियमित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार तैयार की गई प्रबंध योजना संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे ऐसे संशोधन करने के पश्चात, जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित करेगा।

13. **भूमि की सफाई एवं तोड़ना** –

ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन में ग्रामवासियों को नीचे उल्लिखित सुविधाओं और लाभों के सिवाय कृषि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि साफ करना या तोड़ना प्रतिषिद्ध है, –

(एक) स्कूल

(दो) डिस्पेंसरी, अस्पताल

(तीन) आंगनबाड़ी

(चार) पेयजल सप्लाई एवं पानी की पाईप लाईन

(पांच) ग्राम तालाब का निर्माण

(छह) जल एवं वर्षा जल हेतु जल संचयन संरचना

(सात) सूक्ष्म सिंचाई नहर एवं जल वितरण चैनल

(आठ) मार्ग का निर्माण एवं रख रखाव

(नौ) फोटोवालटिक ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना

14. **किसी ग्राम से असंबद्ध संरक्षित वन** –

(1) संरक्षित वन, जो कि नियम 3 के अनुसार किसी ग्राम से संबद्ध नहीं है, का प्रबंधन, वन मण्डलाधिकारी द्वारा, शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) असंबद्ध संरक्षित वनों में निम्नलिखित कार्य, वन क्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी के वन अधिकारी, की लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित होंगे :–

(क) वृक्षों एवं काष्ठ की कटाई, चिराई, रूपांतरण एवं हटाया जाना तथा वन उत्पादों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं हटाया जाना,

(ख) ऐसे वन क्षेत्र में कृषि अथवा अन्य प्रयोजन हेतु भूमि की सफाई एवं समतलीकरण।

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अतिरिक्त, शहरी क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक संरक्षित वन में घास कटाई अथवा मवेशियों के चराई भी प्रतिबंधित रहेगी।

15. **रहवासियों के कर्तव्य** –

ग्राम के रहवारी का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में ऐसे अपराध को रोके जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है और ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन में कारित किया जा रहा है।

(ख) ऐसे व्यक्ति जिसने संरक्षित वन क्षेत्र में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई अपराध कारित किया है, को पकड़वाने में तथा विधिक कार्रवाई शुरू किए जाने में सहायता करें।

(ग) संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में अपराध घटित होने के बारे में वन अधिकारी को सूचित करें तथा वन अधिकारी द्वारा कार्यवाही आरंभ किए जाने तक वनोपज की सुरक्षा करे।

(घ) संबद्ध संरक्षित वन क्षेत्र में आग लगने का ज्ञान होने या उसकी जानकारी होने पर आग बुझाने में मदद करें तथा आग को आगे बढ़ने से रोके।

(ङ) इस अधिनियम या इन नियमों के विरूद्ध कारित किसी अपराध या ऐसे किसी अपराध के विचारण में किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सहायता करे।

□□□

मध्य प्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211 भोपाल, गुरूवार, दिनांक 04 जून 2015 – ज्येष्ठ 14, शक 1937

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

क्र. एफ–25–12–2015–दस–3. – भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 28 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.** –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश ग्राम वन नियम 2015 है.

(2) ये नियम संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में लागू होंगे.

(3) ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.** –

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16);

(ख) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए "वास्तविक आजीविका आवश्यकता", "सामुदायिक अधिकार" और "गौण वन उत्पाद" का वही अर्थ होगा जो कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में उनके लिए दिया गया है;

(ग) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए जिला योजना समिति का वही अर्थ होगा जो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में उसे दिया गया है;

(घ) "रहवासियों के कर्त्तव्य" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 14 में यथा उपबंधित रहवासियों के कर्तव्य;

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सरकार.

(च) "ग्राम सभा" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्य प्रदेश 'पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में दिया गया है;

(छ) "ग्राम वन समिति" से अभिप्रेत है अधिसूचना क्रमांक एफ / 16–4 / 91 / दस–2 दिनांक 22 अक्टूम्बर, 2001 में प्रकाशित शासकीय संकल्प अनुसार ग्रामसभा द्वारा गठित समिति;

(ज) "निस्तार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं –

(एक) अनारक्षित वृक्षों की इमारती लकड़ी;

(दो) सूखी पड़ी हुई लकड़ी जो इमारती लकड़ी के लिए उपयुक्त न हो;

(तीन) सूखे बांस और जहां विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित हो, हरे बांस,

(चार) घास (रूसा, खस या सबई घास से भिन्न)

(पांच) कांटे (खैर और करधई के कांटों को छोड़कर)

(छह) पत्तियां (तेंदू पत्ता को अतिरिक्त)

(सात) अनारक्षित वृक्ष की छाल (बक्कल); और

(आठ) नियम 13 के अधीन अनुरीति कार्यों के लिए और उसी ग्राम में आवास के वास्तविक प्रयोजन हेतु गौण खनिज सतही बोल्डर्स, गुरूम, बालू, छुई और चिकनी मिट्टी ।

(झ) "व्यावसायिक निस्तार" से अभिप्रेत है लकड़ी के कोयले के विनिर्माण को छोड़कर जीविकोपार्जन के तरीके के रूप में व्यवसाय चलाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित निस्तार;

(ञ) "पैदावार" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं समस्त खाने योग्य जड़े, फल एवं फूल, कुल्लू वृक्ष के गोंद को छोड़कर प्राकृतिक रूप से निकला गोंद, शहद तथा मोम;

(ट) "संरक्षित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) में उसके लिए दिया गया है ;

(ठ) "ग्राम का निवासी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो कि साधारणतया उसी ग्राम में निवास करता हो;

(ड) "शहरी क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिए दिया गया है।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो कि मध्य प्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में उनके लिए दिए गए हैं।

3. **ग्राम वन का प्रबंधन, –**

ग्राम की वह ग्राम सभा, जहां ग्राम समुदाय, जिसे सरकार के अधिकार दिए गए हैं, निवास करता है, उस वन के प्रबंधन, जिसमें संरक्षण तथा विकास सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगी।

4. **ग्राम वन समिति का गठन, –**

ग्राम की ग्रामसभा द्वारा गठित ग्राम वन समिति उस ग्राम वन के प्रबंधन जिसमें उसका संरक्षण तथा विकास सम्मिलित है, के लिए ग्राम सभा की ओर से उत्तरदायी होगी।

5. **निस्तार अधिकार, –**

(1) इन नियमों के उपबंधों एवं सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, ग्रामों के निवासियों को सम्बद्ध किए गए संरक्षित वन से उनकी निस्तार तथा पैदावार आवश्यकताऐं निःशुल्क या संरक्षित वन समिति को रकम भुगतान करने पर प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण – अभिव्यक्ति "निस्तार आवश्यकताएं' या "पैदावार आवश्यकताएं' से अभिप्रेत हैं वास्तविक व घरेलू उपभोग तथा आजीविका आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित निस्तार तथा पैदावार;

(2) 'जिला योजना समिति' वन मण्डलाधिकारी से परामर्श करके समय–समय पर, संबद्ध ग्राम वन से काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी जिसमें व्यावसायिक निस्तार सम्मिलित है, को हटाने के लिए ग्राम वन समिति को देय फीस की दरें नियत करेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञात निस्तार एवं पैदावार आवश्यकताओं की मात्रा प्रत्येक परिवार की वास्तविक आजीविका आवश्यकता एवं निस्तार सामग्री की उपलब्धता के अध्यधीन होगी। जहां उपलब्ध निस्तार सामग्री कुल आवश्यकता से कम होगी, वहां निस्तार सामग्री को, ग्राम वन समिति द्वारा समान रूप से वितरित किया जाएगा।

(4) (क) वन मण्डलाधिकारी अथवा उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अन्य वन अधिकारी, जो वन क्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी का हो, समय–समय पर, ग्राम वन समिति के परामर्श से प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र निर्धारित करेंगे जिसमें से

निस्तार प्राप्त किया जाएगा और ग्रामीण केवल उसी क्षेत्र से अपना निस्तार प्राप्त करेंगे।

(ख) वन मण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर का अन्य वन अधिकारी, समय–समय पर व्यवसायिक निस्तार करने के लिए समुचित क्षेत्र, विनिर्दिष्ट एवं सुरक्षित करेंगे एवं उपनियम (1) के अधीन "निस्तार" तथा "पैदावार" की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् दोहन की उपलब्धता तक सीमित रहते हुए उक्त क्षेत्र से प्राप्ति योग्य अतिरिक्त मात्रा संसूचित करेगा।

6. बंद अवधि –

(1) इन नियमों के अधीन ग्राम वनों में प्रत्येक वर्ष एक जुलाई से शुरू होकर उसी वर्ष पन्द्रह अक्टूम्बर को समाप्त होने वाली अवधि में वृक्षों का गिराया जाना तथा काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना प्रतिबंधित रहेगा, जो बंद अवधि कहलाएगी।

(2) ग्राम वन समिति संबंधित वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उसे निर्दिष्ट ग्राम वन के लिए एक वर्ष की किसी अवधि या कुछ अवधियों को बंद समय घोषित कर सकेगी अथवा कुछ वन क्षेत्र को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय वनोपज के संग्रहण हेतु बंद घोषित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज की मात्राओं की दोहन सीमा अधिरोपित कर सकेगी अथवा किसी लघु वनोपज के संग्रहण अथवा दोहन हेतु टिकाऊ हार्वेस्टिंग प्रणाली निर्धारित कर सकेगी।

(3) ग्राम वनों में स्थित जलीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट रद्द रहेगा।

7. काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना –

(1) ग्राम वन समिति, वन क्षेत्रपाल के परामर्श से उससे संबद्ध ग्राम वनों में वृक्षों का पातन तथा काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाना विनियमित करेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष खुली कालावधि शुरू होने के पूर्व वन क्षेत्रपाल, ग्राम वन समिति को उससे निर्दिष्ट ग्राम वन में पातन एवं हटाने हेतु उपलब्ध काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी की प्राक्कलित मात्रा संसूचित करेंगे।

(3) ग्राम वन समिति उन दिवसों, जब वह वृक्षों के पातन का आशय रखती है, का विनिश्चय करेगी एवं उसे वन क्षेत्रपाल को संसूचित करेगी।

(4) ग्राम वनों में वृक्षों का पातन, वन क्षेत्रपाल द्वारा प्रतिनियुक्ति वन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा।

(5) ग्राम वन क्षेत्र से काष्ठ की निकासी, उस पर वन क्षेत्रपाल द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा हेमर मार्क लगा दिए जाने के उपरांत ही की जाएगी।

8. वनोपज का बंटवारा –

(1) निस्तार, जिसमें आजीविका निस्तार भी सम्मिलित है, के पश्चात् अधिशेष काष्ठ और जलाऊ लकड़ी ग्राम वन समिति द्वारा निर्वर्तित जा सकेगी।

(2) काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के निवर्तन से प्राप्त आगम सर्वप्रथम वन संरक्षण एवं विकास हेतु प्रयुक्त किए जाएंगे। अतिशेष, यदि कोई हो, ग्राम वन समिति द्वारा ग्रामवासियों के कल्याण हेतु उपयोग किए जा सकेंगे।

(3) नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम वन समिति, सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय जो कि सरकार द्वारा धारित, प्रबंधित एवं नियंत्रित हो अथवा ऐसी निर्माण गतिविधि में संलग्न हो, जिसके लिए वनोपज एक कच्चा माल हो, के साथ उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय द्वारा संरक्षित वन के विकास हेतु किएगऐ निवेश के प्रतिफल को ध्यान में रखकर उससे संबद्ध संरक्षित वन से प्राप्त वनोपज के बंटवारे हेतु अनुबंध कर सकेगी।

9. वृक्षों का पातन एवं काष्ठ का हटाया जाना –

(1) ग्राम से निर्दिष्ट ग्राम वनों में वृक्षों का पातन तथा काष्ठ का हटाया जाना, नियम 12 में विहित की गई प्रबंध योजना के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होग, जब तक कि वन क्षेत्रपाल द्वारा लिखित में अनुज्ञात न किया गए हो, अर्थात —

(एक) किसी वृक्ष के चारों ओर काट कर घेरा (गर्डल) नहीं डाला जाएगा या काफी ऊपर से काट कर मुण्डा (पोलार्ड) नहीं किया जाएगा या उसकी डालियाँ नहीं काटी जायेंगी।

(दो) गोंद या राल के संग्रहण के उद्देश्य से किसी वृक्ष में घाव नही किए जाएंगे।

(तीन) किसी वृक्ष को उखाड़ा, जलाया या किसी अन्य प्रकार से नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा।

(चार) कोई भी वृक्ष, जो छाती ऊँचाई पर 21 से.मी. गोलाई से कम हो, नहीं काटे जायेंगे।

(2) बांस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन काटे जाएंगे, जब तक कि वन विभाग स्थानीय परिस्थितियों के अध्यधीन नियम विहित नहीं करता, –

(एक) बांसों का काटने का चक्र कम से कम दो वर्ष का होगा। वार्षिक कूप समुचित भागों में बांटे जाएंगे तथा गिराया जाना भागों के अनुसार किया जाएगा। उदाहरणार्थ – अगले भाग में कटाई पूर्व भाग में इन नियमों के अनुसार कार्य होने के बाद ही शुरू की जाएगी।

(दो) कोई भी अपरिपक्व कल्म जैसे कि करला, चालू ऋतु का कल्म तथा महिला अथवा पिछले मौसम का कल्म नहीं काटा जाएगा।

(तीन) बांस के राइजोम खोदे नही जायेंगे।

(चार) किसी भी बांस के भिरे (क्लम्प), जिसमें करला व महिला को सम्मिलित करते हुए दस से कम जीवित कल्म हों, पर कार्य नहीं किया जाएगा।

(पांच) दस अथवा अधिक जीवित कल्म वाले भिरा में, परिपक्व कल्म (20 से.मी. ऊँचाई से कम पर टूटे हुए को छोड़कर), जो कि कटाई के पश्चात् छूट गऐ हों, समान रूप से दूरी पर किएजायेंगे तथा इनकी संख्या करलों से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। बशर्ते न्यूनतम 10 जीवित कल्म हों।

उदाहरण – मान लीजिये, एक भिरा में 12 कल्म हैं, जिसमें 3 करला हैं, तब सभी करला, जैसे कि 3 में उक्त संख्या का दोगुना जोड़ें यानि 6, कुल 9 कल्म साधारणतः भिरे में छूट जाने चाहिए लेकिन जैसे कि यह कुल संख्या 10 से कम है तो एक और कल्म को रखा जाना चाहिए। इस प्रकार 3 करला एवं 10.3ञ7 दूसरे कल्म, महिला को छोड़कर, भिरा में छोड़े जाएंगे।

(छह) भूमि स्तर से ऊँचाई, जिस पर कल्म काटे जायेंगे, 15 से.मी. से कम अथवा 45 से.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में प्रथम दो जोड़ों के बीच के भाग से नीचे नहीं होगी।

(सात) कटान, एक तेज धार वाले उपकरण से ही किया जाएगा, जिससे ठूंठ फट न सके।

(आठ) समस्त कटाई अवशेष भिरा की परिधि से कम से कम 30 से.मी. की दूरी तक हटाए जाएंगे।

(नौ) किसी भी स्थिति में करला व महिला बांस बंडलों को बांधे जाने हेतु रस्सी के रूप में उपयोग नहीं किएजायेंगे।

10. **वनोपज का परिवहन** –

(1) इन नियमों के अधीन संबद्ध संरक्षित वन से निकाली गई समस्त काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी पहले ग्राम वन समिति द्वारा पहले ग्राम में निर्धारित स्थान पर ले जाई जायेगी और यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थान को परिवहन की जाएगी।

(2) ग्राम से काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का परिवहन मध्य प्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा।

11. **चराई अधिकार** –

(1) संबंधित ग्राम के निवासियों को संरक्षित वन क्षेत्र में, जो कि ग्राम से संबद्ध है, मध्य प्रदेश चराई नियम, 1986 के अनुसार पशुओं को चराई की अनुमति होगी :

परंतु कोई भी व्यक्ति, घांस–बीड़, जलाऊ सह चारा क्षेत्र, पुनरूत्पादन व वृक्षारोपण क्षेत्रों के अंतर्गत वन मण्डलाधिकारी

की पूर्व अनुज्ञा के बिना पशु नहीं चराएगा। संबद्ध संरक्षित वन में भेड़, बकरी एवं ऊँट की चराई की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) ग्राम वन समिति उससे निर्दिष्ट ग्राम वनों में, समय–समय पर, वन क्षेत्रपाल से परामर्श करके, ऐसी फीस प्रभारित कर जैसी कि वह नियत करे, दूसरे ग्रामों के पशुओं को चराई की अनुमति दे सकेगी।

12. प्रबंध योजना –

(1) किसी ग्राम वन का प्रबंधन, जिसमें वृक्षों की कटाई, इमारती लकड़ी को हटाया जाना और चराई सम्मिलित है, इन नियमों के अनुरूप तैयार किए गए ग्राम वन की प्रबंधन योजना के उपबंधों के अनुसार वन क्षेत्रपाल द्वारा ग्रामसभा से परामर्श करके विनियमित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार तैयार की गई प्रबंध योजना संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे ऐसे संशोधन करने के पश्चात, जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर देगा।

13. भूमि की सफाई एवं तोड़ना, –

ग्राम के रहवासियों के फायदे के लिए निम्नलिखित सुविधाओं के लिए ग्राम वन की भूमि को साफ करना और तोड़ना अनुज्ञात होगा :–

(एक) स्कूल

(दो) डिस्पेंसरी, अस्पताल

(तीन) आंगनबाड़ी

(चार) पेयजल सप्लाई एवं पानी की पाईप लाईन

(पांच) ग्राम तालाब का निर्माण

(छह) जल एवं वर्षा जल हेतु जल संचयन संरचना

(सात) सूक्ष्म सिंचाई नहर एवं जल वितरण चैनल

(आठ) मार्ग का निर्माण एवं रख रखाव

(नौ) फोटोवालटिक ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना

14. रहवासियों के कर्तव्य, –

ग्राम के प्रत्येक रहवारी का यह कर्तव्य होगा कि वह,–

(क) ग्राम वन में ऐसे अपराध को रोके जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है और ग्राम से संबद्ध संरक्षित वन में कारित किया जा रहा है।

(ख) ऐसे व्यक्ति जिसने ग्राम वन में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई अपराध कारित किया है, को पकड़वाने में तथा विधिक कार्रवाई शुरू किए जाने में सहायता करें।

(ग) ग्राम वन में अपराध घटित होने के बारे में वन अधिकारी को सूचित करें तथा वन अधिकारी द्वारा कार्यवाही आरंभ किए जाने तक वनोपज की सुरक्षा करे।

(घ) ग्राम वन में आग लगने का ज्ञान होने या उसकी जानकारी होने पर आग बुझाने में मदद करें तथा आग को आगे बढ़ने से रोके।

(ड) इस अधिनियम या इन नियमों के विरूद्ध कारित किसी अपराध या ऐसे किसी अपराध के विचारण में किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सहायता करे।

❑❑❑

निस्तार और चराई हक

निस्तार और चराई के हक की पत्रिका

मालगुजारी प्रथा के अंत होने के बाद निस्तार के विषय में कुछ असुविधा गांव में उत्पन्न हो गई। जब एक प्रणाली का अंत होकर दूसरी कायम होती है तब कुछ न कुछ समय तक कष्ट अवश्य होता है परन्तु अंत में इस प्रथा के विनाश का लाभ किसानों को अवश्य मिलेगा. पहला लाभ जो तत्काल मिला वह यह है कि अब कतई मौरूसी और मौरूसी किसानों को अपनी काश्तकारी बेचने के लिए किसी से न आज्ञा लेने की जरूरत है और न नजराना देने की. सरकार ने हकशफा और नजराना दोनों प्रथाओं को बंद कर दिया है.

गांव के जंगल में चराई के हक

जब तक दूसरे हुक्म न मिले तब तक चराई के जो हक गांवों के बंजर आदि में जैसे हैं वैसे ही कायम रखे गए हैं। यदि गांव के किसान दूसरे गांव में मुफ्त ढोर चराते थे और यदि यह प्रथा वाजिब–उल–अर्ज में दर्ज है, तो वह हक आज भी जैसा का तैसा कायम है यदि यह प्रथा वाजिब–उल–अर्ज में दर्ज नहीं है तो किसानों को चाहिए कि वे जिले के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास देकर यह प्रथा दर्ज कराने का प्रयत्न करें ।

भविष्य के लिए चराई के निस्तार किस प्रकार बनाए जाएं ताकि वर्तमान असुविधाएं या झगड़े हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसकी जांच करने के लिए और उपाय सुझाने के लिए एक अफसर नियुक्त किया गया है, जो थोड़े ही दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा ।

सरकारी जंगल में चराई की रियायत

कुछ दिन हुए सरकार ने गरीब किसान, किसानी मजदूर और किसानी कारीगरों को मदद पहुंचाने के लिए हुक्म निकाल दिया है कि ऊपर कहे जिन लोगों के पास चार यूनिट जानवरों से ज्यादा जानवर नहीं है उन्हें चराई का माफी पास दिया जाएगा और जिनके पास चार यूनिट से अधिक परन्तु आठ यूनिट से अधिक जानवर नहीं है तो उन्हें चार यूनिट की चराई का माफी पास मिलेगा और बाकि यूनिट जानवरों पर रियायती रेट लगेगा ।

दूसरा सुभीता जो किसानों के लाभार्थ किया गया है वह यह है कि जिन चराई के यूनिटों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि गांवों के सभी जानवर दाखिल हो सकें तो पहले किसानी मवेशियों के लिए जिनमें किसान किसानी मजदूर और किसानी कारीगरों के जानवर शामिल है चराई का पास दिया जाएगा, उसके बाद किसानों के गैर–काश्तकारी जानवरों के लिए पास दिया जाएगा और अगर आखिर में जगह बची तो तिजारती जानवरों को दाखिल किया जा सकेगा।

दूध देने वाले मवेशियों को उत्तेजना देने के लिए सरकार यह विचार कर रही है कि सरकारी जंगलों में उन्हें चराई के सुभीते क्या और किस तरह दिए जा सकते हैं.

नोट :–1) गाय, बैल या 3 वर्ष से कम उम्र का पाड़ा या पड़िया एक यूनिट लेखा जाएगा. 3 वर्ष से कम उम्र का बछड़ा या बछिया आधे यूनिट में और 3 वर्ष से ऊपर उम्र की भैंस या बोदा दो यूनिट लिखा जाएगा।

2) यह कायदा उन मालगुजारी जंगलों को भी लागू है जो अब सरकार के ताबे में जा चुके हैं शर्त यह है कि यदि सरकारी ताबे में आने के पहिले चराई की रियायतें ऊपर कहीं रियायतों से अधिक सुविधाजनक थीं, तो वे अब भी कायम रहेंगी ।

गांव के जंगलों में निस्तार के हुक्म

काश्तकार, काश्तकारी–मजदूर और कारीगर गांव के वाजिब –उल–अर्ज की शर्तों के अनुसार निस्तार के लिए तथा बख्खर आदि की मरम्मत अथवा उन्हें बनाने के लिए पटेल की इजाजत से लकड़ी, घास, बक्कल, कांटी इत्यादि, जिस तरह पहले पाते थे उसी तरह अब भी पाते रहेंगे. फलदार वृक्ष जैसे आम, इमली आदि के काटने का हुक्म नहीं है.

चरी के विषय में जो एक गांव के काश्तकारों के निस्तार दूसरे गांवों में लगाए गए है और जो वाजिब–उल–अर्ज में दर्ज है वही अभी लागू है जो भी इस विषय में अन्य असुविधाएं है उनके विषय में प्रदेशीय अफसर जो भी सुझाव देंगे, उन पर विचार किया जाएगा ।

यदि किसी गांव में निस्तारी तालाब आदि के विषय में किसी प्रकार का कष्ट महसूस होता है तो उस विषय में जिले के डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास की जाए ताकि उचित जांच करने के बाद उचित आज्ञा प्रदान की जा सके ।

घरों, खेतो और बंधानों आदि की मरम्मत के लिए काश्तकार मुर्रम, रेत, कंकड़, पत्थर और मिट्टी बे–रोक–टोक ऐसी सभी जगहों से बिना मसहूल ला सकते हैं जिन पर किसी ठेकेदार को कोई ठेका नहीं दिया गए या जो खदान पी.डब्ल्यू.डी. को नहीं दी गई है. सरकारी जंगलों से भी मिट्टी, पत्थर आदि मुफ्त पा सकते हैं।

कुम्हारों के ईंट, खपरे और मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के हुक्म

कुम्हार ऊपर लिखी चीजों को बनाने के लिए मिट्टी और रेत बिना महसूल के पा सकता है. परन्तु यदि कुम्हार वार्षिक 5000 रूपए की कीमत से अधिक की चीजें बनाने अथवा बेचनेवाला है, अर्थात् जिसे सेल्स टैक्स देना पड़ता है, उसे यह रियायत नहीं मिल सकती, जिन गांवों में मध्यप्रदेश माल कानून की दफा 218 (7) या दफा 44 (7) बरार माल कानून के अनुसार सरकारी इश्तहार जारी किएजा चुके है वहां के कुम्हारों को चाहिये कि वे जिले के डिप्टी कमिश्नर को तुरन्त दरख्वास कर दे ताकि वे बे–रोक–टोक मिट्टी, रेत पा सकें.

पत्थर का कोयला

जिला रायगढ़ के प्रदेश में सम्मिलित होने के पहले मट्टे जलाने के लिए सतह का कोयला खोदने के लिए 11 फरवरी 1952 से दो वर्ष तक पूर्वानुसार सुभीता दे दिया है. वन विभाग से प्रति 100 घन फुट 8 रूपए, और एक गाड़ी के लिए 1।। रूपया देकर परमिट प्राप्त करने के बाद सतह का कोयला खोदा जा सकता है।

दूसरे गांव में निस्तार के हक़

जहां एक गांव के रहने वाले दूसरे गांव से कांटे, लकड़ी या खड़िया आदि पुराने समय से मालगुजार से मुफ्त या खरीद लाया करते थे वहां अब भी वैसे ही पुराने रिवाज के अनुसार ला सकते हैं।

दूसरे गांव के वाजिब–उल–अर्ज में यदि रिवाज दर्ज हो तो पटेल को उसके अनुसार काम करना चाहिए। यदि ये वाजिब–उल–अर्ज में दर्ज न हो तो पटेल को रिवाज के मुताबिक काम करना चाहिए, परन्तु लोगों को इसे दर्ज कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देने के लिए कहना चाहिए।

फलों का हक

ये गांव के जंगल या आबादी के झाड़ों से महुआ, अचार, गुल्ली, या दीगर फल खाने के लिए मुफ्त ला सकते हैं।

सिंचाई के हक

वाजिब–उल–अर्ज या दस्तूर के मुताबिक काश्तकार तालाबों, कुंओं, नालों इत्यादि से सिंचाई कर सकते हैं।

पानी पीने, नहाने, धोने या जानवरों के लिए पानी के हक

गांव के रहने वाले दस्तूर के मुताबिक इन हकों का उपभोग कर सकते हैं यदि कोई तालाब वगैरह मालगुजार के कब्जे में छोड़ दिया गए हो तो उसमें निस्तार पुराने रिवाज के अनुसार कर सकते हैं।

सन सड़ाई के हक

काश्तकार नदी, नाले या तालाब वगैरह में मुकर्रर जगह पर दस्तूर के मुताबिक सन सड़ा सकते हैं।

दूसरे निस्तारी हक

काश्तकारों और काश्तकारी नौकरों तथा कारीगरों को आबादी में रहने के लिए नियम के अनुसार मुफ्त जगह दी जाएगी। गांव के रहनेवाले मरघट, कब्रिस्तान, गोठान, मुर्दा मवेशी दीरने की मुकर्रर जगह मुफ्त में काम में ला सकते हैं। काश्तकार खलिहान की मुकर्रर जगहे मुफ्त में काम में ला सकते हैं।

निस्तार के हकों के उपयोग में यदि किसी प्रकार की अड़चन हो तो उसके बारे में तहसीलदार के पास दरख्वास्त देना चाहिए। हर जिले

में वहां के मेम्बर, जनपद सभापति, म्युनिसिपल प्रेसीडेन्ट और कोआपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट की एक सलाहकार सभा है, जिसके सामने उस जिले की अड़चने लाई जा सकती हैं और जो जिला अधिकारियों को इन्हें दूर करने के उपायों के संबंध में सलाह देगी ।

सरकारी (रिजर्व) जंगलों में किसानों को सुविधाएं

धरी के निस्बत जो नई सुविधा दी गई वह पहले लिख चुके हैं। दूसरी सुविधाएं नीचे लिखी जाती है–

1. जिन इलाकों में धरेलू मवेशी जंगली हो गए है और फसलों को नुकसान पहुंचाते है वहां जंगल अफसर से आज्ञा ले लेने के बाद ये मवेशी पकड़े जा सकती हैं डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि अधिक से अधिक एक आना की मवेशी सरकारी रायल्टी पकड़ने वालों से लेवें. उन्हें यह भी अधिकार है कि ये यह रायल्टी माफ भी कर देवें ।
2. यदि सरकारी जंगलों की सीमा के ऊपर या भीतर मवेशी बहक कर आ गए हैं तो उन्हे कांजीहाउस नहीं भेजा जाएगा और न यह जुर्म लेखा जाएगा।
3. यदि गांव की बसीकत से सरकारी जंगल की सीमा सटी हुई है तो वहां के रहनेवालों की दरख्वास्त के ऊपर के ऊपर वह सीमा 5 जरीब दूर कर दी जाएगी और यदि कहीं शिकायत है कि खेतों से सीमा लगी रहने के कारण नुकसान होता है तो इस विषय की शिकायत करने पर मामले की खास जांच की जाएगी और उचित हुक्म दिया जाएगा।
4. घायल किए हुए हिंसक जानवरों का पीछा सरकारी जंगल में आधे मील की दूरी तक किया जा सकता है. शर्त यह है कि ऐसा करने के पश्चात् जंगल नाके में जल्द से जल्द सूचना दे दी जाए।
5. पशुओं अथवा मनुष्यों को हानि पहुंचाने वाले हिंसक जानवरों का नाश करने के लिए शिकारियों को दरख्वास्त करने पर तीन माह का परवाना दिया जाएगा ।
6. आग के कारण घरों के जल जाने की सूचना मिलने पर सरकारी जंगलों में जो रियायतें दी जाती हैं वे तुरन्त दी जाएंगी।
7. गांवों में रहनेवालों के निस्तार खर्च के लिए जो टोकनी, सूपे, चटाई, आदि बनाने वालों को सरकारी जंगलों से लाए जाने वाले हरे बांसों की कीमत तिजारती या व्यापारी रेट से अभी तक देनी पड़ती थी, अब बसोड़, बुरूड़, मांग आदि को हर घर पीछे 1500 बांसों की तादाद तक ये निस्तारी रेट याने सस्ते दामों में दिए जाएंगे ताकि घरू धंधे करने वाले बसोड़ आदि को सहायता मिले ।
8. कहीं–कहीं एक ही गांव के रहनेवालों को दो अलग अलग रेंजो में निस्तार दिया जाता था। अब ऐसे गांव वासियों को दोनो रेंजो में उनके सुभीते के अनुसार निस्तार मिला करेगा।
9. किसानी औजारों के बनाने या मरम्मत में लगने वाली हरी लकड़ी की डिपो जंगल नाकों पर कायम की जाएगी ताकि किसान उन्हे उचित दामों में सुभीते से पा सकें।

स्त्रोत :–मध्यप्रदेश. लैण्ड रिफार्म मैडनेश 1956 का पृष्ट क्र. 247 से 249

❑❑❑

मध्यप्रदेश राज्य
में
निस्तार चराई सुविधाएं

रीवा
गर्वमेन्ट रीजनल प्रेस
1959

प्रस्तावना

1. भारत शासन द्वारा 1952 में निर्धारित राष्ट्रीय वन–नीति ने अन्न तथा कृषि मंत्रालय संकल्प क्रमांक 13.1.52 एफ, दिनांक 12 मई, 1952 में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि वनों से चराई की सुविधा तथा काश्तकारी औजारों के लिए छोटी लकड़ी, विशेषत: जलाऊ लकड़ी की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो सके, ताकि गोबर को खाद के लिए उपयोग कर अन्न की उपज बढ़ाई जा सके,

2. भूतपूर्व मध्यप्रदेश राज्य में भी एक समिति वनमंत्री की अध्यक्षता में वन विभाग संबंधी कुछ विशेष समस्याओं की जांच करने के लिए नियुक्त की थी, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार ने एक सविस्तार वन नीति प्रतिपादित की (मध्यप्रदेश शासन वन विभाग संकलप क्रमांक 3952, 2625, 11, दिनांक 10 दिसम्बर, 1952) थी।

3. इस नीति में वनों तथा चरागाहों की दशा बिगड़ने से बचाने के हेतु चराई को नियंत्रित करना आवश्यक समझा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के वनों के प्रबंधन उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान रखते हुए यथासंभव पशु पालकों को सभी युक्तिसंगत सुविधाएं प्रदान की जाएं और कृषिकारों की सारभूत आवश्यकताएं उपयुक्त वनों से स्पर्द्धारहित मामूली दरों पर पूरी की जाए।

4. विन्ध्यप्रदेश तथा भोपाल शासन ने कोई अपनी विशेष वन नीति नहीं अपनाई, उन्होंने राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर ही कार्य किया है।

5. वन नीति का एक मात्र उद्देश्य यही है कि वन सततोत्पादित तथा उपयोगी रखे जा सकें, विशेषकर ग्रामीण जनता के हित के लिए, क्योंकि उनका और वनों का अन्योन्याश्रित सम्बंध है, यह तभी संभव है जब काश्तकारों की निस्तार और चराई की मांग तथा भूतपूर्व वैयक्तिक नष्टप्राय जंगलों के पुनर्निर्माण की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए।

6. राज्य पुनर्गठन के पश्चात नये मध्यप्रदेश में महाकौशल, मध्यभारत (सुनेल परगना छोड़कर) विन्ध्यप्रदेश, भोपाल राज्य तथा राजस्थान राज्य का सिरोंज सब डिवीजन समाविष्ट हुए है।

7. इन क्षेत्रों में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के जंगल है :–

महाकौशल

(1)	"अ" वर्ग जंगल (आरक्षित वन)	:	वन विभाग के अधीन
(2)	"ब" वर्ग जंगल (आरक्षित वन)	:	"–"
(3)	रैयतवारी जंगल (संरक्षित)	:	कुछ वन विभाग के और कुछ राजस्व विभाग के अधीन
(4)	भूतपूर्व मालगुजारी, जमींदारी तथा जागीरी जंगल (अधिकतर संरक्षित, कुछ अवर्गीकृत)		"–"
(5)	विलीनीकृत रियासतों के जंगल (आरक्षित तथा संरक्षित)		वन विभाग के अधीन

मध्यभारत

(6)	विलीनीकृत रियासतों के जंगल (आरक्षित, संरक्षित अथवा अवर्गित)		वन विभाग के अधीन

(7)	भूतपूर्व जमींदारी तथा जागीरदारी वन (संरक्षित	"—"
(8)	ग्रामीण वन (अवर्गित)	राजस्व विभाग के अधीन.

विन्ध्य प्रदेश

(9)	विलीनीकृत रियासतों के जंगल (आरक्षित, संरक्षित अथवा अवर्गित)	वन विभाग के अधीन.
(10)	भूतपूर्व जागीर–जंगल	"—"

भोपाल

(11)	विलीनीकृत रियासत के जंगल (आरक्षित)	वन विभाग के अधीन.
(12)	रैयतवारी जंगल (संरक्षित)	"—"
(13)	माल जंगल (अवर्गित)	कुछ वन विभाग के और कुछ राजस्व विभाग के अधीन.
(14)	भूतपूर्व जागीरी जंगल (संरक्षित)	वन विभाग के अधीन.

8. इस पुस्तिका में वनों से जनता को जो निस्तार तथा चराई की सुविधायें शासन द्वारा दी गई है उनका उल्लेख किया है.
9. विभिन्न इंटीग्रेटेड रीजन्स में समय–समय पर आदेश तथा निर्देश कृषिकारों तथा अधिकारियों को मार्ग–प्रदर्शनार्थ दिए गए है.
10. इन आदेशों तथा निर्देशों को समुचित शीर्षकों के अंतर्गत एकत्रित किया गया है. इस पुस्तिका में दर्शाए गऐ आदेशों का यदि अन्य कोई अर्थ निकलता हो तो मूल आदेश को ही ठीक समझा जावे.

❑❑❑

महाकौशल

परिभाषा

"निस्तार" का अभिप्राय केवल घरेलू तथा काश्तकारी काम में लगने वाली वन–उपज सम्बंधी सारभूत आवश्यकताओं से है. इस उद्देश्य से प्राप्त वन–सामग्री का विक्रय, दान, निर्यात वर्ज्य है. "जंगल निस्तार" के अंतर्गत खेती के औजार बनाने तथा मरम्मत के लिए इमारती लकड़ी मकान, मवेशियों के रहने का स्थान, जलाऊ लकड़ी, बांस, छाने तथा चराई की घास, बाड़ी संघने का सामान, बावकल रेशा, रेत, पत्थर, मिट्टी, कंकड़ का समावेश और पैदावार के अंतर्गत खाद्य फल, फूल और जड़ें स्वभावतः निकली हुई गोंद, शहद तथा मोम शामिल हैं.

"व्यवसायिक निस्तार" वह है जिसमें गांव के कारीगर तथा शिल्पकार, जैसे बंसोड़, चर्मकार इत्यादि, अपनी जीविकोपार्जन करते हैं।

2. पूर्व प्रथा

1. मण्डला, रायपुर और बिलासपुर वन मण्डलों के दूरवर्ती आरक्षित वनों के अविकसित क्षेत्रों के आसपास के गांवों के लोग निस्तार की जरूरतों के लिए वन–उपज इमारती लकड़ी छोड़कर विनिमय पद्धति के अनुसार निकाल सकते हैं. उन्हें सालाना निश्चित किया हुआ महसूल फारेस्ट मैन्युअल भाग 1 की कण्डिका 104 के अनुसार पटाना पड़ता है.

2. दिनांक 1 जनवरी 1948 को मध्यप्रदेश शासन ने निहित की गई छत्तीसगढ़ की विलीनीकृत रियासतों के कामोशी, ग्रामी खरचा अथवा कटात वनों से ग्रामवासियों को निस्तार–विनिमय पद्धति के अंतर्गत उन रियासतों के प्रचलित निस्तार नियमानुसार विनिमय शुल्क चुकाने पर अन्यथा निःशुल्क दिया जाता है.

3. भूतपूर्व मालगुजारी, जमींदारी और जागीरदारी वनों से जो 31 मार्च, 1951 से स्वामित्वाधिकार उन्मूलन के बाद शासन के अधीन आ गऐ हैं, ग्रामवासियों को निस्तार वाजिब–उल–अर्ज के मुताबिक निःशुल्क अथवा कीमत देने पर दिया जाता है. वन उपज की किस्म, मात्रा तथा दरें अलग अलग गांवों के लिए अलग अलग हैं. यह सब निस्तार के भोगाधिकार तथा सुविधाएं पूर्ववत् चालू रहेंगी.

3. निस्तार की कठिनाईयां

जंगलों पर से गैर सरकारी स्वामित्व उठ जाने के उपरांत लोगों को निस्तार पूर्ति की जिम्मेदारी शासन पर आ गई. यह देखा गया है कि मालगुजारी उन्मूलन के पूर्व मालगुजारी ने तथा ग्रामवासियों ने अनियमित तरीके से कटाई कर जंगलों को नष्टप्राय कर दिया था. उनके संरक्षण तथा परिपालन का कोई ख्याल नहीं रखा गया. इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को निस्तार मिलने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. अतः निस्तार की यथासंभव पूर्ति तथा उजड़े हुए जंगलों के पुनर्वनीकरण करने के प्रश्न पर शासन ने विस्तारपूर्वक एवं बारीकी से विचार किया तथा समय–समय पर समुचित आदेश जारी किए, जो इस प्रकार है–

1. किसानों के लिए छाती भर ऊंचाई पर 25" इंच की गोलाई के भीतर की इमारती और जलाऊ लकड़ी तथा खोड़

4. (1) शासन ने निश्चय किया है कि काश्तकारों को खोड़ लकड़ी (हलकी तथा निचली लकड़ी जिसका कोई व्यावसायिक महत्व नहीं है तथा जिसे बढ़ई उपयोग में लाते हैं) और 24 इंच की गोलाई के भीतर की (नाप छाती की) ऊंचाई पर इमारती लकड़ी मकानदारों की स्तर बनाने और मरम्मत के लिए, काश्तकारी औजार बनाने के लिए तथा जलाऊ लकड़ी नियत किएगऐ उचित दर पर माल हमेशा मिलता रहे इस बात को ध्यान में रखकर, उपलब्ध होने पर दी जा सकेगी.

(2) इस प्रकार की उपज निःशुल्क अथवा सशुल्क पूर्व प्रथा के अनुसार ग्रामी वनों से तथा सुगम आरक्षित वनों से कीमत देने पर मिल सकेगी.

वन तथा राजस्व विभाग के अंतर्गत आये हुए ग्रामी वनों में की गई अनियमित कटाई को बदलने के लिए वार्षिक कूपों वन–खण्डों में बांटना होगा तथा उनमें से जो सामग्री उपलब्ध होगी उसे उल्लिखित ग्रामवासियों को परमिट द्वारा दिया जाएगा. परमिट जारी करने के लिए एजेण्ट जिलाध्यक्ष तैनात करेगा. एजेण्ट मुफ्त या निश्चित दर से शुल्क वसूल कर निस्तार–पत्रक के अनुसार, परमिट जारी करेगा.

सुगम आरक्षित वनों के विभागीय कूपों से अथवा ठेकेदारी कूपों से वन–उपज मिल सकेगी. ठेकेदारी कूपों में 24 इंच की गोलाई के भीतर की इमारती लकड़ी और खोड़ एवं 50 प्रतिशत जलाऊ लकड़ी निस्तार के लिए अलग रख दी जाती है, जो काश्तकारों को 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच हफ्ते में चार दिन मिल सकेगी. गांव वाले जिलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किएगऐ एजेंट से परमिट प्राप्त कर सकेंगे. परमिट में यह दर्शाया जावेगा कि अमुक व्यक्ति को कितने किस्त की कितनी लकड़ी दी जा सकती हे. विभागीय कूपों में 24 इंच की गोलाई के भीतर की इमारती लकड़ी, खोड़ तथा जलाऊ लकड़ी काश्तकारों के लिए अलग रख दी जाती है, जिसे वे 15 जनवरी से 30 जून के भीतर खरीद सकते हैं. गांव वालों को जिलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा परमिट दिया जाएगा. परमिट में यह दर्शाया जाएगा कि किस किस्त की कितनी लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी किस जंगल से मिल सकती है. रेटेड पास व्हेन्डर से प्राप्त कर कूप डिपों के नाकेदार के पास गांव वालों को जाना चाहिए, ताकि उन्हें माल निकालने दिया जा सके।

(3) **वन–उपज निम्नलिखित रीतियों से प्राप्त हो सकेगी :–**

(अ) केवल निस्तारी जोन (क्षेत्र) के काश्तकारों को उस क्षेत्र के निस्तारी जंगल से निःशुक दी जाएगी।

(ब) वन मण्डलाधिकारी की सलाह से जिलाध्यक्ष द्वारा निश्चित की गई बाजारी दर से 50 प्रतिशत कम दर पर निस्तारी जोन के बाहर के काश्तकारों को निस्तारी जोन से माल मिल सकेगा तथा अन्य काश्तकारों को विभागीय कूपों से अथवा ठेकेदारी कूपों से लकड़ी मिल सकेगी.

(स) ऐसे लोगों को, जो न तो काश्तकार ही हैं और न जिन्हें 50 प्रतिशत बाजारी भाव की रियायत है, निस्तार–पत्रक के अनुसार दी जा सकती है, लकड़ी बाजार भाव से दी जाएगी. शासन ने निर्णय किया है कि उपरोक्त स्कीम छत्तीसगढ़ की विलीनीकृत रियासतों को भी जिनका विलीनीकरण 1 जनवरी, 1948 से भूतपूर्व मध्यप्रदेश में हुआ है, यथासंभव लागू किया जाए.

(4) **काश्तकारों को नये मकान बनाने के लिए लकड़ी** – शासन ने निश्चत किया है कि काश्तकारों को नये मकान बनाने के लिए लकड़ी वन विभाग द्वारा राजस्व अधिकारियों के प्रमाण–पत्र पर बाजार भाव से आधी कीमत पर दी जाएगी. निम्नलिखित राजस्व अधिकारियों से प्रमाण–पत्र प्राप्त हो सकेगा:–

तहसीलदार	:	बाजार भाव से 200 रू. की कीमत तक.
अनुविभागीय अधिकारी	:	बाजार भाव से 500 रू. की कीमत तक.
जिलाध्यक्ष	:	बाजार भाव से 500 रू. की कीमत से ऊपर.

बाजार भाव के अनुसार उपरोक्त राजस्व अधिकारी प्रमाण–पत्र देंगे तथा लकड़ी का प्रदाय आधे दाम पर होगा.

दिनांक 1 फरवरी, 1957 से नई निस्तार योजना कार्यान्वित होने पर लकड़ी के लिए परमिट ग्राम पंचायत अथवा निस्तार पंचायत या अन्य अधिकारी जिसे जिलाध्यक्ष नियुक्त करें जारी करेंगे.

5. **खेती के औजारों की मरम्मत के लिए लकड़ी खेती के मौसम में मिलने की विशेष सुविधाएं–**

खेती के मौसम में हल तथा अन्य खेती के औजार टूट जाने पर उन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता होती है. इस असुविधा को दूर करने के लिए शासन ने निर्णय किया है कि किसी आरक्षित वन से पांच मील के भीतर रहने वाले काश्तकार ऐसी खेती के औजार की मरम्मत के लिए जो काश्त करने में टूटे हों, समीप के वन–क्षेत्र से लकड़ी ला सकते हैं. किन्तु ऐसे क्षेत्रों से जिन में हाल ही में कटाई हुई हो, कोई लकड़ी नहीं निकाली जा सकेगी.

ये रिआयतें केवल खेती के मौसम में ही उपलब्ध होंगी, अर्थात खरीफ के क्षेत्र सिहारी में जून तथा जुलाई में और रब्बी उन्हारी के क्षेत्र में 15 सितम्बर से 15 नवम्बर तक ही रिआयत मिलेगी. ऐसी लकड़ी को निकालने के लिए जिले के प्रचलित दरों के अनुसार रेटेड पास पटेल जारी करेगा.

6. **अन्य सुविधाएं–**

आरक्षित वनों के विभागीय तथा ठेकेदारी कूपों को छोड़कर शेष वन क्षेत्रों से गिरी पड़ी हुई सूखी जलाऊ लकड़ी निर्धनामे के अनुसार निकालने की अनुमति है. उन वन क्षेत्रों से जहां जलाऊ लकड़ी यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकती, जलाऊ लकड़ी की निकासी बंद कर दी जाती है, लेकिन वन कर्मचारियों को मुनादी द्वारा इसकी जानकारी सरहद्दी गांवों के लोगों को करना पड़ती है, तथा यह भी बताना पड़ता है कि उन्हें नजदीक के किस जंगल से जलाऊ लकड़ी मिल सकेगी.

7. जलाऊ लकड़ी के सिरबोझ की दर अधिक से अधिक एक आना है. जलाऊ लकड़ी के लिए जिस क्षेत्र में सिरबोझा एक आना से अधिक है वहां पर एक आना कर दी गई है. जहां पर एक आना से कम है, उसे ही चालू रखा गए है.

8. **मरे और सूखे पेड़ों की लकड़ी–**

मरे और सूखे पेड़ों को जंगलों से निकालने की जनता की बहुत दिनों से मांग है. इसे पूरी करने के लिए शासन ने आदेश दिया है कि ऐसे पेड़ जो जंगलों में सड़क से करीबन एक या दो फर्लांग के अंदर हों, या ऐसे जंगलों से जो खन्ने पर जलाऊ लकड़ी ले जाने के लिए खुली हो, वन विभाग के द्वारा काटे जाएंगे. ऐसी काटी हुई जलाऊ लकड़ी को जनता को हमेशा की तरह खन्ने पर निकालने की अनुमति है.

2. बांस

9. भूतपूर्व मालगुजारी जंगलों से सूखे बांस सिर्फ अपने निस्तार के लिए न कि बचने के लिए, मुफ्त ले जाए जा सकते हैं. हरे बांस तयशुदा दर का आधा चुकाने पर ले जाए जा सकते हैं. यह नियम उन गांवों पर लागू होगा जहां वाजिब–उल–अर्ज में यह दर्ज है. जहां अपने निस्तार के लिए बिना मूल्य बांस की निकासी का रिवाज है, वहां उसी तरह का निस्तार चालू रहेगा.

10. काश्तकारों को निस्तार के लिए हरे बांस आरक्षित वन के बांस के कूप से मामूली दर से मिल सकेंगे.

11. सरकार ने निश्चय किया है कि बांस की निकासी के लिए काफी समय देने के लिए बांस की निकासी का पास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 48 घंटे की म्याद दी जानी चाहिए.

3. घास

12. आरक्षित वन के दूरवर्ती क्षेत्रों से घास सिरबोझ पर मुफ्त निकाली जा सकती है. जहां जानवरों को खूंटे पर बांधकर घास खिलाने की प्रथा है और चारे की मांग अधिक है वहां काश्तकारों के लिए घास की बीड़ रोक रखी जाती है, तथा तयशुदा दर जो बहुत कम है, वे घास कांटकर निकाल सकते हैं.

4. बाड़ी लगाने की सामग्री

13. आरक्षित वन से कटे तथा बाड़ी लगाने के लिए झाड़ियों का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है, जिन भूतपूर्व मालगुजारी वनों से कांट मुफ्त निकालने की प्रथा थी, उसे चालू रखा गया है.

14. जहां कांटे उपलब्ध नहीं है काश्तकारों को खेतों के आसपास बाड़ी लगाने की सामग्री (ब्रश वुड) अर्थात काटे हुए वृक्षों की शाखाओं की लकड़ी और बांस की शाखाएं जिन्हें ठेकेदार और खरीदने वाले काटते हैं, परन्तु उठाकर नहीं ले जाते, दी जायगी. कांटे तथा कांटेदार छोटी झाड़ियों को छोड़कर अन्य हरे अल्पवृद्धि के झाड़ काटने की मनाही है. वन–मण्डलाधिकारी, जनपद सभा तथा जिलाध्यक्ष की सलाह से बाड़ी लगाने की सामग्री की दर निश्चित करता है. भूतपूर्व मालगुजारी वनों से जहां मुफ्त निकालने की प्रथा है अथवा चार आने प्रति गाड़ी बोझ से कम दर है, वह प्रचलित प्रथा चालू रहेगी.

5. वक्कल, तन्तु और पलास की जड़ें

15. (अ) भूतपूर्व मालगुजारी वनों से जहां पलास की जड़ें रस्सी बनाने के लिए निकालने की प्रथा थी, उसे चालू रखा गया है, प्रतिबंध इतना ही रखा गया है कि मांग की पूर्ति बनाए रखने हेतु एवं जमीन की क्षति को रोकने के लिए दो तिहाई से ज्यादा पलास की जड़ें न उखाड़ी जावे. इसी प्रकार बक्कल और तन्तु (माहुल की बोला छोड़कर) इस तरह नहीं काटने दिया जाएगा कि झाड़ ही नष्ट हो जाए.

(ब) आरक्षित वनों के कटाई के लिए खोले गऐ रकबों से बक्कल और तिन्तु कटे हुए वृक्षों से नियत दर पर निकाल सकते हैं. पलास की जड़ें रेटेड पास पर इस तरह निकाली जा सकती हैं जिससे झाड़ मरने न पाए.

6. गौण खनिज पदार्थ–भूमि पर पड़े पत्थर, मुरम, रेत, मिट्‌टी और छुई

16. काश्तकार मुरम, रेत भूमि पर पड़े पत्थर, मिट्‌टी और छुही बेरोक टोक ऐसी सभी जगहों से बिना महसूल ला सकते हैं जिनका किसी ठेकेदार को कोई ठेका नहीं दिया गया हो या जो खदान पी.डब्ल्यू.डी. को नहीं दी गई है. ये पदार्थ सरकारी जंगलों से भी मुफ्त लाए जा सकते हैं.

(ब) व्यावसायिक निस्तार

17. चर्मकार–

घोट के फल तथा धावरा की पत्ती चर्मकारों को नाममात्र शुल्क लेकर चमड़ा पकाने के लिए दी जाती है. भूतपूर्व मालगुजारी वनों में चर्मकारों को वाजिब–उल–अर्ज के मुताबिक चमड़ा पकाने के लिए छाल तथा पत्तियां मुफ्त दी जाती हैं. उन्हें बबूल और अर्जुन (कोध) की छाल आरक्षित वनों के आगामी वर्ष के काटने वाले कूपों में से मार्क लगे झाड़ों से नाममात्र नियत दर पर निकालने दी जाती है.

18. बंसोड़–

बसोड़ तथा अन्य बांस के काम करने वालों के परिवार वाले साल में 1,500 हरे बांस प्रति परिवार पीछे घरेलू धंधों के लिए रिआयती दर से दिए जाए एक से अधिक परिवार वाले सामूहिक तौर पर बांस निकाल सकते हैं.

19. कुम्हार–

कोई भी कुम्हार, ईंट, खपरे तथा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी और रेत मुफ्त ला सकते हैं, बशर्ते कि सामान 10,000 रूपये से अधिक कीमत का हर साल न बनाता या बेचता हो.

20. अगरिया–

लोहा (कच्ची धातु) बटोरने के लिए कोई कर वसूल नहीं किया जाता. जो व्यक्ति लोहा बनाने के लिए भट्टी लगाएगा उसे भट्टी में आवश्यक ईंधन के उपयोग के लिए जलाऊ लकड़ी आरक्षित जंगल से प्राप्त करने के लिए एक रूपया प्रति भट्टी सालाना कर देना पड़ेगा.

21. लोहार–

विभागीय कूपों से तथा ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद कूपों में पड़ी हुई सागौन की छांटन जिसका कोई व्यापारिक मूल्य नहीं है, लोहारों को घरू काम के लिए 36 गाड़ी प्रति वर्ष कोयला बनाने के लिए 15 रूपये सालाना प्रति घर विनिमय पटाने पर मिल सकती है. यह आदेश उन स्थानों पर लागू न होगा जहां पर विनिमय पद्धति तथा वाजिब–उल–अर्ज के अनुसार इस तरह की सहूलियत मिलती आ रही है.

22. बढ़ई–

विभागीय कूपों से तथा ठेकेदारी कूपों से खोड़ लकड़ी बढ़इयों को चार से आठ रूपयों के बीच प्रति गाड़ी बोझ की दर से, मिल सकेंगे, यह दर वन मण्डलाधिकारी जिलाध्यक्ष की सलाह से निश्चित करेंगे.

(स) पैदावार

23. ग्रामीण अपने निजी निस्तार के लिए महुआ, अचार, गुल्ली और खाने योग्य फल फूल, कन्द मूल, कुदरती निकलती हुई गोंद, शहद तथा मोम सभी वनों से निःशुल्क निकाल सकते हैं.

(ड) निस्तार तथा पैदावार के विषय में खास रिआयतें व सुविधाएं

24. समस्त ग्रामवासियों या किसी ग्रामीण विशेष को जिसका मकान आग से नष्ट हो गए हो आरक्षित वन से लकड़ी, बांस, घास, बल्कल इत्यादि वन पदार्थ निर्धारित मात्रा में निःशुल्क दी जाती है.

वन मण्डलाधिकारी जिलाध्यक्ष की सम्मति से वनोपज देने का प्रबंध शीघ्रातिशीघ्र करते हैं. यदि ऐसी मंजूरी उनके अधिकार के बाहर की होती है तो बाद में वे ऐसी मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं.

जहां वन मण्डलाधिकारी समझते हैं कि सस्ती किस्म की लकड़ी की अपेक्षा सागौन की लकड़ी दी जाने में जंगल को कोई हानि नहीं होगी तो उन स्थानों को छोड़कर अन्यत्र सागौन की लकड़ी मुफ्त में नहीं दी जाती. इस निःशुल्क सहायता का प्रयोजन यही है कि पीड़ितों को तुरन्त मदद पहुंचाई जाए, न कि किसी तरह उनकी नुकसानी की भरपाई की जाय.

25. **सार्वजनिक कार्यों के लिए लकड़ी–**

साधारणतः कोई भी वनोपज निःशुल्क जनहित संस्थाओं अथवा जनता के हित में कार्य सम्पादन करने वालों को नहीं दी जाएगी. सामग्री के लिए व्यवस्था वे स्वतः करें अथवा जब सामग्री सरकारी कूप डिपो से उपलब्ध हो, तो विभागीय तौर पर नियमानुसार कीमत पटाकर प्राप्त करें. वन विभाग द्वारा जो वनोपज दी जाएगी उसका मूल्य व्यापारिक दर से तथा 10 प्रतिशत निरीक्षण खर्च सहित लिया जाएगा.

26. आरक्षित जंगलों में ग्रामीणों को बांध बांधने तथा मरम्मत करने और नाले, झरने आदि खोदने अथवा उगारने के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है. इतना ही पर्याप्त होगा कि वे इसकी सूचना कार्य शुरू करने के पूर्व ही वन मण्डलाधिकारी को दे दें कि ऐसे कामों से खड़े हुए झाड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे इसकी जिम्मेदारी ग्रामीणों पर है.

27. प्रचलित प्रथा या वाजिब–उल–अर्ज के अनुसार काश्तकार जंगल के अंदर स्थित तालाबों, कुओं तथा नालों आदि से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं.

28. **पानी के उपयोग की सहूलियत–**

गांव के रहने वाले चालू प्रथा के मुताबिक पीने, नहाने–धोने या जानवरों के लिए वनों में उपलब्ध पानी का उपयोग कर सकते हैं. यदि कोई तालाब वगैरह मालगुजार के कब्जे में छोड़ दिया गया है तो उसमें निस्तार पुरानी प्रथा के अनुसार ही होगा.

29. **सन सड़ाना–**

दस्तूर के मुताबिक काश्तकार नदी, नाले या तालाब वगैरह में मुकर्रर जगह पर सन सड़ा सकते हैं.

30. **दो परिक्षेत्रों में निस्तार की सुविधाएं–**

कहीं–कहीं एक ही गांव के रहने वालों को दो अलग–अलग परिक्षेत्रों में निस्तार दिया जाता था, ऐसे ग्रामवासी अब भी दोनों परिक्षेत्रों से सुभीते के अनुसार निस्तार कर सकेंगे.

31. **आरक्षित वनों में मवेशियों का भटकना–**

(1) जहां आरक्षित वनों के अंदर और भीतरी सीमा के नजदीक मवेशी आवारा घूमते हुए पाए जाएं वहां बिना अपराध दर्ज किए ही मवेशियों को बाहर निकाल दिया जाए.

(2) इसी तरह जप्त रक्षित वन में कोई मवेशी अकेला सीमा से कुछ दूरी तक भटक जाय तो उसके मालिक के खिलाफ बिना अपराध दर्ज किए ही, उसे वन से बाहर निकाल दिया जाए.

32. **मकान के अंदर घुसकर लकड़ी की तलाशी–**

वनोपज के चोरी के शक में घरों के भीतर बिना कानूनी अधिकार घुसकर तलाशी लेने की मनाही है.

33. **आबादी क्षेत्रों से सरकारी जंगल हद्द सरकाना–**

जहां सरकारी जंगल की हद्द गांवों या खेतों से मिली है वहां के मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित हिदायतें जारी की है–

(1) जहां सरकारी जंगल की सीमा, मकानों और बाड़ियों से लगी हो, वहां सीमा आधा फर्लांग, अर्थात पांच जरीब पीछे सरकार दी जाए और दोनों के बीच का हिस्सा वन विभाग द्वारा संरक्षित वन के रूप में रखा जाए. नए सिरे से खींची जाने वाली सीमा पांच फुट चौड़ी हो और साफ–साफ खींची जाए, इस सीमा में मवेशियों का भटक जाना गैरकानूनी नहीं माना जाएगा.

(2) जहां यह शिकायत हो कि सरकारी जंगल की सीमा खेती से बहुत ही पास है वहां ऐसे प्रत्येक मामले की पूरी छानबीन की जाए और मामला सरकार के हुक्म के लिए नियमपूर्वक अधिकारियों के जरिए भेजा जाए।

34. **शादी के लिए सालई की लकड़ी–**

कई जातियों में विवाह के खाम, अडान और धुनियों के लिए सालई की कच्ची लकड़ी ही काम में लाई जाती है. पहले मालगुजार या जमींदार सवा रूपया देने पर इस काम के लिए सालई ले जाने की मंजूरी दे दिया करते थे. सरकार ने यह हुक्म जारी किया है

कि सवा रूपया पटाने पर गांव वालों को सालई की लकड़ी ले जाने की मंजूरी दी जाए. यह दर वन विभाग के अंतर्गत सभी जंगलों में लागू होगी. सालई का एक झाड़ काफी होता है, परन्तु यदि जरूरत हो तो दो झाड़ गिराने की मंजूरी दी जाए. सालई लकड़ी के लिए रेटेड पास लाइसेंस फेन्डर जारी करेंगे.

35. **नगरों के समीप के कूपों से घास और जलाऊ लकड़ी की सुविधा–**

नगरों में जलाऊ लकड़ी की कीमतें कम करने के लिए और वहां रहने वाले मजदूरों को धंधा मिलता रहे, इस विचार से सरकार ने यह तय किया है कि 10,000 या अधिक आबादी वाले नगरों से पांच मील के घेरे के भीतर घास और जलाऊ लकड़ी के कूपों को सुरक्षित करार दिया जाए और उनको नीलाम न किया जाए. इन कूपों से घास और जलाऊ लकड़ी निकालने की सहूलियत सरकार द्वारा मंजूर की हुई दरों पर रवन्ना या रेटेड पास द्वारा दी जाए.

36. **नदी तथा तालाबों के कछारों में खेती, भूतपूर्व मालगुजारी तथा जमींदारी वनों में–**

नदी अथवा तालाब की कछार उन्हीं काश्तकारों को जो मालगुजारी उन्मूलन के पहले दी जाती थी, पट्टे के आधार पर पांच सालों के लिए ग्राम पंचायत या गांव वालों की सम्मति से दी जाती है, नीलाम की रकम पांच किश्तों में बांटी जाएगी, जो वर्ष के पूर्व ही वसूल की जाएगी. यह वसूली कछार के रकबे की घटा–बढ़ी पर निर्भर रहेगी.

आरक्षित वनों में–

आरक्षित वनों के नदियों तथा तालाबों के कछार भी साधारणतः काश्त के लिए नीलाम किए जाते हैं.

37. **आरक्षित वनों में गैर कानूनी शिकार–**

(अ) **चोरी से आखेट**– सरकारी जंगलों में गैर कानूनी ढंग से शिकार का और सांभर, चीतल और हिरन जैसे वन्य प्राणियों पर अंधाधुंध गोली चलाने के परिणाम स्वरूप इन प्राणियों की कमी होती जाती है और फलतः शेर इत्यादि हिंसक जानवर मवेशियों पर हमला करने लगते हैं तथा नरभक्षी हो जाते हैं. इसे रोकने के लिए जंगल के अधिकारियों को हिदायतें दी गई है कि सरकारी वनों में पाए जाने वाले अनधिकृत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाय और उनके हथियार जप्त कर लिए जाएं.

(ब) **घायल जानवरों का पीछा**– ऐसे घायल जानवरों का पीछा करने के लिए जो किसी काश्तकार द्वारा अपने खेत में या किसी शिकारी द्वारा घायल किया गया हो, गांववासी और शिकारी लगे हुए सरकारी सीमा के भीतर आधे मील की दूरी तक घुस सकते हैं, बशर्ते कि घटना होने के बाद फौरन ही पास के जंगल आफिसर को इसकी सूचना दे दी जाए.

(स) **तान्त्रिक अपराध**– (1) हिंसक पशुओं का नाश–ऐसे मामले होते हैं कि कहीं मवेशियों पर हमला करने वाला कोई हिंसक पशु या नरभक्षी गारा करे और उस गारे का लाभ उठाते हुए कोई शिकारी सरकारी जंगल में ऐसे जानवर को गोली मार दे, कानूनी दृष्टि से यह अपराध है, किन्तु यदि शिकारी की मंशा उस आदमखोर या हिंसक जानवर को मारकर गांववासियों को मदद पहुंचाने की हो, तो अपराध दर्ज न किया जाए. उस जंगल आफिसर द्वारा जिसके सामने ऐसे मामले हुए हों, वन मण्डलाधिकारी की सिर्फ सूचना दे दी जाए.

(2) ऐसे एकल वन मण्डलों में जिनका क्षेत्रफल 10 वर्गमील से अधिक न हो और जो खेतों से घिरे हों, यदि सींगवाले व दूसरे जानवर उत्पात मचाते हों एवं फसल को नुकसान पहुंचाते हों, तो वन मण्डलाधिकारी जिलाध्यक्ष की सलाह से अमर्यादित संख्या में उनके मारने के लिए निःशुल्क जिला परमिट स्थानीय शिकारियों, गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्ति विशेष को जारी कर सकते हैं.

मछली मारने की सुविधाएं

38. **आरक्षित वन–**

(अ) समस्त राज्य में नदियों में मछली मारने का ठेका अथवा मछली मारने के मंजूरी देने के लिए कर की वसूली करना कतई मना है. लेकिन जहां तक आरक्षित वनों का सवाल है जंगल की रक्षा हेतु यदि वन संरक्षक चाहें तो आवश्यकतानुसार मछली मारने का लाइसेंस देने का अधिकार स्थानीय फारेस्ट को दे सकते हैं. ऐसे लाइसेंस पर कोई पैसा न लिया जाए.

(ब) आरक्षित वनों के अंदर नदियों में मछली मारने के स्थान निश्चत करने के लिए आमतौर पर सरकार की यह नीति रही है कि मछलियों के पालन के साथ ही साथ आसपास के निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने का ख्याल रखा जाएगा.

इस बात को ध्यान में रखते हुए मछुआरों को मछली मारने की आज्ञा लाइसेंस द्वारा आरक्षित वनों में बहने वाली नदियों के निर्धारित क्षेत्रों के लिए वन संरक्षक द्वारा दिया जाएगा.

39. भूतपूर्व मालगुजारी जंगल–

(अ) साधारणतः राज्य सरकार की ओर से किसी भी नदी या नाले में मछली मारने का ठेका न दिया जाएगा, सिवाय उन नदियों के जो दूसरे राज्यों की सीमा से लगी हुई हैं और जिन संलग्न राज्यों में मछलियों का ठेका दिया जाता है. ऐसे मामलों में मछली मारने का ठेका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर दिया जा सकता है.

(ब) नदियों और नालों की मछली मारने का ठेका देने का अधिकार ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्र में रहेगा. यह अधिकार राज्य सरकार के आदेश से रद्द किया जा सकता है. यदि ग्राम पंचायत को मछली मारने का ठेका देने का अधिकार दिया गए तो ठेके की रकम ग्राम पंचायत को उसके प्रतिनिधित्व की अवधिकाल तक दी जाएगी.

(इ) मवेशियों पर हमला करने वाले हिंसक जानवर और आदमखोर जानवरों के मारने के लिए विशेष परमिट की म्याद 15 दिन के बजाय तीन माह की होगी और परमिट उस जिले के जिलाध्यक्ष की सलाह से वन मण्डलाधिकारी जारी करेंगे.

(ड) जिन इलाकों में पालतू मवेशी जंगली हो गए हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते है, जैसे देव गाय, वहां ऐसे पशु वन मण्डलाधिकारी अथवा जिलाध्यक्ष की मंजूरी से पकड़े जा सकते है. एक आना फीस मवेशी सरकारी फीस पकड़ने वालों से ली जाती है. जिलाध्यक्ष चाहें तो यह फीस माफ कर सकते हैं

(इ) चराई

40. सभी काश्तकार जिनके पास मवेशियों की संख्या आठ पशु इकाइयां इन से कम है, वे जानवरों की चार पशु इकाइयां मुफ्त और बाकी रिआयती दर पर चरा सकते हैं, आठ से अधिक पशु इकाइयों वाला काश्तकार प्रति चालू हल पीछे छः पशु इकाइयां रियायती दरों पर और बाकी रोजगारी दरों पर चरा सकता है.

41. गैर काश्तकारों के बचे हुए जानवरों को जिस चारण एकक (ग्रेजिंग यूनिट) में दर्ज है उसमें जगह न मिलने पर उनको दूसरी यूनिटों में जहां गुंजाइश होगी निश्चित फीस लेकर जगह दी जाएगी.

42. यदि जिस यूनिट में जानवर दर्ज है उसमें जगह न हो तो दूर के चराई यूनिटों में जहां ज्यादा चराई की गुंजाइश है, नजदीक की यूनिटों की रोजगारी (सामान्य) दरों से 15 फी सैकड़ा कम चराई ली जाएगी.

43. जानवरों की चराई का यदि और कोई दूसरा प्रतिबंध न हो सके तो सूचीबद्ध या असूचीबद्ध ग्रामों के सभी जानवरों को समीपस्थ यूनिट में सम्मिलित किया जाएगा

44. घास के बीड़ों में चराई की इजाजत न रहेगी. उन कूपों अथवा रकबों में जिन में वर्किंग प्लान या वर्किंग स्कीम की चिरकालिकी के अनुसार चराई बंद कर दी गई है, झाड़ों की तरक्की तथा चरागाह की वृद्धि के दृष्टिकोण से जानवरों को चरने नहीं दिया जाएगा.

45. भूतपूर्व मालगुजारी जंगलों में जहां आरक्षित वनों की अपेक्षा चरी रिआयतें ज्यादा हैं उन्हें चालू रखा जायगा. जहां रियायतें उनकी अपेक्षाकृत कम हैं वहां नजदीकी आरक्षित वनों की रिआयतों के बराबर कर दी जाएगी.

46. आमतौर पर भेड़ व बकरियों की चराई निम्नलिखित तरीके से होगी–

(1) जिन बड़े झाड़ के जंगल से बड़े नाम की इमारती लकड़ी व जलाऊ लकड़ी ग्रामीणों के निस्तार के लिए पैदा की जाती है तथा जिन जंगलों में रकबा गोजातीय मवेशियों के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां भेड़ और बकरियां न चर सकेंगी.

(2) ग्रामीण वनों में भेड़ और बकरियों को चरने की इजाजत आम तौर पर न रहेगी यदि वे उस क्षेत्र या उस गांव की नहीं है.

(3) गांव के मवेशियों को अच्छी चरागाह देने के लिए, भेड़ व बकरियों को आमतौर पर वर्षाऋतु में किसी एक स्थान पर एक हफ्ते से अधिक न चरने दिया जाएगा. जहां तक संभव हो भेड़ व बकरियां बंजर, पहाड़ी और पथरीली जमीनों में चरने के लिए जाएंगी.

47. भेड़ व बकरियां प्रायः व्यापारिक जानवर माने गए हैं और उन्हें मुफ्त चराई की इजाजत नहीं दी जा सकती है. निम्नलिखित दरें चराई के लिए उपयुक्त होंगी – दो आना से चार आना फी भेड़, तीन आना से छः आना फी बकरी.

48. गड़रिया एवं भेड बकरी का रोजगार करने वाले भेड़ और बकरी को बेचने के लिए या खेतों में खाद्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते वक्त राहदारी पास नियमानुसार प्राप्त करेंगे.

(फ) शिकायतें

49. जनता की शिकायतों तथा आवेदन–पत्रों का निपटारा नीचे लिखे तरीके से किया जाएगा–

(1) आवेदन–पत्र मिलने पर अभिस्वीकृति भेजी जाएगी.

(2) शिकायत की जांच जितनी जल्द हो सके, की जाएगी और आवेदक को जांच होने की तारीख व स्थान की सूचना दी जाएगी.

(3) जांच या नतीजा एवं कार्यवाही यदि कुछ की गई तो उससे आवेदक को अवगत किया जाएगा.

50. **तेंदूपत्तों के छोटे नीलाम–**

जिसमें छोटी पूंजीवाले ठेकेदार, तेन्दू पत्ते का ठेका ले सकें, उनके छोटे–छोटे टुकड़े (सब–रैंज) बनाकर नीलाम किए जाएंगे.

51. शासन की उदार नीति के फलस्वरूप भूतपूर्व मध्यप्रदेश में निस्तार तथा चराई के बारे में पिछले कुछ वर्षों से जब कि विभागीय प्रदाय समुचित दरों पर उत्तरोत्तर बढ़ाए गए हैं, केवल विभागीय कूपों से काश्तकारों को बेचे जाने वाले माल की बाजारू तथा रिआयत दर के कीमत में अंतर सन 1953–54 से सन् 1955–56 तक लगभग सात लाख रूपए है, इसके अतिरिक्त उसी कालावधि में ठेकेदारों के कूपों से जो निस्तार दिया गया है और उससे जो राजस्व का त्याग हुआ है वह जो कि अंदाज लगाना कठिन है, कम से कम उपरोक्त रकम से दुगनी या तिगुनी होगी. अन्य दूसरी रिआयतों में भी जो इस पुस्तिका में बताई गई है जिसमें चराई भी शामिल है, काफी आय का त्याग हुआ है. इसके अलावा काफी पैसा विभागीय कटाई तथा निरीक्षण के लिए नियुक्त किएगऐ कर्मचारियों पर खर्च हुआ है.

52. दिनांक 15 अप्रैल, 1955 के पूर्व निस्तारी प्रदाय की दरें अधिकार–शुल्क (रायल्टी) में खर्च जोड़कर निश्चित की गई थी, लेकिन दिनांक 15 अप्रैल 1955 से शासन ने और भी रिआयत प्रदान किया है. तथा आदेश दिएहै कि 24 इंच की गोलाई अथवा उससे कम की लकड़ी और जलाऊ लकड़ी कूप में प्रचलित बाजार दर से 50 प्रतिशत कम दर पर बेची जाए.

53. शासन ने जून 1956 में निश्चय किया है कि काश्तकारों को आरक्षित वनों से जो निस्तार मिलता है वह पांच वर्ष के भीतर पूर्णतया विभागीय तौर पर मिले और ऐसा करने के हेतु, छोटी इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी का विभागीय काम उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना चाहिए. इस बीच में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जावें इसके लिए ठेकेदार कूपों से छोटी इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी वन.

मण्डलाधिकारी तथा जिलाध्यक्ष के परामर्श द्वारा निश्चित किएगऐ दरों से बेचे हैं. इस निश्चय को कार्यान्वित करने हेतु इस वर्ष (सन्1956–57) विभागीय कूपों की संख्या बढ़ा दी गई है, दरें जिलाध्यक्ष एवं वन मण्डलाधिकारी की सलाह से बाजार भाव से 50 प्रतिशत कम निश्चित करते है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठेकेदार काश्तकारों को निस्तार के लिए छोटी इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी बेचते हैं, करारनामों में नई शर्तें जोड दी गई हैं.

54. इस प्रकार, विभागीय तौर पर काटे गऐ कूपों में काश्तकारों के लिए खोले जा रहे तथा ठेकेदारों के सुगम कूपों से भी जो काफी संख्या में है, निस्तार दिया जा रहा है, विभागीय तथा ठेकेदारी कूपों से दरों की रिआयत के कारण सरकारी आय का त्याग लगभग 10 से 12 लाख होगा. केवल विभागीय कार्य का खर्च तथा विभागीय कूपों से निकासी पर नियंत्रण के लिए करीबन 10 लाख रूपया लगेगा. इसके अतिरिक्त चराई और अन्य रिआयतों की रकम भी जो इस पुस्तिका में दर्शाई गई है, काफी होगी.

55. वन विभाग के कर्मचारियों को आदेश दिएजा चुके हैं कि वे निस्तार के लिए खोले गऐ कूपों का विस्तृत विवरणर, दरें तथा अन्य सूचना के बारे में पर्चे छपवाकर तैयार करें, जिससे स्थानीय लोगों को निस्तार की दी गई सुविधाओं की जानकारी हो.

□□□

मध्य भारत क्षेत्र

भूतपूर्व हकदारी गांवों (1962) तथा हलबंदी गांवों (1480) के ग्रामीणों को आठ आना प्रति हल वार्षिक हलौट शुल्क (विनिमय कर) देने पर आरक्षित एवं संरक्षित वनों से निस्तार निम्नलिखित निश्चित मात्रा तक दिया जाता है. यह प्रथा दिनांक 5 दिसंबर, 1959 तक अमल में रहेगी.

1.	सूखी जलाऊ लकड़ी	.. .. ..	4 गाड़ी तक.
2.	सूखे बांस	.. .. ..	20 नग तक.
3.	पशुओं के लिए घास	.. .. ..	सिरबोझ से अथवा गाड़ी बोझ से 4 गाड़ी तक.
4.	टेमरू तथा अंजन के पत्तों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के पत्ते.		आवश्कतानुसार.
5.	कांटे	.. .. ..	4 गाड़ी तक
6.	पलास की जड़ें	.. .. ..	आवश्यकतानुसार.

टिप्पणी—

1. भूतपूर्व झाबुआ राज्य के कृषकों से कोई हलौट शुल्क नहीं ली जाती है क्योंकि वह भूमि के लगान में सम्मिलित है.
2. जो व्यक्ति इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते, वह केवल सूखे बांस तथा सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझ से निःशुल्क ला सकता है.
3. वन ग्रामों (974) को निस्तार निःशुल्क दिया जाता है.

2. मध्यभारत वन विधान धारा की 29 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किएगऐ भूतपूर्व जागीरी तथा जमींदारी वनों से स्थानीय ग्रामीणों को निस्तार जैसा कि जागीरी तथा जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के पूर्व मिला करता था, चालू रखा गया है.

सर्वसारण निस्तार

इमारती लकड़ी, मलगे तथा ईंधन—

3. निस्तार के लिए सुरक्षित किएगऐ विभागीय वार्षिक कूपों के 1 l10 भाग के रकबों में से इमारती लकड़ी निर्धारित दर एवं 10 प्रतिशत निरीक्षण चार्ज चुकाने पर प्राप्त की जा सकती है. उपलब्ध लकड़ी की अग्रिम सूचना निस्तार परामर्श समिति को जिसमें जिलाध्यक्ष, वन मण्डलाधिकारी तथा विधानसभा के स्थानीय सदस्य सम्मिलित है, दी जाती है, किन्तु मांग होने पर ही झाड़ काटे जाते है.

4. आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी के कूप एवं लघु वन उपज के ठेके विभाग द्वारा निर्धारित सरकारी बोली या औसत मूल्य पर आदिवासियों की सहकारी समितियों को मध्यभारत शासन गजट, दिनांक 12 जनवरी 1956 में प्रकाशित नियमों के अनुसार दिएजाते है.

5. (अ) ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को निजी उपयोग के लिए सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझ से किसी भी स्थान से बिना किसी महसूल के दी जाती है.

(ब) शहराती क्षेत्र के निवासियों को जलाऊ लकड़ी निम्नलिखित दर से मिल सकती है—

1.	20,000 से कम	..	निःशुल्क
2.	20,000 से 50,000 तक	..	एक आना सिरबोझ
3.	50,000 से अधिक	..	2 आना सिरबोझ

बांस–

6. विनिमय कर चुकाने पर निस्तार के लिए बीस सूखे बांस दिए जाते हैं. जो लोग विनिमय कर नहीं पटाते, वे सूखे बांस सिरबोझ पर निस्तार के लिए मुफ्त ला सकते हैं.

7. हरिजन एवं आदिवासी सहाकरी समितियों को कुटीर उद्योग के लिए बांस निर्धारित दर की आधी दर चुकाने पर दिएजाते हैं.

घास–

8. (अ) सिरबोझ द्वारा घास की निकासी निःशुल्क है. खुले रकबो से जानवरों के लिए चारा तथा छाने का घास क्रमशः आठ आना और एक रूपया फी गाड़ी की दर से दिया जाता है.

(ब) घास की बीड़ें नीलाम की जाती है.

बड़ी रूंधने के लिए सामग्री–

9. विनिमय पद्धति के अंतर्गत काटे 4 गाड़ी तक लाने दिएजाते हैं इसके अतिरिक्त बाड़ी लगाने की सामग्री निःशुल्क सब जगहों से लाने दिया जाता है.

क्षुद्र खनिज पदार्थ–

10. किसी भी जंगल से पत्थर, मिट्टी, रेत और चूने का पत्थर भूमि की सतह से लाने पर कोई रायल्टी नहीं ली जाती है.

खाने योग्य फल–फूल इत्यादि–

11. (अ) वनों से सभी खाने योग्य फल–फूल, जड़ें, तंतु इत्यादि इच्छानुसार लाये जा सकते है मुख्य उपज निम्न प्रकार है–

(1) खजूर (2) अचार, (3) खिरनी बहार, (4) आम, (5) सीताफल, (6) जामुन (7) (महुआ का फल और फूल) (केवल घर वन–मण्डल छोड़कर), (8) कैथ, (9)काली कंद (10) शहद (केवल इदौर, शिवपुरी, गुना, धार और शिवपुर वन मण्डलों को छोड़कर), (11) आंवला आदि.

(ब) क्षेत्र के बाहर के निवासी बेर, करोंदा तथा तेंदू फल बिना किसी मूल्य के ला सकते हैं.

व्यवसायिक निस्तार–

12. (1) चर्मकार– ग्राम निवासियों को चमड़ा पकाने के लिए फल और पत्तियां मुफ्त लाने दिया जाता है.

(2) सींग, हड्डियां, नाखून (खुर) तथा लावारिस मरे हुए जानवरों के चमड़े बिना मूल्य तथा बिना किसी प्रतिबंध के लाने दिया जाता है.

13. कुम्हार– ईंट, खतरे तथा मिट्टी के बरतन बनाने के लिए मिट्टी, मुर्रम और रेत किसी भी जंगल से निःशुल्क लाने दिया जाता है.

14. मछुआ– मगर तथा मछलियां बिना मूल्य के किसी भी व्यक्ति द्वारा पकड़ी जा सकती है.

15. चूना बुझानेवाल– चूने के कंकड़ समस्त स्थानों से बिना मूल्य लाए जा सकते हैं.

16. अन्य वस्तुएं– पलास की पत्तियां, छाल तथा जड़े बिना मूल्य के लाने दिया जाता है.

विशेष रियायतें एवं सुविधाएं–

17. (अ) अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को इमारती लकड़ी जिसमें सागौन भी शामिल है, का निःशुल्क प्रदाय जिलाध्यक्ष की सिफारिश पर वन मण्डलाधिकारी तथा वन संरक्षक द्वारा दिया जाता है.

(ब) उपयुक्त प्रकरणों में इस प्रकार की इमारती लकड़ी का प्रदाय निम्नलिखित मात्रा तक मुफ्त अथवा रियायती दर से दी जाती है–

मुख्य संरक्षक एवं वन संरक्षक द्वारा	..	1,000) रू. तक प्रत्येक प्रकरण में.
वन मण्डलाधिकारी द्वारा	..	250) रू. तक प्रत्येक प्रकरण में.

(स) इमारती लकड़ी की कीमत फेमिन रिलीफ बजट के "54 फेमिन रिलीफ" शीर्षक के अंतर्गत चार्ज की जाती है. इमारती लकड़ी के प्रदाय के लिए कोई मात्रा निश्चत नहीं है.

चराई–

18. इकदारी एवं हलबंदी के असिंचित भूमि के इलाके में दस एकड़ अथवा उससे कम रकबा वाले कृषकों को एक भैंस और एक जोड़ी बैल निःशुल्क चराने दिया जाता है. क्षेत्र के भीतर की अथवा बाहर से आई गायों पर कोई चराई वसूल नहीं की जाती है.

इकदारी तथा हलबंदी ग्रामों के सिंचित इलाकों के कृषकों को तीन जोड़ी बैल तथा एक भैंस प्रति दस एकड़ अथवा उससे कम भूमि के हिसाब से निःशुल्क चराने दिया जाता है. यह रियायत केवल 4 भैंस तथा 4 जोड़ी बैल तक ही सीमित है.

19. आरक्षित वनों में निर्धारित दरों पर भेड़ और बकरी को चराने की अनुमति दी जाती है.

20. अन्य पशुओं के लिए चराई की दरें निर्धारित की गई हैं. आदिवासी क्षेत्रों में चराई की दरें कम हैं.

❑❑❑

सिरोंज उप-क्षेत्र

वन विभाग
विज्ञप्ति
जयपुर, नवम्बर, 24, 1955

संख्या 4241 : एफ. 34:44:रेव्हेयु 53:–राजस्थान फारेस्ट एक्ट, सन् 1953 (राजस्थान एक्ट नं. 13, सन् 1953 की धारा 32 तथा 76 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार राजस्थान गवर्नमेन्ट की विज्ञप्ति नं. एफ.428:फार049, तारीख 13 जनवरी 1951 को आंशिक रूप में रद्द करते हुए राजस्थान गवर्नमेन्ट निम्नलिखित फारेस्ट डिवीजन्स के लिए निम्नलिखित नियम जंगल की पैदावार संबंधी रिआयतें देने के लिए प्रचलित करती है.

1. **कहां लागू होंगे**– यह नियम फारेस्ट डिवीजन उदयपुर, चित्तौड़, बांसवड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व टोंक में लागू होंगे जहां कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जंगल की पैदावार संबंधी रिआयतों के विशेष नियमों की आवश्यकता है और जहां ये रिआयतें अब तक मिलती आ रही हैं.

2. **परिभाषाएं**– इन नियमों में, जब तक कि भाषा में कोई अन्य अर्थ न लिया जावे–

(अ) "आदिवासी" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो निम्नलिखित जातियों में से हों–

(1) बावरिया,

(2) भील,

(3) गरासिया,

(4) मीणा,

(5) सहरिया,

(6) अन्य जाति जो इन नियमों के लिए गवर्नमेन्ट द्वारा आदिवासी घोषित की जावे.

(ब) "बंद जंगल" से अभिप्राय उस जंगल से है जो चराई के लिए बंद हो जिसमें कटा हुआ कूप, घास के बीड़, बबूल की बनी, शिकारगाह या अन्य कोई भी जंगल सम्मिलित है जिसको वन संबंधी रिआयतों के उपयोग के लिए गवर्नमेन्ट द्वारा बंद कर दिया गया हो.

(क) "पालतू मवेशी" में गाय, बैल, ऊंट, भैंस, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, सुअर, मेढ़ा, मेमना, बकरी का बच्चा सम्मिलित है.

(ख) "कृषक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका मुख्यतया खेती पर निर्भर हो.

–राजस्थान राजपत्र, दिनांक, 24,1955, भाग 4 (ग) में प्रकाशित हुए.

(ग) "पहाड़ी क्षेत्रों" से अभिप्राय उन क्षेत्रों एंव गांवों से है जो कि नीचे लिखे है–

(1) जिला उदयपुर–

(अ) तहसील सलुम्बर, सराड़ा, फलासिया, खैरवाड़ा, कोटड़ा, लसाडिया, सायरा, कुंभलगढ़, तहसीलों के समस्त गांव.

(ब) सब तहसील भिन्डर, कुरावड़, कानोड और बारापाल के समस्त गांव.

(स) तहसील गिरवा के निम्नलिखित गांव–

(1) नाई (15) कोलियात

(2) भेजरा

(3) पोपल्टी

(4) धौकडिया

(5) ऊंदरी

(6) सालीवास

(7) कोटड़ा

(8) पई

(9) अलसीगढ़

(10) कुवाविायाखेड़ा

(11) खजूरी

(12) आमन्दरी

(13) काया

(14) खरपीन

(16) नवागुड़ा

(17) रायता

(18) पीपल्या

(19) अछालिया

(20) धार

(21) बडगा

(22) मौवानियां

(23) बरड़ा

(24) गोछेरा

(25) बड़ी

(26) नाथोवतों का गुड़ा

(27) सिखारमा

(द) उमरड़ा ग्राम समूह के निम्नलिखित ग्राम–

(1) उमरड़ा

(2) ढ़ड़किया

(3) घरौला

(4) राजांवा

(5) आवूवा

(6) खेड़ा

(7) झामर

(8) गोवर्द्धनपुरा

(9) धमधड़

(10) मानपुरा

(11) साऊपुरा

(12) मानदेव

(13) खारदा

(14) चांदला

(15) जोधपुर

(16) घाट का गुड़

(2) जिला चित्तौड़गढ़–(अ) तहसील बड़ी सादड़ी के पूर्व बानसी जागीर के समस्त ग्राम, तहसील प्रतापगढ़, तहसील अचनेरा, तहसील भैसराडगढ़ (जिसमें कुआखेड़ा भी सम्मिलित है), तहसील कनेरा.

(3) जिला डूंगरपुर के समस्त ग्राम.

(4) जिला बांसवाड़ा, जिसमें सब डिविजन कुशलगढ़ भी सम्मिलित है, के समस्त गांव.

(5) जिला कोटा– तहसील शाहबाद, तहसील किशनगंज तथा तहसील हाय लाड़पुर, रामगंज मण्डी और कनवास के भील क्षेत्र.

(6) जिला बूंदी के तहसील तालेड़ा और तहसील बूंदी व तहसील हिंडोली का बराड इलाका.

(घ) ''खुला जंगल'' से अभिप्राय उस जंगल से है जो बंद न हो.

(ङ) ''पेशेवर चराईदार'' से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो 10 भैसे से अधिक रखता हो.

(च) ''प्रोटेक्टेड जंगल'' से अभिप्राय उस जंगल से है जो राजस्थान फारेस्ट एक्ट, सन् 1953 की धारा के अंतर्गत प्रोटेक्टेड घोषित किया गया हो.

(छ) "रक्षित दरख्त" से अभिप्राय निम्नलिखित किसी भी दरख्त से है–

(1) चंदन
(2) शीशम
(3) बीजा
(4) सागवान
(5) अंजन
(6) तिन्सा
(7) सेमल
(8) हल्दू
(9) बबूल
(10) सिरस
(11) जामुन
(12) अर्जुन
(13) मौलश्री
(14) नींव
(15) महुआ
(16) आम्बीया या काटी
(17) आम
(18) तेंदू
(19) छार
(20) खिरनी
(21) क्लारस
(22) बकायन या कदम
(23) धामन
(24) बहेड़ा
(25) कुसम
(26) करंज
(27) खैर
(28) अशोक
(29) आल
(30) आमला
(31) खजूर
(32) रेंजवा
(33) रायां
(34) बेल
(35) रोहन

किन्तु कोई भी दरख्त की इमारती लकड़ी किसी–किसी स्थान पर विशेष कार्य के लिए काम में लाने की प्रथा है वह उस स्थान के लिए तथा उस कार्य के लिए रक्षित नहीं समझी जायगी.

(ज) "रिजर्व जंगल" से अभिप्राय उस जंगल की जमीन या पड़त जमीन से है जो राजस्थान फारेस्ट एक्ट, सन् 1953 के अध्याय 2 के अंतर्गत रिजर्व करार दिया गए हो.

(झ) "आरक्षित दरख्त" से अभिप्राय उन दरख्तों से है जो रक्षित न हों.

(ट) "गांवाई जंगल" से अभिप्राय उस गांवाई जंगल से है जिसकी परिभाषा राजस्थान फारेस्ट एक्ट, सन् 1953 की धारा 28 की उप–धारा 1 में की गई है.

3. **पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषकों को इमारती लकड़ी संबंधी रिआयतें**–ग्राम शर्तों के अनुसार जो इन नियमों के साथ संलग्न है पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषक आरक्षित दरख्त खेती के कार्य के लिए इमारती लकड़ी मुफ्त किसी भी जंगल से जो कि कूप कटा बंद जंगल न हो, ले सकते है. यदि उस स्थान पर आरक्षित दरख्तों की इमारती लकड़ी उपलब्ध न हो तो वे ऐसी लकड़ी रक्षित से ले सकते हैं.

यदि ऐसी इमारती लकड़ी आरक्षित दरख्तों से उपलब्ध न हो तो रक्षित दरख्तों की इमारती लकड़ी भी मुफ्त दी जाएगी. किन्तु कृषक ऐसी इमारती लकड़ी आरक्षित होते हुए भी रक्षित लेना चाहे तो उसे 1 ।4 महसूल देना होगा.

4. **मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी**– मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी सबकी आम शर्तों के अनुसार जो इन नियमों के साथ संलग्न है दी जाएगी. ऐसी इमारती लकड़ी केवल निजी उपयोग के लिए ही ली जाएगी न कि बेचने के लिए.

5. चराई–

(अ) गायें और बैल फीस चराई से मुक्त रहेंगे.

(ब) आदिवासी, जिसमें आदिवासी पेशेवार चराईदार भी शामिल है, सिवाय बंद जंगलों के बाकी तमाम जंगलों से अपनी निजी मवेशी सिवाय ऊंटों के मुफ्त चरा सकेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों के कृषक व आदिवासी जिन जंगलों में मवेशी हमेशा से चराते आ रहे हैं वहां मुफ्त चराते रहेंगे. ऊंटों व भेड़, बकरियों की पूरी फीस चराई ली जाएगी. किन्तु जहां यह चराई अब तक नहीं ली जाती है वहां नहीं ली जाएगी.

(स) खुले जंगलों और गांवाई जंगलों में भेड़ बकरी मुफ्त चराई जा सकती है.

(द) पेशेवर चराईदार जो आदिवासी न हों उसे वन विभाग के जंगलों में चराने के लिए फीस चराई पूरी तरह से तमाम जानवरों के लिए ली जाएगी. किन्तु जहां चराई अब तक नहीं ली जाती है वहां अब भी नहीं ली जाएगी.

6. बाड़–

(अ) आदिवासी तथा कृषकों के लिए मकान और खेती की बाड़ के लिए कांटे और तमाम किस्म की झाड़ियां व दरख्त जो बाड़ के काम में आते हैं मुफ्त दिएजायेंगे.

(ब) चांकड़े की लूम व पत्ते बाड़ के लिए उप–धारा (अ) के अनुसार मुफ्त नहीं दी जाएगी सिवाय उस सूरत में जब कि दूसरी किस्म के कांटे और झाड़ियां उस स्थान में उपलब्ध न हों.

(स) जहां खेतों और मकानों की बाड़ के लिए बांस या अन्य दूसरी लकड़ी ली जाने की प्रथा है वहां बांस व अन्य लकड़ी मुफ्त दी जायेगी.

7. **जलाऊ लकड़ी**– मरी, सूखी और गिरी–पड़ी जलाऊ लकड़ी माथाभार या घीसासान मुफ्त ला सकेंगे, किन्तु किसी व्यक्ति को संबंधित रेंज आफिसर से परमिट प्राप्त किए बिना खड़े दरख्तों को काटने की इजाजत नहीं होगी.

जहां सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं हो वहां रेंजर निजी उपयोग के लिए गीली लकड़ी लाने के लिए जंगल बतावेगा जहां से सरभार, सान, घिसा द्वारा लकड़ी ला सकेंगे.

8. घास– माथाभार द्वारा घास के सरबोझ निजी उपयोग तथा बेचने के लिए सब लोग किसी भी जंगल से सिवाय घास के बीड़, कटे हुए कूप, और अन्य हिस्सा के जिनको कटाई घास के लिए खासतौर से गवर्नमेन्ट द्वारा बंद कर दिया गया है जिसमें प्लान्टेशन व घास के रखते बीड़ भी शामिल हैं, मुफ्त ला सकेंगे.

9. **जड़ें, पत्ते, पाला इत्यादि**–

(अ) खाने के काम में आने वाली जड़ें, खजूर के फउडे मुफ्त ला सकेंगे. किन्तु इसके लिए नाकेदार से फ्री पास प्राप्त करना होगा.

(ब) खजूर, खाखरा और सागवान के पत्ते छप्परबंदी के काम के लिए ले सकेंगे.

(स) डांडों के लिए सागवान के दरख्त की खास तराशी मना है.

10. **ये रिआयतें संलग्न शेड्यूल में दर्ज आम नियमों से पाबंद होंगी**– ऊपर के नियमों में दी गई तमाम रिआयतें उन आम शर्तों से पाबंद हैं जो इन नियमों के साथ संलगन शिड्यूल में दर्ज है उस हद तक कि जहां तक इनमें से कोई भी शर्त किसी खास किस्म की रिआयत पर लागू हो.

11. दरख्त व इमारती लकड़ी की कटाइ व निकासी तथा पैदावार जंगल की तैयारी व निकासी प्रोटेक्टेड जंगलों से मना है सिवाय उन सूरतों के जब कि इन नियमों द्वारा अथवा राजस्थान फारेस्ट एक्ट सन् 1953 के अंतर्गत बने हुए नियमों द्वारा इजाजत दी गई हो.

12. यदि कोई व्यक्ति इन रिआयतों का दुरूपयोग करेगा तो उसे इन रिआयतों से वंचित किया जा सकेगा और यदि इस प्रकार का दुरूपयोग सामूहिक रूप से होगा तो उस क्षेत्र अथवा गांव के निवासियों को इन रिआयतों से वंचित किया जा सकेगा.

शिड्यूल

रियायतों संबंधी आम नियम–

1. उन जंगलों की जहां से वर्षक्रम में इन रिआयतों को उपभोग किया जा सकेगा, सूची नाकेदार के पास मिलेगा.

2. प्रत्येक व्यक्ति को जो इस किसी भी रिआयत का उपभोग करना चाहे जंगलात के नाकेदार से परमिट प्राप्त करना होगा. नाकेदार जंगलात यह परमिट उस सर्टिफिकेट के आधार पर जारी करेगा जो कि प्रार्थी ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा पटवारी से लावे और जिस में प्रार्थी का नाम, ग्राम व तहसील का नाम व उसके कब्जे की जमीन दर्ज होगी. यह परमिट मुफ्त जारी किए जाएंगे.

   नोट– खेती के औजारों के लिए खुले व गांवाई जंगलों से इमारती लकडी लेने की सूरत में किसी परमिट की आवश्कता नहीं होगी.

3. **हल के लिए इमारती लकड़ी निम्नलिखित नियमों के अनुसार दी जाएगी–**

   (अ) 15 बीघा तक की खेती के लिए इमारती लकड़ी एक हल की, 15 बीघा से अधिक पर इस अनुपात से दी जाएगी, किन्तु तीन हल से अधिक की नहीं.

   (ब) तीन हल से अधिक इमारती लकड़ी लेने पर साधारण शहर का 1 8 लिया जावेगा.

   (स) हल में, हाल चौका कूड़ी, दो डांडे, नेजन और खल शामिल है.

4. पूरा ढाणा एक (चरस) के लिए इमारती लकड़ी दो साल में एक बार से अधिक नहीं दी जाएगी.

5. पूरे रेंहट के लिए इमारती लकडी पांच वर्ष में एक बार दी जाएगी, किन्तु सांगरी आदि रेंहट के लिए टूट–फूट की इमारती लकड़ी आवश्यकतानुसार दी जा सकती है.

6. उपरोक्त दर्ज तादाद की इमारती लकडी के अतिरिक्त पहाडी क्षेत्र के कृषक एवं आदिवासियों को निम्नलिखित अधिक रक्षित व आरक्षित इमारती लकडी मुफ्त मिलेगी–

   (1) हल, हाल, कूली, दो प्रति वर्ष,

   (2) चौका, चऊ चार प्रति वर्ष,

   (3) ढाणां (चरस) दो वर्ष में एक बार,

   (4) समाड़ा पांच वर्ष में एक बार,

   (5) सांटों के लिए खोपा वर्ष में एक बार,

   (6) जूड़ी या जूड़ा एक, प्रति वर्ष,

   (7) ढेंकुआ या नाली वर्ष में एक बार,

   (8) कृषक एवं आदिवासी गुड़ बनाने के लिए आँक आदि की लकडी नाकेदार से फ्री पास प्राप्त करके ला सकेंगे.

7. मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी निम्नलिखित प्रमाण में दी जाएगी–

   डांडा दो–सौ नग,

   मियाल (जोतड़ा) चार नग,

   वलेंडी (बल्ली) चार नग,

   थून (थोबा) दो नग,

   थूनी (थांवली) दो नग,

   नाथ (जोतरड़ी) चार नग,

   चूलिया (बटका) आठ नग,

(अ) आदिवासियों को उपरोक्त दर्ज शुदा लकड़ी तीन वर्ष में एक बार मुफ्त में अरक्षित व रक्षित दरख्तों की दी जा सकेगी. उपरोक्त तादाद से अधिक लेने पर आदिवासी को 1 |8 महसूल देना होगा.

(ब) कृषकों को उपरोक्त तादाद में दर्जशुदा लकड़ी अरक्षित दरख्तों की मुफ्त दी जाएगी. उपरोक्त तादाद से अधिक लकड़ी अगर कृषक चाहे तो अरक्षित दरख्तों की अगर कृषक चाहे तो राजस्व पत्र में दर्ज शरह का 1 |8 से दी जाएगी.

(स) कृषक यदि उपरोक्त तादाद में दर्जशुदा लकड़ी रक्षित दरख्तों की लेना चाहे तो राजस्व पत्र में दर्ज शरह 1 |4 से दी जाएगी. चाहे वे लकड़ी उपरोक्त दर्जशुदा तादाद से अधिक या उससे कम हो.

(द) मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी संबंधित रिआयतों कृषक व आदिवासियों को केवल उसी ग्राम में बनाए जाने वाले मकान के लिए प्राप्त होगी जिसमें वह रहता है अथवा जमीन काश्त करता है.

(य) खेती के औजारों के लिए लाये जाने वाली लकड़ी पर सिवाय उस सूरत के जो उन नियमों के अंतर्गत हों वर्तमान पाबंदियां बदस्तूर रहेंगी.

(ह.) पशुपतिनाथ कौल,
राजस्व सचिव

❑❑❑

विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र

निस्तार

'अ' सामान्य

विनिमय सशुल्क अथवा निःशुल्क

हलों की संख्या का सबूत पेश करने पर कोई भी ग्रामीण निस्तार हरेका और छप्परबंदी पास वन कर्मचारियों से पा सकता है. प्रत्येक काश्तकार को आठ आना प्रति हल सालाना एवं हर एक काश्तकारी मजदूर को बारह आने प्रति कुटुम्ब सालाना हरेगा पटाना पड़ता है. इस पास के जरिये उस क्षेत्र के आरक्षित, संरक्षित अथवा आम जंगल से निम्नलिखित वन–उपज निकाल सकता है, किन्तु मुख्य वन संरक्षक को अधिकार होगा कि वे सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिबंध समुचित प्रकाशन के बाद लगा सकते हैं.

(अ) काश्तकार–

(1) वर्जित जाति की लकड़ी को छोड़कर अन्य जाति की इमारती लकड़ी, जो छाल के ऊपर से जमीन की सतह पर नापने पर तीन फुट से कम मोटी हो, विभिन्न प्रकार के काश्तकारी औजार मकानों की मामूली मरम्मत, जिसमें संघने के भी शामिल हैं, 25 अदद नीचे लिखे अनुसार–

हल	..	..	..	2
हरिस	..	..	..	2
जुआ	..	..	..	2
बखर	..	..	..	2
बल्ली	..	..	..	17
				25

(2) सूखे बांस, 25 अदद.

(3) कोरों (प्रतिषिद्ध वृक्षों को छोड़कर), 50 अदद.

(4) प्रतिषिद्ध वृक्षकों को छोड़कर अन्य वृक्षों की सूखी जलाऊ लकड़ी, आवश्यकतानुसार.

(5) लताओं के बकौरे (जड़ों के नहीं), आवश्यकतानुसार,.

(6) सभी खाये जाने वाले फल–फूल (महुआ और अचार छोड़कर), आवश्यकतानुसार.

(7) सभी पत्ते (तेंदू को छोड़कर), आवश्यकतानुसार.

(8) सभी घास (बगई, रूसा और खस को छोड़कर), आवयकतानुसार.

(9) कांटे (खैर को छोड़कर) तथा अन्य झाड़ियां, आवश्यकतानुसार.

(10) जमीन की ऊपरी सतह का पत्थर (खदान की अनुमति न होगी) आवश्यकतानुसार.

(ब) खेती के मजदूर तथा अन्य लोगों को जिन्हें निस्तार की सहूलियतें छप्परबंदी (प्रति कुटुम्ब) के अंतर्गत दी जाती है–

(1)	वर्जित (प्रतिषिद्ध) जाति की लकड़ी को छोड़कर अन्य जाति की इमारती लकड़ी, जो छाल के ऊपर से जमीन की सतह पर नापने पर तीन फुट से कम मोटी हो, मकान की मरम्मत तथा अन्य कामों के लिए.	15 अदद.
(2)	कोरों (प्रतिषिद्ध वृक्षों को छोड़कर)	50 अदद.

(3)	सूखे बांस	25 अदद.
(4)	प्रतिषिद्ध वृक्षों को छोड़कर अन्य वृक्षों की सूखी जलाऊ लकड़ी	आवश्यकतानुसार
(5)	लताओं से बकौड़े (जड़ों के नहीं)	"—"
(6)	सभी पत्ते (तेंदू पत्ते छोड़कर)	"—"
(7)	सभी खाये जाने वाले फल—फूल (महुआ और अचार को छोड़कर	"—"
(8)	सभी घास (बगई, रूसा और खस को छोड़कर) और अन्य झाड़िया	"—"
(9)	कांटे (खैर को छोड़कर) और अन्य झाड़िया	"—"

नोट—(1) निस्तार के अंतर्गत रेहट के लिए लकड़ी नहीं दी जाएगी पर मुख्य वन संरक्षक की विशेष आज्ञा से महसूल देकर अलग से प्राप्त की जा सकेगी.

(2) वर्जिज जाति के झाड़ों की सूची निम्नलिखित है—

(1) सागवान (2) सरई, (3) छिवला या पलास (लाख के रकबों में), (4) कुसुम, (5) हर्रा, (6) चंदन, (7) खैर, (8) बीजा, (9) हल्दू, (10) शीशम, (11) तून, (12) खमार, (13) तेंदू, (14) अचार, (15) कहुआ, (नाला अथवा नदी के किनारे), (16) कुल्लू, (17) सेमल, (18) घोंट, (19) महुआ, और (20) सादन (जहां हल के लिए दूसरी लकड़ी उपलब्ध न हो).

(3) सरई (साल) वर्जित है, लेकिन जहां पर गैरवर्जित जाति की लकड़ी उपलब्ध न हो तो सरई निस्तार के लिए दी जा सकती है.

(4) निस्तार लायेंस 'अ' क्लास (आरक्षित वन) के जंगलों से, सिर्फ उन जंगलों को छोड़कर जहां पर निस्तार खास कारणों से बंद कर दिया गया है, तख्ती के मुताबिक दिया जाएगा.

(5) निस्तार की वस्तुएं केवल निस्तारी, उसके नौकर या मजदूरों द्वारा निकाली जा सकेगी.

(6) किसी जंगल से किसी किस्म के व्यापारिक निस्तार की (केवल सिरबोझ द्वारा जलाऊ लकड़ी को छोड़कर) स्वीकृति न दी जाएगी.

(7) (अ) सभी झाड़ जमीन की सतह से 1'—3' काटे जावेंगे तथा ठूंठ ठीक तरह से बनाऐ जावेंगे.

(ब) बांस 1' से 2' की ऊंचाई पर काटे जावेंगे और कम से कम एक गांठ जमीन के ऊपर अवश्य छोड़ी जाएगी.

(स) कम से कम कुल भीरे का एक तिहाई या पांच हरे बांस, जो भी अधिक हों, प्रत्येक भीरे में छोड़े जावेंगे. इनमें नवीन कहलाने वाले बांस की संख्या सम्मिलित होगी.

2. 'स' वर्ग के जंगलों से निस्तार की वस्तुएं निःशुल्क तथा आवश्यकतानुसार प्राप्त की जा सकेगी. संख्या का कोई प्रतिबंध न रहेगा. इन जंगलों से निस्तार के लिए एक वर्ष से अधिक आयु के हरे बांस निःशुल्क दिए जाते हैं.

3. सभी अंधे व अशक्त व्यक्ति तथा आश्रयहीन विधवाएं नजदीकी निस्तारी क्षेत्र से निःशुल्क निस्तार प्राप्त कर सकेंगे.

4. गांवों के निवासी, जो (अ) वर्ग के जंगलों में पूर्णतः सम्मिलित हैं, उन वनों में निःशुल्क निस्तार प्राप्त करने के अधिकारी है. मुख्य वन संरक्षक, किसी अन्य गांव वालों को भी किसी कारण से जिसका विवरण संबंधी आदेश में अंकित रहेगा, यही सहूलियतें दे सकेंगे. आंशिक रूप से सम्मिलित गांवों की वर्तमान सहूलियतें बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद न ली जा सकेंगी.

इमारती लकड़ी, मलगे और ईंधन—

5. निस्तारीगण, जो निश्चित संख्या से अधिक वनोपज प्राप्त करना चाहते हों, अपनी आवश्यकता की वस्तुएं नजदीकी बाजार या ठेकेदारों के कूपों से खरीदेंगे. यदि 10 मील के अंदर कोई कूप न हो तो मुख्य वन संरक्षक निर्धारित दर से महसूल देने पर या यदि संभव हो तो विभागीय कूप खोलकर जनता की आवश्यकता की पूर्ति का प्रबंध कर सकेंगे.

6. गांव वाले इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी ठेकेदारी कूपों से वन मण्डलाधिकारी द्वारा निश्चित किए गए दर पर प्राप्त कर सकते हैं.

7. काश्तकारों की निस्तार पूर्ति के लिए विभागीय कूप नहीं काटे जाते हैं. वन मण्डलाधिकारी 30 रूपये कीमत तक लकड़ी एवं मुख्य वन संरक्षक 100 रूपये कीमत तक की लकड़ी निर्धारित दर से दे सकते हैं. 100 रूपये से अधिक कीमत की लकड़ी के लिए शासन के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी.

8. शहराती क्षेत्र के निवासी तथा अन्य लोगों को, जो निस्तार के हकदार नहीं है, उन्हें जलाऊ लकड़ी, वर्जित झाड़ों को छोड़कर 1 रूपया प्रति गाड़ी तथा छः आने खच्चर बोझ की दर से दी जाएगी.

ईंधन, सिरबोझ एवं कांवर बोझ से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है.

सभी डिवीजनों के लिए फी नग इमारती लकड़ी के दर–

गोलाई की नाप मोटे सिरे से तीन फुट पर	प्रतिषिद्ध वृक्ष	अन्य सभी वृक्ष
	रू. आ. पा.	रू. आ. पा.
6"	0 1 0	0 0 3
6"	0 3 0	0 1 0
1 फुट के ऊपर 1।। फीट तक ..	0 8 0	0 6 0
1 फुट से ऊपर 2 फीट तक ..	1 0 0	0 12 0
2 फीट से ऊपर 2।। फीट तक ..	2 0 0	1 8 0
2।। फीट से ऊपर 3 फीट तक ..	3 0 0	2 4 0

3 फीट से ऊपर इमारती लकड़ी का महसूल रवन्ना रू. 0–8–0 की घनफुट प्रतिषिद्ध (वर्जित) वृक्षों के लिए तथा रू. 0–4–0 फी घनफुट अन्य सभी वृक्षों के लिए होगी. इमारती लकड़ी वनों की दशा व प्राप्त वृक्षों की संख्या को दृष्टिकोण में रखते हुए ही दी जा सकेगी.

बांस–

9. हरेका लाइसेंस वाले और किसानों के मजदूर और दीगर लोग, जिन्हे की कुटुम्ब पर निस्तार की सुविधाएं छप्परबंदी के अनुसार दी जाती है, उन्हें 25 सूखे बांस निस्तार के हेतु दिएजावेंगे.

घास –

10. विनिमय कर देने वाले बगई, रूसा और खस के अलावा सभी किस्म की घास निकाल सकते है. दीगर लोग इन घासों को महसूल देकर निकाल सकते हैं.

11. विनिमय पद्धति के अंतर्गत खैर के कांटे दोड़कर सभी किस्म के कांटे तथा दूसरी झाड़ियां निस्तार के लिए निकाल सकते हैं.

लघु खनिज पदार्थ–

12. जमीन की सतह पर पड़ा हुआ लघु खनिज पदार्थ निर्धारित सिर्ख का महसूल देने पर निकाला जा सकता है. जमीन की सतह पर पड़ा हुआ पत्थर विनिमय पद्धति के अंतर्गत निकाला जा सकता है.

खाये जाने वाले फल–फूल इत्यादि–

13. (अ) सभी खाये जाने वाले फल, फूल, तेंदू, महुआ और अचार को छोड़कर गांव वाले जरूरत के अनुसार निकाल सकते हैं. इसी तरह सभी किस्म की पत्तियां भी तेंदू पत्ती छोड़कर निःशुल्क निकाली जा सकती हैं.

(ब) जंगल के अंदर महुआ के वृक्ष चार आने की वृक्ष की दर से किसानों को दिएजाते हैं.

(स) अचार दीगर छोटी पैदावार के साथ बेचा जाता है.

व्यावसायिक निस्तार–

14. निम्नलिखित कारीगरों को वार्षिक महसूल देकर निस्तार की सुविधाएं 'स' वर्ग के जंगल से दी जाती है–

कारीगर	दर
अगरिया या लोहार	2 रूपये
लखेर व कचेर	1 रूपया
औधिया	2 रूपये
काछी	1 रूपया
चर्मकार	1 रूपया, सब प्रकार की पत्ती के लिए.
आबकारी कलार	1 से 25 रूपये तक के ठेकों के लिए, उसके बाद की 25 रूपये या इसके अंश के लिए 12 आने.
चूना–भट्टावाले चुनर	6 रूपये निश्चित आकार के भट्टों से प्रत्येक बार.
बसोड़	3 रूपये वार्षिक प्रति कुटुम्ब, सभी जंगलों से बशर्ते कि बांस बेचा नहीं जाएगा तथा बांस की निकासी सिर या कांवर बोझ द्वारा की जायेगी
कुंदेर	8 रूपये सालाना फी वसूला, हल्दू की लकड़ी निकालने के लिए.

विशेष रियायतें तथा सुविधाएं–

15. अग्नि से पीड़ित लोगों को लकड़ी एवं अन्य चीजें निःशुल्क नीचे लिखे मुताबिक दी जाती है–

वन मण्डलाधिकारी द्वारा	100 रूपये कीमत तक निर्खनामा की. दर से.
वनसंरक्षक द्वारा	200 रूपये की दर से.
मुख्य वन संरक्षक द्वारा	500 रूपये की दर से.

किस किस्म की कितनी वस्तुएं दी जाएगी यह निश्चित नहीं है.

16. नये स्कूल की इमारत बनाने के लिए 100 रूपये तक की कीमत की लकड़ी जिलाध्यक्ष की सिफारिश पर दी जाती है.

17. आश्रम की इमारतें तथा दीगर इमारतें, जो शासन की ओर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति की उन्नति के लिए बनाई जाती हैं, उनके लिए लकड़ी तथा बांस मुफ्त दिए जाते है.

चराई–

18. कोई व्यक्ति, जो व्यापार की दृष्टि से विन्ध्यप्रदेश में मवेशी चरावे अथवा उन्हें चरता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान घुमाता रहे, राहदारी रवन्ना प्राप्त करना होगा. यह रवन्ना विन्ध्यप्रदेश से बाहर आने वालों को विन्ध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के स्थान में ही प्राप्त करना होगा ऐसे मवेशियों के मालिकों, एजेंटों या कोई भी व्यक्ति को, जिनके कब्जे में ऐसे मवेशी हों, आवश्यक होगा. कि वन विभाग द्वारा स्थापित सर्वप्रथम बैरियर (नाका) पर रवन्ना प्राप्त कर लेवें.

19. एक वर्ष से कम आयु के गाय–भैंस के बछड़ों तथा 6 माह से कम आयु के भेड़–बकरी के बच्चे उन मवेशियों के साथ, जिनकी चराई फीस अदा हो चुकी है, निःशुल्क चर सकेंगे, किन्तु चराई के रवन्नों के विशेष विशेष विवरण के खाने में ऐसे बच्चों की संख्या स्पष्ट रूप से लिखी रहनी चाहिये.

20. 'अ और 'ब' के वनों में भेड़, बकरियां, ऊंट और हाथी चराने की अनुमति निर्खनामा के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने पर दी जाएगी. यह लाइसेंस केवल व्यापारिक तथा राहदारी चरू दर पर दिया जाता है।

❑❑❑

भोपाल क्षेत्र

निस्तार

'क' सामान्य

विनिमय सशुल्क अथवा निःशुल्क–

1. ग्रामवासियों को कृषि के काम के लिए विविध लकड़ी तथा दूसरे निजी निस्तार के लिए जलाऊ लकड़ी, घास, कांटे, पत्ते, पत्थर, मिट्टी तथा छुई राजस्व विभाग के अंतर्गत अधिकृत जमीन से निःशुल्क तथा बिना अनुमति–पत्र के गांव की सरहद के भीतर से लाने का सम्मिलित अधिकार रहेगा.

2. रैयतवारी वन जो कि संरक्षित घोषित किएगऐ हों तथा रैयतवारी वन जो राजस्व विभाग के अंतर्गत हों, का जहां तक संबंध है, ग्रामवासी उसी गांव की सरहद के अंदर से या यदि वाजिब–उल–अर्ज में उपबंध हो तो दूसरे ग्राम से कृषि में लगने वाले औजारों के लिए इमारती लकड़ी निःशुल्क ला सकते हैं.

इमारती लकड़ी, मलगे तथा जलाऊ लकड़ी–

3. कृषि, में लगने वाले औजारों के लिए विविध जाति की लकडी (सिवाय साज के प्रथम वर्ष की लकड़ी छोड़कर) निस्तार की दर पर फी लकड़ी दर पर दी जाती है. ग्रामवासियों को पटेल तथा पटवारी द्वारा जारी किएगऐ प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पासेस जारी करने पड़ते हैं और ये रवन्ना पेड व्हेन्डर या लाइसेंस व्हेण्डर जारी करते है. ग्रामवासी अपनी आवश्यकता के अनुसार आरक्षित तथा संरक्षित वन से लकड़ी ला सकते हैं इसके लिए कोई परिमाण निश्चित नहीं है.

टिप्पणी–भोपाल क्षेत्र में वृक्षों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार है–

प्रथम वर्ग के वृक्ष– सागौन, तिन्सा, शीशम, बीजा, नीम, साज, सेमल, दुधई तथा पाण्ढा.

द्वितीय वर्ग के वृक्ष– चिरिया, कोहा, खैर, टेमरू, बबूल, हल्दू, धावड़ा, धामन, बहेड़ा, कुसुम, इत्यादि.

तृतीय वर्ग के वृक्ष– दूसरे सब प्रकार के वृक्ष जैसे कालिया, सेजा, वेल, अमलतास, आंवला इत्यादि.

4. ग्रामवासियों को अथवा दूसरे ग्रामवासियों को जिन्हें उसी ग्राम के वन क्षेत्र पर से निस्तार प्राप्त करने का अधिकार है, मूल्यावान इमारती लकड़ी तथा राजस्व विभाग के अंतर्गत अनधिकृत भूमि पर उगने वाले फलदार वृक्ष को छोड़कर जिन्हें बतौर हक के काटने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती वन निर्खनामें के अनुसार चालीस रूपये तक की लकड़ी देने का अधिकार नाजिम (कलेक्टर) को है.

5. मकानों को बनाने तथा उनकी मरम्मत के लिए चालीस रूपये तक की लकड़ी राजस्व वनों से निःशुल्क देने का अधिकार नाजिम को है. इस धनराशि से अधिक की इमारती लकड़ी के लिए शासन के राजस्व विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा. मकानों के बनाने के लिए तथा दुरूस्ती के लिए इमारती लकड़ी का परिमाण निम्नलिखित है–

पटेल	..	40 रूपये
कृषक	..	25 रूपये
मजदूर	..	10 रूपये

6. गरीब कृषक तथा भूमिहीन मजदूर जिनमें हरिजन तथा आदिवासी भी सम्मिलित है, की मांग की पूर्ति के लिए आरक्षित तथा संरक्षित वनों में कर्तन या विभागीय कूपों से प्राप्त लकड़ी बिना हानि और लाभ के आधार पर बेची जाएगी. रियायत की पात्रता उच्चतम 15 एकड़ या इससे कम निश्चित किया गए है तथा ग्रामीण उसी ग्राम का निवासी हो जिसमें कि उसकी भूमि है.

7. ग्रामीण कृषक 30 रूपये तक की लकड़ी निर्धारित दर पर जंगल के डिपो से जो बिना हानि और लाभ के आधार पर रखे गऐ हैं, ला सकता है. सरपंच या ग्राम–सेवक के जिसे प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है, प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी.

8. ठेकेदारों को 24 इंच से कम की गोलाई की इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी कृषकों को निर्धारित दर के अनुसार अथवा इकरारनामें में वन मण्डलाधिकारी द्वारा निश्चित की हुई दर से देना होगा.

9. ग्रामवासी अपने निजी निस्तार के लिए जलाऊ लकड़ी राजस्व विभाग के अंतर्गत अनधिकृत भूमि से तथा वन विभाग के संरक्षित रैयतवारी वनों से निःशुल्क ला सकेंगे. गांव की सरहद के अंदर से जलाऊ लकड़ी लाने के लिए अनुमति–पत्र की आवश्यकता नहीं है. भोपाल की सरहद के अरक्षित वनों से सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझों से निःशुल्क ला सकते हैं. आरक्षित तथा सुरक्षित जागीरदारी जंगलों से वास्तविक उपयोग के लिए जलाऊ लकड़ी गाडी बोझ से निस्तार के दर से ला सकते हैं.

बांस–

10. निर्धारित दर पर बांस निकाले जा सकते हैं.

घास–

11. कोई भी व्यक्ति आरक्षित जंगल तथा राजस्व वन क्षेत्र के किसी भी हिस्से से घास बीड़ों को छोड़कर घास चराई के लिए तथा छप्पर छाये के हेतु अपने निस्तार के लिए ला सकते है. आरक्षित जंगल से घास निर्खनामा के दर के अनुसार लाया जा सकेगा. घास बीडे आम नीलाम से बेची जावेगी.

बाड़ी के लिए सामग्री–

12. किसी भी वन क्षेत्र से कांटे निःशुल्क लाए जा सकते है. बाड़ी की अन्य सामग्री निस्तार के दर के अनुसार आरक्षित जंगल अथवा संरक्षित जागीर जंगलों से लाई जा सकती है. खंगड़ लकडी निर्खनामें में दिए गए गाड़ी बोझ के दरसे आधे दर में लाई जा सकेगी अर्थात कठिबंध नं. 1 में फी गाड़ी बोझ 3 रूपये 12 आने, कटिबंध नं. 2 में फी गाड़ी बोझ 2 रुपये 8 आने, तथा कठिबंध नं. 3 में फी गाड़ी बोझ 1 रूपया 4 आने.

भोपाल क्षेत्र में निस्तार के दर के लिए कटिबंधों का वर्गीकरण–

कटिबंध नं. 1– शाहगंज, मर्दानपुर, औबेदुल्लागंज, गौहरगंज, हुजूर, सीहोर, बिल्कीसगंज, दीवानगंज, सेमरू, इछावर, दुराहा, शाहाबाद तथा मऊ तहसील.

कटिबंध नं. 2– बैरसिया, रायसेन, सुल्तानपुर, गैरतगंज, तथा शामपर तहसील.

कटिबंध नं. 3– बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, देवरी बारी बरेली, नसरूल्लागंज, आष्टा तथा जवार तहसील.

क्षुद्र खनिज पदार्थ–

13. निजी उपयोग के लिए क्षुद्र खनिज पदार्थ निःशुल्क लाये जा सकते हैं.

खाद्य फल इत्यादि–

14. जन–साधारण महुआ, अचार, बेर, तथा टेमरू (तेंदू) फल निःशुल्क ला सकते है.

व्यावसायिक निस्तार–

15. चर्मकार– धोकरी (धवा) के पत्ते (चमड़ा पकाने के लिए) किसी भी क्षेत्र से निःशुल्क ला सकते हैं.

16. बंसोड़– भोपाल तथा सीहोर कस्बों में बसोर टोकनी बनाने के लिए सिहारू निःशुल्क ला सकते हैं.

17. कुम्हार– सीहोर, रायसेन, भोपाल, आष्टा, बैरसिया, तथा बेगमगंज कस्बों को छोड़कर जहां कि सामग्री के लिए निर्खनामें के दर के अनुसार महसूल लिया जाएगा, मिट्टी तथा रेत निःशुल्क ला सकते हैं. यदि माल क्षेत्र की हद्द के बाहर निकाला जाएगा तो उसके लिए महसूल देना होगा.

18. खरादी– खिलौना के उद्योग के लिए स्थानीय खरादियों को दूधी की लकड़ी बुदनी परिक्षेत्र से फी गाड़ी बोझ दो आने के दर से दी जाएगी.

19. कंघी बनाने वाले– कंघी के उद्योग के लिए पूरे क्षेत्र में पापड़ा फी गाड़ी बोझ दो आने की दर से दिया जाएगा.

विशेष रिआयतें तथा सुविधाएं–

20. आरक्षित जंगल तथा संरक्षित वन से वन संरक्षक द्वारा इमारती लकड़ी निजी आवश्यकतानुसार प्राकृतिक विपत्तियों अर्थात आग तथा नदी की बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को बिना भेदभाव किए निःशुल्क दी जाएगी.

21. शासन द्वारा विकास–योजनाओं के लिए ठेकेदारों को बेचे गऐ पूर्ण कूपों की कीमत 5 प्रतिशत इमारती लकड़ी खरीदी जा सकती है.

चराई–

22. प्रत्येक काश्तकार प्रत्येक 7 एकड़ अधिकृत भूमि के लिए 1 बैल या 1 बोदा निःशुल्क चरा सकता है. उक्त बतलाई हुई तादाद से अधिक मवेशी के लिए निर्धनामे के दर के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना होगा.

23. प्रत्येक गौंड को निश्चित ग्रामों में 15 मवेशी निःशुल्क चराने का अधिकार है. यही सुविधा आदिवासियों या उसी प्रकार अन्य उल्लेखित ग्रामवासियों को भी लागू होगी. उल्लेखित ग्रामों की तालिका निम्नलिखित है–

	नाम तहसील	नाम ग्राम
1.	सीहोर	
2.	मर्दानपुर	
3.	रायसेन	
4.	बेगमगंज	
5.	सिलवानी	
6.	उदयपुरा	
7.	सुल्तानपुर	
8.	गैरतगंज	
		सभी गांव
9.	बारी	
10.	गौहरगंज	
11.	दीवानगंज.	
12.	मऊ	
13.	इछावर.	
14.	बारोली.	
15.	औबेदुल्लागंज.	
16.	शाहपुर (सर्फेखास	
17.	शाहगंज	विनेकी, चचनऊ, चांदला हगनुपर तथा नीमखेड़ी
18.	बैरसिया.	बीजापुर, खबरा, खंडरिया, तथा मानापुरा
19.	आष्टा	आमखेड़ा और बरखोला,
20.	नसरूल्लागंज	सिलाइन, किशनपुर, मनकोट, नवलगांव तथा पिपलानी,

24. "अ" वर्ग वनों में बकरी तथा भेड़ निर्धनामे के दर के अनुसार चरा सकते हैं.

□□□

"मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पत्र"

1. **25 जनवरी 2001** को मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश को ग्राम स्वराज की स्थापना बाबत् लिखा पत्र।
2. **23 अप्रैल 2003** को मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा वन भूमि का राजस्व विभाग को हस्तांतरण वन विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 4325/2983/10/2/75, दिनांक 18 सितम्बर 1975 के संबंध में जारी किया गए आदेश।
3. **02 दिसम्बर 2003** को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अधिसूचित एवं अन्य संरक्षित वनों को आरक्षित वन घोषित करने हेतु कार्यवाही बाबत् जारी परीपत्र।
4. **24 जुलाई 2004** को मध्य प्रदेश शासन मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल द्वारा वन राजस्व भूमि का सीमांकन बाबत् जारी आदेश।
5. **05 अगस्त 2004** को कार्यालय आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म.प्र. शासन द्वारा वन विभाग द्वारा राजस्व को अंतरित जमीनों के राजस्व अभिलेखों में तीस वर्षो से भी संशोधन न हो पाने बाबत् विषयक जारी आदेश।
6. **30 सितम्बर 2004** को मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय कार्यालय भोपाल ने वन विभाग द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र को डीनोटीफाई किए जाने से राजस्व विभाग को अंतरित भूमि के भू–अभिलेखों में संशोधन विषय के संबंध में जारी किया आदेश।
7. **25 जनवरी 2005** कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भूप्रबंध द्वारा वन भूमि का भारतीय वन अधि. 1927 की धारा 34अ में डीनोटाफाईड भूमि राजस्व को अन्तरित किया जाकर अभिलेखों में संशोधन की कार्यवाही बाबत् जारी आदेश।
8. **10 जून 2008** को मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों के दावों सम्बंधी प्रक्रिया बाबत् जारी आदेश।
9. **08 दिसम्बर 2009** को मध्य प्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा वन भूमि के अधिकारों की व्यवस्थापन बाबत् जारी आदेश।
10. **24 जुलाई 2012** को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2011 अपील क्रमांक 19869/2010 की अवमानना विषयक लिखा पत्र।
11. **31 मई 2014** मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वर्किंग प्लान में सम्मिलित भूमियों पर पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों के तहत नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपा जाना विषयक पत्र जारी किया।
12. **10 अप्रैल 2015** को म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 एवं धारा–4(1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलिखित किए जाने बाबत् जारी किया गए आदेश।
13. **21 मई 2015** को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष वन भू–अभिलेख) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के संकलन हेतु प्रस्ताव विषयक जारी किया पत्र।
14. **01 जून 2015** को मध्य प्रदेश शासन मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आरक्षित वनखण्डों का गठन विषय पर जारी किया आदेश।

छत्तीसगढ़ राज्य

15. **24 नवम्बर 2006** को कार्यालय संचालक, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी किया गए आदेश।
16. **02 अगस्त 2014** को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड रायपुर द्वारा राजपत्र में प्रकाशित धारा 34अ की अधिसूचनाओं के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित क्षेत्र के मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन करने बाबत् जारी किया आदेश।

17. **05 जनवरी 2015** को छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत नारंगी क्षेत्र की अधिसूचना के संबंध में जारी किया आदेश।

18. **30 अप्रैल 2015** को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि संबंधी विषयों की शिकायत एवं जांच की मांग के संबंध में जारी किया गए आदेश।

19. **01 अप्रैल 2015** को छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया राथपुर द्वारा विषय–वन विभाग द्वारा निर्वनीकृत वन भूमियों को नारंगी क्षेत्र दर्शाकर वन के रूप में अधिसूचना संबंधी प्रस्तावों पर "बुनियाद" के श्री अनिल गर्ग के आपत्तियों पर चर्चा हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक दि. 08.04.2015 के संबंध में जारी आदेश।

20. **06 मई 2015** कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड रायपुर (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–भू–प्रबंध) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के संकलन हेतु हमारा प्रस्ताव बाबत् विषय पर जारी किया गए पत्र।

❑❑❑

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-1/136/10-2-/2000 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2001

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश,
भोपाल।

विषय :- ग्राम स्वराज की स्थापना।

प्रदेश में ग्राम स्वराज लागू करने के संबंध में गठित किये गये टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित अधिकार ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

1. संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समस्त प्रकार की समितियों का संचालन ग्रामसभा के निर्देशन में होगा।

2. ग्रामसभा क्षेत्र में स्थित वनों से ग्रामीणों को निस्तार [illegible] उसकी व्यवस्था करेगी। [illegible] इमारती [illegible] आवश्यक लकड़ी इत्यादि के लिये अथवा [illegible] ऐसी जरूरतों के लिये [illegible] निकालने के लिये ग्राम सभा संबंधित अधिकारियों को [illegible] वनों के [illegible] की एक योजना बनायेगी।

3. ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित वनों के विभागीय दोहन या कार्यक्रम करने के पहले वन विभाग के लिये ग्राम सभा से परामर्श अनिवार्य होगा।

4. क्षेत्रों में वनों के संरक्षण, पर्यावरण में सुधार और आजीविका या रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिये सक्षम होगी।

5. ग्राम सभा अपने क्षेत्र से निकलने वाली या गुजरने वाली [illegible] और वनोपज की जाँच पड़ताल के लिये सक्षम होगी।

6. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के विकास, संरक्षण, संग्रहण, विपणन का संपूर्ण अधिकार।

7. लघु वनोपजों के गैर लाभकारी विदोहन के लिये ग्राम सभा क्षेत्र में [illegible] मात्रा की सीमा ग्राम सभा तय करेगी।

8. राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के संबंध में ग्राम सभा संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों के पालन में सहयोग देगी।

9. कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र के लिये अथवा एक से अधिक ग्राम सभा मिलकर किसी जिला या विकास खण्ड की सभी ग्रामसभायें व्यापक क्षेत्र के लिये वन विभाग से अलग [illegible] अराष्ट्रीयकृत वनोपज को खरीदने के लिये न्यूनतम मूल्य या विभिन्न वस्तुओं के बीच वस्तु विनिमय की दर निर्धारित करेगी।

10. कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन [illegible]

11. अराष्ट्रीयकृत औषधि पौधों का संवर्धन, रख-रखाव [illegible]

12. चराई शुल्क की वसूली।

[illegible]

45

10. यह व्यवस्था दिनांक 26 जनवरी, 2011 से प्रभावशील होगी।

हस्ता/-
(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्र.-3/136/10-2/2010 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 201

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6. समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मनोज कुमार
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय (वल्लभ भवन) भोपाल–462004
Government of Madhya Pradesh
Forest Department Mantralaya,
Bhopal-462004
Tel : 576593 (O)

अर्ध शा० पत्र क्रमांक R 600/1344/10-3/03
भोपाल, दिनांक 23 अप्रेल, 2003

विषय:– वन भूमि का राजस्व विभाग को हस्तांतरण– वन सचिव का अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 4325/2983/10/2/75, दिनांक 18 सितम्बर, 1975

प्रिय

तत्कालीन सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग ने अपने उपरोक्त सन्दर्भित अर्ध शासकीय पत्र द्वारा जो जिलाध्यक्षों को संबोधित था, वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का जिलेवार विवरण देते हुए विस्तृत निर्देश दिये थे। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

2/ उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के पालन में कुछ जिलों में वन भूमि का प्रभार राजस्व विभाग द्वारा ले लिया गया था तथा भूमि का आबंटन भी प्रारंभ कर दिया गया था। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि आपके जिले में कितनी भूमि का हस्तांतरण विधिवत् वन विभाग से प्राप्त किया गया तथा कितनी भूमि में पट्टे बांटे गये हैं। कृपया 18–9–75 के आदेश के पालन में आपके जिले में जो भी कार्यवाही की गयी हो उसके संबंध में निम्न जानकारी भेजने का कष्ट करें:–

(क) वन विभाग से विधिवत् कितनी भूमि का प्रभार प्राप्त किया गया।
(ख) प्रभार में ली गयी भूमि पर कितने लोगों का आवंटन किया गया।
(ग) यदि भूमि का प्रभार नहीं लिया गया तो उसका क्या कारण था ?

भवदीय

(मनोज कुमार)

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक (भू–सर्वेक्षण), मध्यप्रदेश, भोपाल.

क्रमांक/एफ–7/16/10/11/95/4996 भोपाल, दिनांक 02.12.2003

प्रति,

वनसंरक्षक,

.....

मध्यप्रदेश.

विषय भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अधिसूचित एवं अन्य संरक्षित वनों को आरक्षित वन घोषित करने हेतु कार्यवाही।

संदर्भ मुख्य सचिव म.प्र. शासन द्वारा ली गई बैठक दिनांक 15.09.2003.

—00—

अविभाजित म.प्र. के 14170 वन खण्डों में से लगभग 2411 वन खण्डों में वर्ष 1967 तक व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा धारा 20 में अधिसूचना जारी हो चुकी है शेष 11759 वन खण्डो के व्यवस्थापन की कार्यवाही इस समय विभिन्न चरणों में लंबित है। जिसमें से विभाजित/ उत्तरवर्ती म.प्र. के लगभग 6048 वन खण्ड है जिनकी धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही की जानी है। इनमें से कुछ की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी हो चुकी है कुछ में धारा 4 की अधिसूचना विभिन्न कारणों से शेष है। दिनांक 24.05.87 को मंत्री परिषद समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि :–

(1) जिन वन खण्डों के व्यवस्थापन की अंतिम अधिसूचनायें अभी प्रकाशित नहीं हुई है उनके संबंध में वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पुन: परीक्षण किया जावे। वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वन खण्डों का पुन: स्थल निरीक्षण किया जावे और यदि आवश्यक हो तो संबंधित पक्षकारों की पुनः सुनवाई की जावे।

(2) जिन वन खण्डो के संबंध में अधिसूचना जारी करने के प्रारूप शासकीय मुद्राणालय भेजे गये है, उन्हें वापस लिया जावें।

(3) जिन वन खण्डों के प्रकरण जिलाध्यक्ष/ आयुक्त कार्यालयों में अग्रिम कार्यवाही हेतु लंबित है, उन्हे भी वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के लिए वापस लिया जावें।

दिनांक 15.09.2003 को मुख्य सचिव द्वारा उक्त कार्य को सम्पादित करने हेतु प्रमुख सचिव (वन), प्रमुख सचिव (सामान्य/प्रशासन), प्रमुख सचिव (राजस्व), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक (भू–सर्वेक्षण), अपर सचिव, विधि एवं विधायकी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो कि वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में भी अधिसूचित है, उन्हीं के माध्यम से संरक्षित वनो को आरक्षित वनो में अधिसूचित कराने का कार्य कराया जाये। इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। यह कार्य माह दिसम्बर 2003 से प्रारंभ किया जाकर 16 माह में पूर्ण किया जावेगा, यह भी निर्णय लिया गया है कि दिसम्बर 2003 से संभागीय स्तर पर बैठक बुलाई जाये जिसमें समस्त वन अधिकारियों के अलावा समस्त जिलाध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बुलाकर उन्हें प्रक्रिया समझायी जावे। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यथा संभव इन बैठकों की अध्यक्षता की जावेगी।

दिनांक 27.11.2003 को प्रमुख सचिव (वन) द्वारा ली गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यालय स्तर से 7 उप वनसंरक्षक एवं समस्त वनसंरक्षक कार्यालयों से एक–एक वन अधिकारी जो सहायक वनसंरक्षक से कम न हो को मुख्यालय बुलाकर वन व्यवस्थापन अधिकारियों के कर्तव्य दायित्व एवं प्रक्रिया से संबंधित दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर एवं ट्रेनर्स टीम तैयार की जावे जो प्रत्येक संभागीय मुख्यालय जाकर संबंधित वन व्यवस्थापन अधिकारी तथा संबंधित वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे।

अतः आप अपने–अपने वृत्त से संबंधित अधिकारी का नाम तत्काल सूचित करें और उन्हें मुख्य वनसंरक्षक (भू–सर्वेक्षण) के कार्यालय में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2003 को प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने के आदेश जारी करें।

मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–7/16/10/11/95/4997 भोपाल, दिनांक 02.12.2003

प्रतिलिपि:–

(1) समस्त प्रभारी मुख्य वनसंरक्षक वृत्त .... को सूचनार्थ। कृपया उक्त कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित मुख्य वनसंरक्षक अपने–अपने वृत्तों के लिये समय–समय पर करने का कष्ट करें जिससे व्यवस्थापन कार्य समय सीमा से पूर्ण हो सके।

(2) समस्त संभाग आयुक्त को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) समस्त कलेक्टर जिला .... को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया समस्त अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपरोक्त बाबत् सूचित कर प्रारम्भिक तैयारियां करने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें। वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिये दिशा निर्देश हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका शीघ्र ही भेजी जा रही है।

(4) समस्त वनमंडलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वनमंडल के अंतर्गत धारा–4 में अधिसूचित संरक्षित वन खण्डो की जानकारी संबंधित वन व्यवस्थापन अधिकारी को उपलब्ध कराये। वनमंडलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे, कि भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिये कोई क्षेत्र शेष नहीं है। यदि कोई क्षेत्र शेष है तो तत्काल उसके प्रस्ताव अधिसूचना जारी कराने हेतु इस कार्यालय में भेजे।

(5) अपर सचिव, वन को दिनांक 27.11.2003 को प्रमुख सचिव के साथ हुई बैठक के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 230/cs/04 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2004

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,

2. समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः- वन राजस्व भूमि का सीमांकन।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त जिलों में अगले 6 माह में अभियान चलाया जाकर वन-राजस्व भूमि सीमा निर्धारण अंतिम रूप से किया जाए। अतः आपसे अपेक्षा है कि जिले के क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी के साथ मिलकर एक कार्ययोजना बनाये जिसमें जिले के अंतर्गत जहां वन भूमि है, विवाद हो या न हो, राजस्व तथा वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से उन स्थलों का निरीक्षण करे तथा दोनों विभाग अपने अपने अभिलेखों में स्थिति को अद्यतन करें तथा सीमा का निर्धारण करें। वन राजस्व सीमा निर्धारण के समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाये:-

(1) म.प्र. वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत ग्रामवार जिन खसरा नंबरों का अंशतः या पूर्ण भाग आरक्षित या संरक्षित वन घोषित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, क्या उनमें आरक्षित या संरक्षित वन के नोटिफिकेशन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है ?

(क) यदि हाँ तो धारा 4 के अंतर्गत शेष रहे खसरा नंबरों को राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने की अधिसूचना प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार किया जाकर अधिसूचना जारी की जाये एवं तदनुसार वन राजस्व विभाग के अभिलेखों में सीमा संशोधन करे ।

(ख) यदि नहीं तो वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा शेष रही भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर तदनुसार वन तथा राजस्व के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित किया जाए ।

(2) [illegible] वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार नहीं हो सका है, तो भी वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही [illegible]

(3) वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा वन क्षेत्रों को राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है (यथा अधिसूचना क्रमांक 3788-दस-2-75 दिनांक 25 अगस्त, 1975 जो मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.12.1975 में प्रकाशित है) उक्त अधिसूचनाओं के अनुरूप वन तथा राजस्व विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें।

(4) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर दिनांक 31.12.1976 तक की 85,250.71 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि पात्र अतिक्रामकों को [illegible] दी गई थी। इन अभिलेखों का भी परीक्षण कर राजस्व तथा वन विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें।

(5) उपरोक्तानुसार ही यदि अन्य प्रकरणों में भी वन तथा राजस्व विभाग द्वारा एक दूसरे को भूमियों का हस्तांतरण हुआ है, तो इन समस्त प्रकरणों के परीक्षण उपरांत ही संबंधित ग्राम के राजस्व नक्शों में (मूल बंदोबस्त नक्शे की अनुरेखित प्रति में) वन राजस्व सीमा लक्षण अंकित की जाय।

(6) उपरोक्तानुसार तैयार ग्राम नक्शा मूलतः दो प्रतियों में तैयार कर उसका प्रमाणीकरण दोनों विभाग के अधिकृत अधिकारी संयुक्त रूप से पद मुद्रा सील सहित करें। यह नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जाय जिसकी एक-एक प्रति दोनों विभाग के जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाय। इसी नक्शे के आधार पर पटवारी के चालू नक्शे में भी संशोधित कर प्रमाणीकरण कर लिया जाए।

(7) वन क्षेत्र में उत्खनन लीज का नवीनीकरण कराया जाना कोई वैधिक अधिकार नहीं है। यदि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उलंघन हो रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में उत्खनन लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाय।

2/ इस कार्य के लिये समस्त कलेक्टर अपने जिले के एक उप जिलाध्यक्ष को नामांकित करें जो जिले के वनमंडलाधिकारी के साथ मिलकर इस कार्य को गति देंगे। जिले की कार्य योजना उपरोक्त [illegible] निर्देश में लिखे गये बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की जाये, साथ ही योजना को क्रियान्वित करने के लिये दोनों विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किये जायें।

3/ आप निम्न जानकारी प्रमुख सचिव वन एवं राजस्व को एक सप्ताह के अंदर भेजें:-

(1) जिले में पदस्थापित उप जिलाध्यक्ष का नाम, दूरभाष क्रमांक (निवास एवं कार्यालय)

(2) वन मंडलवार योजना तैयार करने का दिनांक, योजना की कार्यविधि तथा योजना के क्रियान्वयन के लिये गठित किये गये दलों की संख्या।

4/ योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ किया जावे तथा प्रत्येक माह के प्रगति प्रतिवेदन से निर्धारित प्रपत्र में प्रमुख सचिव, वन एवं राजस्व को अवगत करावेंगे, जो संकलित प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करेंगे। समस्त जिलों से कार्यवाही पूर्ण होने पर जिला कलेक्टर तथा वन मंडलाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि-

(1) जिलों में वन और राजस्व भूमि का सीमांकन हो गया है;

(2) दोनों विभागों की भूमि का अंतरण हो गया है;

(3) भूमियों के मध्य सीमांकन चिन्ह स्थापित कर दिये गये है; एवं

(4) भूमि अंतरण के संबंध में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और आवश्यक अधिसूचनाएं आदि जारी हो चुकी है।

प्रत्येक जिला कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी क्रियान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये, नियमित रूप से उसकी समीक्षा करें एवं प्रगति से अवगत करायें। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, वन और प्रमुख सचिव, राजस्व संयुक्त रूप से मॉनिटरिंग करें एवं जिस जिले से लगातार 2 माह तक कार्यवाही अधूरी रहे उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

(बी.के.साहा)
मुख्य सचिव

पृ.क्रमांक 231/CS/04 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2004

प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन राजस्व/ वन विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव

कार्यालय आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म.प्र.

क्रमांक / /बन्दो./रा.नि./17.04/2004 ग्वालियर, दिनांक

प्रति

कलेक्टर

जिला–झाबुआ, बैतूल, बालाघाट, टीकमगढ़, मुरैना, खरगोन, मण्डला, भिण्ड, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, सतना, दतिया, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, [illegible], देवास, रायसेन, विदिशा, गुना, धार, रतलाम, रीवा, दमोह, छतरपुर, शहडोल, सीधी व मन्दसौर

विषय :– वन विभाग द्वारा राजस्व को अंतरित जमीनों के राजस्व अभिलेखों मे तीस वर्षो से भी संशोधन न हो पाने बाबत ।

संदर्भ :– मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 932/04/सात–2ए भोपाल दिनांक 22.7.04।

विषयांकित प्रकरण मे मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के साथ संलग्न सतपुड़ा लैण्ड सर्वे एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर का पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि धारा 34 अ के तहत निर्वनीकरण अधिसूचनाओं द्वारा जिन ग्रामो मे वन नही है उनको चिन्हांकित किया गया था तथा उसकी अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित कर दी गई थी, किन्तु इस अधिसूचनाओं के आधार पर राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों मे संशोधन नही किये गये है, जिसके फलस्वरूप इन ग्रामों मे अभी भी वन एवं राजस्व विवाद बना हुआ है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट में दिये गये अधिसूचना दिनांको के आधार पर राजपत्र मे प्रकाशित विषयांकित अधिसूचनाओं की प्रतियों के आधार पर अपने अपने जिले मे राजस्व तथा वन विभाग के अभिलेखो तथा नक्शों की दोनो विभाग के सयुक्त दलों द्वारा संशोधित कराया जाकर उन्हे दोनो विभागों के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाये, ताकि इन ग्रामों में वन राजस्व सीमा विवाद की समस्या का समाधान हो सके ।

उप–आयुक्त
वास्ते आयुक्त अभिलेख एवं बन्दोबस्त
म.प्र.

पृ.क्र. 3539/बन्दो./रा.नि./17–04/2004, ग्वालियर, दिनांक 5.8.2004

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. माननीय जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष म.प्र. विधान सभा की ओर सूचनार्थ ।
3. अनिल गर्ग, सतपुड़ा लैण्ड सर्वे एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर कोठीबाजार बैतूल की ओर सूचनार्थ ।

उप–आयुक्त
वास्ते आयुक्त अभिलेख एवं बन्दोबस्त

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंत्रालय

कार्यालय भोपाल

पत्र क्रमांक एफ 16–23/04/सात/   दिनांक 30 सितम्बर 2004

प्रति,

जिलाध्यक्ष

जिला बैतूल

मध्य प्रदेश

विषय :– वन विभाग द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र को डीनोटिफाई किये जाने से राजस्व विभाग को अंतरित भूमि के भू–अभिलेखों में संशोधन बाबत् ।

ऐसा ध्यान में लाया गया है कि आप के जिले से संबंधित कतिपय संरक्षित वन क्षेत्र को इंडियन फारेस्ट एक्ट, 1927 की धारा 34–अ, के अंतर्गत डी–नोटिफाई किया जाकर राजस्व भूमि के रूप मे अंतरित किया गया है, किन्तु ऐसे अंतरित क्षेत्र के भू–अभिलेख का व्यवस्थित अद्यतीकरण नही किया जा सका है जिससे अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है ।

2. वन विभाग स्तर पर आपके जिले से संबंधित अब तक उपलब्ध ऐसी अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। यह हो सकता है कि इसके अतिरिक्त अन्य अधिसूचनाए भी हो । कृपया सभी ऐसी अधिसूचनाओं को संकलित कराए और वन विभाग के मैदानी अधिकारियों से सम्पर्क कर अधिसूचनाओं मे प्रश्नाधीन भूमि के सर्वे नम्बर एवं रकबा की जानकारी प्राप्त कर उन्हें व्यवस्थित स्वरूप मे नियमानुसार भू–अभिलेख मे दर्ज करायें । इस प्रकार भू–अभिलेख का अद्यतीकरण किया जाये।

3. चूंकि अधिसूचना जारी हुये काफी समय व्यतीत हो चुका है और राजस्व अभिलेखों मे संशोधन नही हो पाया है । अतः राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मैदानी अधिकारियों से इस कार्य को एक अभियान के रूप में कराया जाना होगा । इस कार्य को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के एजेण्डा मे सम्मिलित कर इसकी प्रगति से विभाग को समय समय पर अवगत करने का कष्ट करें ।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्र. क्रमांक एफ 16–23/04/सात /2ए   भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध मध्यप्रदेश भोपाल.

क्रमांक/एफ- 9/10-11/268 भोपाल दिनांक 25.01.05

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल
म0प्र0

विषय: भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 अ में डी-नोटिफाइड भूमि राजस्व को वापिस किया जाकर अभिलेखों में संशोधन की जाना बाबत।

1. गत विधान सभा में उपरोक्त विषयान्तर्गत अभी तक वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा अभिलेख संशोधित नहीं किये जाने का मुद्दा उठाया गया है। इसमें मुख्य बिन्दु यह है कि वर्ष 1972 – 1975 तक जिन संरक्षित वन की भारतीय वन अधिनियम धारा 27 एवं 34 अ के अंतर्गत निर्वनीकरण किया गया था क्या उक्त भूमि राजस्व विभाग को वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित की गई है या नहीं, अगर कि गई हो तो क्या दोनों विभागों के अभिलेखों में संशोधन किया गया है अथवा नहीं?

2. इस विषय के संदर्भ में म0प्र0 शासन के ज्ञापन क्रमांक/230/बी.एस./04/दिनांक 24 जुलाई 2004 के द्वारा समस्त कलेक्टर एवं समस्त वन मंडलाधिकारी को वन राजस्व भूमि का सीमांकन की कार्यवाही विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश जारी किये गये हैं। अतः इस प्रकार की कार्यवाही भी इन निर्देशों में समाहित है।

3. इसी तारतम्य में यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आवश्यकतानुसार वन/ राजस्व अभिलेखों में भी संशोधन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत आपके वन मंडल में धारा 27 एवं 34 अ के तहत डी-नोटिफाइड भूमि का अधिपत्य सौंपे जाने एवं अभी तक अभिलेखों में किये गये संशोधन पूर्ण किये जाने की जानकारी प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा पूर्व में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 782 सत्र नवम्बर – दिसम्बर में भेजी गई 34 अ के तहत जारी अधिसूचनाओं व दिनांक की संकलित प्रति संलग्न प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

पृ0क्र0/एफ-9/10-11/269 भोपाल दिनांक 25.01.05

प्रतिलिपि –

1. समस्त वन संरक्षक म0प्र0 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध
म0प्र0 भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : व.अधि./08/1047 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,

मध्यप्रदेश।

विषय : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों के दावों सम्बंधी प्रक्रिया।

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्त सामुदायिक दावों की संख्या नगण्य है, जो कि चिंताजनक है। अतः कृपया अपने स्तर पर समस्त उपखण्ड स्तर समिति के अध्यक्ष, वन विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के समिति सदस्यों की एक बैठक शीघ्र बुला ली जावे, जिसमें उन्हें निम्नानुसार निर्देश दिये जायें:

1. राजस्व ग्राम के वाजिबुल अर्ज एवं निस्तार पत्रक से छांटकर समस्त वन भूमियों/छोटे-बड़े झाड़ के जंगल पर परम्परा से कायम कोई भी रूढ़ि या निस्तार के अधिकार की जानकारी संकलित कर ली जाए। इसी प्रकार वन विभाग की निस्तार पुस्तिका से अधिसूचित वन क्षेत्र में जो भी निस्तार के अधिकार परम्परा से चले आ रहे हैं उनकी जानकारी भी ग्रामवार तैयार कर ली जाए। इस संकलित जानकारी की एक प्रति सम्बंधित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत सचिव को उपलब्ध करायी जाए और उन्हें सलाह दी जाए कि वे इनसे सम्बंधी सामुदायिक अधिकार के दावे निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत कर दें ताकि उनका सत्यापन होकर मान्य करने की कार्यवाही हो सके।

2. इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे सामुदायिक अधिकार हो सकते हैं जो न तो निस्तार पत्रक में है और न ही वन विभाग की निस्तार पुस्तिका में दर्ज है। अतः ग्राम सभा को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि किसी भी वन भूमि में किसी भी प्रकार की पूजा/प्रार्थना से सम्बंधित स्थान तक जाने आने का अधिकार शवदाह/कब्रिस्तान का अधिकार, बैठक/चौपाल करने का अधिकार, जड़ी बूटियों महुआ फूल आदि के प्रसंस्करण करने वाली जगह पर सामुदायिक अधिकार इत्यादि के लिए भी पृथक से सामुदायिक अधिकार का दावा करना होगा। इससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति से बचा जा सकेगा। इसमें किसी जंगली नदी/नाले के किनारे नहाने, कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने आदि जैसे अधिकार भी शामिल समझे जाना चाहिए।

2. इस बैठक के बाद सामुदायिक अधिकार के दावों की प्राप्ति और उनके सत्यापन/निराकरण की सतत मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि किसी भी आदिवासी/वन निवासी समुदाय का कोई भी वन भूमि सम्बंधी सामुदायिक अधिकार अज्ञानतावश रिकार्ड होने/मान्यता प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।

(ओ.पी.रावत)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

क्रमांक / ब.अधि./08/1047 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2008

प्रतिलिपि :

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, भोपाल
9. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग भोपाल।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग भोपाल।
12. प्रधान मुख्य वन सरक्षक, वन विभाग।
13. आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.।
14. समस्त डी.एफ.ओ. मध्यप्रदेश।
15. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश।
16. संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
17. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग..... मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक/2756/R 26741/10-3/07 भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर, 2009

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय: वन भूमि के अधिकारों की व्यवस्थापन।

--00--

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत आरक्षित वन बनाने के विनिश्चय की अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके पश्चात् वन व्यवस्थापन अधिकारियों को शेष कार्यवाही करनी होती है। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत भी अधिकारों का निर्धारण करना होता है जिसके लिए कलेक्टर ही सक्षम अधिकारी है।

2. वर्ष 1988 में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है, तथा वन व्यवस्थापन अधिकारियों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत भी साथ मे भेजे गये है।

3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि को आरक्षित वन बनाये जाने हेतु 46 जिलों के 6,520 वनखण्डों मे सम्मिलित 3,004,624 हेक्टेयर भूमि के व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है।

4. इसी तरह वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण के 736 ग्रामो में सम्मिलित भूमियों पर अधिकारों ,के विनिश्चय की कार्यवाही की जाना है। प्रचलित प्रावधानो के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों मे स्थित सभी ग्रामो को पुनंर्वासित किया जाना वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रो मे स्थित इन ग्रामों मे निवासरत ग्रामीणों के अधिकारो का विनिश्चियन जब तक नही हो जाता तब तक उन्हें पुनंर्वासित किया जाना संभव नही है।

5. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 एव वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत अभ्यारण्य एव इसी अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा मे सम्मिलित भूमियो मे किसी व्यक्ति के अधिकारो के दावों के व्यवस्थापन के कार्यों मे संबधित कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

6. प्रदेश में वर्ष 1988 से विभिन्न कारणों से वन व्यवस्थापन के कार्य में प्रगति नहीं हुई है। इस दिशा में वांछित प्रगति लाने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश 2009 तैयार किये गये हैं, जो आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।

7. यह अपेक्षा की जाती है कि कलेक्टर अपने जिले के अन्तर्गत चल रहे वन व्यवस्थापन के कार्यों की नियमित समीक्षा करें एवं कार्यों में गति लाने हेतु समुचित कार्यवाही करें।

(प्रशान्त मेहता)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृ०/क्रमांक [illegible]
प्रतिलिपि

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक [illegible]
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक [illegible] दिनांक 04.12.08 [illegible]
3. [illegible]

अपर मुख्य सचिव
म०प्र०शासन, वन विभाग

वन भू अभिलेख/शिकायत

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आ योजना एवं वन – भू अभिलेख) मध्य प्रदेश , भोपाल

क्रमांक/व.भू.अभि./शिकायत/2012/ 699

भोपाल , दिनांक 24/ 07 /2012

प्रति ,

श्री अनिल गर्ग

कोठीबाजार बैतूल

मध्यप्रदेश ।

विषयः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2011 अपील क्रमांक 19869/2010 की अवमानना ।

संदर्भ– आपका पत्र दिनांक 04.05.2012.

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव महोदय को सम्बोधित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28.01.2011 को पारित आदेशानुसार सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निर्धारित भूमियों एवं संसाधनों जैसे तालाब पर किये गये अतिक्रमणों को बेदखल कर संबंधित ग्राम सभा एवं पंचायतों को ऐसी भूमियाँ एवं संसाधन सौंपे जाने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन/आरक्षित वन संबंधित ग्राम पंचायत का भाग नहीं होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 28.01.2011 पंचायत उपबन्ध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है । भारतीय वन अधिनियम,1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 4 में अधिसूचित वनखण्डों में धारा 5 से 19 के अन्तर्गत वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का विनिश्चयन अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है । इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ – 25– 70 / 2001 /10–3 दिनांक 11.05.2012 जारी किया गया है

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत वनभूमि के काबिज दावेदारों की पात्रता का निर्धारण करके नोडल आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अधिकार पत्र वितरित किये जा रहे हैं ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2011, पंचायत उपबन्ध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों की अवहेलना करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(जे.पी. शर्मा) 24/07/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन भू अभिलेख)

क्रमांक/व.भू.अभि /शिकायत/2012/ 700

भोपाल , दिनांक/24/ 07 /2012

प्रतिलिपि : सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य सचिव कार्यालय का कम्प्यूटर कोड क्रमांक – सीएस/86123/2012/ पीजी दिनांक 11.06.2012 के तारतम्य में म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक डी– 1628 / 1751 / 2012 / 10–3 दिनांक 10.07.2012 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

24/7/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन भू अभिलेख)

E:\CCF FLR SECTION\Complaint- APCCF FLR\Grievance 17-11-07-To 2010-2011.doc -544-

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक / एफ 25–13 / 2013 / 10–3 भोपाल, दिनांक 31 मई, 2014

प्रति,

श्री कल्लू सिंह उइके,
मटन मार्केट के पास,
कोठी बाजार, बैतूल,
जिला–बैतूल।

विषय:– पर्किंग प्लान में सम्मिलित भूमियों पर पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों के तहत नियत्रण एवं प्रबंधन सौंपा जाना।

–0–

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव कार्यालय का कम्प्यूटर कोड न. सीएस / 93776 / 2013 / पीजी, दिनांक 26.07.2013 के संबंध में निम्नानुसार लेख है:–

(i) संरक्षित एवं आरक्षित वनों में मध्यप्रदेश ग्राम नियम 1977 के अंतर्गत स्थापित ग्रामों को वनग्राम कहा जाता है। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा–2 (य–5) में परिभाषित ग्राम राजस्व ग्राम कहलाते हैं। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–1 (2) निम्नानुसार है:–

"इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है किन्तु इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई भी बात भू–राजस्व के भुगतान के लिये भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू–राजस्व के निर्धारण, भू–राजस्व की उगाही से सम्बन्धित उपबन्धों को और उनसे आनुषगिक समस्त उपबन्धों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अधीन समय–समय आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाए" परन्तु इस संहिता के पूर्वोक्त उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों में धारा–59 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजन के लिये, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से लागू होंगे। मध्यप्रदेश वनग्राम नियम 1977 तथा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–1 एवं 2 की फोटो प्रतियाँ संलग्न हैं।

(ii) इस उपधारा से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की उपरोक्त धारा–1 (2) के तहत उल्लेखित भू–राजस्व के निर्धारण और उगाही से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर कोई भी प्रावधान आरक्षित एवं संरक्षित वनों पर लागू नहीं होते। अतः निस्तार आदि के लिये आपके पत्र में भू–राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं को लागू करने की माग संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(iii) सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बाहर राजस्व क्षेत्रों के लिये हैं। अतः पंचायतों के कार्यों में राजस्व क्षेत्रों में लोगों के खेतों और शासन की भूमियों पर फार्म वानिकी / सामाजिक वानिकी किया जाना सौंपने के लिये संविधान के अनुच्छेद–247–छ–सहपठित संविधान की ग्यारवहीं अनुसूची के मद संख्या– 6 में दिया गया

है। ऐसे क्षेत्रों से लकड़ी का उत्पादन करके ईंधन का प्रबंधन और चारे का उत्पादन करके चारे का प्रबंधन करने की शक्ति और प्राधिकार भी पंचायतों को उक्तानुसार मद संख्या–12 में दिये गये है। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षों से प्राप्त लघु वनोपज के प्रबंधन की शक्ति और प्राधिकार मद संख्या–7 में दिये गये है। चूंकि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत परिभाषित ग्राम आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बाहर स्थित होते हैं, अतः उक्त प्रावधान आरक्षित एवं संरक्षित वनों के लिये न होकर राजस्व क्षेत्रों में स्थित ग्रामों की पंचायतों के लिये ही है।

(iv) पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा–4 (ड) (ii) में गौण वनोपज का स्वामित्व अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों और ग्राम सभाओं को दिया गया है के परिप्रेक्ष्य में राजस्व ग्रामों की पंचायत एवं ग्रामसभाओं को आरक्षित एवं संरक्षित वनों में पैदा होने वाले लघु वनोपज (गौण वनोपज) के अधिकार सौंपा जाना कंडिका (iii) से संचालित होगा।

(v) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित आरक्षित एवं संरक्षित वनों की सुरक्षा विकास तथा प्रबंधन के लिये वन समितियों वन की सीमा से पाँच किलोमीटर की दूरी तक स्थित राजस्व ग्रामों और वनों में स्थित वनग्रामों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वन समितियां बनाई गई है। ऐसी समितियों की वन प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें वनों से कुछ सुविधायें भी दी गई है। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित वन समितियों के संचालन एवं नियंत्रण हेतु विभागीय पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2001 से ग्राम स्वराज की स्थापना के अंतर्गत ग्रामसभा को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। अतः वनों की सुरक्षा और विकास के दायित्व के साथ–साथ उक्त अधिकार संयुक्त वन प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को दिये गए है।

(vi) संयुक्त वन प्रबंधन समितियां राजस्व ग्रामों में भी है एवं उनकी पंचायतों और ग्रामसभाओं को ग्राम स्वराज की स्थापना के अंतर्गत अधिकार प्रत्यायोजित है।

(vii) पंजाब प्रान्त के एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित तालाब की भूमि पर भवन निर्माण किये जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक / 19869 / 2010 में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2011, में आदेशित है कि तालाब सार्वजनिक प्रयोजन के लिये होता है इसलिए तालाब पर भवन निर्माण किया जाना अवैध है। अतः इस भूमि को ग्राम पंचायत को पुनः सौंपे जाने के संबंध में आदेशित किया गया है। यह प्रकरण वन भूमि से संबंधित न होकर राजस्व भूमि का है। यह भी उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा प्रबन्धित आरक्षित एवं संरक्षित वन भी सार्वजनिक शासकीय सम्पत्ति है। सार्वजनिक हित के लिये पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु वनों का होना आवश्यक है। जहाँ–जहाँ वन है वहाँ भरपूर वर्षा होती है तथा वहाँ का पर्यावरण भी शुद्ध होता है। मनुष्य एवं अन्य जीवों के जीवित रहने के लिये ऑक्सीजन और जल प्राथमिक आवश्यकताएं है। इनकी प्राप्ति के लिये वनों का होना अनिवार्य है। वनों से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग सभी लोग करते हैं। इसी तरह वनों से निकलने वाले जल का उपयोग सभी लोग करते है। इसके अतिरिक्त वनों से प्राप्त होने वाले सभी उत्पादों का उपयोग सार्वजनिक हित में होता है। काष्ठ एवं अन्य उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व से प्रदेश में जनहित की विकास योजनाओं और अन्य सार्वजनिक कार्यों के संचालन में किया जाता है। इस तरह वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वनों का उपयोग

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ही है न कि उक्त सिविल याचिका से संबंधित तालाब की भूमि की तरह किसी बिल्डर द्वारा निजी उपयोग के लिये। जनहित में वनों को सुरक्षित रखने के लिये ही भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये वन विभाग के द्वारा इनके प्रबंधन की व्यवस्था की हुई है। अतः पंजाब के उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुये ग्रामसभाओं को वनों का प्रबंधन सौंपे जाने की मांग न तो विधिसंगत और तर्कसंगत है और न ही सार्वजनिक हित में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये कार्य आयोजनाओं का बनाया जाना अनिवार्य किया है और यह कार्य तकनीकी रूप से दक्षता प्राप्त वन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अतः वन विभाग द्वारा प्रबन्धित, आरक्षित तथा संरक्षित वनों को सार्वजनिक नहीं मानते हुये ग्राम सभाओं को सौंपे जाने की आपके द्वारा मांग किया जाना असंगत एवं आधारहीन है।

31/5/14

(नानकराम लालवानी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक/एफ 25-13/2013/10-3 भोपाल, दिनांक: मई, 2014

प्रतिलिपि:-

निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल का कम्प्यूटर कोड क्रमांक/सीएस/93776/2013/पीजी, दिनांक 26.07.2013 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त की गई कार्यवाही को देखते हुए, उक्त मॉनिट विभाग की लंबित मॉनिट सूची से विलोपित कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक/एफ 25–36/2005/10–3 भोपाल, दिनांक:10 अप्रैल, 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश

विषय :– भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 एवं धारा–4 (1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2015

—0—

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ उक्त पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमियों में व्यक्ति एवं समुदाय के विद्यमान अधिकारों को अभिलिखित किये जाने के संबंध में है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन एवं धारा–4 (1) अन्तर्गत अधिसूचित प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों को, सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा जाँच कर संभवतः अभिलिखित नहीं किये गये हैं।

3/ अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि उक्तानुसार भूतपूर्व में अधिसूचित संरक्षित वन एवं प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों के स्वरूपों की जानकारी, सक्षम राजस्व विभाग के अधिकारियों से, अभिलिखित करवाकर, संबंधित वन मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही दो माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(ए.पी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ0क0/एफ 25–36/2005/10–3 भोपाल दिनांक:10 अप्रैल 2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी म.प्र., मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना एवं वन मण्डलाधिकारी, पालपुर कूनो अभ्यारण्य मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष वन भू–अभिलेख) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/वन भू–अभि/ 452 भोपाल, दिनांक 21 /05/2015

प्रति,

श्री अनिल गर्ग,
कोठी बाजार बैतूल,
म.प्र. 460001

विषयः– राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के संकलन हेतु प्रस्ताव।

संदर्भः – इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वन भू.अ./वनग्राम/301 दिनांक 24.01.2015

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पूर्व में आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित पत्र दिनांक 12.03.2015 में लेख किया गया था कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29, धारा–4(1), धारा–20, धारा–27, धारा–34(अ) एवं धारा–4(1) की संशोधित राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को संकलन कर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया था।

उपरोक्त के तारतम्य में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया था कि उक्त कार्य के लिये होने वाले व्यय का प्राक्कलन भेजने का कष्ट करें, ताकि शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जा सके। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आदिनांक तक आपका प्रस्ताव इस कार्यालय को अप्राप्त है। कृपया भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत आपके पास उपलब्ध उक्त धाराओं में प्रकाशित अधिसूचनाओं की (1) सूची (2) पृष्ठों की संख्या (3) इस पर होने वाले व्यय का प्राक्कलन का प्रस्ताव अविलंब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

21/05/15
(जे०पी० शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू–अभि0)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय,
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 774/F 22-08/2007/10-3 भोपाल, दिनांक 1 - जून 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:– आरक्षित वन खण्डों का गठन ।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 3 द्वारा राज्य शासन को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह किसी वन भूमि अथवा अनुपयोगी भूमि (वेस्ट लेण्ड) को जिसमें अथवा जिसकी वनोपज में उसे संपत्ति के अधिकार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्राप्त हैं, उसे अधिनियम के अध्याय 2 में उल्लिखित प्रकिया अनुसार आरक्षित वन खण्ड के रूप में गठित कर सकेगा । अध्याय 2 में उल्लिखित प्रकिया अनुसार राज्य शासन द्वारा विभिन्न वन भू–खण्डों तथा अनुपयोगी भू–खण्डों का गठन आरक्षित वन खण्डों के रूप में करने के आशय की अधिसूचना धारा 4 अंतर्गत प्रकाशित की जायेगी । धारा 4 अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड गठन के आशय की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् धारा 6 से धारा 18 तक में उल्लिखित प्रकिया का पालन करते हुये धारा 20 अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड गठन संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन अपेक्षित है ।

2/ वर्तमान में लगभग 6500 वन खण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 30 लाख हेक्टेयर है, का गठन आरक्षित वन खण्ड के रूप में किये जाने बाबत् राज्य शासन के विनिश्चयन के आशय की अधिसूचना का प्रकाशन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में किया गया है । परंतु अधिनियम की धारा 6 से धारा 18 तक की विधिक कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण इन वन खण्डों का आरक्षित वन खण्ड के रूप

में गठन करने संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन धारा 20 के अंतर्गत नहीं किया जा सका है ।

3/ अधिनियम की धारा 3 अनुसार राज्य शासन को केवल ऐसे भू–खण्डों को आरक्षित वन खण्ड घोषित करने हेतु ही विधिक अधिकार प्राप्त है जिन भू–खण्डों अथवा उनकी वनोपज पर राज्य शासन को पूर्ण या आंशिक संपत्ति के अधिकार प्राप्त हैं । राज्य शासन का ध्यान जन–प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर इस बिंदु पर आकृष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा धारा 4 अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना में ऐसे भू–खण्डों का भी त्रुटिवश समावेश हो गया है जो पूर्णतः निजी स्वामित्व के है। ऐसे भू–खण्डो का गठन आरक्षित वन के रूप में करने के विधिक अधिकार अधिनियम की धारा 3 अनुसार राज्य शासन में वेष्ठित न होने से ऐसे भू–खण्डों को धारा 20 अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड गठन की अधिसूचना जारी करते समय आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखना एक वैधानिक अनिवार्यता है । अतः वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्यरत अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से यह अपेक्षा है कि वह अधिनियम की धारा 11 उप धारा 2 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ऐसे पूर्णतः निजी स्वामित्व के भू–खण्डों को प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखने की कार्यवाही करे। की गई कार्यवाही की मासिक प्रगति संलग्न प्रपत्र 'अ' में उपलब्ध करायी जाना है।

4/ यदि प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड में सम्मिलित किसी भू–खण्ड पर निजी अधिकार आंशिक रूप से मौजूद हैं तो निजी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का राज्य शासन के पक्ष में स्वेच्छा से समर्पण करने पर उसे प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड में शामिल रखा जा सकता है, अन्यथा उसे अधिनियम की धारा 11 उपधारा 3 अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अर्जित करने की कार्यवाही की जा सकती है परंतु ऐसी विधिक प्रकिया हेतु भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11अ अनुसार निश्चित समय–सीमा निर्धारित है, जिसके उपरांत अनिवार्य– भू–अर्जन की कार्यवाही स्वमेव समाप्त हो जाती है । अतः ऐसे भू–खण्ड जिसमें शासन का संपत्ति का अधिकार आंशिक रूप से है तथा आंशिक रूप से निजी व्यक्तियों का संपत्ति पर अधिकार है, तो उन भू–खण्डों को निजी व्यक्तियों के संपत्ति के अधिकार के भू–अर्जन अधिनियम, 1894 अंतर्गत अनिवार्य अर्जन की कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 अंतर्गत पुनः अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात् ही की जा सकेगी। भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के निरसन पश्चात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की संबंधित धारा अंतर्गत उपरोक्त कार्यवाही की जायेगी।

5/ आरक्षित वन खण्ड गठन संबंधी विधिक कार्यवाही लंबे समय से लंबित रहने के कारण लगभग एक लाख ग्रामीण कृषि भूमि पर अपने विधिक अधिकारों का सम्यक रूप से अधिभोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षित वन खण्ड के गठन की कार्यवाही पूर्ण न होने से इन वन खण्डों के प्रबंधन में भी व्यवहारिक कठिनाई अनुभव की जा रही है । अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अध्याय दो अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही को प्राथमिकता से पूर्ण करने के लिये एक विशेष अभियान चलाया जाये जिसमें ऐसे भू–खण्डों पर विधिक कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण की जाये जिनमें पूर्णतः निजी स्वामित्व की भूमि का त्रुटिवश समावेश हो गया है ।

6/ अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव संबंधित संभागायुक्त के माध्यम से ही प्रेषित किये जाएंगे जिसकी प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दी जायेगी।

29/5/15

(अॅन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

पृ0क्र0 971/F 25-08/2015/10-3 भोपाल, दिनांक 1 जून 2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश ।
4. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

प्रपत्र "अ"

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में शामिल निजी भूमि के संबंध में की गई कार्यवाही की तहसील वार प्रगति

माह............/वर्ष.........

जिला .... वन मण्डल .... उप खण्ड (राजस्व) .... तहसील...............................

क्र.	धारा 4 में अधिसूचित प्रस्तावित वन खण्ड का विवरण			धारा 6 अंतर्गत उद्घोषणा क्रमांक व दिनांक	धारा 4 में अधिसूचित प्रस्तावित वन खण्ड में शामिल निजी क्षेत्र का विवरण						उन खण्ड की धारा 4 में अधिसूचना पश्चात् वर्ष 1976 तक के अतिक्रामकों का वर्ष 1990-91 में व्यवस्थापन उपरांत निर्वनीकरण (denotification) का विवरण			योग (11+14)	वन विभाग द्वारा संधारित एरिया रजिस्टर में निजी क्षेत्र को दर्ज करने का दिनांक	निजी क्षेत्र क्षेत्र की वन विभाग के 1:15000 नक्शों पर अंकन की स्थिति (हाँ/नहीं) हाँ की स्थिति में दिनांक	वन विभाग द्वारा संधारित एरिया रजिस्टर में दर्ज डीनोटिफाइड क्षेत्र को दर्ज करने का दिनांक	डीनोटिफाइड क्षेत्र की वन विभाग के 1:15000 नक्शों पर अंकन की स्थिति (हाँ/नहीं) हाँ की स्थिति में दिनांक	रिमार्क
	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	वनखण्ड का नाम	अधिसूचित क्षेत्रफल		ग्राम का नाम	भूमि स्वामी	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)			व्यवस्थापित व्यक्ति का नाम	खसरा नं. (अगर है तो)	डीनोटिफाइड वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)						
								शासन का आंशिक अधिकार	अधिकार रहित	योग									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

कार्यालय संचालक, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

:: आदेश ::

क्रमांक/539/ संचा.भू.अ/सर्वे.तक/2006. रायपुर, दिनांक 24.11.06

वन एवं राजस्व भूमियो को लेकर व्यापक गंभीर भूलों के संबंध में आयुक्त भू–अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय भोपाल से परिपत्र तथा अर्द्धशासकीय पत्र की छायाप्रति एवं सतपुड़ा लैण्ड सर्वे एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर कोठी बाजार बैतूल से जून/जुलाई 2005 में प्रकाशित पुस्तक की प्रति, प्राप्त करने हेतु श्री रामाज्ञा यादव, अनुरेखक कार्यालय संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर को शासकीय भ्रमण पर ग्वालियर, भोपाल एवं बैतूल मध्यप्रदेश जाने की अनुमति दी जाती है ।

संचालक
भू–अभिलेख
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक/5347/ संचा.भू.अ/सर्वे.तक2006. रायपुर, दिनांक 24.11.06

प्रतिलिपि :–

1 आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि वन एवं राजस्व भूमियों के संबंध में आपके द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 अगस्त 2004 एवं 30 सितम्बर 2004 की छायाप्रति तथा इसके अतिरिक्त भी आपके विभाग द्वारा कोई पत्र आदि जारी किया गया हो उसकी भी छायाप्रति उपरोक्त कर्मचारी को प्रदाय करने का कष्ट करें ।

2 प्रमुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि आपका अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 23.4.2003 (2) दो दिसम्बर 2003 का वन मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र । (3) 24 जूलाई 2004 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, द्वारा परिपत्र एवं (4) 20 अगस्त 2004 को वन विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र आदि की छायाप्रति उपरोक्त कर्मचारी को प्रदाय करने का कष्ट करें

3 श्री अनिल गर्ग, सतपुड़ा लैण्ड सर्वे एवं ट्रेनिंग सेन्टर को कोठी बाजार बैतूल मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि वन एवं राजस्व भूमियो को लेकर व्यापक गंभीर भूलों के संबंध में जून/जुलाई 2005 में प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति उपरोक्त कर्मचारी को प्रदाय करने का कष्ट करें ।

4 श्री रामाज्ञा यादव, अनुरेखक, मुख्याल रायपुर को पालनार्थ ।

24.11.06

संचालक
भू–अभिलेख
छत्तीसगढ़, रायपुर

5331/06

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233   मेल: ccflm_cg@yahoo.com

क्र./भू-प्रबंध/ज.सू./105/पार्ट-3/1 7 8   रायपुर दिनांक 2/08/2014

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय
नया रायपुर।

विषय – राजपत्र में प्रकाशित धारा 34 अ की अधिसूचनाओं के संबंध मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित क्षेत्र के मध्य प्रदेश के राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना मे संशोधन करने बाबत् ।

संदर्भ: – आवेदक श्री अनिल गर्ग का आवेदन क्रमांक 06 दिनांक 22.03.2014 (**प्रदर्श 'अ'**) ।
– जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर का पत्र क्रमांक/ज.सू./नस्ती क्र.-80/1054 दिनांक 16.07.2014 एवं पत्र क्रमांक 1088 दिनांक 22.07.2014

x x x x x

विषयान्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में 1965 से 1980 तक भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 अ तहत राज पत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है जिसमें से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संलग्नानुसार अधिसूचना का प्रकाशन हुआ है (**प्रदर्श 'ब'**)।

1. राज पत्र मे प्रकाशित अधिसूचना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एवं राज्य विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी भी तरह से कोई आदेश, निर्देश जारी नही किए गए है अपितु डीनोटीफाइड वन भूमियो को 14.05.1996 के परिपत्र के तहत माननीय वन भूमि याचिका क्रमांक 202/95 मे दिनांक 12.12.1996 के आदेश के बाद राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 13.01.1997 के तहत न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि को वन मानते हुए छत्तीसगढ़ वन विभाग और राजस्व विभाग ने कार्यवाही की है।

2. आवेदक, श्री अनिल गर्ग द्वारा संलग्न सूची मे उल्लेखित अधिसूचना की प्रतियॉं जो राज पत्र मे प्रकाशित की गयी है, उनके संबंध मे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा अभिलेख संशोधन हेतु आदेश जारी किया गया है (**प्रदर्श 'स'**)। उक्त आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अभिलेखो मे संशोधन किए जाने हेतु निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत यह प्रस्तावित है कि छत्तीसगढ़ राज्य मे वन एवं राजस्व विभाग द्वारा इस बाबद संयुक्त रूप से कार्यवाही की जावे।

अतः शासन स्तर पर निर्णय एवं कार्यवाही का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर)
(मुदित कुमार सिंह)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/ज.सू. 105/ पार्ट-3/1 7 8/   रायपुर, दिनांक 2/08/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

– सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

– मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता / शिकायत) एवं अपीलीय अधिकारी, वन विभाग, रायपुर।

– जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र क्र. 80/779 दिनांक 05.06.2014 के संदर्भ मे।

(हस्ताक्षर)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

जन सूचना अधिकारी,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) 06/08/14

956
06/08/14

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय: महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / एफ 5-25 / 2005 / 10-2
प्रति

रायपुर दिनांक / 01 / 2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय :- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) के तहत नारंगी क्षेत्र की अधिसूचना संबंधी।

संदर्भ :- 1. आपका ज्ञापन क्रमांक / भू-प्रबंध / नारंगी / 421-2 / 1629, दिनांक 22.07.2014
2. कलेक्टर नारायणपुर का अर्द्ध शासकीय पत्र क्र.384 दिनांक 16.09.2014
3. आपका अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक / प्र.मु.व.सं. / भू. प्रबंध / 421-2 / 1767, दि. 31.07.2014
4. आपका ज्ञापन क्रमांक / भू-प्रबंध / नारंगी / 421-2 / 2037, दिनांक 01.09.2014
5. श्री रामभूर्ति पाडे प्रधान संरक्षक जीवन कल्याण सेवा समिति,भोपाल का पत्र दि.12.11.2014
6. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 27.10.2014
7. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 14.08.2014
8. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 27.10.2014
9. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 27.10.2014
10. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 04.09.2014
11. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 27.10.2014
12. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 15.09.2014
13. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 05.11.2014
14. श्री अनिल गर्ग,बैतूल का पत्र दिनांक 27.10.2014
15. मुख्य वन संरक्षक कांकेर का ज्ञापन क्रमांक / स्टेनो / मा.चि. / 2014 दिनांक 14.10.2014
16. मुख्यमंत्री सचिवालय का ज्ञापन क्र. / 1947 / मुमस / 2014 002358 / वीआईपी दि.1.12.2014

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें।

2/- संदर्भित पत्र क्रमांक -1,3 तथा 4 में आपके द्वारा राज्य शासन को प्रेषित नारंगी क्षेत्र के अधिसूचना प्रस्तावों को शीघ्र अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3/- अधिसूचना प्रस्तावों के विपरीत संदर्भित पत्र क्रमांक 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के संदर्भित पत्र क्र. 16 में निम्नानुसार तथ्यों के **आधार पर** विरोध किया गया है :-

(i) संदर्भित पत्र क्र.2 में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में से एक जिले नारायणपुर के **कलेक्टर द्वारा 9255.09 हे. वनभूमि को डिनोटीफिकेशन कर राजस्व विभाग को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है।**

(ii) संदर्भित पत्र क्र.5 से 14 में श्री रामभूर्ति पाडे,भोपाल तथा श्री अनिल गर्ग, बैतूल द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक से नारंगी वन भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत वन के रूप में अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना दर्शाया है। श्री अनिल गर्ग के अनुसार **वन विभाग में अधिसूचना हेतु लंबित नारंगी वनक्षेत्र पूर्व से ही डिनोटीफाई किए जा चुके है।**

(iii) संदर्भित पत्र क्र.15 में मुख्य वन संरक्षक कांकेर द्वारा **मध्यप्रदेश शासन काल के राजपत्र दिनांक 16.09.1973 को संलग्न कर तहसील जगदलपुर, नारायणपुर, दंतेवाडा, कोंटा एवं कांकेर के विभिन्न ग्रामों का उल्लेख कर वन भूमि डिनोटीफाई किए जाने का लेख है।**

(iv) संदर्भित पत्र क्र.16 के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव का मुख्यमंत्री महोदय को की गई शिकायत दिनांक 28.10.2014 संलग्न है। जिसमें **श्री अनिल गर्ग, की शिकायत पर कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा उपरोक्त शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।**

4/- यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन को प्रेषित नारंगी वनभूमियों के अधिसूचना प्रस्ताव को परिमार्जन कराए जाने हेतु विधि विभाग प्रेषित किए जाने पर विधि विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही उक्त प्रस्तावों को परिमार्जित किए जाने के निर्देश दिये गये है :-

1. जिन भूमियों को अधिसूचित किया जाना है उक्त भूमि वर्तमान में जिस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित है उस अधिसूचना की प्रति।

2. वर्तमान में जिस विभाग की भूमि अधिसूचना हेतु प्रस्तावित है उस विभाग का अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जाय।

3. अधिसूचना की साफ्ट कापी प्रदाय किया जाय।

4. परिक्षेत्रवार अधिसूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाय।

5. धारा 4 धूमि आरक्षित वन बनाने की विभाग की मंशा दर्शाता है । किंतु अभी जो अधिसूचना प्रस्ताव प्रारूप में लिखा है उसके अनुसार विभाग द्वारा आरक्षित वन बनाने के निर्णय का उल्लेख है । विधि विभाग के अनुसार इस अधिसूचना प्रारूप को भी सुधार कर इस प्रारूप में वन विभाग की ओर से आरक्षित वन घोषित किए जाने की केवल मंशा दर्शाने कहा गया है एवं उक्त प्रस्तावित भूमि पर व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा दावा आपत्तियों हेतु आम जनता को अपना पक्ष रखने के लिए समय सीमा को भी उल्लेख करना होगा ।

5/– उक्त स्थिति में आपके द्वारा राज्य शासन को आज पर्यन्त प्रेषित नारंगी भूमि के अधिसूचना प्रस्तावों में निम्न बिंदुओं पर टीप/जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें :–

(i) श्री टी.एस.सिंहदेव का मुख्यमंत्री महोदय को की गई शिकायत, श्री अनिल गर्ग "बुनियाद", श्री राम मूर्ति पाण्डे भोपाल के अनुसार वन विभाग में अधिसूचना हेतु लंबित नारंगी वनक्षेत्र पूर्व से ही डिनोटीफाई किए जा चुके हैं जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न अधिनियमों जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927, वन अधिकार अधिनियम 2006, भू–राजस्व संहिता 1959, पेसा कानून 1996, संविधान की 11वीं अनुसूचि आदि का उल्लंघन होना दर्शाया जा रहा है । उक्त शिकायतों का अध्ययन कर नियमानुसार प्रस्तावों में संशोधन/टीप प्रेषित करें।

(ii) कलेक्टर नारायणपुर द्वारा लगभग 9255 हे. राजस्व वन भूमि अथवा वन प्रबंधन के अनुपयुक्त पाये गये वन क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने का अनुरोध किया गया है । अधिसूचना हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त प्रस्तावों में तदनुसार डिनोटिफाई की गई भूमियाँ सम्मिलित तो नहीं हो गई है। इस बाबत् कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

(iii) विधि विभाग द्वारा चिंहित उक्त 05 बिन्दुओं पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(iv) पूरे प्रदेश से राज्य शासन को प्राप्त हुए उपरोक्त अधिसूचना प्रस्ताव अत्याधिक मात्रा में है जिनका अक्षरशः परीक्षण राज्य शासन स्तर पर किये जाने हेतु पर्याप्त तकनीकी स्टाफ नहीं है । विधि विभाग को भी आवश्यक होने पर प्रकरणवार मैदानी स्थिति की जानकारी प्रदाय किये जाने हेतु मैदानी अमले की आवश्यकता होगी । उपरोक्त कार्य हेतु नारंगी ईकाईवार प्रभारियों तथा मानचित्रकारों की–उनके यहां उपलब्ध वन खंडों के अनुपात में मंत्रालय में कार्य हेतु ड्यूटी लगाई जावे ताकि साफ्ट कापी के साथ ये कर्मचारियों अधिकारियों उनके ईकाई के प्रस्तावों को परीक्षण तथा विधि विभाग में प्रस्तुतिकरण/वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु उपलब्ध रहें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 5–25/2005/10–2 रायपुर, दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय छत्तीसगढ़ को उनके ज्ञापन क्र./1947/मुमंस/2014 002358/सीआईपी,दिनांक 1.12.2014 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. श्री रामभूर्ति पांडे, प्रधान संरक्षक जीवन कल्याण सेवा समिति, एस 14 डी, सेक्टर पानी टंकी के पास कोलार रोड, भोपाल को उनके ज्ञापन दिनांक 12.11.2014 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. श्री अनिल गर्ग "बुनियाद" कोठी बाजार बैतूल मध्यप्रदेश को उनके संदर्भित ज्ञापनों के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 875 /52/सात–3/2015 नया रायपुर, दिनांक 30 APR 2015
प्रति,

आयुक्त
भू–अभिलेख
छ0ग0 रायपुर

विषय:– छत्तीसगढ राज्य में भूमि संबंधी विषयों की शिकायत एवं जाँच की माँग।
(शिकायतकर्ता– श्री अनिल गर्ग, कोठी बाजार जिला–बैतूल (म.प्र.)

—00—

उपरोक्त विषयॉन्तर्गत लेख है कि " बुनियाद " श्री अनिल गर्ग, निवासी कोठी बाजार, जिला बैतूल (म0प्र0) के द्वारा प्रस्तुत शिकायत (छायाप्रति संलग्न है) के संबंध में सचिव राजस्व विभाग महोदय द्वारा श्री अनिल गर्ग से दूरभाष पर चर्चा की गई है। सचिव महोदय की टीप दिनांक 20.04.15 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि श्री गर्ग के पास उपलब्ध दस्तावेज /नोटिफिकेशन की फोटोकॉपी प्राप्त किया जाना है। इस कार्य हेतु लगभग रूपये 50,000/– की आवश्यकता होगी।

अत: उक्त राशि का आहरण कर विभाग में किसी जिम्मेदार अधिकारी को अधिकृत कर 15 मई के बाद श्री अनिल गर्ग कोठी बाजार जिला–बैतूल के पास भेज कर उक्त दस्तावेज/नोटिफिकेशन की फोटोकॉपी प्राप्त कर, इस विभाग को उपलब्ध करायें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 30/4/15
(वाय0पी0दुपारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक 876 /52/सात–3/2015 नया रायपुर, दिनांक 30 APR 2015
प्रतिलिपि:–

1. श्री अनिल गर्ग बुनियाद कोठी बाजार जिला बैतूल (म0 प्र0) की ओर सूचनार्थ। कृपया संबंधित अधिकारी को उक्त दस्तावेज की फोटो कापी उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
2. श्री निशंक कुमार जैन, विधायक, गंज बासौदा, जिला विदिशा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर) 30/4/15
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 5–25/2005/10–2 रायपुर, दिनांक 01/04/2015

प्रति,

श्री अनिल गर्ग,
कोठीबाजार,
बैतूल, मध्यप्रदेश ।

विषय :– भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत नारंगी क्षेत्र को वन के रूप मे अधिसूचना संबंधी ।

संदर्भ :– 1. आपका पत्र दिनांक 14.08.2014, दिनांक 04.09.2014, दिनांक 05.09.2014, दिनांक 09.09.2014, दिनांक 15.09.2014, दिनांक 06.10.2014 तथा दिनांक 27.10.2014, ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र. /भू–प्रबंध/नारंगी/421–2/223 दिनांक 22.01.2015 ।

—00—

संदर्भित पत्र कमांक–1 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के अनुक्रम में नियमानुसार आवश्यक संशोधन/कार्यवाही करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर द्वारा उनके संदर्भित पत्र कमांक–2 के माध्यम से प्रदेश के सर्वसंबधित अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है, जिसकी छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग
रायपुर, दिनांक /4/2015

पृष्ठां कमांक एफ 5–5/2013/10–2.

प्रतिलिपि :–

अवर सचिव मुख्य सचिव को उनके टीप क्र. 4253/सीएस/2014/जी दिनांक 10.09.2014, क्र. 4459/सीएस/2014/जी दिनांक 22.09.2014, क्र. 5011/सीएस /2014 /जी दिनांक 30.10.2014, क्र. 5148/सीएस/2014/जी दिनांक 10.11.2014 तथा क्र. 5179/सीएस/2014/जी दिनांक 11.11.2014 के तारतम्य मे सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233 ई – मेल: ccflm_cg@yahoo.com

क्र./भू–प्रबंध/नारंगी/421–2/1154 रायपुर, दिनांक 6/5/2015

प्रति,

श्री अनिल गर्ग
कोठी बाजार, बैतूल
मध्यप्रदेश – 460001

विषय: – 'राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं के संकलन हेतु हमारा प्रस्ताव' बाबद।
संदर्भ: – आपका पत्र दिनांक 12.03.2015

× × × × ×

1. कृपया संदर्भित पत्र द्वारा राजपत्र में धारा 29, धारा 4 (i) धारा 20, धारा 4 (i) की संशोधित धारा 27 एवं धारा 34 (अ) की अधिसूचनाओं के संकलन प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसमें अधिसूचनाओं को छांटे जाने पर मजदूरी व्यय, राजपत्र की बाईंडिंग खोली जाकर फोटो कॉपी करवाने एवं पुनः बाईंडिंग करवाये जाने का व्यय अधिसूचनाओं की फाटो कॉपी पर आने वाले व्यय एवं अधिसूचनाओं की फोटो प्रतियों की बाईंडिंग पर आने वाले व्यय का भुगतान करने पर वर्ष 1960 से 1980 तक की समस्त अधिसूचनाओं की प्रतियाँ संकलित कर उपलब्ध करवाये जाने का लेख है।

2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त इस कार्य हेतु समन्वयक (नोडल अधिकारी) है। उनके द्वारा एक उप वन मंडलाधिकारी एवं एक परिक्षेत्र अधिकारी को आपकी सुविधा अनुसार बैतूल प्रवास पर भेजा जाना प्रस्तावित है। अतः संबंधित अधिकारियों को वर्ष 1960 से 1980 तक की समस्त अधिसूचनाओं की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

क्र./भू–प्रबंध/नारंगी/421–2/1155 रायपुर, दिनांक 6/5/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **उप सचिव**, मुख्य सचिव कार्यालय – छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. **प्रमुख सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़ को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ नारंगी/ 421–2/ 1008 दिनांक 20.04.2015 के संदर्भ में।

– उक्त कार्य हेतु एक उप वन मंडलाधिकारी एवं एक परिक्षेत्र अधिकारी जिन्हे नारंगी इकाई कार्यों का संज्ञान हो, को अधिसूचनायें प्राप्त करने हेतु श्री अनिल गर्ग की सुविधा अनुसार दूरभाष पर तिथि नियत कर बैतूल प्रवास पर भेजें।

– यह कार्य शीघातिशीघ्र पूर्ण करावें एवं आगामी बैठक हेतु श्री अनिल गर्ग, कोठी बाजार, बैतूल से चर्चा कर तिथि एवं समय निर्धारित कर अवगत करावें।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - "ड"

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, 462 004

क्रमांक-5/46/90/10-3/682 भोपाल, दिनांक

प्रति,

1- जिलाध्यक्ष,
बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, मंडला, बैतूल,
जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, खरगोन।

2- वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
दक्षिण बस्तर-मध्य बस्तर, पश्चिम बस्तर,
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कोंडागांव, कांकेर, भानुप्रतापपुर, पूर्व रायपुर,
नारायणपुर, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, मंडला, बैतूल, जबलपुर,
बिलासपुर, कोरबा, बड़वानी।

विषय:- राज्य के असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्रों (ऑरेंज क्षेत्र) के सर्वेक्षण एवं सीमांकन हेतु दिशा निर्देश।

****

पूर्व में वनों के सर्वेक्षण/सीमांकन का कार्य मुख्यतः वनों को आरक्षित वन घोषित किये जाने के दृष्टिकोण से किया गया था। फलस्वरूप काफी वनक्षेत्र सीमांकित वनखंडों में सम्मिलित किये जाने से छूट गये थे। उपरोक्त क्षेत्रों को मुख्यतः निम्न कारणों से सीमांकन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था:-

1- अतिक्रमण की स्थिति।
2- वनखंडों की सीमा से संलग्न पतली पट्टी के रूप में शेष वनक्षेत्र।
3- पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में पृथक टुकड़े के रूप में स्थित वनक्षेत्र।
4- कृषि तथा अतिक्रमण के कारण हनीकोम्बिंग वाले क्षेत्र।
5- वृक्ष रहित क्षेत्र (ब्लेंक एरिया)।

2- उक्त कारणों से वनखंडों में सम्मिलित किये जाने से वंचित रह गये, असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें किसी प्रकार के वन नहीं है तथा उन्हें वन विभाग के नियंत्रण/प्रबंधन में नहीं रखा जाता है, किन्तु कतिपय क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अच्छी किस्म के वन विद्यमान हैं तथा इन्हें सीमांकित किया जाना आवश्यक है।

....

3- वर्तमान में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आरेंज क्षेत्रों का सर्वेक्षण/सीमांकन राजस्व विभाग तथा वन विभाग के समन्वित प्रयासों से किया जावे तथा जो वनक्षेत्र वन विभाग के प्रबंधन के अनुपयुक्त पाये जाते हैं, उन्हें राजस्व विभाग को सौंपा जावे। साथ ही जिलाध्यक्ष से ऐसे खसरों का हस्तांतरण वन विभाग को कराने की कार्यवाही की जावे जिसमें कि अच्छी श्रेणी के वन उपलब्ध हैं। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर निम्न 9 जिलों में लिया जाना प्रस्तावित है एवं वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के समक्ष दर्शाई गई सर्वेक्षण इकाइयों का गठन करते हुए उनके प्रभार में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थ किया जा चुका है :-

जिला	इकाई
बस्तर	7
रायपुर	2
बिलासपुर	2
रायगढ़	2
जबलपुर	1
बैतूल	1
सिवनी	1
राजनांदगांव	1

स्थानीय रूप से उपलब्ध राजस्व/वन विभाग के अमले द्वारा सर्वेक्षण इकाइयों को सहयोग प्रदान किया जावेगा ताकि सर्वे आदि सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

4- इस संदर्भ में सीमांकित संरक्षित वन [आरेंज क्षेत्रों] के सर्वेक्षण एवं सीमांकन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

4-1 सर्वेक्षण एवं सीमांकन का क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा वनमंडलाधिकारी/प्रभारी सहायक वनसंरक्षक को ग्रामवार वन के रूप में वर्गीकृत समस्त खसरा नंबरों की जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। जिन खसरों में पट्टे दिये जा चुके हैं तथा जो खसरे अन्य प्रयोजन हेतु दूसरी योजनाओं को हस्तांतरित किये जा चुके हैं, उनकी भी जानकारी वन विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी।

4-2 उक्त विवरण के साथ-साथ संबंधित पटवारी नक्शों की ब्लू प्रिंट/फोटो कॉपी मानचित्र एवं नक्शा शीटों की पूर्ति भी राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को दी

जावेगा। इस नक्शा को कम्प्यूटराइज्ड किये गये नक्शों की भांति [illegible] से [illegible] जावेगा, जिनकी दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर हो प्रदर्शित किया जावेगा तथा अवलोकित खसरों को नीली पेंसिल से [illegible] किया द्वारा दर्शाया जावेगा जिनकी दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व होगी।

६.३ उक्त राजस्व अभिलेख प्राप्त करने के साथ-साथ वन विभाग द्वारा अभिलेखों में दर्ज अथवा पूर्व में तैयार किये गये सर्वेक्षण समाप्ति प्रतिवेदन के आधार पर आंकलित संरक्षित वनखंड की प्रत्येक ग्राम की खसरा नंबरवार जानकारी तैयार की जावेगी साथ ही जिन खसरों में वर्ष 1976 के अतिक्रमण व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत पट्टे वितरित किये जा चुके हैं तथा जिन खसरों को 24-10-80 तक के अतिक्रमण व्यवस्थापन के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है, उनकी सूची पृथक-पृथक तैयार कर ली जावे ताकि इन्हीं खसरों को पुनः वनखंड में सम्मिलित नहीं किया जावे।

६.४ राजस्व विभाग से प्राप्त खसरा नंबरवार विवरण तथा वन विभाग द्वारा तैयार की गई सूची का मिलान राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अमले द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा तथा जिन खसरों के संबंध में भिन्नता है उनकी पुष्टि राजस्व तथा वन अभिलेखों से की जाकर उनका निराकरण कर लिया जावे।

६.५ राजस्व विभाग से खसरा नंबरवार हस्तांतरित एवं अहस्तांतरित तथा अन्य शासकीय खसरों की जानकारी तथा पटवारी नक्शा प्राप्त करने के उपरान्त राजस्व विभाग की ओर से संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा वन विभाग की ओर से संबंधित बीटगार्ड/परिक्षेत्र सहायक द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामवार भ्रमण कर प्रारंभिक सर्वेक्षण की कार्यवाही की जावेगी। प्रारंभिक सर्वेक्षण के समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि किन-किन खसरों में वन विद्यमान है तथा किन खसरों में अतिक्रमण किया जा चुका है। प्रारंभिक सर्वेक्षण में जो खसरे सीमांकित तथा वनखंड में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्त पाये जाते हैं उनकी तथा अनुपयुक्त खसरों की पृथक-पृथक सूची तैयार की जावे। इस प्रकार प्रारंभिक रूप से तैयार की गई सूची का [illegible] राजस्व विभाग के अनुविभागीय [illegible] तथा वन विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाकर उनके हस्ताक्षर [illegible] [illegible] के पूर्व प्रत्येक [illegible]

... के साथ ... सम्मिलित क्षेत्रों का मौके निरीक्षण कर उनकी पुष्टि कर लेंगे।

4.6 प्रारंभिक सर्वेक्षण में वन विभाग के नियमित प्रबंधन हेतु उपयुक्त पाये गये भागों में वनों का घनत्व, क्षेत्रफल तथा वर्तमान में निकटतम आरक्षित/संरक्षित वनखंड की सीमा से दूरी का भी उल्लेख किया जावे। जो वनखंड में सम्मिलित किये जाने के उपयुक्त नहीं पाये गये हैं तथा जिन्हें राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया जाना है, की पृथक सूची तैयार करते समय उन प्रकरणों का भी उल्लेख किया जावे जिन प्रकरणों से वे भाग वनखंड में शामिल करने के उपयुक्त नहीं हैं।

4.7 प्रारंभिक सर्वेक्षण में वन विभाग के नियमित प्रबंधन हेतु उपयुक्त पाये गये भागों का ही अंतिम सर्वेक्षण/सीमांकन किया जाना है। सर्वेक्षण का कार्य पटवारी शीटों तथा वन विभाग की टोपो शीटों पर एक साथ किया जावेगा। इस हेतु वन विभाग द्वारा सर्वे आफ इंडिया के 1:15000 स्केल की फोटोग्राफ्स उपलब्ध हों तो प्राप्त कर उपयोग किया जावेगा। अतः प्रभारी सहायक वन संरक्षक द्वारा सर्वेक्षण दलों को उपलब्ध कराने हेतु पटवारी शीटों के ट्रेस अथवा अमोनिया प्रिंट तैयार कराने की व्यवस्था की जावेगी।

4.8 कई क्षेत्रों में पटवारी मानचित्र पर वन की सीमाएं प्रदर्शित नहीं हैं। इससे वनक्षेत्रों की विद्यमान स्थिति ज्ञात नहीं हो पाती है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष कार्यालय के अभिलेख शाखा में मूल मास्टर शीट उपलब्ध हैं तथा इनमें वन सीमाएं भी दर्शाई गई हैं। अतः उक्त कार्यालयों से संपर्क कर मास्टर शीट प्राप्त कर उसका ट्रेस तैयार किया जावे ताकि अधिसूचित संरक्षित वनों के सर्वेक्षण उपरान्त सही स्थिति उन पर प्रदर्शित की जा सके। संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त मास्टर शीट बिना किसी विलंब के वन विभाग को दी जावे।

4.9 पटवारी मानचित्र के स्केल तथा वन विभाग के प्रबंधन मानचित्र के स्केल में भिन्नता है। पटवारी मानचित्र 1:4000 के स्केल पर तथा वन विभाग के मानचित्र 1:15000 के स्केल पर बनाये गये हैं। पूर्व में सर्वेक्षण पटवारी मानचित्र के ट्रेस पर किया जाता था तथा तत्पश्चात उसे ... वन विभाग के मानचित्र में ... किया जाता

[illegible] इसमें त्रुटि [illegible] की सम्भावना रहती है। अतः सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण शुद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पटवारी मानचित्रों पर सर्वेक्षण के साथ-साथ टोपो शीट पर भी सर्वेक्षण किया जावे ताकि त्रुटि की संभावना नहीं रहे। सर्वेक्षण हेतु राजस्व विभाग का चांदा अथवा वन विभाग के मुनारों को आधार मानकर कार्य किया जावेगा। जिन क्षेत्रों में उक्त में उक्त दोनों आधार उपलब्ध नहीं है, वहां पर अन्य नैसर्गिक फीचर को आधार बिन्दु मानकर सर्वेक्षण कार्य किया जावेगा।

4.10 पटवारी मानचित्र प्राप्त करने के उपरान्त उक्त मानचित्रों को 1:15000 के स्केल पर न्यून किया जावे तथा दो या तीन ग्रामों की संयुक्त शीट तैयार कर ली जावे। यह उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी रहेगा जहां प्रस्तावित ब्लाक का विस्तार दो या तीन ग्रामों में हो।

4.11 समस्त सर्वेक्षण दलों को पटवारी मानचित्र तथा टोपो शीट की प्रतियां सर्वेक्षण प्रारंभ होने के पूर्व उपलब्ध करा दी जावे। सर्वेक्षण के समय दोनों मानचित्रों पर सर्वेक्षण लाइन तथा नदी नाले एवं अन्य महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितियों को भी दर्शाया जावेगा।

4.12 सर्वेक्षण/सीमांकन के साथ ही साथ सर्वेक्षण दलों द्वारा ब्लाक हिस्ट्री की तीन प्रतियां भी तैयार कर ली जावे। ब्लाकों का क्षेत्रफल [illegible] की सहायता से निकाला जावे।

4.13 स्वतंत्र ब्लाक बनाने हेतु सामान्यतः 23 हेक्टेयर से कम क्षेत्र नहीं होना चाहिए, किन्तु जहां पर सागौन तथा साल के अच्छे श्रेणी के वन हैं, वहां पर 10 हेक्टेयर तक के स्वतंत्र ब्लाक बनाये जावेंगे। यदि प्रस्तावित क्षेत्र इससे छोटा है तथा आरक्षित तथा संरक्षित वन की सीमा से लगा है तो उसे वनखंड में शामिल कर लिया जावेगा। [10 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्र जो किसी वनखंड में सम्मिलित नहीं किये गये हैं उनकी पृथक से सूची तैयार की जावेगी ताकि इन क्षेत्रों के पृथक प्रबंधन के संबंध में विचार किया जा सके।]

4.14 जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण विद्यमान है अथवा अतिक्रमण के फलस्वरूप [illegible] हो गया है, उन्हें ब्लाक में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

4.15 [illegible] प्राकृतिक [illegible] को प्राथमिकता [illegible]

4.16 यदि प्रस्तावित वनखंड के मध्य सड़क रेल मार्ग आ जाते हैं तो उस स्थिति में भी वनखंड का विभाजन नहीं किया जावे। बल्कि उक्त मार्गों को वनखंड में सम्मिलित करते हुये ही वनखंड का निर्माण किया जावे।

4.17 सर्वेक्षण सीमांकन का कार्य एक परिक्षेत्र में पूर्ण होने पर प्रभारी सहायक वन संरक्षक द्वारा उक्त परिक्षेत्र हेतु कार्य समाप्ति प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित वन मंडलाधिकारी को तथा एक प्रतिलिपि जिलाध्यक्ष को दी जावेगी। वन मंडलाधिकारी उक्त वन खण्डों को भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिसूचित करने की कार्यवाही करेंगे एवं जिलाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त वन खण्ड पटवारी मानचित्र के मास्टर शीट तथा चालू शीट पर अंकित कर ली जावे और खसरा पंजी में तदनुसार प्रविष्टि कर ली जावे।

5/ जिलाध्यक्ष एवं वन मंडलाधिकारी इसे एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लेंगे एवं प्रत्येक इकाई को आवश्यक स्वीकृति अमला उपलब्ध करायेंगे तथा प्रत्येक इकाई के कार्यभार को देखते हुये लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग

क्रमांक/ [illegible] भोपाल, दिनांक 14 मई, 1996

प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
2/ आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5/ मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण), मध्यप्रदेश, भोपाल।
6/ समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7/ आयुक्त, भोपाल/बस्तर (जगदलपुर)/बिलासपुर/रायपुर/जबलपुर/इन्दौर, म०प्र०
8/ वन संरक्षक, जगदलपुर/कांकेर/बिलासपुर/दुर्ग/जबलपुर/बैतूल/रायपुर/खण्डवा, म०प्र०

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों को मदों एवं प्रयोजनों को बदले जाने बाबत्

20. (क्र. 428) श्री प्रेमनारायण ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा, सिवनी तथा बैतूल जिले के लिये भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा (234) के तहत बनाये गये जिले के ग्रामों के निस्तार पत्रक में किस-किस मद को कितनी-कितनी भूमि किन-किन प्रयोजनों के लिये दर्ज है? (ख) राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक में दर्ज किन-किन मदों वाली जमीनों को उक्त विधान के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4(1) में अधिसूचित कर किसी-किसी जमीनों को धारा (5) से (19) तक जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है? (ग) निस्तार पत्रक में विभिन्न प्रयोजनों के लिये दर्ज जमीनों के वन क्षेत्र घटाकर उन्हें धारा 4(1) में अधिसूचित कर अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आरक्षित वन बनाये जाने का प्रावधान भू-राजस्व संहिता, 1959 की किस धारा में दिया गया है? यदि भू-राजस्व संहिता में प्रावधान नहीं हो तो राजस्व भूमियों को वन भूमि घोषित करने का क्या कारण है, जानकारी दें? (घ) निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों की मदों एवं प्रयोजनों को बदले जाने का भू-राजस्व संहिता, 1959 में क्या प्रावधान है? इस प्रावधान का पालन किये बिना आरक्षित वन बनाये जाने की कार्यवाही करने का क्या औचित्य है, क्या कारण है, स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री करण सिंह वर्मा) : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) सिवनी जिले के कुल 1574 ग्रामों के निस्तार पत्रकों में 1,41,754 है. भूमि निम्नानुसार मदों में दर्ज है:—

निस्तार मद	रकबा (है. में)
बड़े झाड़ के जंगल	61225 है.
छोटे झाड़ के जंगल	20668 है.
पानी के नीचे	37170 है.
पहाड़-चट्टान	12060 है.
सड़क-इमारत	14888 है.
आबादी	5712 है.
अमराई बाग	31 है.
कुल—1,41,754 है.	

छिन्दवाड़ा जिले के कुल 2959 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रकों में 6,92,499 है. भूमि निम्नानुसार मदों में दर्ज है:—

निस्तार मद	रकबा (है. में)
आबादी	3685
अमराई बाग	31
बड़े झाड़ के जंगल	246365
छोटे झाड़ के जंगल	61578
पानी के नीचे	337005
पहाड़-चट्टान	42201
सड़क-इमारत	31634
कुल—6,92,499 है.	

बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रकों में 209418 है. भूमि निम्नानुसार मदों में दर्ज है:—

निस्तार मद	रकबा (है. में)
आबादी	3395
अमराई बाग	04
बड़े झाड़ के जंगल	114361
छोटे झाड़ के जंगल	27827
पानी के नीचे	26147
पहाड़-चट्टान	24262
सड़क-इमारत	10722
कुल—209418 है.	

(ख) सिवनी जिले निस्तार पत्रक में दर्ज बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, पहाड़ चट्टान वाली के नीचे, घास हल्का, [illegible] से संबंधित तथा अन्य भूमियों को अधिसूचित कर 61435,672 है. रकबा पर धारा 5 से धारा 19 तक की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है.

छिंदवाड़ा जिले में निस्तार पत्रक में कुल 223498 हे. रकबा पर धारा 05 से 19 की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है.

बैतूल जिले में निस्तार पत्रक में कुल 71909,147 हे. रकबा पर धारा 05 से 19 की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है.

(ग) प्रश्नाधीन भूमियों को वन खण्ड बनाकर उन्हें धारा 4(1) में अधिसूचित कर आरक्षित वन बनाये जाने का प्रावधान भू-राजस्व संहिता में नहीं है. (घ) भू-राजस्व संहिता की धारा 237 की उपधारा 1 में वर्णित किसी प्रयोजन के लिये विशेष रूप से पृथक् रखी गई भूमि कलेक्टर की मंजूरी से ही व्यपवर्तित की जायेगी अन्यथा नहीं. प्रश्नाधीन जिलों में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है.

राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमि 17 मार्च 2016

134. ता. प्र. सं. 15 (क्र. 5815) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम संभाग के किस जिले में कितने राजस्व ग्राम, कितने वन ग्राम हैं, कितने राजस्व ग्राम वीरान हैं, कितने राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल हैं, कितने राजस्व ग्रामों में जनवरी 2008 के बाद वन अधिकार समितियां बनाई हैं. (ख) किस जिले में कितने राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक उपलब्ध हैं उनमें से कितनी भूमि दर्ज की गई थी उस भूमि में से कितनी भूमि वर्तमान में भी दर्ज है? इन दर्ज भूमियों में से कितनी भूमि का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार पंचायतीराज व्यवस्था को प्रश्नांकित दिनांक तक सौंप दिया गया है? यदि नहीं सौंपा हो तो कारण बतावें? (ग) किस जिले के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में खाते में कितनी भूमि दर्ज है? गैर खाते की किस मद में कितनी भूमि दर्ज है? गैरखाते की कितनी भूमि वन विभाग की कार्य योजना में भी सम्मिलित कर ली गई है. इन सम्मिलित भूमियों को गैर खाते से प्रश्नांकित दिनांक तक भी पृथक् न किये जाने का क्या कारण रहा है? (घ) गैर खाते में दर्ज भूमियों में से कार्ययोजना में सम्मिलित भूमियों को राजस्व अभिलेख या वानिकी अभिलेख से पृथक् किए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) 1. **होशंगाबाद**-होशंगाबाद जिले में 936 राजस्व ग्राम एवं 51 वनग्राम हैं. 55 ग्राम वीरान हैं. 27 राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल हैं. 140 राजस्व ग्रामों में जनवरी 2008 के बाद वन अधिकार समितियां बनाई गई हैं. 2. बैतूल-बैतूल जिले में 1303 राजस्व ग्राम 92 वन ग्राम 63 वीरान ग्राम, 16 राजस्व ग्राम नगरीय सीमा में शामिल है तथा 1144 राजस्व ग्रामों में जनवरी 2008 के बाद वन अधिकार समितियां बनी हैं. 3. **हरदा**-जिला हरदा के अंतर्गत 527 राजस्व ग्राम हैं, 42 वन ग्राम, 77 राजस्व वीरान ग्राम हैं एवं 11 ग्राम नगरीय सीमा से लगे 491 राजस्व ग्रामों में वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है. (ख) 1. **होशंगाबाद**-जिले में 935 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक उपलब्ध हैं, 137486 हेक्टेयर भूमि दर्ज है तथा भूमियों पर नियंत्रण प्रबंधन पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया है. 2.**बैतूल**-बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक उपलब्ध हैं, उनमें से 209418 हे. भूमि दर्ज है तथा 209418 हे.भूमियों का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया है. 3. **हरदा**-जिला हरदा अंतर्गत 527 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक उपलब्ध है, 55872 हे., भूमि निस्तार पत्रक में दर्ज है इन दर्ज भूमियों का निस्तार पत्रक पंचायतों को सौंप दिया गया है. (ग) 1. **होशंगाबाद**-जिला होशंगाबाद के वर्तमान राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज है तथा गैरखाते में आबादी 5120 हे. अमराई व अन्य फलोद्यान 16 हे. बड़े झाड़ का जंगल 80801 हे. छुड़पी जंगल व घास 25295 हे. पानी के नीचे 28613 हे., पहाड़-चट्टान 2369 हे., इमारत सड़क वगैरह 10351 हे., योग गैरखाता क्षेत्र 152565 हे. गैरखाते की भूमि वन विभाग द्वारा कार्य योजना में सम्मिलित नहीं की गई है. 2. **बैतूल**-जिले के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में खाते में 515353 हे., भूमि दर्ज है. गैरखाते की आबादी 3395 हे., अमराई बाग 04 हे., बड़े झाड़ के जंगल 114361 हे., छोटे झाड़ के जंगल 27827 हे., पानी के नीचे 28842 हे., पहाड़-चट्टान 29262 हे., सड़क-इमारत 10722 हे., भूमि दर्ज है. गैर खाते की भूमि वन विभाग की कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं की गई है. 3. हरदा-हरदा जिले में राजस्व अभिलेख में खाते की 196615 हे. भूमि दर्ज है गैर खाते में सम्मिलित क्षेत्र आबादी 1624 हे., अमराई 5 हे., बड़े झाड़ का जंगल 25347 हे., छुड़पी जंगल घास 6246 हे., पानी के नीचे 14218 हे., पहाड़-चट्टान 3166 हे., इमारत-सड़क 5266 हे., योग गैरखाते 55674 हे., वन क्षेत्र 78092 कुल गैर खाता 133966 हे., भौगोलिक क्षेत्रफल 330581 हे., है. (घ) प्रश्नांश "ग" के संदर्भ में अभिलेख से भूमि पृथक् किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है.

पुस्तक सूची

1. भूमिहीनों के लिए पदयात्रा के संदर्भ – जल, जंगल, जमीन
2. आरेंज एरिया
3. जनादेश 2007
4. ऐतिहासिक अन्याय – जंगल और जमीन की हकीकत
5. राष्ट्रीय भूमि प्राधिकरण
6. इम्पावर्ड कमेटी की भूमिका
7. जंगल और जमीन पर निस्तार एवं वनोपज के अधिकार
8. नारंगी भूमि की वास्तविकता
9. वनग्रामों का इतिहास और भविष्य
10. जंगल जमीन और सरकारी साजिश
11. अभिलेख और जानकारी
12. ऐतिहासिक अन्याय, जिम्मेदार कौन
13. एक याचिका – जंगल का जाल
14. याचिकाओं की दस्तक
15. ऐतिहासिक अन्याय बनाम असली दावेदारी

ISBN 9788190499972

अनिल गर्ग

- सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ता, लेखक, शोधार्थी और वकील
- जंगल-जमीन के मामलों का ऐतिहासिक अध्ययन
- लोगों के हकों की लड़ाई के लिए संघर्षरत

बैतूल के एक राजनैतिक परिवार में जन्म। वकालत उन्हें विरासत में मिली। वकालत को लोगों के अधिकार के लिए अपना माध्यम बनाया। संघर्ष की शुरूआत में पत्रकारिता भी की, और कई प्रतिष्ठित अखबारों में लेखों ने खलबली मचाई। किसी एक विषय पर महारत हासिल करने के लिए जंगल-जमीन को अपने अध्ययन के केन्द्र में लाए। केवल भावनात्मक आधार पर नहीं, पूरा अध्ययन तथ्यात्मक दृष्टिकोण से, दस्तावेजों के आधार पर किया। लोगों के बीच **'काका'** नाम से ख्यात अनिल गर्ग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह हमेशा तथ्यों, और संदर्भों के साथ अपनी बात रखते हैं। जंगल-जमीन के मामलों में वह म.प्र. और छत्तीसगढ़ के चुनिंदा विशेषज्ञों में शुमार हैं। कभी अपने सिद्धांतों से समझौता न करने वाले काका अपनी बेबाक बोली के कारण कई लोगों से अपने संबंध खराब करने के लिए भी जाने जाते हैं, बावजूद इसके वह बोलना नहीं छोड़ते। यही उनकी शैली है। काका के कड़क मिजाज के पीछे एक बेहतरीन इंसान है, जो आमजन के दुख-दर्द को लेकर बेहद संजीदा है।

एकता परिषद की पदयात्रा के दौरान पदयात्रा के संदर्भ में अनिल जी ने पांच किताबें लिखीं। वन अधिकार बिल पारित होने पर 'जंगल, जमीन, ऐतिहासिक अन्याय, जिम्मेदार कौन' शीर्षक से किताब लिखी। एकता परिषद की 2007 की यात्रा के दौरान भी उन्होंने एक किताब लिखी। विंध्य और बुंदेलखंड के भूमि विवादों पर एक किताब प्रकाशित हुई। राज्यपाल और राष्ट्रपति की याचिकाओं पर एक किताब लिखी। एक किताब 'ऑरेंज एरिया' अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई।

अनिल गर्ग के बेटे निकुंज ने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह जंगल-जमीन के मामलों पर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटी पलक गर्ग ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है और वह अपने कैरियर को आगे बढ़ा रही है। जीवन संगिनी उमा गर्ग का हर कदम पर साथ मिला।

सम्पर्क : 9425636979